खण्ड-289, अंक-2
मंगलवार, 22 आषाढ़, शक संवत् 1893
(13 जुलाई, 1971 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 289 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१२७–१३१
पंचायत मंत्रियों की गिरफ्तारी तथा वित्त मंत्री के घेराव के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	१३२–१३३
प्रश्नोत्तर	१३३–१७६
पंचायत मंत्रियों की मांगों के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग	१७६–१८२
भूतपूर्व सदस्य श्री रूप नारायण के निधन पर शोकोद्गार.. ..	१८२–१८४
श्री लक्ष्मण स्वरूप की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना	१८४–१८५
उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्यों का विनियमन) अधिनियम, १९५८ में संशोधन हेतु याचिका (प्रस्तुत की गई)	१८६
राज्य सरकार की सेवा में नियोजित कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के विनियमित करने हेतु याचिका (प्रस्तुत की गई) ..	१८६
विधान मण्डल के कर्मचारी वर्ग की सेवा की शर्तों और भर्ती के नियमों को विनियमित करने हेतु याचिका (प्रस्तुत की गई)	१८६
विशेषाधिकार की अलवहेलना के प्रश्नों की सूचनायें	१८६
पंचायत मंत्रियों की मांगों के सम्बन्ध में वक्तव्य	१८७–१९५
९ मार्च, १९७० के तारांकित प्रश्न संख्या १ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	१९५
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७० पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	१९६–१९७
१९७१–७२ का द्वितीय लेखानुदान का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	१९७–१९९
उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, १९७१ (पारित) ..	१९९–२०४
प्रदेश में असामयिक वर्षा से खाद्यान्नों के खराब होने तथा बाढ़ और अत्यधिक वर्षा से हुई हानि के सम्बन्ध में चर्चा (समाप्त)	२०४–२५३
उत्तर प्रदेश भंडार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ (पुरःस्थापित किया गया)	२५४–२५५
उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट एन्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ (पुर स्थापित किया गया)	२५५
उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७१ (पुरःस्थापित किया गया)	२५५–२५६
उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा गैर शिक्षक कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१ (पुरःस्थापित किय गया)	२५६–२५७
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	२५७
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	२५७–२५९
बंगला देश को मान्यता देने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	२५९–२६५
श्री लक्ष्मणस्वरूप, सदस्य विधान सभा की रिहाई के सम्बन्ध में सूचना ..	२६६
नत्थियां	२६७–२९९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक १३ जुलाई, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ३९८

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, दुबे श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफअली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदल्ला, खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वरदयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उद्धितनारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओमप्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
(बेगम एजाज रसूल)
कृपादयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णमगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार नाथ, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)

पंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
पंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रतापनारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्रमोहनसिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल, चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर
(उर्फ डा० मन्ना)
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायन सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह कृष्ण, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राम, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दलसिंगार, श्री
दीपनारायन बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुजन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रसिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धमवीरसिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीनासिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नसीमउद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री
(उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
ननसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री

परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलरामसिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल यादव, श्री
बिशनलाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिसोइया, डाक्टर
भगवती सिंह, विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री

मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीरसिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
माखनलाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूदअली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री
(उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथसिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथसिंह वर्मा, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजयसिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री

राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
राम लखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामविलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भरसिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बक्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती

शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिव दास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिवप्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवमहेन्द्र सिंह, कुवंर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुक्ल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेषनारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नूबाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
लोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला , श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा , फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—सामुदायिक विकास मंत्री श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे ।

पंचायत मंत्रियों की गिरफ्तारी तथा वित्त मंत्री के घेराव के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। वित्त मंत्री साहब और पंचायत मंत्री साहब, इन दोनों आदमियों के यहां पंचायत मंत्रियों ने घेराव कर रखा था क्योंकि कल इन्होंने उनको गिरफ्तार करा लिया था। तो फाइनेन्स मिनिस्टर साहब अपने घर में बन्द हैं और पंचायत मंत्री किसी तरह से भाग कर निकल आये हैं। तो वित्त मंत्री को छुड़ाने की व्यवस्था नहीं की जायगी तो बजट का काम कैसे चलेगा। अतः आप के द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि इस मसले पर कुछ एनाउन्स कर दें जिससे घेराव खत्म हो जाय और बजट का काम चले।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिवानन्द नौटियाल, प्रश्न संख्या १।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

इस बयान पर आपने क्या व्यवस्था दी क्योंकि माननीय मंत्री जी पंचायत मंत्रियों के घेराव से आ गये? तो आखिर इस सदन का काम कैसे चलेगा?

श्री अध्यक्ष—

मैं तो जानता नहीं हूं कि क्या है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप मुख्य मंत्री से पूछिये कि मामला क्या है। इस सरकार ने पंचायत मंत्रियों को क्यों गिरफ्तार करवाया?

(व्यवधान)

इन लोगों से पूछिये कि इतना बड़ा कुकर्म क्यों किया।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्नों के समय ऐसा कहना यह आपको शोभा नहीं देता। प्रश्नों का समय बड़ा कीमती होता है।

(व्यवधान)

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

पंचायत मंत्रियों को गिरफ्तार करा कर ये मंत्री सदन में इत्मीनान से नहीं बैठ सकते हैं। इसलिये मुख्य मंत्री आश्वासन दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर बैठिये।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय मुख्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं। उनको दो शब्द कह लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री बांकेलाल—

मेरा निवेदन यह है कि जब तक वित मंत्री सदन में नहीं बैठेंगे तब तक यह बजट सेशन नहीं चलना चाहिये और पंचायत मंत्रियों को मांगों पर विचार करने का मुख्य मंत्री आश्वासन दें।...

श्री अध्यक्ष—

मैं वार्न करता हूं आपको। प्रश्नों का समय महत्व का होता है और हर एक आदमी चाहता है कि प्रश्न पूछ सके। प्रश्न शुरू होने से पहले व्यवस्था का प्रश्न नहीं आ सकता।

प्रश्नोत्तर

मगलवार, दिनांक १३ जुलाई, १९७१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कठूड़, जिला गढ़वाल में पेय जल योजना पर कार्य प्रारम्भ

****१—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कठूड़ (कोट ब्लाक) जिला गढ़वाल की पेयजल योजना की धनराशि स्वीकार है किन्तु अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, इसका क्या कारण है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री धर्म दत्त वैद्य)—

कठूड़ पेयजल योजना के लिए धन स्वीकृत हो चुका है परन्तु योजना से संबंधित पानी के श्रोतों का डिस्चार्ज पुनः नापने पर आवश्यकता से कम पाया गया। अतः अन्य जल श्रोत की खोज की जा रही है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि जब कोई भी योजना विभाग द्वारा बनायी जाती है तो लगातार तीन वर्ष तक उसका पानी नापा जाता है और तभी वह योजना बनायी जाती है और इस के आधार पर कठूड़ की पेयजल योजना स्वीकार की गयी थी और क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इतना निरीक्षण करने के बाद फिर इस योजना को क्यों विलम्बित किया जा रहा है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

यह योजना विचाराधीन है। जिन श्रोतों के पानी का सर्वे किया गया है उनका उन्मुक्त कम हुआ है इसलिये तीसरे श्रोत की तलाश की जा रही है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि जब खोज की गई तो पानी कम पाया गया तो फिर उससे पहले धनराशि क्यों स्वीकृत कर दी गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

योजना स्वीकृत की गई तो उसके लिये धनराशि भी स्वीकृत की गई। उसके लिये जो जल श्रोत तलाश किया गया था, उस समय पानी उसमें पाया गया। गर्मी में पानी कम हो गया। जल की पूर्ति न देखकर दूसरे श्रोत की तलाश की गई।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रति वर्ष गर्मी के दिनों में ही पानी नापा जाता है और पुनः योजना बनाई जाती है तो उसी पानी के आधार पर जिस पर आप योजना बनाते हैं इस योजना को कार्यान्वित करने की आज्ञा देंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

योजना को कार्यान्वित करने का विचार है। उसके लिये व्यवस्था की जा रही है। चूंकि जितने पानी की आवश्यकता है वह इन दो जल श्रोतों से पूरी नहीं हो रही है इसलिये दूसरा स्रोत तलाश किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

यह ३ साल से बराबर नापा जाता है कि कितना पानी उससे निकल सकता है। जब वह स्वीकार हो चुकी है तो यह मान लिया गया कि काफी पानी है, यह हो सकता है कि बाद में पानी कम हो गया तो उस पर पुनः विचार किया जा सकता है।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

दो जल श्रोत में पानी नापा गया। यह सही है कि गर्मी में पानी कम हो जाता है। उसके लिये यही व्यवस्था है कि तब तीसरे श्रोत से पानी खोजा जाय।

श्री छांगुरराम (जिला आजमगढ़)—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि जांच करके सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि दूसरा श्रोत लने पर ही इस योजना को कार्यान्वित किया जा सकता है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जो श्रोत पहले खोजे गये थे उनमें पर्याप्त जल था, लेकिन दोबारा जब उसमें पानी का अभाव आ तो तीसरे श्रोत को खोजने की आवश्यकता हुई।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो जांच हुई किस अधिकारी के द्वारा ई और यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जायगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

हमारे विभाग के इंजीनियर इस की जांच कराते हैं और यह काम शीघ्र सम्पन्न हो जायगा और क्योंकि अब तीसरा जल श्रोत मिल गया है इसलिये अब इस योजना के कार्यान्वित हो जाने की सम्भावना है।

श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब स्कीम को स्वीकार किया जाता है तो उस समय स्वीकृत करने का कौन का मापदंड होता है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जिला परिषद् के प्रस्ताव के बाद विभाग योजना की छान बीन करता है और जल श्रोत का पता लगाता है और जब वह मिल जाता है तब योजना प्रारम्भ की जाती है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये २ जलश्रोत प्राप्त किये गये थे और योजना चालू की गई थी।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मंत्री जी ने अपने पहले उत्तर में कहा कि अभी श्रोत की खोज हो रही है और अभी कहा कि श्रोत का पता लगा लिया गया और धन स्वीकृत हो गया और मूल उत्तर में कहा कि श्रोत की खोज के कारण योजना कार्यान्वित नहीं हो रही है, इन दोनों में से कौन-सी बात सही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

दोनों उत्तर सही हैं। जो पहले श्रोत थे उन का डिसचार्ज कम हो गया और इसी कारण से तीसरा जल श्रोत ढूंढ़ने की आवश्यकता पड़ी।

क्षेत्र समितियों एवं जिला परिषदों का चुनाव

****२—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—**

क्या सरकार का विचार राज्य में क्षेत्र समितियों एवं जिला परिषदों का चुनाव सम्पन्न कराने का है ? यदि हां, तो कब तक ?

सामुदायिक विकास राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

जी हां। यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो वर्तमान क्षेत्र समितियां हैं उन का कार्यकाल कितने वर्ष का हो चुका है और अधिक से अधिक प्रक्रिया चुनावों की सम्पन्न होने में कितना समय लगेगा और चुनाव कब तक सम्पन्न हो जायगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

२१ मार्च, सन् ७२ तक इनकी अवधि बढ़ाई गई है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैंने पूछा कि उनका कार्यकाल कितना हो चुका है और कब तक कितनी अवधि बढ़ाई गई है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

जो वर्तमान अवधि है वह तो ३१–३–७१ को समाप्त होती है, एक वर्ष के लिये यह अवधि बढ़ा दी गई है इसलिये वह ३१–३–७२ तक हो गई है। इस बीच में कोशिश की जायगी कि इन दोनों इकाईयों के चुनाव करा दिये जायं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

निश्चित अवधि तो नियम में ५ वर्ष की है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

सन ७० में संयुक्त विधायक दल की सरकार ने इन जिला परिषदों को तोड़ा था और उस वक्त उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द चुनाव उनके करा दिये जायंगे। पंचायती राज्य की तीन इकाईयां होती हैं—पंचायतें, क्षेत्र समितियां और जिला परिषदें। वह दोनों पैर और धड़ हैं, तो जिला

परिषदें सिर हैं इस पूरे शरीर की। यह तीनों पंचायत राज की इकाईयां हैं। आप ने दो का तो कार्यकाल बढ़ा दिया और जो सिर है वह गायब है तो कुम्भकरण की तरह बिना गर्दन के शरीर को कब तक चलायेंगे ? मेरा प्रश्न यह है कि जिला परिषदों का चुनाव निश्चित रूप से आप बताइये कि कब करने जा रहे हैं। इस कालावधि में कर देंगे और नहीं करते हैं तो मंत्री जी बतायेंगे कि उनके स्थानों पर गैर सरकारी लोगों की नियुक्ति करायेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९७०, २३ मार्च १९७० से दो वर्ष के लिये लागू किया गया था। आठ-दस महीने शेष रह गये हैं और इसी के अन्दर अगर कोई विशेष परिस्थिति पैदा न हुई तो ग्राम सभाओं के चुनाव कराकर फिर क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के चुनाव कराने पर विचार किया जायेगा।

श्री बंशीधर पांडेय—

कलैक्टर की जगह नान-आफिशियल को नियुक्त कर रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

ऐसा कोई विचार फिलहाल नहीं है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या जिलाधिकारियों को परामर्श देने के लिये जनप्रतिनिधियों की समितियां बनाने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मैंने अभी निवेदन किया कि फिलहाल ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

वर्तमान क्षेत्र समितियां कितने वर्ष से कार्य कर रही हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

अध्यक्ष जी, व्यवस्था का विषय है। मंत्री जी के दो जबाव हैं। पहली बार उन्होंने कहा कि गैर सरकारी के मामले में कोई विचार नहीं है फिर उधर से मंत्रियों का दबाव पड़ा तो कहा कि फिलहाल कोई विचार नहीं है.....

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। सरकार जो निश्चय करती है वह फिलहाल ही का करती है। वह क्या करेगी वह उस समय बतायेगी। इसका मतलब यही है कि हमने इस विषय पर इस समय कोई निश्चय नहीं लिया है।

(श्री शम्भूनाथ चौधरी के अपने प्रश्न का उत्तर मांगने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप फिर से अपना प्रश्न दुहरा दें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वर्तमान क्षेत्र समितियां जो कार्य कर रही है इनको कार्य करते कितने वर्ष हो गये हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ये चुनाव १९६३ में जिला परिषदों का हुआ था और क्षेत्र समितियों का ६२ और ६३ में। तब से जिला परिषदें और ग्राम सभायें कार्य कर रही हैं।

एक सदस्य—

ग्राम सभायें ६१ से कार्य कर रही हैं और जिला परिषदें ६३ से।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

१९६१ से ग्राम सभायें, १९६२ से क्षेत्र समितियां और १९६३ से जिला परिषदें कार्य कर रही हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिला परिषदों की सलाहकार समितियों के नामांकन का प्रश्न कई बार सरकार के विचाराधीन आया परन्तु कुछ राजनीतिक कारणों से उसको समाप्त कर दिया गया, क्या यह सही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अभी कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नामीनेटेड कमेटीज को मुकर्रर करने का नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

ऐसा सर्कुलर जिलों में गया है जिसमें नाम मांगे गये हैं और उसके बाद इसको निरस्त किया गया है।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मान्यवर, किसी भी जिलाधिकारी यानी जो जिला परिषद के अध्यक्ष के पद पर काम कर रहे हैं, ने कोई भी ऐसी सिफारिश प्रदेश की सरकार के पास नहीं भेजी है कि उनको सलाहकार समिति की आवश्यकता है।

लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से अंग्रेजी की समाप्ति

**३—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सरकार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में से अंग्रेजी भाषा को समाप्त करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त परीक्षाओं में से अंग्रेजी भाषा को कब से समाप्त कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नियोजन उप मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र)—

शासन ने इस प्रश्न पर विचार किया और यह निर्णय लिया है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अंग्रेजी भाषा को अभी समाप्त करना ठीक न होगा। इसका कारण यह है कि इन परीक्षाओं में बैठने के लिए न केवल उत्तर प्रदेश के ही नागरिक पात्र हैं वरन् अन्य राज्यों के नागरिक भी उसके पात्र हैं जहां शिक्षा का माध्यम अभी तक अंग्रेजी बना हुआ है। यदि आयोग की परीक्षाओं से अंग्रेजी हटा ली जाती है तो अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के साथ न्याय न होगा। आयोग की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को छूट है कि अंग्रेजी के दो पर्चों को छोड़ कर वे हिन्दी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में शेष प्रश्न-पत्रों के उत्तर दे सकते हैं। हिन्दी के दो पर्चे सामान्य हिन्दी तथा हिन्दी निबन्ध अनिवार्य हैं। अतः हर अभ्यर्थी को हिन्दी का ज्ञान होना आवश्यक है।

श्री कल्याण सिंह—

जो कठिनाइयां मंत्री जी ने उत्तर में बताई हैं ये कठिनाइयां बिहार सरकार के सामने भी जरूर रही होंगी। लेकिन उन्होंने किया, अंग्रेजी की अनिवार्यता को लोक सेवा आयोग से समाप्त कर दिया। हमारा प्रदेश हिन्दी भाषी है और सौभाग्य से मुख्य मंत्री जी भी हिन्दी प्रेमी हैं। उन्होंने कहा कि अभी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अंग्रेजी को समाप्त करना ठीक न होगा। तो कितनी अवधि तक अंग्रेजी की अनिवार्यता रखना चाहते हैं ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

जिस समय वे परिस्थितियां पैदा हो जायंगी जिसके अनुरूप लोक सेवा आयोग में हिन्दी अनिवार्य हो जाय, हिन्दी माध्यम से परीक्षायें हो जायं और हमारे समस्त विश्वविद्यालयों में भी हिन्दी माध्यम हो जाय, उस समय हम इस प्रश्न पर फिर से विचार कर सकेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, इस बात को देखते हुए कि मुख्य मंत्री जी ने एक सकुलर निकाला है कि उत्तर प्रदेश के समस्त अधिकारी कर्मचारी अब हिन्दी में काम करें और जो हिन्दी में काम नहीं करेंगे, अंग्रेजी में करेंगे, उसको अनुशासनहीनता माना जायेगा, क्या मुख्य मंत्री जी इस बात की घोषणा करेंगे कि चूंकि अब अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं रह गयी है, इस आदेश के बाद, इसलिये लोक सेवा आयोग से अंग्रेजी के दोनों पर्चे हटा लिये जायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, सरकार इस बात के लिए बहुत उत्सुक है कि लोक सेवा आयोग से अंग्रेजी पूरी तरह से हट सके और इस विषय में हम विचार कर रहे हैं कि कैसे यह हो सकता है। संविधान की कुछ धारायें हैं जिसके अनुसार आपके लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ऐसे लोग भी बैठ सकते हैं जो अहिन्दी भाषी हों और ऐसे प्रदेश के लोग भी बैठ सकते हैं जहां अब भी अंग्रेजी चल रही है। ऐसी स्थिति में जब तक यह संवैधानिक आपत्ति दूर न हो जाय तब तक कोई इस तरह का कदम उठाना ठीक न होगा। हमने इस बात की चेष्टा की है कि इस विषय को हम आगे बढ़ायें और यह देखें कि कैसे यह परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि लोक सेवा आयोग में केवल हिन्दी में ही परीक्षा ली जाय।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह हमारे यहां के लोक सेवा आयोग का जिक्र है या केन्द्रीय लोक सेवा आयोग का ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित लोक सेवा आयोग का मामला है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

जैसा कि अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अहिन्दी भाषी लोग भी बैठते हैं, तो क्या सरकार यह करेगी कि हिन्दी भाषी प्रान्त के लोग जब बठें तो उनके लिए अंग्रेजी का एक भी पर्चा जरूरी न समझा जाय, क्या तत्काल इस पर विचार करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जब देश में और केन्द्र में अंग्रेजी चल रही है तो कुछ थोड़ा बहुत अंग्रेजी का ज्ञान अपने अधिकारियों को होना ही चाहिये। दूसरे लोक सेवा आयोग में भी जाकर बहुत से लोग बैठते हैं जैसा कि दूसरे प्रदेशों के लोग यहां आकर बैठते हैं। जिसको बिल्कुल ही अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होगा तो वह यू० पी० के अभ्यर्थी होने के कारण उसमें नहीं लिये जा सकेंगे। इस कारण इसको किया गया गया है।

श्री कल्याण सिंह—

यह जो सुविधा अंग्रेजी भाषा भाषी लोगों को दी जा रही है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि गत तीन वर्षों में कितने अभ्यर्थी यहां के वहां बैठे हैं ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, यह इतना बड़ा सवाल है कि इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री कल्याण सिंह—

ऐसा लगता है कि इस सरकार का अंग्रेजी के प्रति मोह बढ़ता ही जा रहा है। पहले विधान सभा की रिपोर्टिंग के लिये अंग्रेजी में गत वर्ष १९६१ से ६५ तक टंककों की स्पीड १०० शब्द प्रति मिनट हुआ करती थी जिसको अब बढ़ा कर १२५ कर दिया गया है। मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि जो रिपोर्टरों की स्पीड पहले १०० शब्द थी वह अब बढ़ा कर १२५ कर दी गई है। यह अंग्रेजी के प्रति मोह ही तो है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

माननीय सदस्य का प्रश्न मैं कुछ समझ नहीं पाया ।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि सन् १९६१ से १९६५ तक विधान सभा के लिये जो रिपोर्टर लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठते थे उनके लिये १०० वर्ड्स पर मिनिट का टेस्ट होता था जिसको अब बढ़ा कर १२५ शब्द प्रति मिनट कर दिया गया है। ऐसा क्यों है ?

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न का सम्बन्ध मेरे कार्यालय से है ।

श्री रामगोपाल लोढ़ (जिला इलाहाबाद)—

माननीय मुख्य मंत्री जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा से भी सम्बन्धित हैं और उनके यह आदेश हैं कि जो कर्मचारी अंग्रेजी में कार्य करेंगे वे दंडित किये जायेंगे। इसको देखते हुये मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य विरोधाभासी है। उत्तर प्रदेश से जो अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे उनको अंग्रेजी के पर्चे में भी सम्मिलित होना पड़ेगा। मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश से जो अभ्यर्थी बैठें उनको अंग्रेजी के कोई पर्चे में नहीं बैठने की छूट होनी चाहिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैंने निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को इसमें छूट है वे चाहें तो अंग्रेजी में जवाब दें अथवा हिन्दी में ही उत्तर दें। केवल दो पर्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी में देने पड़ते हैं। जो अहिन्दी भाषी हैं उनके लिये दो पर्चे अनिवार्य कर दिये गये हैं। हमारे यहां काम करने वाले अधिकारियों के लिये यह आदेश जारी कर दिये गये हैं कि वे केवल हिन्दी में ही काम करें और यदि कोई ऐसा अधिकारी है जो हिन्दी में काम नहीं कर सकता तो वह उत्तर प्रदेश में कार्य नहीं कर सकेगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, जब तक आप अंग्रेजी को हटायेंगे नहीं तब तक हमारी मातृभाषा, हिन्दी चालू नहीं हो सकती है। इन तथ्यों को देखते हुये क्या आप लोक सेवा आयोग से अंग्रेजी को हटाने का निश्चय करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं जायसवाल जी की भावनाओं का आदर करता हूं। आज इस प्रकार का निश्चय करके घोषणा करना कठिन है, लेकिन मैं इस बात का पूरा प्रयास कर रहा हूं कि हिन्दी को उसका उपयुक्त स्थान मिले।

मिर्जापुर जिले में बिहार की सरहद पर चीनी वस्तुओं से भरे बक्स का मिलना

**४—श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार को पता है कि माह मई सन् १९७१ ई० में मिर्जापुर जिले के बिहार के सरहद पर किसी गांव के पास जंगल में एक बाक्स मिला जिसमें चीनी साहित्य, कुछ फोटोग्राफ तथा एक ट्रांसमीटर मय ६ वोल्ट बैट्री के बरामद हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जांच की और जांच के बाद किस निष्कर्ष पर पहुंची ?

गृह उप मंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—

जी हां। दिनांक १८ मई, १९७१ को मिर्जापुर जिले के केवटम ग्राम के पास ऐसी चीजें पाई गईं तथा कुछ दूर पर फटा हुआ पोलीथिन का गुब्बारा भी मिला। जांच से पता चला कि चीनी साहित्य क्यांग काई शेक का समर्थक है और छोटा ट्रांसमीटर मौसम संबंधी विवरण भेजने वाला प्रतीत होता है। अनुमान है कि उक्त गुब्बारा शायद तेवांग से चीन की मुख्य भूमि को भेजा गया था परन्तु किसी यांत्रिक खराबी अथवा हवा के रुख इत्यादि के कारण वह बरामदगी के स्थान पर आ गिरा।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ यह उत्तर पढ़कर और सुनकर क्योंकि आजकल जो गुप्तचर.....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिये।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

मैं प्रश्न कर रहा हूं। इन बैलून में आटोमेटिक पायलट्स लगे रहते हैं। इनमें दिशा और स्थान निश्चित रहता है और वहीं यह मस्ट हो जाते हैं। तो क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार ने इस बात की जांच की कि इस बैलून में आटोमेटिक पायलट था ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

आटोमेटिक यंत्र के बावजूद भी यांत्रिक खराबी के कारण दिशा बदल जाती है।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

जब आटोमेटिक पायलट खराब हो जाता है तो बैलून वहीं जल जाता है। क्या इस बैलून में आटोमेटिक पायलट था या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इसमामले की जांच सूचना विभाग से हुई है और उनकी यह रिपोर्ट है कि यह बैलून तायवान से चला था। इसमें बैटरी अमेरिकन थी और यह चयांग काई शेक के समर्थन में था। दुबे जी एक्सपर्ट होंगे लेकिन मुझे बैलून के बारे में ज्ञान नहीं है। अगर वह कोई सुझाव दें तो इसकी जांचकारी की जायेगी कि आटोमेटिक में क्या प्रक्रिया होती है।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

इस बीज की जानकारी सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स ब्योरे से करा ली जाय। यह गुप्तचरी का काम है, इसमें सूचना विभाग की जांच से काम नहीं चलेगा। इसमें ट्रान्समिशन जो पाया गया उसकी रेन्ज क्या थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इसकी जांच इन्टेलीजेन्स ब्योरे ने की थी। यदि दुबे जी सजेस्ट करेंगे तो मैं उनको लिखूंगा।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

माध्यवर, इस चीज को देखते हुये कि यह बैलून तायवान का था और उसकी बैटरी अमेरिकन थी। तो क्या सरकार केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करेगी कि वह अमेरिकन सरकार से इस सम्बन्ध में पूछताछ करे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

यह ऐसा विषय है कि इसका देश की सुरक्षा से सम्बन्ध है, इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करूंगा कि इसकी जांच और जानकारी साइन्टीफिक और इन्टेलीजन्स ब्योरे से करावें और इस बात को ध्यान में रक्खें कि क्या यहां भी जासूस बैठे हुये हैं जिनको यह सामान दिया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैंने निवेदन किया कि इन्टेलीजेन्स ब्योरे ने जांच की और उन्हीं की जांच पर सूचना दी जा रही है। जो दुबे जी ने कहा है तो वह बतला दें तो हम तफसील में जांच करवा लेंगे और जरूरत होगी तो फिर से जांच करवा ली जावेगी।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

द्वारा हाट विकास क्षेत्र में पेयजल की योजना

*१—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा के द्वारा हाट विकास क्षेत्र में पेय जल योजनाओं का प्राविधान सरकार के योजनान्तर्गत है ? यदि हां, तो उसमें अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां। आयोजना के अन्तर्गत कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं की प्रगति संलग्न तालिका में दी हुयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २१७ पर)

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे या कार्यवाही करेंगे जिससे कि सभी जगह पाइप जल्दी से जल्दी पहुंच जायं ?

श्री धर्म दत्त वैद्य—

पाइप उपलब्ध कराने का प्रयास निरन्तर जारी है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या एक ही कम्पनी से पाइप मंगाने की लगातार मांग की जाती है? यदि हां, तो क्या और कम्पनी नहीं है जहां से पाइप मंगाये जा सकें ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जहां कहीं से उपलब्ध होंगे, उन्हें प्राप्त करन का प्रयास किया जायगा।

नगरपालिकाओं व महापालिकाओं के केन्द्रीय सेवा के अधिकारियों को महंगाई भता आदेश

*२—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिकाओं व महापालिकाओं के केन्द्रीय सेवा के अधिकारियों को महंगाई भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में शासन के आदेश संख्या १०-सी० एस०/(११)सी० एस०/६७-७१सी-११, दिनांक १५ मई, १९६८ को अब तक किस-किस नगर एवं महापालिकाओं में लागू नहीं किया गया है और क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

सन्दर्भित शासनादेश अभी तक पिथौरागढ़, बीसलपुर, फरीदपुर, रुद्रपुर, मऊरानीपुर, महोबा, चरखारी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिलग्राम, हमीरपुर, सौदहा, नगरपालिकाओं में लागू नहीं किया गया था। पिथौरागढ़ व चरखारी में उक्त शासनादेश पहुंचा ही नहीं था। बाकी नगरपालिकाओं को शासनादेश का अनुपालन न किये जाने की परिस्थितियों को स्पष्ट करने और उपरोक्त सभी पालिकाओं को उसको तुरन्त लागू करने के आदेश दे दिये गये हैं।

*३—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त आदेश के न लागू होन से जिन कर्मचारियों को हानि हुई है उनकी क्षतिपूर्ति की जायगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां। उपर्युक्त नगरपालिकाओं को इस संबंध में भी आवश्यक आदेश भेज दिये गये हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह आदेश कब किये गये हैं ? और जिन दो नगरपालिकाओं में यह आदेश नहीं पहुंचे उसका क्या कारण है ?

श्री धर्मदत्त वद्य—

यह आदेश १५ मई, १९६८ के हैं, जिन दो में नहीं पहुंचे, उसका कारण जानने की कार्यवाही की जा रही है कि क्यों नहीं पहुंचे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार बतायेगी कि यह क्षति पूर्ति उन कर्मचारियों को क्या उसदिन से दी जायेगी जिस तारीख से यह आदेश जारी हुये हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जिस दिन से वे उसको पाने के अधिकारी होंगे उसी दिन से वह मिलेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जिन नगरपालिकाओं ने इस आदेश को लागू नहीं किया है या जो अभी तक उसके अनुसार अपने कर्मचारियों को नहीं दे रहे हैं, तो उनको जब सहायता दी जायेतो उस सहायता में उन कर्मचारियों को मिलने वाली धनराशि पहले दिला दी जाय, क्या इसके लिये सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

उनको लिखा जायेगा कि वे उसे दें। अगर वे इस पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तब उस पर भी विचार कर लिया जायेगा।

मोतीलाल नेहरू अस्पताल इलाहाबाद, की कमजोर बिल्डिग

*४—श्री रामगोपाल संड—

क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोती लाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद की बिल्डिग कमजोर है ? यदि हां, तो क्या उसे शीघ्र बनवाने की व्यवस्था करेंगे ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)—

जी हां। मोतीलाल नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद के लिये भवनों की व्यवस्था का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री रामगोपाल संड—

उस अस्पताल की इमारत बहुत पुरानी हो गयी है और इंजीनियरों के अनुसार वह किसी भी समय गिर सकती है, कहीं छितौनी बांध की सी दुर्घटना न हो जाय, इस बात को देखते हुए श्रीमन्, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

आर्ग्यूमेंट करना प्रश्न नहीं होता।

श्री रामगोपाल संड—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह है कि मैंने पारसाल भी यही प्रश्न किया था और सरकार ने आश्वासन दिया था। पता नहीं आश्वासन समिति ने उस पर क्या किया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर यह बिल्डिग कब तक बन जायेगी—दुर्घटना होने से पहले या बाद में ?

स्वास्थ्य मंत्री (डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी)—

अध्यक्ष जी, इस अस्पताल की बिल्डिंग का सवाल काफी वर्षों से चल रहा है । सन् १९६४ में इसकी इस सिलसिले में जांच की गई और सन् १९६५ में इसकी जांच पूरी हो गई । उसके फलस्वरूप जो वहां पर अस्पताल बनाने के संबंध में मुख्य अभियंता और अन्य एक्सपर्ट लोग हैं उनकी यह राय है कि इस अस्पताल को बनना चाहिये । इसके बनाने के संबंध में इस्टीमेट्स वगैरह भी सरकार को प्राप्त हो गये हैं और यह आशा की जाती है कि ३।४ महीने के अन्दर इसका कार्य आरम्भ हो जायेगा ।

श्री रामगोपाल संड—

अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री, डा० राजेंद्र कुमारी बाजपेयी ने कुछ दिन पूर्व इलाहाबाद के पत्रकारों के समक्ष यह वक्तव्य दिया था जो कि सामाचार-पत्रों में मोटे-मोटे अक्षरों में छपा था कि इस अस्पताल की बिल्डिंग शीघ्र ही बन जायेगी । उसके रेफरेंस में क्या माननीया मंत्री ३ महीने के अन्दर इस अस्पताल की बिल्डिंग बनवाना शुरू कर देंगी?

श्री अध्यक्ष—

इसका तो उन्होंने जवाब दे दिया कि तीन-चार महीने के अन्दर वह बनना शुरू हो जाये गी ।

स्वरूप रानी चिकित्सालय में कान तथा नाक के डाक्टरों के अतिरिक्त पद

*५—श्री रामगोपाल संड—

क्या स्वास्थ्य मंत्री रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए इलाहाबाद मेडिकल कालेज से सम्बद्ध, स्वरूप रानी चिकित्सालय में कान तथा नाक के डाक्टरों की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जी नहीं । स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद में ई०एन०टी० के डाक्टरों के अतिरिक्त पद दिये जाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

श्री रामगोपाल संड—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कानपुर, लखनऊ और आगरा मेडिकल कालेजों में कान तथा नाक के रीडरों का पद है? और माता स्वरूप रानी चिकित्सालय जो कि इलाहाबाद मेडिकल से सम्बद्ध है, में ऐसा पद नहीं है । क्या सरकार इस पद के वहां पर सृजन करने पर विचार करेगी ?

श्री प्रेमचन्द शर्मा—

इलाहाबाद में जो यह अस्पताल है वह इलाहाबाद मेडिकल कालेज का ही टीचिंग स्टाफ है और उसके लिये कोई अलग से डाक्टर मुकर्रर नहीं किया जाता बल्कि एक अध्यापक ही मेडिकल कालेज के उन मरीजों की भी देखभाल करता है । इस वक्त जो वहां पर रीडर और लेक्चरर हैं वह विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से पर्याप्त हैं ।

श्री रामगोपाल संड—

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने विरोधाभासी वक्तव्य दे दिया । मैंने सवाल यह पूछा था कि वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कानपुर, लखनऊ और आगरा में जो मेडिकल कालेज हैं वहां पर इस विभाग में एक-एक नहीं बल्कि कहीं दो-दो डाक्टर भी हैं किन्तु इलाहाबाद के मेडिकल कालेज से सम्बद्ध इस अस्पताल में इस विभाग में कोई प्रोफेसर नहीं है । अतः मैं यह जानना चाहता था कि आखिर वह पद कब तक सृजित हो जायेगा ? और यदि आप वहां पर ऐसा पद सृजित नहीं करना चाहते हैं तो उसके क्या कारण है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

यहां पर जितने मेडिकल कालेजों का माननीय सदस्य ने जिक्र किया वहां पर विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से ही डाक्टरों और प्रोफेसरों के पद हैं । इलाहाबाद में केवल १०० विद्यार्थी ही थे अतः वहां पर जो रीडर और लेक्चरर पहले से हैं वे ही पर्याप्त माने गये हैं ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नाक और कान के डाक्टरों की आवश्यकता केवल लखनऊ, कानपुर या आगरा के मेडिकल कालेजों में ही है ? अन्य जिलों में भी इन डाक्टरों के पदों का सृजन करने की वे व्यवस्था करेंगे ?

डाक्टर राजेंद्रकुमारी बाजपेयी—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक दूसरा ही प्रश्न किया है । सवाल यहां पर मेडिकल कालेज इलाहाबाद का था । नोज एंड थ्रोट के स्पेशलिस्टों को हर अस्पताल में रखने की तो सरकार की नीति है ही । यदि वे मिल जाते हैं तो हम उन्हें अस्पतालों में रखते भी हैं । यह नहीं है कि इलाहाबाद या कुछ खास शहरों की यह बात है । यह सही है कि अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा स्पेशलिस्ट्स रखे जायं । जैसे-जैसे हमें डाक्टर्स मिलते जाते हैं हम रखते जाते हैं । इसलिये यह सवाल नहीं उठता ।

श्री रामगोपाल संड—

क्या यह सही है कि डाक्टर राजेंद्रकुमारी बाजपेयी जो मंत्री हैं उनसे मेडिकल कालेज के प्रिंसपल और अन्य अधिकारियों ने पत्र लिखकर मांग की है कि मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर इस पद का सृजन किया जाय ? क्या मंत्री जी इस पद के सृजन का आश्वासन देती हैं ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

माननीय सदस्य अपने सवाल को फिर से दुहरा दें ।

श्री रामगोपाल संड—

वहां हजारों मरीज रोज आते हैं । मरीजों की इस बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए क्या मंत्री जी इस पद के सृजन का आश्वासन देती हैं ?

डाक्टर राजेंद्रकुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रोफेसर के लिये तीन यूनिट, रीडर के लिये दो यूनिट और लैक्चरार के लिये एक यूनिट होती है और तैंतीस की एक यूनिट मानी जाती है । इलाहाबाद मेडिकल कालेज में १०० विद्यार्थी हैं इसलिये तीन यूनिट बनती हैं इसलिये प्रोफेसर की पोस्ट नहीं बनायी गयी । लेकिन यह भी सही है कि शिक्षा को सुचारु रूप से चलाने के लिये योग्य प्रोफेसर और अध्यापक हों । इस बात का समय आने पर विचार किया जायेगा और अगर अपग्रेडिंग की आवश्यकता होगी तो उस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

मनतुरा हाजी बगोयम, तूमरा हाजी बगो । मैं तुम्हें हाजी कहूं तुम मुझे हाजी कहो । संड जी और बाजपेयी जी में मिलजुलकर बात हो रही है । आप उन्हें इतना टाइम दे रहे हैं, इससे हमारे समय का हनन होता है ।

फार्मेसिस्टों को साप्ताहिक अवकाश तथा लाला लाजपतराय राजकीय चिकित्सालय, कानपुर के फार्मेसिस्टों से क्वार्टर खाली कराना

*६—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिस तरह नर्सों व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जा रहा है उसी प्रकार फार्मेसिस्ट को दिये जाने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय देंगे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

*७—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि लाला लाजपतराय राजकीय चिकित्सालय, कानपुर में फार्मेसिस्टों के बने क्वार्टर्स उनसे खाली कराकर वहां के डाक्टरों को दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

केवल फार्मेसिस्टों हेतु क्वार्टर्स नहीं बने थे । तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों हेतु बने १८ क्वार्टरों में से १२ फार्मेसिस्टों को दिये गये थे, उनमें से ७ फार्मेसिस्टों से क्वार्टर खाली कराके रेजीडेंट डाक्टरों को उनकी आ श्यकीय सेवाओं को ध्यान में रखकर दिया गया, लेकिन फार्मेसिस्टों की आवास की व्यवस्था उसी समय कर दी गई ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों और नर्सों को जो साप्ताहिक छुट्टी मिलती है उसी तरह इन फार्मिस्टों को भी छुट्टी मिले ? क्या शासन इस पर विचार कर रहा है और यदि हां तो क्या वह विचार इनके पक्ष में हो रहा है ?

डाक्टर राजेंद्रकुमारी बाजपेयी—

हमारे प्रदेश में फार्मिस्टों की बहुत बड़ी कमी है । बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जहां केवल एक फार्मिस्ट होता है । अगर हम उसे छुट्टी दे दें तो अस्पताल में दिक्कत होगी और जनता को परेशानी होगी । इसलिये जब तक काफी संख्या में लोग नहीं मिल जाते तब तक सबके लिये छुट्टी देना सम्भव नहीं जान पड़ता। लेकिन शासन इस पर सहानुभूति-पूर्वक विचार कर रहा है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब तक उनको छुट्टी देना सम्भव न हो तब तक उनका जो एक दिन का अवकाश कट जाता है उसके लिये ओवरटाइम देने के लिए तैयार हैं ?

डाक्टर राजेंद्रकुमारी वाजपेयी—

ओवरटाइम का प्रश्न बड़ा विस्तत हो जाता है क्योंकि यदि हम एक के साथ ऐसा करते हैं तो हमारे बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनके साथ ऐसा करना पड़ेगा । अक्सर अस्पतालों में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो सरकार ने विचार नहीं किया है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह व्यवस्था अगर सरकारी अस्पतालों में की जा रही है तो इसको प्राइवेट फार्मेसिस्ट और प्रैक्टिशनरों के यहां भी करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी---

यह प्रश्न तो उठता नहीं । वैसे उन्होंने क्या प्रश्न किया वह मैं समझी नहीं ।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

स्वास्थ्य विभाग के इन कर्मचारियों को छुट्टी देने के संबंध में विचार करने का जो आश्वासन दे रही हैं ऐसे ही कर्मचारी प्राइवेट प्रैक्टीशनर्स के यहां हैं, यह सुविधा उनको भी दी जायगी या नहीं ?

डाक्टर राजेंद्रकुमारी बाजपेयी---

यह तो बड़ा व्यापक सा प्रश्न है इस पर भी सरकार ने कोई विचार नहीं बनाया है ।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)---

अभी स्वामी जी के उत्तर में यह बताया गया कि एक दिन की छुट्टी देने का जो प्रश्न है वह शासन की मजबूरी है, यह नहीं दी जा सकती और मंत्री ने यह भी कहा कि ओवर टाइम का भी ऐसा सवाल है जिस पर विचार नहीं किया जा सकता । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की कोई ऐसी नीति है, या लेबर ला का उल्लंघन नहीं होता है कि चाहे मजदूर जितनी भी अपनी ड्यूटी से एक्सेस ड्यूटी करे कोई उसको ओवरटाइम नहीं मिलेगा, क्या सरकार कोई ऐसी नीति बनाने जा रही है ?

डाक्टर राजेंद्रकुमारी बाजपेयी---

किसी भी सर्विस की अपनी सर्विस कंडीशंस होती हैं । हमारे यहां फार्मेसिस्ट्स रखे गये । उनके साथ ओवरटाइम या इस तरह की कोई शर्त सर्विस कंडीशंस में है नहीं । साथ ही साथ शासन के पास फार्मेसिस्ट्स लोग कम हैं । अगर ऐसे लोग मिलते जायेंगे और अगर आवश्यकता हुई तो हम सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करेंगे ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि फार्मेसिस्टों की कमी है। कहीं ऐसा तो नहीं हैं कि चूंकि सर्विस कंडीशंस ऐसी हैं कि हफ्ते में एक दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी और उसके एवज में कोई ओवरटाइम नहीं मिलेगा, इस कारण सरकारी नौकरी में लोग आना पसन्द नहीं करते ?

डाक्टर राजेंद्रकुमारी बाजपेयी---

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो अगर मगर का प्रश्न है । ऐसा होता है कि सरकार प्रत्येक वर्ष कुछ फार्मेसिस्टों को ट्रेनिंग देती है । इस तरह से धीरे-धीरे स्थान ग्रहण करते हैं । हमारे यहां अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, आवश्यकता बढ़ती जा रही है । दिक्कत है सरकार के सामने ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

(अगला प्रश्न लेने पर) सातवें प्रश्न पर एक भी प्रश्न नहीं हुआ । वह छूटा जा रहा है । एक प्रश्न करने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

जी नहीं । ८,१० पूरक प्रश्न हो चुके ।

बस्ती जिले के विकास क्षेत्रों में वर्षों से स्थानांतरित न होने वाले स्वास्थ्य निरीक्षक

*८—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के विकास क्षेत्रों में कुल कितने स्वास्थ्य निरीक्षक हैं और इनमें से कितने ऐसे स्वास्थ्य निरीक्षक गत ५ से १० वर्ष की अवधि से उसी जिले में हैं ? उनकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

बस्ती जिले में कुल ५५ स्वास्थ्य निरीक्षक हैं । इनमें से २३ हेल्थ इन्स्पेक्टर हैं तथा ३२ सेनेटरी इन्स्पेक्टर । कोई भी स्वास्थ्य निरीक्षक (हेल्थ इन्सपेक्टर) ५ वर्ष से ऊपर का नहीं है। परन्तु हाल ही में जिला परिषद् से लिये गये निम्न पांच (५) स्वास्थ्य निरीक्षक (सेनेटरी इन्स्पेक्टर) ऐसे हैं जो वहां ५ वर्ष से अधिक की अवधि से तैनात हैं ।

१—श्री कृष्ण कांत शर्मा,

२—श्री मानिक राम

३—श्री विक्रम जीत सिंह

४—श्री वशीर अहमद खां

५—श्री जे० एन० श्रीवास्तव

श्री सुखपाल पांडेय—

माननीय स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब कि ३०-३-७१ को प्रश्न किया गया उस समय वहां पर बस्ती जिले के अन्तर्गत कितने स्वास्थ्य निरीक्षक ऐसे थे जो पांच वर्ष से और १० वर्ष के अन्दर बस्ती जिले में कार्य कर रहे थे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जिले में नियुक्ति की तारीख बता रहा हूं । श्री कृष्णकांत शर्मा १९-८-५७, श्री माणिकराम ५-११-५८, श्री विक्रमजीत सिंह ३०-५-४६, श्री बशीर अहमद खां १३-७-६२ से, श्री जे० एन० श्रीवास्तव ३-४-५४ से तथा श्री फूलचन्द गुप्ता १४-५-५९ से वहां था उसका स्थानान्तरण भी कर दिया गया है ।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो उत्तर दिया गया है वह ३०-३-७१ के बाद तबादले करने के बाद का है इसलिये क्या वे उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

अध्यक्ष महोदय जैसा कि बताया गया है कि ये लोग जिला परिषद् के थे। हमारे यहां का कोई स्वास्थ्य निरीक्षक नहीं है । हाल ही में वे हमारे यहां आये हैं । उनके स्थानान्तरण के लिये विचार किया जायेगा ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, मंत्री जी ने अभी कहा है कि ५ वर्ष से अधिक के लोगों का तबादला कर दिया गया है, क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की कोई ऐसी पालिसी है जिसके अन्तर्गत स्वास्थ्य निरीक्षक ५ साल हो जाने के बाद वहां से हटा दिये जायं ?

डाक्टर राजेंद्रकुमारी बाजपेयी—

इस संबंध में सरकार की यह नीति है कि ५ साल के ही नहीं बल्कि ३ साल से लेकर ५ साल तक के जो अधिकारी एक जगह पर हैं उनको दूसरी जगह भेज दिया जाय ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो स्थानान्तरण हुये हैं वे बस्ती जिले में ही हुए हैं या बाहर भी हुये हैं और वे किस नीति के अनुसार किये गये हैं ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

बस्ती जिले के बाहर भी किये गये हैं ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

उस स्वास्थ्य निरीक्षक का क्या नाम है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

उसका नाम श्री फूलचन्द गुप्ता है ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

इस प्रश्न से यह स्पष्ट हो गया है कि ३०-३-७१ के बाद तबादले कर दिये और मंत्री जी ने जवाब दे दिया कि कोई कर्मचारी ऐसा नहीं है जो ५ साल से अधिक का हो । अधिकारियों ने इस तरह से सदन को चकमा देने की कोशिश की । इसलिये क्या मंत्री जी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे जिन्होंने सदन को चकमा देने की कोशिश की है ?

डाक्टर राजेंद्रकुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर में हमने स्पष्ट कहा है कि वे लोग जिला परिषद् से लिये गये हैं, वे ५ वर्ष से ज्यादा के हैं और हमारे यहां का कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है जो ५ साल से ज्यादा रहा हो । हमने यह कहा है कि जो कर्मचारी जिला परिषद् से हमारे यहां आये हैं उनके बारे में सरकार विचार करेगी । हमारा यह उद्देश्य कदापि नहीं है कि सदन को चकमा दिया जाय या गलत कहा जाय । स्पष्ट रूप से यहां कहा गया है ।

(व्यवधान)

जौनपुर में न्यायालय के विचाराधीन फूड एडलट्रेशन के मुकदमों की वापसी

*६—श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जौनपुर जनपद में सन् १९७० में जिलाधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी एवं एस०डी० एम० ने फूड एडेल्ट्रेशन के ६२ मुकदमे जो न्यायालय में विचाराधीन थे वापस ले लिये ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर राजेंद्रकुमारी बाजपेयी—

यह सत्य है कि सन् १९७० में जिलाधिकारी जौनपुर के आदेश से ६६ दुकानदारों के विरुद्ध फूड एडल्ट्रेशन ऐक्ट के अधीन चलाये गये मुकदमें वापस लिये गये । उन दुकानदारों के विरुद्ध मुकदमें वापस लिये गये जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त करने के लिए रुपया सरकारी खजाने में जमा करके प्रार्थनापत्र दे दिया था अथवा अन्य खाद्य सामग्री बेंचने के लिये लाइसेंस प्राप्त कर लिया था क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को दंडित करना न्यायसंगत नहीं था ।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ८ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

बलिया में सांड़ के लिये बछड़ों की खरीद

*१०—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या पशुपालन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बलिया पशु विभाग ने वित्तीय वर्ष १९६८-६९ और १९६९-७० में कितने बछड़े सांड़ के लिये खरीदे हैं और किन-किन व्यक्तियों से कब-कब और कितने रुपयों में ?

कृषि मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

जिला बलिया में पशु पालन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष १९६८-६९ और १९६९-७० में क्रमशः ११ और १४ बछड़े सांड़ के लिये खरीदे गये । ये बछड़े जिन-जिन व्यक्तियों से जब-जब और जितने रुपयों में खरीदे गये उनका विवरण † परिशिष्ट १ में दिया हुआ है ।

बलिया में बीज व चारा के हेतु धन का वितरण

*११—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या पशुपालन मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि जिला बलिया पशु विभाग ने वित्तीय वर्ष १९६८-६९ और १९६९-७० में बीज चारा के प्रदर्शन हेतु कुछ धनराशि किसानों में मुफ्त वितरण की है ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी धनराशि कब-कब दी गयी ?

डाक्टर सीताराम—

पशु पालन विभाग द्वारा जिला बलिया में वर्ष १९६८-६९ तथा १९६९-७० में चारा फसलों के प्रदर्शन हेतु क्रमशः ६८० रु० और ६८८ रु० किसानों को अनुदान के रूप में दिये गये । उक्त धनराशि जिन-जिन व्यक्तियों को जब-जब दी गई, उसका विवरण † परिशिष्ट II में दिया हुआ है ।

नैनीताल में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विधायकों की राय न लेना

*१२—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतावेंगे कि दिनांक ९ सितम्बर, १९६९ को जिला परिषद् नैनीताल की बैठक में जब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर विचार विमर्श किया गया तो क्या यह सही है कि किसी भी विधायक तथा संसद सदस्य की राय नहीं ली गई ? यदि हां, तो उल्लिखित तिथि में योजनाओं से संबंधित पारित प्रस्तावों पर फिर से शासन विचार कराने का आदेश देंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

तारांकित प्रश्न

ग्राम पंचायत कम्हरिया से ग्राम मकदूमपुर का अलग किया जाना

*१—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के परगना नगर पूर्व ग्राम पंचायत कम्हरिया में १९६६ से मौजा मकदूमपुर बिला छप्परबन्द होते हुए ग्राम पंचायत कम्हरिया से क्यों अलग किया गया ?

---

†छापा नहीं गया ।

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जी नहीं । बस्ती जिले के परगना नगर पूरब की ग्राम पंचायत कम्हरिया से १९६६ से मौजा मकदूमपुर अलग नहीं किया गया है ।

ग्राम पंचायत कम्हरिया में मौजा मकदूमपुर को शामिल करने का प्रार्थना-पत्र

*२--श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री सजीवन लाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम पंचायत कम्हरिया में पहले की भांति बिला छप्परबन्द मौजा मकदूमपुर जिसमें एक ही परिवार बसा है को शामिल करने हेतु कई प्रार्थना पत्र बस्ती जिले के पंचायती राज अधिकारी को १९६९-७० में इंचार्ज सभापति (श्री बशीर अहमद खां वगैरह) ने दिये थे ? उस पर अब तक कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

ग्राम पंचायत कम्हरिया में मौजा मकदूमपुर जिला छप्परबन्द को शामिल करने के हेतु इंचार्ज सभापति श्री बशीर अहमद खां वगैरह का कोई प्रार्थनापत्र वर्ष १९६९-७० में जिला पंचायत कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है इसलिये कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

गढ़वाल जिले के अस्पतालों में डाक्टरों की कमी

*३--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ७ अप्रैल, १९७१ को कितने ऐसे अस्पताल गढ़वाल जिले में थे जहां डाक्टर नहीं थे और वहां डाक्टर भेजने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

डाक्टर राजेंद्रकुमारी बाजपेयी--

गढ़वाल जिले के छः चिकित्सालयों में ७ अप्रैल, १९७१ को डाक्टर नहीं थे । उपरोक्त ६ चिकित्सालयों में डाक्टरों की तैनाती के आदेश जारी कर दिये गये थे किन्तु उनमें से केवल एक डाक्टर ने कार्यभार ग्रहण किया । इन पांच रिक्त चिकित्सालयों में डाक्टर तैनात करने की व्यवस्था की जा रही है ।

मछली गांव जिला गोंडा के सीड स्टोर इन्चार्ज को आयल सीड सुपरवाइजर के पद पर प्रत्यावर्तित किया जाना तथा उनके वेतन का भुगतान

*४--श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह--

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि मनिकापुर जिला गोंडा के मछली गांव के सीड स्टोर इंचार्ज को दिनांक ६ मई, १९७० से रिवर्ट करके आयल सीड सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम-

मनिकापुर, जिला गोंडा के मछली गांव विकास खंड के सीड स्टोर इंचार्ज को दिनांक ६-५-६९ से आयल सीड सुपरवाइजर के पद पर प्रत्यावर्तित किया गया है क्योंकि उनके विरुद्ध स्टाक में गड़बड़ी की शिकायत थी ।

*५--श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह--

क्या यह सच है कि उक्त आयल सीड इंचार्ज को ६ मई, सन् १९७० से अब तक वेतन भी नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आयल सीड इंचार्ज को शीघ्र वेतन दिलाने का आदेश देगी और कब तक ?

डाक्टर सीताराम---

उक्त सुपरवाइजर को ६-५-६९ से अब तक का वेतन नहीं दिया गया है । वेतन के भुगतान के लिये आवश्यक आदेश कृषि निर्देशक, उत्तर प्रदेश द्वारा जिला कृषि अधिकारी, गोंडा को दिये गये हैं ।

पौड़ी नगर पालिका के सुपरसीड होने के कारण

*६---श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष पौड़ी नगर पालिका के सुपरसीड होने के कौन-कौन से कारण थे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

पौड़ी नगरपालिका के अवक्रमण का कारण यह था कि बोर्ड ने रु० ३८,९०० के सड़क अनुदान की स्वीकृति के आदेश में दी गई शर्त का उल्लंघन किया और सड़कों तथा नालियों के निर्माण, परिवर्तन तथा रख रखाव सम्बन्धी अपने परिनियत कर्तव्यों का पालन करने में जान बूझ कर व्यतिक्रम किया ।

पौड़ी नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा निजी टेलीफोन बिलों का नगरपालिका के धन से किये गये भुगतान की वसूली

*७---श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि पौड़ी नगरपालिका के भंग होने से पूर्व जो अध्यक्ष थे उन्होंने अपने व्यक्तिगत टेलीफोन बिलों का भुगतान नगरपालिका के धन से कराया है? यदि हां, तो उनसे उन बिलों का धन वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्मदत्त बैद्य---

जी हां । वसूली के लिये नगरपालिका के भूतपूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध डिमान्ड नोटिस भेजी गई है । साथ ही इस सम्बन्ध में अब भू-राजस्व की भांति वसूली की प्रक्रिया भी अमल में लाई जा रही है ।

स्वास्थ्य सहायकों में से ट्रेन्ड वी० एल० डब्लू० को अपने पद पर लेने का विचार

*८---श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो ट्रेन्ड वी० एल० डब्ल्यू० प्रदेश में स्वास्थ्य सहायकों के पद पर कार्य कर रहे हैं उनको वी० एल० डब्ल्यू के पद पर लेने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

दो प्रकार के प्रशिक्षित व्यक्ति परिवार नियोजन विभाग में स्वास्थ्य सहायक के पद पर कार्य कर रहे हैं । एक वे हैं जो सामुदायिक विकास विभाग के अन्तर्गत पहले ग्राम सेवक पद पर नियुक्त थे और बाद में उनको परिवार नियोजन विभाग में स्वास्थ्य सहायक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर तीन वर्ष के लिये भेजा गया उनका स्वत्व (लिएन) सामुदायिक विकास विभाग के अन्तर्गत ग्रामसेवक पद पर है तथा वे प्रार्थना-पत्र देकर ग्रामसेवक पद पर कभी भी लौटने के लिये स्वतंत्र हैं । इनको अभी प्रतिनियुक्ति पर तीन वर्ष पूरे नहीं हुए हैं । प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाने के संबंध में राज्य परिवार नियोजन अधिकारी से पत्र व्यवहार चल रहा है ।

दूसरी श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो ग्रामसेवक पद के लिये प्रशिक्षण तो प्राप्त कर चुके थे, परन्त ग्रामसेवक के पद रिक्त न होने के कारण उनकी नियुक्ति सामुदायिक विकास विभाग में ग्रामसेवक पद पर नहीं की जा सकी । ऐसे व्यक्तियों का इस विभाग के ग्रामसेवक पद पर

कोई स्वत्व नहीं है । यह सत्य है कि शासन ऐसे व्यक्तियों को ग्रामसेवक पद पर नियुक्ति देने हेतु विचार कर रहा है । उनकी नियुक्ति ग्राम सेवक पद पर कब तक हो सकेगी, इस संबंध में कोई निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है । प्रयास यही किया जा रहा है, कि उनम ऐसे व्यक्तियों को, जिनको स्वास्थ्य सहायक के पद पर ३ वर्ष हो गये हैं और स्वास्थ्य सहायक के पद पर जिनका कार्य संतोषजनक रहा है, यथाशीघ्र ग्रामसेवक पद पर नियुक्त कर दिया जाय ।

*श्री भानु प्रसाद सिंह--

[१ले बुद्धवार में तारांकित प्रश्न सं० ६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

म्युनिसिपल बोर्ड व टाऊन एरियाओं के चुनाव

*१०--श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)--

क्या स्वशासन मन्त्री बतलाने को कृपा करेंगे कि प्रदेश में म्युनिसिपल बोर्ड व टाउन एरियाओं के चुनाव कब होने जा रहे हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

१० म्युनिसिपल बोर्ड एवं टाउन एरियाओं के चुनाव ३०-५-७१ को हो चुके हैं ।

नगरपालिकाओं के अध्यक्षों के चुनाव २२-६-७१ को हो गये और नगरपालिकाओं का गठन २६-६-७१ से हो गया है ।

ग्राम सभा भोजपुर को टाउन एरिया बनाना

*११--श्री रियासत हुसेन--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री जो बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा भोजपुर, जिला मुरादाबाद को टाऊन एरिया बनाने के प्रस्ताव पर सारी कार्यवाही हो चुकी है ? यदि हां, तो उसको टाउन एरिया अभी तक क्यों नहीं घोषित किया गया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

जी हां । ग्राम सभा भोजपुर को १-५-७१ से टाउन एरिया बना दिया गया है और उसकी सीमाओं आदि का विज्ञापन विज्ञप्ति द्वारा दिनांक २४-४-७१ के गजट में छपाया जा चुका है ।

*१२--श्री रामगोपाल सण्ड--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

*१३--श्री रामगोपाल संड--

[११ वें गुरुवार के प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्नातान्तरित ।]

टाउन एरिया नौतनवा को नगरपालिका बनाने का प्रस्ताव

* ४--श्री रामलगन दुबे (जिला गोरखपुर)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया नौतनवा गोरखपुर की वार्षिक आय इस समय क्या है ? क्या उसे किसी श्रेणी का म्युनिसिपल क्षेत्र घोषित कर देने की कृपा करेंगे यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

१९६६-६७ से १९६९-७० तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार टाउन एरिया, नौतनवा, की औसत वार्षिक आय ९६,४३८ रु० है। इस टाउन एरिया को नगरपालिका सम्बन्धी बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। शासन इस प्रस्ताव के विषय में यथाशीघ्र निर्णय ले लेगा।

गोरखपुर जिले के जिला परिषद् के अस्पताल को प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हेतु लेना

*१५--श्री रामलगन दुबे--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर जनपद के जिला परिषद् के अस्पताल को सरकार ने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के लिये ले लिया है? यदि हां तो क्या सरकार जिला परिषद् को परिषद् अस्पताल भवन का धन परिषद् को वापस कर विकास क्षेत्र लक्ष्मीपुर के अड़ा-बाजार में अस्पताल की व्यवस्था करेंगे?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है कि किस अस्पताल से माननीय सदस्य का आशय है। सूचना मिलने पर सूचना दे दी जायेगी।

गोरखपुर के अस्थायी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र का भवन निर्माण

*१६--श्री रामलगन दुबे--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी, गोरखपुर ने जनपद के अस्थायी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र बहदुरी बाजार के भवन निर्माण के लिये बहदुरी बाजार के स्थान पर प्रमुख स्थान कोल्हुई बाजार के लिये सुझाव दिया है? यदि हां, तो उसकी स्वीकृति कब तक दे दी जायगी?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

जी हां। इसकी जांच हो रही है।

जिला परिषदों के लिये परामर्शदात्री समितियों का गठन

*१७--श्री शंभूनाथ चौधरी, उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर), तथा श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)--

क्या सरकार जिला परिषदों के लिये सलाहकार समितियों का गठन करने जा रही है? यदि हां, तो क्यों और इन समितियों के चयन का क्या आधार होगा?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

शासन परामर्शदात्री समितियां बनाने के विषय में फिलहाल कोई विचार नहीं कर रही है।

आजमगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का फतेहपुर से स्थानान्तरण

*१८--श्री लालसा (जिला आजमगढ़)--

क्या यह सही है कि माह दिसम्बर, सन् १९७० के तृतीय सप्ताह में प्रश्नकर्ता ने आजमगढ़ के ६ और विधायकों से हस्ताक्षरित मांग-पत्र जो आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत फतेहपुर से दुबारी के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में था दिया था? यदि हां, तो उस पर स्वास्थ्य मन्त्री का आदेश क्या हुआ तथा अब तक उसमें क्या कार्यवाही की गई?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

जी हां। विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को फतेहपुर से स्थानान्तरित न किया जाय।

टिहरी गढ़वाल में फल पट्टियां तथा प्लाट्स वितरण

*१६--श्री गोविन्द सिंह--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल में अब तक कितनी फल पट्टियां बनाई गई हैं और कितनी और फल पट्टियां बनाने की योजना है? इन फल पट्टियों में प्लाट्स के वितरण के लिये सरकार ने क्या मापदण्ड रखा है ?

डाक्टर सीताराम--

एक फल पट्टी चम्बा, मसूरी १६६४-६५ से स्थापित की गई है जिसमें १६७०-७१ के अन्त तक ५७६.११ हैक्टर भूमि पर फलोद्यान लगाये गये हैं। चतुर्थ योजना में तीन अन्य फलपट्टियां प्रस्तावित हैं:

(१) चम्बा,गजा।

(२) कन्डियाल, रायका, मुखैन, दीन गांव।

(३) कोशियार, चन्द्रबदनी।

२--प्लाटों के आबंटन के मापदण्ड इस प्रकार हैं:

(१) प्लाट १५ वर्ष की लीज पर दिये जाते हैं।

(२) प्लाटों की नाप पहले ५ एकड़ प्रति प्लाट थी और अब २ एकड़ प्रति प्लाट है।

(३) प्लाटों का आबंटन शासन द्वारा गठित समितियों द्वारा किया जाता है।

(४) आंबटन में प्राथमिकता संबंधित विकास क्षेत्र के किसानों को जिनके पास नाप भूमि हो और फिर जिनके पास लीज की भूमि हो, दी जाती है। तत्पश्चात् क्रमानुसार सेना के सदस्यों भूमिहीनों, जिले के अन्य निवासियों तथा अन्य बाहर के व्यक्तियों को भूमि दी जाती है।

(५) कृषि स्नातकों को अपने वर्ग में प्रथम स्थान दिया जाता है।

(६) कुल भूमि जो आवंटित की जाय उसको मिलाकर किसी किसान के पास १२.५ एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिये।

३--चम्बा, मसूरी फल पट्टी में १६५ प्लाट उपर्युक्त मापदण्डों के अनुसार वितरण हो चुके हैं। शेष ७६ प्लाटों का वितरण नीलाम द्वारा करने का निश्चय हुआ है, जो केवल टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों के निवासियों के लिये सीमित रहेगा।

*२०-२१--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन में गबन व अनियमितताएं

*२२--श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार को पता है कि उद्योग विभाग के निर्देशकों ने १५ मार्च, १६७१ से १० अप्रैल, १६७१ तक अनेक बार लिखित रूप से एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन में भयानक गबन व अनियमितताओं की ओर तुरन्त कार्यवाही और हस्तक्षेप हेतु राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है? यदि हां, तो वे अनियमिततायें क्या-क्या है ?

डाक्टर सीताराम---

उद्योग विभाग के निदेशक ने १५ मार्च, १९७१ से १० अप्रैल, १९७१ के बीच एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन में भयानक गबन व अनियमितताओं की ओर कोई भी पत्र लिखकर शासन का ध्यान आकर्षित नहीं किया है।

*२३---श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या सरकार को यह भी पता है कि जिन अनियमितताओं की ओर निदेशक उद्योग विभाग ने ध्यान दिलाया है उनके २ करोड़ रुपया का घुटाला है जिनमें चैकोस्लोवाकिया से आये हुए पुर्जों का मामला प्रमुख है?

डाक्टर सीताराम---

प्रश्न नहीं उठता।

चकराता के सरकारी अस्पताल में डाक्टरों के पद

*२४---श्री गोविन्द सिंह---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चकराता जिला देहरादून के सरकारी अस्पताल में कितने डाक्टरों के पद शासन द्वारा स्वीकृत हैं और इन पदों पर माह मार्च व अप्रैल, १९७१ में कितने डाक्टर अस्पताल में वास्तविक रूप से मौजूद रहे?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

दो डाक्टरों के पद (एक पुरुष तथा एक महिला) स्वीकृत हैं।

मार्च, १९७१ में कोई भी डाक्टर उक्त चिकित्सालय में नहीं था। अप्रैल, १९७१ से एक पुरुष डाक्टर उस चिकित्सालय में कार्य कर रहा है।

गोरखपुर में जिला स्वास्थ्य अधिकारी का समय

*२५---श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी गोरखपुर, जिला गोरखपुर में कितने दिन से तैनात हैं?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

२ नवम्बर, १९६८ से।

नगरपालिका, बाराबंकी के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा अनियमित ढंग से चन्दन के पेड़ों का बेचा जाना

*२६---श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर) तथा श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि मार्च, १९७१ में नगरपालिका नवाबगंज, जिला बाराबंकी को कम्पनीबाग से चन्दन के कुछ पेड़ नगरपालिका के प्रस्ताव के बिना अनधिकृत रूप से कटवाने की नगरपालिका के कुछ पदाधिकारों के विरुद्ध शिकायत शासन को प्राप्त हुई थी?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जी हां, मार्च, १९७१ में शासन को इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई थी कि कम्बनी बाग में लगे बोर्ड के स्वामित्व के कुछ चन्दन के पेड़ों को श्री ३ जीज अहमद खां तत्कालीन अध्यक्ष, नगरपालिका बाराबंकी ने अनियमित ढंग से बेच दिया था तथा यह कि कुछ लोग उन पेड़ों को काट रहे थे।

*२७--श्री मोतीलाल देहलवी तथा शिव कैलाश--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह भी बतायेंगे कि क्या शासन के आदेश जिला अधिकारी, बाराबंकी की रिपोर्ट के आधार पर हुए थे? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी जिला अधिकारी की रिपोर्ट पटल पर रखेंगे?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

जी हां। जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं होगा क्योंकि जांच अभी जारी है और शासन द्वारा अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

भटनी आयुर्वेदिक चिकित्सालय का स्थानान्तरण

*२८--श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया के भटनी का आयुर्वेदिक चिकित्सालय को रामपुर में स्थानान्तरित किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

*२९--श्री इन्द्रलाल--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]।

गढ़वाल की पेयजल योजनाओं की मरम्मत

*३०--श्री शेरसिंह दानू (जिला चमोली)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र खिर्सू जनपद गढ़वाल की (१) नवासू, (२) कलियासौड़, (३) दत्ताखेत की पेयजल योजनायें विगत कई वर्षों से जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है? क्या सरकार उक्त तीनों पेयजल योजनाओं की मरम्मत इसी वित्तीय वर्ष में कराने जा रही है?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

नवासू, कलियासौड़ पेयजल योजनायें सिंचाई विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई थीं और ग्राम सभाओं को रख रखाव के लिये हस्तांतरित कर दी गई थीं।

दत्ताखेत नाम की कोई योजना नहीं बनाई गई है। अलबत्ता बुगानी भैंसकोट नामक एक पेयजल योजना स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई थी और रख-रखाव हेतु ग्राम सभा को सौंप दी गई थी।

ग्राम सभाओं द्वारा समुचित रख-रखाव न किये जाने के कारण उक्त योजनायें ठीक प्रकार से नहीं चल रही हैं।

चालू वित्तीय वर्ष में इनको मरम्मत कराने की कोई योजना नहीं है।

*३१--श्री गोपालदत्त ओझा--

[१ ले गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ९२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

विकास क्षेत्र छजलैट में कृषकों को पंपिंगसेट तथा रहट के कुओं के लिये अनुदान

*३२—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र छजलैट जिला मुरादाबाद में वर्ष १९६८-६९ में किन-किन किसानों को कितना-कितना रुपया पंपिंग सेट एवं रहट के कुओं के लिये सबसिडी के रूप में क्षेत्र विकास अधिकारी छजलैट द्वारा स्वीकृत किया गया ?

डाक्टर सीताराम—

विकास क्षेत्र छजलेट, जिला मुरादाबाद में वर्ष १९६८-६९ में २० पंपिंग सेट तथा ६९ रहट के कुओं के लिये कृषकों को क्रमशः १७,७५० तथा १२,४२२ रु० अनुदान के रूप में क्षेत्र विकास द्वारा स्वीकृत किया गया जिसकी कृषकवार सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २६८–२७२ पर)

*३३—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त सब रुपया संबंधित किसानों को अब तक प्राप्त हों गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

संबंधित सभी कृषकों को उक्त रुपया प्राप्त हो गया है ।

भाटपार रानी क्षेत्र में टाउन एरिया बनाना

*३४—श्री हरिवंश सहाय—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया के अन्तर्गत भाटपार रानी को टाउन एरिया घोषित करने के लिये राज्य सरकार का निर्णय हो चुका है ? यदि हां, तो कब तक नोटिफिकेशन एवं अन्य कार्यों के पूरा हो जाने की उम्मीद है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

देवरिया जिले के भाटपार रानी क्षेत्र में टाउन एरिया बनाये जाने का विषय शासन के विचाराधीन है । शासन यथा शीघ्र इस मामले में निर्णय लेगा ।

विकास खण्ड हल्द्वानी के कुर्क अमीन की मुअत्तली तथा उसके समय का भत्ता

*३५—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतावेंगे कि जिला नैनीताल में विकास खंड हल्द्वानी के जिस तकावी कुर्क अमीन (कृषि) को क्षेत्र विकास अधिकारी हल्द्वानी की शिकायत पर माह नवम्बर सन् १९६९ में सस्पेन्ड किया गया है अभी तक इस मामले का कोई निर्णय न होने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—

इस मामले में क्षेत्र विकास अधिकारी, हल्द्वानी का जांच प्रतिवेदन प्राप्त न होने के कारण अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है ।

*३६—श्री इन्द्रलाल—

क्या यह सही है कि इस तकावी कुर्क अमीन (कृषि) को सस्पेंड होने के पीरियड में ११ माह तक एक तिहाई वेतन भी नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों नहीं दिया गया, इस पर शासन क्या कार्यवाही करेगा ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां । निलम्बित कर्मचारी का निलम्बन भत्ता तभी भुगतान किया जाता है जब वह अन्यत्र काम न करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है । चूंकि इस कुर्क अमीन ने उक्त प्रमाण पत्र दिनांक २१-६-७० को प्रस्तुत किया था अतः उसको भुगतान दिनांक २२-६-७० को किया जा सका था ।

*३७—श्री रामपालसिंह यादव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

पंचायतों के चुनाव

*३८—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य तथा श्री रियासत हुसैन—

क्या पंचायती राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायतों के चुनाव कब सम्पन्न होने जा रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

जिला परिषद् नैनीताल के कैशियर की मुअत्तली

*३९—श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या यह सही है कि इस वक्त जिला परिषद्, नैनीताल के कैशियर मुअत्तल पड़े हैं ? यदि हां, तो इनके खिलाफ चार्ज क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

(क) जी हां ।

(ख) इनके विरुद्ध जिला परिषद् के अध्यापकों के धन को उनके सी०टी०डी० लेखों में जमा न करके उक्त धनराशि को गबन करने के आरोप हैं ।

मेला ग्राउन्ड खैराबाद की भूमि पर अधिकार

*४०—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि परगना खैराबाद, तहसील व जिला सीतापुर में चकबन्दी से पूर्व मेला ग्राउन्ड खैराबाद की कुल भूमि का कितना रकबा जिला परिषद सीतापुर के अधिकार में था और इस समय कितना शेष रह गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

चकबन्दी से पूर्व खैराबाद मेला ग्राउन्ड में २६५.३० एकड़ भूमि थी । जिसमें ६.६२ एकड़ भूमि जिला परिषद् के नाम थी। चकबन्दी के बाद मेला ग्राउन्ड का कुल क्षेत्रफल २६५.३० एकड़ अब भी है जिसमें ९.६२ एकड़ भूमि, परिषद् की है ।

*४१—श्री रामलाल राही—

क्या यह सच है कि कुछ लोगों ने जिला परिषद् मेला ग्राउन्ड खैराबाद की भूमि को चकबन्दी में अपने नाम करवा लिया है ? यदि हां, तो जमीन किन-किन लोगों ने किस आधार पर अपने नाम करा लिया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी नहीं । शेष बातों का प्रश्न नहीं उठता है ।

ग्राम हथगवां, लवाना तथा पठखोली में अस्पताल खोलने की योजना

*४२—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हथगवां, लवाना तहसील कुंडा तथा ग्राम पठखौली, तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़ में राजकीय अस्पताल खोलने हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ?

डाक्टर राजेंद्रकुमारी बाजपेयी—

ग्राम हथगवां और लवाना में अस्पताल खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। परन्तु ग्राम पठखोली के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

इसी तरह की अन्य मांगें प्रदेश के अन्य जगहों से आयी हैं। इन सभी पर विचार किया जा रहा है । स्थानों के संबंध में अंतिम निर्णय होने पर अस्पताल खोलने का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

*४३–४४—श्री जयराम यादव—

[३रे बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या ७-८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

नगरपालिका बिन्दकी की आय व व्यय का विवरण

*४५—श्री पन्ना लाल (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका बिन्दकी, जिला फतेहपुर को जब से राज्य सरकार ने अतिक्रमण किया तब से दिनांक ३१ मार्च,१९७१ तक कितनी आय हुई एवं व्यय कितना हुआ तथा जल-कल विभाग को कर्जे में कितनी अदायगी की गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां, नगरपालिका बिन्दकी, (जिला फतेहपुर) दिनांक ३१ मई, १९६९ से अतिक्रमित हुई थी। दिनांक ३१ मई, १९६९ से ३१ मार्च,१९७१ तक उक्त पालिका की आय ७,६४,५७५.०३ रुपया हुई और व्यय ६,३६,७०८.७९ रुपया हुआ । उपर्युक्त अवधि में उक्त पालिका द्वारा जल-कल विभाग के कर्जे में ४७,६२७ रुपये की अदायगी की गई ।

निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, १९५८ के अधीन पुनरीक्षण के प्रार्थना-पत्र

*४६—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च, १९७१ को उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ के अधीन कुल कितने पुनरीक्षण शासन के विचाराधीन थे और कब से ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

उक्त तिथि तक शासन के सम्मुख १२२ पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र विचाराधीन थे, जिनकी स्थिति निम्न प्रकार है:--

वर्ष				अनिर्णीत मामलों की संख्या
१९६४	..	..	..	३
१९६६	..	..	..	१
१९६७	..	..	..	२
१९६८	..	..	..	६
१९६९	..	..	..	१५
१९७०	..	..	..	७९
१९७१	..	..	..	१६ दिनांक ३१ मार्च, ७१ तक
			कुल संख्या	१२२

*४७--श्री जगदीश गांधी--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कोई ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि उक्त पुनरीक्षणों का निस्तारण यथाशीघ्र हो जाये ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ की धारा १५-क के अन्तर्गत प्राप्त पुनरीक्षण प्रार्थना पत्रों से सम्बन्धित अभिलेख इत्यादि नियत प्राधिकारी से मंगाकर उनका यथाशीघ्र निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है। नियत प्राधिकारियों को भी शासन को सम्बन्धित अभिलेख इत्यादि शीघ्र भेजने तथा पूर्ण सूचना देने के आदेश जारी किये गये हैं।

कानपुर के स्वास्थ्य निरीक्षकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप तथा उनकी सेवा की समाप्ति

*४८--श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जुलाई, १९६९ से सितम्बर, १९६९ तक जिला कानपुर में कितने स्वास्थ्य निरीक्षकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों में कार्यवाही की गई ? उन पर भ्रष्टाचार के क्या-क्या आरोप थे तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

जुलाई, १९६९ से सितम्बर, १९६९ तक की अवधि में कानपुर में कार्य कर रहे किसी भी स्वास्थ्य निरीक्षक के विरुद्ध कोई भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं था।

*४९--श्री गजेन्द्र सिंह--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नवम्बर, १९६९ तथा दिसम्बर, १९६९ में कितने स्वास्थ्य निरीक्षकों की सेवायें कानपुर जिले में समाप्त की गई तथा किन कारणों से जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हैं क्या उन्हें पुनः सेवा में लेने पर मन्त्री जी विचार कर रहे हैं ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

कानपुर जिले में कार्य कर रहे किसी भी स्वास्थ्य निरीक्षक की सेवायें मास नवम्बर, १९६९ में समाप्त नहीं की गई। मास दिसम्बर, १९६९ में केवल एक स्वास्थ्य निरीक्षक की सेवायें डी० टी० टी० के हिसाब में गड़बड़ करने के आरोप में कानपुर जिले में समाप्त की गई थी। ऐसा कोई स्वास्थ्य निरीक्षक नहीं है जो भ्रष्टाचार के आरोप न होते हुए भी सेवा से निकाल दिया गया हो अतः प्रश्न का यह भाग उठता ही नहीं।

पंचायत मंत्रियों की मांगों के ज्ञापन

*५०--श्री कल्याण सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सरकार को जनवरी, १९७१ से २० अप्रैल, १९७१ तक की अवधि में उत्तर प्रदेश के पंचायत मंत्रियों की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो कब और उक्त ज्ञापन में किन-किन मांगों का उल्लेख है तथा शासन ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की है?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

पंचायत मंत्रियों की मांगों के सम्बन्ध में उनके ज्ञापन विभिन्न दिनांकों को प्राप्त हुये हैं।

ज्ञापन में उल्लिखित मांगें इस प्रकार हैं:--

(१) पंचायत मंत्री को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाय,

(२) १२०-२२० रु० का वेतन क्रम दिया जाय,

(३) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के शत प्रतिशत पद, पंचायत मंत्रियों में से ही भरे जायं,

(४) पंचायत मंत्रियों की सेवाओं को स्थायी किया जाय,

(५) राजकीय कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधायें प्रदान की जाय,

(६) पंचायत राज विभाग को सामुदायिक विकास विभाग से अलग किया जाय,

अनुपूरक मांगें:--

१- (अ) १ अप्रैल, १९६९ से समस्त पंचायत मंत्रियों को संशोधित वेतनमान ७५-११५ को दिया जाय,

(ब) नये संशोधित वेतनमान में पुनः वेतन निर्धारण किया जाय,

(स) शासकीय कर्मचारियों के समान मंहगाई भत्ता दिया जाय,

२--२५ रु० मासिक अन्तरिम सहायता तुरन्त प्रदान की जाय, इनमें से किसी भी मांग को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है।

गोंडा जिला परिवार नियोजन के कर्मचारियों की सेवा समाप्ति व स्थानान्तरण

*५१--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोंडा जिला परिवार नियोजन विभाग में जनवरी, सन् १९७० से मार्च, सन् १९७१ तक कितने कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की गई तथा कितने कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये तथा क्यों?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

उक्त अवधि में ११ स्वास्थ्य सहायकों तथा दो प्रसार शिक्षकों की सेवायें समाप्त की गई। इस अवधि में १२ प्रसार शिक्षकों, ३४२ स्वास्थ्य सहायकों तथा ५ लिपिकों का स्थानान्तरण

किया गया था। सेवा समाप्ति उपलब्धियां शून्य तथा कार्य असंतोषजनक होने व आगे भी किसी सुधार की आशा न होने के कारणों से की गई। स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर, एक स्थान पर तीन वर्ष से अधिक अवधि तक रहने के बाद, शिकायत के आधार पर या प्रार्थना-पत्रों के आधार पर किया गया था।

परिवार नियोजन विभाग, मथुरा के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*५२--श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि परिवार नियोजन विभाग मथुरा में वर्ष १९७०-७१ में कुल कितने कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई और किन कारणों से ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

वर्ष १९७०-७१ में कुल ८ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

कारण निम्नलिखित हैं:--

(१) नसबन्दी के निर्धारित वार्षिक लक्ष्य ६० के विपरीत १ व शून्य की उपलब्धि,

(२) अपनी ड्यूटी से फरार रहना,

(३) भारतीय दंड संहिता की धारा ३०२ के अन्तर्गत पुलिस द्वारा लगाई गई चार्ज शीट के कारण।

इनमें से ७ कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गईं। सेवा समाप्त कर्मचारियों में से श्री गिरराज चपरासी को अपने अपराध को स्वीकार करने तथा भविष्य में ऐसा व्यवहार न करने के आश्वासन पर सेवा में नई नियुक्ति के रूप में रख लिया गया।

मिर्जापुर में महिला अस्पताल का निर्माण

*५३--श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दुद्धी मिर्जापुर के लिये स्वीकृत महिला अस्पताल का अब तक निर्माण न होने का क्या कारण है ? क्या सरकार महिला अस्पताल अविलम्ब संचालित करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

ग्राम दुद्धी, जिला मिर्जापुर हेतु कोई महिला अस्पताल स्वीकृत नहीं है। महिला अस्पताल रिहन्द का दुद्धी को स्थानान्तरण का प्रश्न विचाराधीन है।

*५४--श्री कल्याण सिंह--

[३रे बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

नगरपालिका बहेड़ी, जिला बरेली के चेयरमैन द्वारा नैनीताल रोड पर बस स्टेशन की भूमि पर भवन निर्माण

*५५--श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका बहेड़ी जिला बरेली के चेयरमैन ने ननीताल रोड के ऊपर पुराना बस स्टेशन की जगह में जो नगरपालिका की मिलकियत है, पर एक मकान अभी हाल में बना लिया है ? अगर हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*५६—श्री राम करन सिंह—

[३ रे मंगलवार के लिये स्थगित ।]

डेरापुर, झींझक, रसूलाबाद जिला कानपुर में परिवार नियोजन के कार्य

*५७—चौधरी रामपालसिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के विकास क्षेत्र डेरापुर, झींझक, रसूलाबाद में १ अप्रैल, १९७० से १ अप्रैल, १९७१ तक अलग-अलग परिवार नियोजन के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों की नसबन्दी की गई तथा कितनी महिलाओं को लूप लगाये गये ? क्या यह सही है कि परिवार नियोजन की जीपें तथा भारी साधन होते हुये भी इन ब्लाकों में परिवार नियोजन का कार्य तेजी से नहीं हो रहा और लक्ष्य की पूर्ति नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्या यहां के परिवार नियोजन के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

कथित अवधि में डेरापुर, झींझक, रसूलाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नसबन्दी, ट्यूब्कटामी एवं लूप का विवरण निम्नलिखित इस प्रकार है:—

	वसेक्टामी	ट्यूब्कटामी	लूप
रसूलाबाद ..	६१	३	४४
झींझक ..	६९	३	६२
डेरापुर ..	४२	४	१०४

इन ब्लाकों में परिवार नियोजन का कार्य जिले के अन्य भागों जैसा ही है । लक्ष्य की पूर्ति किसी भी जिले में नहीं हो पाती है ।

ऐसे कार्यकर्त्ताओं की सूची बनायी गयी है जो कार्यक्रम के लिए अनुपयुक्त हैं और ठीक से कार्य नहीं करते । प्रदेश में लक्ष्य की पूर्ति न होने के लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक मापदंड विचाराधीन है ।

परिवार नियोजन में आर्टिस्ट फोटो ग्राफर्स के पद तथा न्यूनतम अर्हतायें

*५८—श्री रामसिंह खन्ना (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परिवार नियोजन विभाग में कुल कितने पद आर्टिस्ट फोटोग्राफर्स के जिला स्तर पर हैं और कितने प्रदेशीय स्तर पर और उनके लिये न्यूनतम अर्हतायें क्या हैं और कितने लोग ऐसे नियुक्त हैं जो उक्त पद के लिये न्यूनतम अर्हता नहीं रखते ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

आर्टिस्ट-कम-फोटोग्राफर के ५४ पद जिला स्तर पर तथा एक पद राज्य स्तर पर है। उपरोक्त पदों के लिये न्यूनतम अर्हतायें निम्नलिखित हैं जो दो व्यक्तियों को छोड़ कर, नियुक्त किये गये सभी व्यक्ति रखते हैं:—

जिला स्तर पर —

(१) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कामर्शियल आर्ट, ग्राफिक आर्ट में डिप्लोमा।

(२) किसी सरकारी विभाग अथवा फर्म में कार्य का कम से कम एक वर्ष का अनुभव।

(३) फोटो निगेटिव की सफाई, रंगाई तथा फोटो इन्लार्जमेन्ट कार्य में ज्ञान होना।

(४) २० वर्ष से ३५ वर्ष तक की आयु, हाई स्कूल पास अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाती है।

राज्य स्तर पर —

हाई स्कूल की परीक्षा पास, फाइन आर्ट अथवा कामर्शियल आर्ट का पांच वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रख्यापन और औडियोविजुअल एड्स के लिये क्रियेटिव डिजाइन्स तैयार करने का ३ वर्ष का अनुभव और फोटोग्राफी का अतिरिक्त ज्ञान।

अयोध्या में नगरपालिका बनाने का विचार

*५९—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार जिला फैजाबाद के तीर्थ स्थान, अयोध्या में नगरपालिका बनाने का विचार कर रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

अयोध्या में नगरपालिका बनाने के प्रश्न पर आयुक्त, फैजाबाद मंडल से रिपोर्ट मांगी गई थी जो प्राप्त हो गई है और शासन के विचाराधीन है।

फैजाबाद नगरपालिका के तीर्थ-कर की आय—व्यय का ब्योरा

*६०—श्री गंगा प्रसाद—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष १९७०—७१ में फैजाबाद नगरपालिका को कितना तीर्थ-कर के रूप में धन प्राप्त हुआ और किस-किस मद में कितना-कितना खर्च किया गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जिलाधीश, फैजाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष १९७०—७१ में फैजाबाद नगरपालिका के सामान्य कोष में तीर्थ-कर से ३,०६,१८६ रु० की प्राप्ति हुई और नगरपालिका ने अयोध्या क्षेत्र में नागरिक सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से ४,१०,३४८ रु० व्यय किया जिस का विवरण नीचे दिया हुआ है:—

	रु०
(क) अयोध्या के प्रमुख वार्षिक मेलों अर्थात् चैत्र रामनवमी, श्रावण झूला परिक्रमा तथा कार्तिक स्नान के प्रबन्ध हेतु	५६,१०७
(ख) जल वितरण हेतु	३२,१८८

			रु०
(ग) जल वितरण तथा जलोत्सारण/ड्रैनेज योजना हेतु प्राप्त शासकीय ऋण की अदायगी हेतु (वार्षिक किस्त)	..	..	१,४३,१७३
(घ) स्वास्थ्य कार्यों हेतु	..	..	१,२५,०००
(ङ) सार्वजनिक निर्माण कार्यों हेतु (सड़क पुलिया, आदि)			३०,०००
(च) सार्वजनिक मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था हेतु		..	२३,८८०
		कुल योग ..	४,१०,३४८

बेलघाट ब्लाक में पंचायत भवन हेतु अनुदान तथा निर्माण कार्य

*६१—श्री रामपति (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि गोरखपुर जिले के बेलघाट ब्लाक में पंचायत भवन बनाने के लिये अनुदान में रुपये दिये गये ह ? यदि हां, तो किन-किन ग्राम सभाओं को कितना-कितना रुपया दिया गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*६२—श्री रामपति—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त सभी इमारतें मुकम्मल बनकर कन्फर्म हो गईं ? यदि नहीं, तो कहां-कहां की अपूर्ण हैं और इनके लिये क्या कार्यवाही चल रही है ? क्या सरकार अपूर्ण इमारतों का सम्पूर्ण अनुदान वापस लेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*६३—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[स्पष्टीकरण के लिये हटाया गया ।]

नगरपालिका के अधीक्षक, चुंगी अधीक्षक तथा लेखाकार के पदों का केन्द्रीकरण

*६४—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय श्रेणी की नगरपालिकाओं के कार्यालय अधीक्षक एवं चुंगी अधीक्षक तथा लेखाकार पदों का सरकार केन्द्रीकरण करन जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मदत्त वद्य—

जी नहीं ।

इकौना जिला बहराइच में चिकित्सालय खोलने का विचार

*६५—श्री भगौती प्रसाद (जिला बहराइच)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच, इकौना कस्बा में राजकीय चिकित्सालय खोलने के लिये सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपयी—

कस्बा इकौना जनपद बहराइच में अस्पताल खोलने की मांग प्राप्त हुई है। इसी तरह की अन्य मांगे प्रदेश की अन्य जगहों से आयी हैं। इन सभी पर विचार किया जा रहा है। स्थानों का अन्तिम निर्णय होने पर अस्पताल खोलने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव का निर्णय

*६६—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्वायत्त संस्थाओं (नगरपालिकाओं आदि) के चुनाव का निर्णय अन्तिम रूप से किस दिन लिया गया ? क्या निर्णय लेने से पूर्व सरकार ने पिछली हाल ही में हुई जनगणना को भी ध्यान में रख कर वार्डों में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या को पुन निर्धारित किया था ? यदि नहीं, तो म्युनिसिपल ऐक्ट की धारा ११–ए व ११– बी का उल्लंघन क्यों किया गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

चुनाव का निर्णय १४ अप्रैल, १९७१ को लिया गया।

सदस्य संख्या पुनः निर्धारित नहीं की गई। कथित धाराओं का उल्लंघन नहीं हुआ है।

सम्प्रेक्षकों के पदों को लोक सेवा आयोग के पर्यवेक्षण देने का निर्णय तथा उनकी आयु सीमा में छूट

*६७—श्री शिव सम्पत्ति शर्मा (जिल जालौन)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९६८ में स्वास्थ्य निदेशक ने सम्प्रेक्षकों के पदों को लोक सेवा आयोग के पर्यवेक्षण में रखने का प्रस्ताव शासन को भेजा था ? यदि हां, तो उस पर अभी तक निर्णय न होने का क्या कारण है और कब तक निर्णय लिये जाने की आशा है ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

जी हां।

सम्प्रेक्षकों के पदों को लोक सेवा आयोग के पर्यवेक्षण में दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा चुका है।

*६८—श्री शिव सम्पत्ति शर्मा—

क्या ऐसे व्यक्तियों को जो सम्प्रेक्षक पदों पर तदर्थ रूप से काम कर रहे हैं और अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं, आयु सीमा से कोई छूट दी जायगी ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

लोक सेवा आयोग द्वारा चयन होने पर आयोग के परामर्श से इस मामले पर निर्णय लिया जायेगा।

फर्रुखाबाद में जिला परिषदों के अस्पतालों को प्राइमरी हेल्थ सेन्टर में बदलना तथा आयुर्वेदिक औषधालय खोलना

*६९—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में कुछ जिला परिषदों के अस्पतालों को प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के रूप में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव जिला स्वास्थ्य

[श्री महरम सिंह]

समिति, फर्रुखाबाद की ओर से ६ माह के अन्दर प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस प्रस्ताव में किन-किन अस्पतालों को प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के रूप में बदलने की मांग की गई है और कब तक उन पर कार्यवाही की जायेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

*७०--श्री महरम सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद में जिला स्वास्थ्य समिति ने अक्तूबर, १९७० से मार्च, १९७१ तक अपनी बैठकों में किन-किन स्थानों पर आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की मांग सरकार से की है ? और सरकार ने अभी तक उन स्थानों में से कितने स्थानों पर आयुर्वेदिक औषधालय खोले हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक औषधालय खोल दिये जायेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जिला स्वास्थ्य समिति, फर्रुखाबाद की अक्तूबर, १९७० से मार्च, १९७१ तक केवल एक बैठक दिनांक २ फरवरी, १९७१ को हुई थी जिसमें प्रस्ताव संख्या ९ द्वारा केवल एक स्थान पर ग्राम कसावा में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की मांग शासन से की गयी है। अभी इस औषधालय को खोलने के प्रश्न पर शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

प्रतापगढ़ के सदर अस्पताल में जनता की कठिनाइयां

*७१--श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद के सरकारी सदर अस्पताल में पानी की व्यवस्था के लिये नलकूप, रोगी शय्या, नर्सिंग स्टाफ तथा डाक्टरों के लिये क्वार्टर का व कम्पाउन्डरों का अभाव है, जिसके फलस्वरूप जनपद की जनता को विशेष कठिनाई होती है ? क्या सरकार इन अभावों की पूर्ति करेगी ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

जिला अस्पताल, प्रतापगढ़ में पानी की पर्याप्त व्यवस्था के लिये सरकार एक नलकूप लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

पिछले वर्ष इस अस्पताल में १२ शैय्यायें बढ़ाई गईं। इसके अलावा २४ शैय्याओं के एक वार्ड के निर्माण की भी स्वीकृति दी गई है और एक १८ शैय्याओं का टी० बी० वार्ड बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

इस समय उक्त अस्पताल का वर्तमान स्टाफ, जिसमें कम्पाउन्डर भी शामिल हैं, पर्याप्त है।

उक्त अस्पताल में नर्सों तथा डाक्टरों के लिये आवास गृहों के निर्माण की अभी कोई योजना नहीं है।

प्रतापगढ़ के अस्पताल में कम्पाउन्डर की सेवा अवधि

*७२--श्री रामदेव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रतापगढ़ सदर सरकारी अस्पताल में सभी कम्पाउन्डर १२ वर्षों से अधिक अवधि से वहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

६—कम्पाउन्डरों में से ४ ऐसे हैं जो १२ वर्षों से अधिक से वहां हैं।

कम्पाउन्डरों का स्थानान्तरण साधारणतया नहीं होता।

सदर महिला अस्पताल, प्रतापगढ़ में डाक्टरों की कमी

*७३—श्री रामदेव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि सदर महिला अस्पताल, प्रतापगढ़ में महिला डाक्टरों की कमी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार तत्काल महिला डाक्टरों की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

महिला अस्पताल, प्रतापगढ़ में महिला डाक्टरों की कोई कमी नहीं है। अन्य प्रश्न नहीं उठते।

मलेरिया विभाग में असिस्टेंन्ट यूनिट आफिसरों के रिक्त पद

*७४—श्री सियाराम (जिला एटा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मलेरिया विभाग में असिस्टट यूनिट आफीसरों के कितने पद हैं ? इनमें से कितने रिक्त हैं और क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कुल २३ पद हैं। इनमें से एक पद रिक्त है क्योंकि एक असिस्टेन्ट यूनिट आफिसर ने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है।

मलेरिया विभाग में असिस्टेन्ट यूनिट आफिसरों में परिगणित जाति का प्रतिशत

*७५—श्री सियाराम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मलेरिया विभाग में असिस्टेंट यूनिट आफीसरों में परिगणित जाति के कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं ? क्या मंत्री उनके नाम तथा यूनिट वाइज सूची देने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

लगभग पांच प्रतिशत। सम्बन्धित कर्मचारी का नाम श्री बाबू राम है जो गोरखपुर (उत्तरी) यूनिट में ह।

मत्स्य विभाग में सहायक निदेशक की कथित पदावनति और निलम्बन

*७६—श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामदेव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत फरवरी, १९७१ से आज तक कितने सहायक निदेशक मत्स्य, विभाग, पदावनत और निलम्बित हुए और निलम्बित सहायक निदेशकों के नाम व पते क्या हैं ? क्या उन्होंने उचित माध्यम से सामुदायिक विकास मंत्री उत्तर प्रदेश को आवेदन-पत्र दिया है ? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर सीताराम—

फरवरी, १९७१ से आज तक किसी सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग को पदावनत अथवा निलम्बित न गया ह। प्रश्न के शेष भाग में मांगी गई सूचना शून्य है।

कृषि निदेशक के विरुद्ध आरोप

*७७—श्री दलसिंगार यादव (जिला आजमगढ़) श्री रामलाल भाई (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक के विरुद्ध घोर अनियमितताये जैसे कि जीप की खरीदारी में गड़बड़ी का आरोप है जांच सरकार ने हाल में कराई है ? यदि हां, तो क्या जांच की रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—

प्रदेश के कृषि निदेशक के विरुद्ध घोर अनियमितताओं के संबंध में हाल में कोई जांच नहीं कराई गई है ।

*७८—श्री भगवती सिंह विशारद—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

*७९—श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी—

[१ले गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या ११३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*८०—श्री राम सिंह—

[३रे मंगलवार के लिये स्थगित ।]

सहायक निदेशक, परिवार नियोजन, लखनऊ के कार्यालय भवन का किराया

*८१—श्री रामलखन सिंह (बस्ती)—

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ के पुराना हैदराबाद हाउस, कालाकांकर हाउस के सामने एक मकान जो श्री जगदीश का है उसके तीन हिस्से में सरकार ने अपना कोई दफ्तर खोल रखा है ? यदि हां, तो पहले उस १/३ हिस्से का किराया क्या था और सरकार क्या किराया दे रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां । कथित भवन के लगभग तिहाई हिस्से में सहायक निदेशक, परिवार नियोजन, लखनऊ–इलाहाबाद मंडल का कार्यालय स्थित है जिसका किराया २२५ रुपया प्रतिमास है । पहले इस भवन का क्या किराया था, यह औपचारिक रूप से ज्ञात नहीं हो सका ।

तेजबहादुर सप्रू अस्पताल, इलाहाबाद की नर्सों का अवकाश तथा उनकी सिक्योरिटी

*८२—श्री सजीवन लाल श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर), तथा श्री सेवाराम (जिला खीरी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तेजबहादुर सप्रू अस्पताल, इलाहाबाद से कितनी नर्सों ने १९६९–७० व १९७०–७१ में सेवा से अवकाश लिया तथा इस अस्पताल की किन-किन नर्सों की सिक्योरिटी अब तक वापस नहीं की गई ? क्या सरकार जिन नर्सों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हो गये हैं उनकी सिक्योरिटी शीघ्र वापस करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

प्रश्नगत अवधि में तेज बहादुर सप्रू अस्पताल, इलाहाबाद से कोई भी स्टाफ नर्स सेवा-निवृत्त (रिटायर) नहीं हुई । अतः शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

*८३—श्री मनफूल सिंह—

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

*८४--श्री कृष्ण स्वरूप--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त किया गया]

देवी तरकुलहा में रामनवमी के मेले में अधिकारियों की नियुक्तियां तथा उनका कार्य

*८५--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के अन्तर्गत इस वर्ष १९७१ चैत राम नवमी के अवसर पर लगने वाला मेला, देवी तरकुलहा में स्वास्थ्य एवं सफाई की देख-रेख में कौन-कौन अधिकारी जिले से नियुक्त किये गये थे ? इन अधिकारियों ने इस मेले से संबंधित किन-किन दुकानदारों के सामानों का सैम्पुल अप्रल, १९७१ में भरा तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

इस मेले में स्वास्थ्य एवं सफाई की देख रेख के लिये जिले से केवल एक स्वास्थ्य निरीक्षक की नियुक्ति की गई थी । इस अधिकारी ने मेले में कोई सैम्पुल नहीं भरा ।

*८६--श्री इन्द्रमणि--

[३ रे मंगलवार के लिये स्थगित ।]

संचालक मण्डल केन यूनियन, घुघली के भ्रष्टाचार की जांच

*८७--श्री महातम प्रसाद तिवारी (जिला गोरखपुर)--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संचालक मंडल केन यूनियन, धुघली, जिला गोरखपुर के भ्रष्टाचार की जांच हाल में सरकार द्वारा की गई थी ? उसमें कौन-कौन सी अनियमितताय मिलीं और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर सीताराम--

संचालक मंडल केन यूनियम, धुघली, जिला गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच गन्ना आयुक्त द्वारा कराई गई है । गन्ना आयुक्त ने सूचित किया है कि जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है ।

ग्राम किठौर में अस्पताल खोलने की योजना

*८८--श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)--

क्या यह सही है कि क्षेत्र किठौर, तहसील मवाना ब्लाक परीक्षतगढ़, जिला मेरठ में न तो कोई जच्चा-बच्चा केन्द्र है और न कोई मरदाना सरकारी अस्पताल है ? क्या सरकार के विचाराधीन इस क्षेत्र में कोई अस्पताल खोलने की योजना है ? यदि हां, तो कहां और कब तक ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

ग्राम किठौर हेतु एक जच्चा बच्चा केन्द्र स्वीकृत है । इसी ग्राम में एक जिला परिषद् का अस्पताल कार्य कर रहा है । कोई अतिरिक्त अस्पताल खोलने का विचार नहीं है ।

नोटिफाइड एरिया कमेटी, मोदीनगर का नगरपालिका में परिवर्तन

*८९--श्री मंजूर अहमद--

क्या स्वायत शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नोटीफाइड एरिया, मोदी नगर में नगरपालिका बनाने के संबंध में राजनैतिक दलों तथा जनता का मांग-पत्र सन् १९६९ में मिला था ? यदि हां, तो वहां नगरपालिका कब तक बनाई जा रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां, विचार करने के उपरान्त नोटिफाइड एरिया कमेटी, मोदी नगर को नगर पालिका के रूप में परिवर्तित करने का विचार त्याग दिया गया था परन्तु इस मामले पर पुनः विचार किया जा रहा है ।

जिला परिषद् कर्मचारी संघ की मांगें

*९०—श्री शिव कुमार—

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद कर्मचारी संघ की ओर से जनवरी, ७१ व मार्च, ७१ में अपनी कुछ मांगों के साथ शासन को पत्र भेजे थे ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और सरकार उनकी पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

(क) जी हां ।

(ख) मांग संलग्न तालिका में दी हुयी हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २७३ पर)

(ग) (१) वेतन तथा मंहगायी भत्ते के विषय में वेतन आयोग का गठन किया जा रहा है । उक्त आयोग राज्य कर्मचारियों, जिला परिषद् एवं स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन क्रम और मंहगाई भत्ते पर विचार करेगा ।

(२) शासकीय आदेश सं० २०८८-ग-३३-१—२२४/६५, दिनांक १२ जून, १९६८ के प्रस्तर ६ में स्पष्ट निदेश होने के बावजूद यदि किन्हीं जिला परिषदों ने वेतन-क्रम और महंगाई भत्ते पर अधिक भुगतान किया है तो वे स्वयं उत्तर दायी हैं । कार्योत्तर स्वीकृति देने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि इस प्रकार भिन्न २ जिला परिषदों के कर्मचारियों के अलग अलग वेतनमान प्रचलित हो जाएंगे ।

(३) पेंशन के नियम बन चुके हैं और उनका प्रथम प्रकाशन आपत्तियों और सुझावों की प्राप्ति के लिये किया जा रहा है ।

प्रदेश की ४५ जिला परिषदें सेवा निवृत्ति उपादान (gratuity) संबंधी नियम पारित कर चुकी हैं और उनको शासकीय स्वीकृति भी दी जा चुकी है ।

(४) तदर्थ वृद्धि प्रस्तावित आयोग की संस्तुति आने पर ही दी जा सकती है । हाल ही में ८.०० प्रतिमाह की अन्तरिम सहायता समस्त जिला परिषदों के कर्मचारियों को दी जा चुकी है । जिला परिषदीय कर्मचारियों को अलग से तदर्थ वृद्धि स्वीकृति करना संभव नहीं है ।

(५) प्रस्तावित वेतन आयोग सभी प्रकार के स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के साथ साथ राज्य कर्मचारियों के भी वेतन भत्ता आदि पर विचार करेगा, अतः विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के संघों के प्रतिनिधियों को आयोग में सम्मिलित करना व्यावहारिक नहीं जान पड़ता है ।

*९१—श्री गोपालदत्त ओझा—

[३रे मंगलवार के लिये स्थगित ।]

*९२-९३—श्रीमती प्यारी देवी गुप्त—

[३रें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

बांसी टाऊन एरिया की पेयजल योजना के लिये सहायता

*६४—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बांसी टाउन एरिया के लिये पेय जल योजना बनाने के संबंध में सहायता देने जा रही है तथा कब तक ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

टाउन एरिया कमेटी, बांसी से अभी तक पेयजल योजना बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है । अतः अभी इस संबंध में किसी प्रकार की सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता ।

परिवार नियोजन विभाग के कर्मचारी व खण्ड प्रसार शिक्षक की मुअत्तली

*६५—श्री राम सिंह खन्ना—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि परिवार नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश में कितने कर्मचारी और खंड प्रसार शिक्षक हैं जो निरन्तर ६ माह से अधिक मुअत्तिल हैं और जिन्हें अब तक मुअत्तली एलाउन्स प्राप्त नहीं हुआ है ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

परिवार नियोजन विभाग में चार ऐसे कर्मचारी हैं जो निरन्तर ६ माह से अधिक से मुअत्तिल हैं और जिन्हें अब तक मुअत्तली एलाउन्स प्राप्त नहीं हुआ है । इनमें से तीन परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायक तथा एक खंड प्रसार शिक्षक है ।

*६६—श्री हुकुम सिंह परिहार—

[३रे मंगलवार के लिये स्थगित ।]

अतारांकित प्रश्न

गढ़वाल जिले में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर व आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार

१—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७१–७२ में गढ़वाल जिले में कितने और कहां-कहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर व आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का सरकार का विचार है ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

चालू वित्तीय वर्ष (१९७१–७२) में गढ़वाल जिले में उन पुराने सात सेंटरों में जहां चिकित्सालय अब तक स्थापित नहीं हो पाये हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

इन सात स्थानों के नाम हैं:—

१—एकेश्वर चौड़कोट

२—पोखरा मल्ला सालान (उत्तरी)

३—कोट वाराइस्यूं (पश्चिमी)

४—पावो राठ

५—रिखणीखाल तल्ला सालान

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई]

६—कलजी खाल वाराइस्यूं (पूर्वी)

७—दुगड्डा (कोटद्वारा)

जहां तक आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का संबंध है, चालू वित्तीय वर्ष में खोले जाने वाले चिकित्सालयों के संबंध में अभी निर्णय नहीं लिया गया है ।

पशुपालन विभाग में भूसे की खरीद

२—श्री राम लाल राही—

क्या पशुपालन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६८-६९ व वर्ष १९६९-७० तथा १९७०-७१ में पशुपालन विभाग, हरदोई में भूसा खरीदा गया था ? यदि हां, तो कितनी मात्रा में तथा किस दर से खरीदा गया था ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां ।

वर्ष १९६८-६९ में ९२२-९५ कुंतल, रु० १०.२५ से २२.२५ प्रति कुंतल की दर से, वर्ष १९६९-७० में ९३९.४७ कुंतल, रु० ११.२५ से २५.०० प्रति कुंतल की दर से तथा वर्ष १९७०-७१ में ९९४-६७ कुंतल, रु०१०.०० से २०.०० प्रति कुंतल की दर से भूसा खरीदा गया था ।

मैनपुरी में रासायनिक उर्वरक का वितरण

३—श्री रघुनाथ सिंह वर्मा (जिला मैनपुरी)—

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले में इस वर्ष रासायनिक उवरक विभाग से कितना वितरित किया गया तथा किसानों ने कितनी रासायनिक उर्वरकों की मांग की थी ?

डाक्टर सीताराम—

मैनपुरी जिले में वर्ष १९७०-७१ में जो उर्वरक विभिन्न वितरण एजेंसियों द्वारा बांटा गया उसका मासिक विवरण परिशिष्ट १ में दिया गया है । किसानों द्वारा कितने उर्वरक की मांग की गयी थी उसकी सूचना विभाग द्वारा नहीं रखी जाती है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २७४–२७५ पर ।)

४—डा० रघुनाथ सिंह वर्मा—

क्या कृषि मंत्री यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह रासायनिक उर्वरक किस महीने और किन-किन तारीखों में बांटा गया है ? यदि नहीं बांटा गया तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

उर्वरकों के माहवार वितरण का ब्योरा परिशिष्ट १ में दिया गया है । तारीखवार वितरण की सूचना विभिन्न वितरण एजेंसियों द्वारा जिला स्तर पर नहीं रखी जाती है । अप्रैल व मई के महीनों में उरवकों की आवश्यकता न होने के कारण, कोई वितरण नहीं हुआ ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २७४–२७५ पर)

आरंगा पार्वती झील में मछलियों का शिकार

५—श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में आरंगा पर्वतीय झील में सन् १९६९-७० व १९७०-७१ में कितने क्विंटल मछलियों का शिकार हुआ तथा इनको कहां-कहां भेजा गया ?

डाक्टर सीताराम—

अरंगा एवं पर्वतीय झीलों (इन झीलों के नाम आरंगा और पर्वतीय नहीं वरन् आरंगा और पार्वती है) में वर्ष १९६९-७० में क्रमशः ९७.६१ क्विंटल एवं ८·४१ क्विंटल मछलियों तथा वर्ष १९७०–७१ में क्रमशः ७५.८० क्विंटल एवं २६.३१ क्विंटल मछलियों का शिकार हुआ।

उपरोक्त मछलियां विभाग द्वारा विभिन्न ठेकेदारों को बेंची गई थ। । उन्होंने इनको कहां भेजा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध नहीं है ।

६—श्री नत्थाराम रावत—

[१ले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

७—श्री श्यामलाल—

[३रे मंगलवार के लिये स्थगित]

८—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[३रे मंगलवार के लिये स्थगित]

पौड़ी-गढ़वाल में पेयजल योजना पर कार्य

९—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् पौड़ी-गढ़वाल ने १ जनवरी, १९७० से ३१ मार्च, १९७१ तक कौन-कौन पेय जल की योजनायें मुख्य अभियंता, स्वायत्त शासन विभाग को कार्यान्वित करने के लिये भेजी हैं और कौन-कौन पेयजल योजनाओं पर कार्य आरम्भ हो गया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जिला परिषद्, पौड़ी–गढ़वाल ने १ जनवरी, १९७० से ३१ मार्च, १९७१ तक स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग को २९ पेयजल योजनायें भेजी हैं जिनकी सूची संलग्न तालिका में दी हुयी है ।

इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये चालू वित्तीय वर्ष में धन अवमुक्त किये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २७६ पर ।)

१०—श्री शिवानन्द नौटियाल—

(पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।)

वर्तमान साल में वर्षा से गेहूं की फसल को क्षति

११—श्री सुरेंद्र विक्रम—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान साल में कितनी रबी की फसल होने का अनुमान था ? और एक महीने से हो रही वर्षा तूफान ओला व पूर्वी हवा से कितनी तादाद में गेहूं खलिहानों में अनुमानतः नष्ट हो गया ?

डाक्टर सीताराम—

वर्ष १९७०-७१ में १२०.३५ लाख मेट्रिक टन रबी खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान लगाया गया था । अनुमानतः १५ लाख मेट्रिक टन गेहूं बिल्कुल नष्ट हो गया है और ५० लाख मेट्रिक टन वर्षा से भीग गया है ।

वर्ष १९७०–७१ में लगाये गये अंगूर के पौधे

१२––श्री सुरेंद्र विक्रम––

क्या कृषि मंत्री यह बतायेंगे कि प्रदेश में कितने एकड़ अंगूर वर्ष १९७०-७१ में सरकारी व निजी क्षेत्रों में लगाये जाने की संभावना है ? और प्रदेश के किन-किन क्षेत्रों में ?

डाक्टर सीताराम–

प्रदेश में वर्ष १९७०-७१ में निम्नलिखित मंडलों में अंगूर के पौधे सरकारी क्षेत्रों में क्रमशः ३.० एकड़ तथा १३४.५ एकड़ में लगाये गये हैं ।

मंडल का नाम	क्षेत्र एकड़ में	
	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र
१––लखनऊ	०.५	१८.००
२––बरेली	०.५	२.००
३––मेरठ	०.५	८२.२५
४––आगरा	०.५	१५.७५
५––झांसी	०.५	३.२५
६––वाराणसी	––	८.२५
७––इलाहाबाद	०.५	५.००
योग ..	३.०	१३४.५०

गोंडा में विकास खण्डों की इमारतें

१३––श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)––

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में कितने विकास क्षेत्र हैं कितने विकास क्षेत्रों की इमारत बन गई हैं और कितनी इमारतें बनानी बाकी हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य––

गोंडा जनपद में १८ चालू तथा ७ विघटित विकास खंड हैं । चालू विकास खंडों में से १३ विकास खंडों में इमारतें बन चुकी हैं । शेष ५ में इमारतें नहीं बनी हैं । तीन विघटित विकास खंडों में इमारत बनी हैं और शेष ४ में कोई इमारत नहीं बनी है ।

पंचायत मंत्रियों की मांगों के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)––

आपने जो कहा था कि पंचायत मंत्रियों के बारे में कहा जायेगा तो वह उनसे कहलवा दीजिये ।

श्री कल्याणसिंह (जिला अलीगढ़)––

हम पंचायत मंत्रियों के बारे में सरकार से वक्तव्य चाहते हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय---

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है । यह प्रश्न मैंने शुरू में ही उठाया था और प्रार्थना भी आपसे की थी, यदि माननीय मुख्य मंत्री जी पंचायत मंत्रियों की मांगों के सिलसिले में जो गवर्नमेंट की नीति है, बड़ी सहानुभूति की है, और वे दयालु आदमी हैं, तो सारे प्रदेश में ग्राम प्रशासन समाप्त हो गया है, इस पर वे दो शब्द कह देते तो इस समस्या का समाधान हो जाता । उनके प्रतिनिधि आपसे मिलने गये थे लेकिन आपकी आंख में दर्द था जिससे आपसे भेंट नहीं हो सकी इसलिये यह खुराफात हुआ । गवर्नमेंट की नीति काफी सहानुभूतिपूर्ण है इसलिये आप मुख्य मंत्री जी से गवर्नमेंट नीति के बारे में दो शब्द कहला दीजिये । इससे सारे प्रदेश के पंचायत मंत्री यहां से अपने-अपने यहां चले जायेंगे और इस समस्या का समाधान हो जायेगा । प्रश्नों के बाद वे कुछ कहने जा ही रहे थे लेकिन आपने उनको कहने नहीं दिया । इसलिये उनसे दो शब्द कहला दीजिये ताकि इस प्रश्न का समाधान हो जाय ।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, इस संबंध में मेरा कामरोको प्रस्ताव भी है । माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर प्रकाश डालें क्योंकि कई सौ लोग पकड़े गये हैं ।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय---

माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहने जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---

(मुख्य मंत्री से) आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कह सकते हैं ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

मान्यवर, मैं समझता हूं कि अगर एक-एक सज्जन बोला करें तो लोगों की बात भी समझ में आवे लेकिन जब दो तीन चार साथ-साथ बोलने लगते हैं तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आता कि कहा क्या जा रहा है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, इस आदरणीय सदन की यह परम्परा रही है कि इससे पहले भी जब इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न आते रहे तो हमारे मुख्य मंत्री उठ कर उसका समाधान कर देते थे । पिछले सदन में भी अनेकों बार इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के सामने आये । पंचायत मंत्रियों ने एक मीटिंग की और शांतिपूर्ण एक प्रोसेशन निकाला और बड़े शन्तिपूर्ण ढंग से उन्होंने अपनी मांग रखी । कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जिसने इतने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखी हो । आखिर कोई अपवाद भी तो हो सकता है कि किसी के ऊपर डंडा न चलाया जाय, जेल न भेजा जाय और उनकी मांग को स्वीकार कर लिया जाय । मुझे स्मरण है कि पिछली सरकार ने एक निश्चय लिया था और करीब करीब उसे स्वीकार भी कर लिया था सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष इनको माना जाय और इनके वेतन-मान के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक पे कमीशन बनाया जाय । पिछली सरकार करीब-करीब यह निर्णय कर चुकी थी कि वह चली गयी । तो अपवाद के तौर पर ही हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी इस अवसर पर इस संबंध में कुछ कह दें तो उनकी शंका का समाधान हो जाय ।

(व्यवधान)

श्री गोबिन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

माननीय मुख्य मंत्री का जब वक्तव्य हो जाय तो उस पर हम लोगों को प्रश्न करने का भी मौका दिया जाय ताकि हम लोग स्पष्टीकरण करा सकें। कुछ प्रश्नों की आज्ञा तो आप दे ही दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष---

मैं बहस का मौका नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं तो ऐसा समझता हूं कि यह प्रश्न जो उठाया गया है, उस पर सामुदायिक विकास मंत्री का शायद एक वक्तव्य होने वाला है। इसलिये आपकी आज्ञा से जब वे अपना वक्तव्य पढ़ लें और हमारे साथी उस पर कुछ सवाल कर लें, फिर उसके बाद सदन की आज्ञा होगी तो मैं कुछ कह सकूंगा। इसी विषय पर उनका वक्तव्य होने वाला है।

श्री अध्यक्ष---

इस सबंध में जो नोटिस आयी है उसको मैं एडमिट करने वाला हूं। नियम ५१ म यह चीज है आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिये। तो इसको मैं स्वीकार करने वाला हूं और उस पर वक्तव्य के लिये १५ तारीख रखूंगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

अगर आज इस समय आप उसकी आवश्यकता समझते हों तो इस समय मैं वक्तव्य दे दूं।

श्री अध्यक्ष---

आवश्यकता तो आप समझें सदन में इस बारे में एक प्रश्न रखा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यदि इस विषय पर सदन को १५ तारीख को बहस करना हो तो उसी दिन बहस हो जाय।

श्री कृष्णानन्द राय---

हमने इस विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखा है, हम १५ तारीख तक वेट नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष---

आज शाम को भी वे उस पर वक्तव्य देने को तैयार हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

जो वक्तव्य आपने १५ तारीख के लिये रखा है उसी को आज शाम को दिला दें। वक्तव्य तो तैयार है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

आज शाम को ही ले लिया जाय, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अभी आप लेना चाहें तो अभी भी मैं वक्तव्य देने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप अभी वक्तव्य देना चाहते हैं तो नियमों के अनुसार मैं उसे ले लूंगा। आपको वक्तव्य देने का हमेशा अधिकार है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मुझे यह कहना है कि आज प्रश्न उठाया गया है, उस पर सामुदायिक विकास मन्त्री जी का वक्तव्य होना है और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी वक्तव्य दे दूं। लेकिन उसके ऊपर फिर कोई बहस हो तो वह उचित न होगा। समय का दोबारा दिया जाना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

फिर तो मैं उसके लिये यह कह दूंगा कि मुख्य मन्त्री जी ने उसके ऊपर अपना वक्तव्य दे दिया, इसलिये अब इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह —

यह अन्याय हुआ है। हमने एक काल अटेंशन मोशन दे रखा है। हमको वक्तव्य के ऊपर प्रश्न करने का अधिकार होना चाहिये।

श्री कृष्णानन्द राय—

दफा ५१ में आपने हमारा स्वीकार किया है। कामरोको प्रस्ताव इसके ऊपर हम लोगों ने दे रखा था। यह इतनी बड़ी समस्या है कि १,५०० आदमियों को कल बन्द कर दिया गया। सारा ग्राम पंचायत प्रशासन ठप्प हो गया है। पंचायत मन्त्री, सामुदायिक विकास मन्त्री से मिले थे लेकिन वे उनको सेटिसफाई नहीं कर पाये। माननीय मुख्य मन्त्री जी की आंखों में दर्द था इसलिये डेप्यूटेशन उनसे नहीं मिल पाया। हम उनके ही मुंह से जानना चाहते हैं। श्रीमन्, उन्हीं से वक्तव्य दिला दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

माननीय कृष्णानन्द राय जी कायदे कानून को खूब अच्छी तरह समझते हैं। एक-विधि से काम होना चाहिये। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सामुदायिक विकास मन्त्री जी को वक्तव्य देने के लिये कह दूं और अगर आप चाहें तो वह शाम को ही हो जाय या तो इसी समय हो जाय या शाम को ही हो जाय। ऐसा नहीं होना चाहिये कि इस समय भी हो जाय और फिर शाम को वही प्रश्न उठाया जाय। यह उचित नहीं होगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय मुख्य मन्त्री जी से इसी वक्त वक्तव्य दिला दीजिये, शाम को हम प्रश्न नहीं उठायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मन्त्री जी अभी वक्तव्य देने को तैयार हैं। मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर वे इस समय वक्तव्य देंगे तो फिर शाम को पंचायत मन्त्री के वक्तव्य की आवश्यकता नहीं रहेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अध्यक्ष महोदय, आप हमें प्रश्न करने का अवसर जरूर दें। हमने नियम ५१ में नोटिस दिया है, हमारा प्रश्न करने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—

ये दो चीजें नहीं हो सकतीं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

केवल वक्तव्य से क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह मैं उनके ऊपर छोड़ता हूं। वह अभी वक्तव्य देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, आपका उसमें कोई हाथ नहीं है, उनको रोक नहीं सकते।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप वक्तव्य दें, हम अभी प्रश्न करेंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह तो विरोधी दल के साथियों और नेताओं पर निर्भर करता है। अगर वह चाहते हैं कि अभी कर दूं तो फिर शाम को मामला छोड़ दें। लेकिन विरोधी दल के जो मारे साथी हैं उनमें इस विषय में एक मत नहीं हैं। कृष्णानन्द राय जी और नित्यानन्द स्वामी जी चाहते हैं कि अभी कह दूं और गोविन्द सिंह जी चाहते हैं कि शाम को हो। यह बात नहीं हो सकती कि इस वक्त मेरा वक्तव्य ले लिया जाय और शाम को फिर बहस की जाय। यह मुनासिब नहीं होगा। आप शाम को ही रख लें, इसके ऊपर वाद-विवाद हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

इसके ऊपर वाद-विवाद नहीं होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जायेंगे, स्पष्टीकरण पूंछा जायगा ।

श्री कृष्णानन्द राय—

असल में दो कठिनाइयां पड़ रही हैं। नित्यानन्द जी ने नियम ५१ में दिया है और हम लोगों ने कार्य-स्थगन में दिया है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी जब वक्तव्य देने के लिये तैयार हैं और जब वक्तव्य दे देगें तो स्वाभाविक चीज है कि शाम को इस पर चर्चा नहीं होगी। जब दस हजार आदमी सड़कों पर घूम रहा है तो इस वक्त वक्तव्य देने में क्या कठिनाई है ? शाम को तो बंगला देश होगा।

श्री अध्यक्ष—

वह तो देने को तैयार हैं लेकिन कुछ लोग अपोज कर रहे हैं कि शाम को नियम ५१ में लिया जाय ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—

नित्यानन्द जी की मंशा यह है कि वक्तव्य के बाद स्पष्टीकरण की इजाजत दें। शाम को तो बंगला देश का होने वाला है।

श्री अध्यक्ष—

आप तो जो चाहेंगे वही होगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

इनको आदेश दे दें कि अभी वक्तव्य दे दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं आदेश नहीं दे सकता, मैं इजाजत दे सकता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय—

तो इजाजत दे दीजिये ।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप दोनों प्रश्नों को एक साथ मिलाये दे रहे हैं। एक प्रश्न के दो हिस्से हैं। एक तो यह हिस्सा है कि सदन की एक भावना यह है कि कल जो पंचायत मन्त्रियों का प्रदर्शन हुआ और हजार आदमी गिरफ्तार किये गये उसके बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी निश्चित रूप से कोई घोषणा कर दें ताकि कल का उत्पन्न वातावरण शान्त हो जाय। प्रश्न का दूसरा हिस्सा यह है कि दफा ५१ में कल की घटना पर माननीय सदस्य आपके द्वारा सरकार का ध्यान खींचना चाहते हैं। कल की घटना पर जो माननीय मुख्य मन्त्री बयान देंगे तो क्या फिर क्रास-क्वेश्चन होगा या नहीं। सारा प्रश्न यह है कि जो कल घटना घटी है उसका तात्कालिक निदान मुख्य मन्त्री अपने मुख से कर दें। यही हमारी भावना है।

श्री अध्यक्ष—

आप तो यह चाहते हैं कि आपकी मर्जी के मुताबिक वह घोषणा कर दें। यह सवाल नहीं है। घोषणा वह करेंगे। आपने अपने विचार उनके समने रख दिये । इसके ऊपर वह जो भी घोषणा करना चाहते हैं, वह करेंगे।

श्री रामकरन सिंह—

आप उनसे कह दें वह घोषणा कर देंगे।

श्री अध्यक्ष—

वह घोषणा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं उनको कह नहीं सकता हूं कि करो।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह विरोधी दल की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह अभी चाहता है तो मैं अभी दे दूं और इस विषय पर सायंकाल को देना हो तो सायंकाल को दे दूं लेकिन यह मुनासिब नहीं होगा कि इस समय भी वक्तव्य यहां पर हो जाय और सायंकाल को भी सामुदायिक विकास मन्त्री से वक्तव्य देने को कहा जाय और फिर इस विषय पर चर्चा हो। दुबारा इस विषय पर चर्चा नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—

आप चाहें तो वक्तव्य दे सकते हैं। दुबारा इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री गोबिन्द सिंह—

मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है कि यहां पर जो भी कार्य होता है वह नियम के अन्दर होता है। नियमानुसार मैंने भी नियम ५१ की नोटिस दी है। अगर उसको आप स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों को यह अधिकार हो जाता है कि स्पष्टीकरण हम उनसे मांग सकें । अगर मुख्य मन्त्री जी का वक्तव्य होता है तो उस पर हमको स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि सदन को यह अधिकार रहना चाहिये कि मुख्य मन्त्री जी से स्पष्टीकरण मांग सकें।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय, आप पर निर्भर करता है। कुछ सदस्यों ने नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना दी है और कुछ माननीय सदस्यों ने नियम ५२ के अतर्गत सूचना दी है।

[श्री महीलाल---]

आप उसको निश्चय करेंगे कि यह नियम ५१ में या नियम ५२ में लेंगे । आप यह निश्चय करेंगे और उसी के अनुसार यहां पर बहस होगी ।

श्री अध्यक्ष---

सवाल यह है कि कार्यसूची में नम्बर ९ में यह दिया हुआ है "मन्त्रियों द्वारा विविध वक्तव्य यदि कोई हो" । अगर आपकी रिक्वेस्ट पर वह वक्तव्य देना चाहते हैं तो वह दे सकते ह । सवाल यह है कि यदि वह वक्तव्य देना चाहते हैं तो वह दे सकते हैं । आप उनको रोक नहीं सकते हैं । अगर आप यह चाहते हों कि नियम ५१ वाला ही लिया जाय और वह वक्तव्य न दें तो तब भी आप उनको रोक नहीं सकते हैं । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह उनकी इच्छा पर ही निर्भर करता है कि वह इस बात को स्वीकार करें या न करें, यह महत्व का प्रश्न है, इस बात को समझकर उनको वक्तव्य देने का अधिकार है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मुझे इस समय वक्तव्य देने में कोई आपत्ति नहीं है किन्तु मेरा इतना निवेदन है कि इस वक्त यदि कोई वक्तव्य हो जायगा तो फिर सायंकाल उस पर कोई और वक्तव्य की आवश्यकता नहीं होगी । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । मुझे आप आज्ञा देने के पहले यदि सामुदायिक विकास मन्त्री जी को आप आज्ञा दें तो वह अपना वक्तव्य दें लें और फिर उसके बाद जो मुझे कहना होगा वह मैं कहूंगा ।

श्री अध्यक्ष---

नम्बर ९ का यह कार्य-क्रम है.....

श्री नित्यानन्द स्वामी---

पहले वक्तव्य की प्रतियां बंटवा दीजिये ।

भूतपूर्व सदस्य श्री रूपनारायण के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष---

पहले मैं यह बीच का काम अभी लिये ले रहा हूं, इससे थोड़ा सा समय बच जायगा । एक निधन का निर्देश अभी बाकी है । श्री रूप नारायण जी का ३ जुलाई को देहान्त हो गया है.....माननीय मुख्य मन्त्री

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

मान्यवर, अभी बाद में यह सूचना मिली कि हमारे एक साथी जो विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं और लोक सभा के भी सदस्य थे, उनका ३ जुलाई को दिल्ली के वेलिंग्टन अस्पताल में कन्सर के भयानक रोग से देहान्त हो गया । श्री रूपनारायण जी वाराणसी जिले के रहने वाले थे । वह एक अच्छे पढ़े-लिखे युवक और सार्वजनिक कार्यकर्ता थे । वह सामाजिक क्षेत्र में काम करते थे, वह विशेषकर पिछड़े वर्ग के थे और उस वर्ग के लिये वह दिलचस्पी के साथ और परिश्रम के साथ काम करते थे । ५२ से ६२ तक लोक सभा के सदस्य रहे, वह सन् १९६७-६८ में विधान सभा के सदस्य रहे ।

वह हमारे जो वाराणसी के और कार्यकर्त्ता हैं उन सब के साथी रहे, वह वहां के जिला बोर्ड के भी सदस्य रहे और कई सार्वजनिक और सामाजिक संस्थाओं से उनका सम्बन्ध रहा है । वह एक बहुत अच्छे, मेहनती और कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं । उनकी उम्र भी अभी बहुत थोड़ी थी लेकिन आजकल यह कैन्सर का रोग ऐसा चला है कि जाने कौन कब इसमें फंस जाय

और फिर उसका कोई ऐसा विशेष उपचार भी नहीं हो पाता कि जिससे कहा जा सके कि निश्चित रूप से कोई आदमी बच जायगा। यह बहुत घातक रोग होता है, वह इस रोग में ग्रस्त हुये और दिल्ली के वेलिंग्टन अस्पताल में एक, डेढ़ मास तक उन का इलाज हुआ और ३ जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई। वह एक कर्मठ युवक थे, पढ़े लिखे पिछड़े क्षेत्र के व्यक्ति थे और उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा समय देश और समाज की सेवा में लगाया। इस छोटी उम्र में ही ऐसे भयानक रोग से उनका देहान्त हो जाना हम सभी के लिये बड़े दुख की बात है।

आज हम उनके देहावसान पर हार्दिक दुख प्रकट करते हैं और परमात्मा से उनकी आत्मा की शांति के लिये प्रार्थी हैं और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिये आपके अनुग्रह के आकांक्षी हैं। इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यकर्ता जब उठ जाते हैं और सामाजिक क्षेत्र में जो कमी होती है वह जल्द पूरी नहीं होती क्योंकि बहुत दिनों तक कार्य करने के बाद तपे तपाये कार्यकर्ता बनते हैं। ऐसे कार्यकर्ता का इस तरह से उठ जाना केवल उनके परिवार वालों के लिये ही नहीं वरन् वह प्रदेश के और देश के समस्त सार्वजनिक और सामाजिक क्षेत्र की क्षति है। मैं अपनी और सदन की संवेदना उनके परिवार के प्रति प्रकट करता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि हमारी और इस सदन की भावनायें उनके परिवार वालों तक पहुंचाने की कृपा करें।

चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)—

अध्यक्ष महोदय, जो भावनायें अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने स्वर्गीय रूपनारायण जी के विषय में सदन के समक्ष रखी हैं मैं उन से अपने को सम्बद्ध करता हूं। वह मेरे व्यक्तिगत मित्र थे और जैसा कि बताया गया वह वाराणसी के रहने वाले थे।

एक बहुत गरीब परिवार से आकर उन्होंने शक्ति प्राप्त की और पार्लियामेंट के अन्दर और यू० पी० असेम्बली के अन्दर भी नुमाइन्दगी की। उनके बहुत से विचार थे, बहुत सी भावनायें थीं जो आगे उनसे उम्मीद थी कि वे कार्यरूप लेंगी। यह हमारे लिए दुख की बात है और समाज के लिये भी एक काफी क्षति है कि बीच में ही वह हमारे बीच में से कैन्सर के रोग से उठ गये हैं और जैसे कि यहां पर कहा गया है कि उनके सन्तप्त परिवार के लिये हमारी संवेदना पहुंचा दें। मैं उससे अपने को पूर्ण रूप से सम्बद्ध करता हूं। जहां तक दिवंगत आत्मा की बात है कि उसके लिये भी हमारी प्रार्थना है कि परमात्मा उन्हें शांति प्रदान करे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने स्वर्गीय श्री रूपनारायण जी के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं, भारतीय क्रांति दल की ओर से हम उन विचारों के साथ अपने को सम्बद्ध करते हैं और जो क्षति सार्वजनिक जीवन की श्री रूपनारायण जी के निधन से हुई है और उनके परिवार को जो क्षति पहुंची है, उसके लिये हमारी संवेदना तथा विचार पहुंचाने की कृपा करें। माननीय नेता सदन ने जो विचार रखे हैं उनको इस सदन की ओर से उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष जी, जो विचार माननीय नेता सदन ने व्यक्त किये हैं तथा माननीय विरोधी दल के नेता और क्रांति दल के नेता ने जो विचार व्यक्त किये हैं उससे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। ऐसे सार्वजनिक कार्यकर्ता के उठ जाने से हम सब दुखी हैं। परमात्मा से हमारी प्राथना है कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। हम उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते ह और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी संवेदना उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अन्नतराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, श्री रूपनारायण जी की असामयिक मृत्यु पर मेरे दल को बहुत दुःख है। उनकी सार्वजनिक सेवाओं को सराहते हुये मुख्य मन्त्री जी ने जो भावनायें व्यक्त की हैं मैं उनसे अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे विनती करता हूं कि आप हमारे इस संवेदना के सन्देश को संतप्त परिवार तक पहुंचा दें।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, माननीय रूपनारायण जी के बारे में माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जो अपनी भावनायें व्यक्त की हैं उससे मैं अपने व अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि संतप्त परिवार को हमारी ओर से संवेदना सन्देश भेज दें।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय स्वर्गीय श्री रूपनारायण जी के बारे में जो भावनायें नेता सदन और नेता विरोधी दल तथा अन्य पार्टियों के नेताओं ने व्यक्त की हैं मैं उसके प्रति अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके दुखी व संतप्त परिवार को हमारी संवेदना पहुंचा दें।

श्री अध्यक्ष—

स्वर्गीय श्री रूपनारायण जी के विषय में मृत्यु के बाद जो भावनायें इस सदन की ओर से नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त की हैं, उन भावनाओं के साथ मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। वैसे मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं था लेकिन उनके कार्यों के बारे में जरूर मैं पढ़ता व सुनता रहा। वे कर्मठ कार्यकर्ता व समाज-सेवी थ। उनकी मृत्यु से जो देश की हानि हुई है, मैं समझता हूं उसकी पूर्ति आसानी से नहीं हो सकेगी। ऐसे योग्य व कर्मठ कार्यकर्ता की मृत्यु पर जो हम लोगों को दुःख हुआ है और जो आप लोगों ने भावनायें व्यक्त की हैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हुआ उनको उनके परिवार के पास भेज दूंगा और अब हम उनकी आत्मा की शांति के लिये दो मिनट खड़े हो जायं।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

श्री लक्ष्मणस्वरूप की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

कल शाम को ५ बजकर ५ मिनट पर मेरे कार्यालय में यह सूचना आई है। यह श्री रमाशंकर मिश्र, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ ने भेजी है। इसमें लिखा है—"मुझे आपको यह सूचना देनी है कि विधान सभा के सदस्य श्री लक्ष्मणस्वरूप को भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत थाना हजरतगंज के पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार कर लिया है, तदनुसार श्री लक्ष्मण स्वरूप, सदस्य विधान सभा को जिला कारागार, लखनऊ में रखा गया है।"

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य को कल सुबह ११-१२ बजे गिरफ्तार किया गया और उसकी सूचना सायंकाल तक सदन को नहीं दी गई। माननीय सदस्य के साथ जेल में दुर्व्यवहार हुआ है, सी क्लास प्रिजनर का व्यवहार हुआ है। उनको और १,३०० जो व्यक्ति वहां पर थे जेल के अन्दर, न खाना दिया गया न पानी। माननीय

सदस्य को उस बैरेक में लिटाया गया जिसमें सब मेडिकल के मरीज थे और जिसमें एक पागल भी था। श्रीमन्, धारा १८८ के अन्दर जो गिरफ्तारी हुई है, वह बेलेबिल अफेंस है, क्यों नही उनकी जमानत ली गई उसी समय। मैं इन बातों पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

श्रीमन्, मैंने इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न दिया है। माननीय सदस्य जब यहां आ रहे थे तो उन्हें हाउस में आने से रोका गया।

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार का सवाल तो नम्बर ७ पर आएगा। अभी तो मैं सूचना दे रहा हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मेरे व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। सुबह ११–१२ बजे गिरफ्तारी हुई और शाम को सूचना दी गई।

श्री अध्यक्ष—

जब दफा १४४ लगती है और गिरफ्तारी होती है तो शाम तक खबर हमारे पास आ जाय, तो वह ठीक है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपकी नाक के नीचे गिरफ्तारी हो रही है और आपके पास सूचना नहीं आई।

श्री अध्यक्ष—

बाहर से दो रोज बाद आती है। यहां से शाम तक आ गई तो कोई बात नहीं है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

जो विशेषाधिकार का प्रश्न है वह तो अलग बात है। लेकिन स्वामी जी ने जो दुर्व्यवहार की बात कहीं है, वह अलग बात है।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस वक्त एक काम कर रहा हूं। जो सूचना आई वह सदन को दे दी। उस काम में दूसरी बात कैसे आएगी ?

श्री रियासत हुसैन—

किस वक्त आपको सूचना मिली यह तो एक अलग बात है, लेकिन जो जेल के अन्दर उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उस पर तो आपको स्वय जांच करनी चाहिये.....

श्री अध्यक्ष—

मुझे ताज्जुब है कि आप पुराने सदस्य होते हुए भी यह बात कह रहे है। जब मैं सूचना दे रहा हूं गिरफ्तारी की तो उस वक्त दूसरा सवाल पैदा नहीं होता है अभी तो मैंने सूचना दी। इसको आपको अलग से देना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्यों का विनियमन) अधिनियम, १९५८ में संशोधन हेतु याचिका

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। इसको आप देख लें। श्रीमती गांधी तो उनकी पत्नी हैं और पत्नी और पति कोई अलग नहीं हैं। अगर उनमें डाइवोर्स हो गया ही तो वे दें।

श्री अध्यक्ष—

वह डाइवोर्स करने वाले नहीं हैं।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्यों का विनियमन) अधिनियम, १९५८ में संशोधन सम्बन्धी श्री लालता प्रसाद वैश्य, ५६ पुराना किला, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के विचारार्थ उपस्थित करता हूं।

राज्य सरकार की सेवा में नियोजित कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु याचिका

श्री जगदीश गांधी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राज्य सरकार की सेवा में नियोजित कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु श्रीमती भारती गांधी, १२ स्टेशन रोड, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

विधान मण्डल के कर्मचारी वर्ग की सेवा की शर्तों और भर्ती के नियमों को विनियमित करने हेतु याचिका

श्री जगदीश गांधी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से विधान मंडल के कर्मचारी वर्ग की सेवा शर्तों और भर्ती के नियमों को विनियमित करने के हेतु श्रीमती भारती गांधी, १२ स्टेशन रोड, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के विचारार्थ उपस्थित करता हूं।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज विशेषाधिकार के ३ प्रश्न हैं। २ तो कल के हैं और आज का एक है जिसमें श्री लक्ष्मण स्वरूप की गिरफ्तारी की गई। कल वाले तो मैंने पोस्टपोन कर दिये थे। उनके बारे में नोटिस नहीं दी गई जो देना चाहिये था। उस विषय में स्पष्ट ही लिखा हुआ है समय कोई निर्धारित नहीं होता। जिस वक्त कोई गिरफ्तार होता है तो मैजिस्ट्रेट जांच करता है कि किस धारा में उसको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद फौरन ही उनको चाहिये कि वह यहां सूचना भेज दें। जब यह सूचना मेरे पास आई उस समय मैं सदन में बठा हुआ था इसलिये वह मेरे आफिस में आई। यहां से उठने के बाद वह मुझे मिली। इसलिये कल मैंने उसको एनाउन्स करने का मौका नहीं पाया और आज उसको एनाउन्स किया। अगर वह छूट जाते तब तो इसको एनाउन्स करने की जरूरत नहीं थी। अब यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है या नहीं यह तय करना है।

पंचायत मंत्रियों की मांगों के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मन्त्री एक वक्तव्य देने वाले थे पहले वह दे दें तो अच्छा हो।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

आपकी आज्ञा से सामुदायिक विकास मन्त्री उसको पढ़ दें उसके बाद बातचीत होगी। सदन को उसकी जानकारी करवाना आवश्यक है।]

सामुदायिक विकास राज मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

इस प्रदेश में कुल ८,७९२ पंचायत मंत्रियों के पद हैं। ये पंचायत मंत्री उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम के अन्तगत जिला परिषद एवं क्षेत्र समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। परिषद् इनकी नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युति करने की अधिकारी है, क्षेत्र समितियां इनको छुट्टी देने, स्थानान्तरित करने तथा इन पर अनुशासनिक कार्यवाही करने का अधिकार रखती है। इस प्रकार यह सर्वथा पंचायती राज संस्थाओं के वेतन-भोगी कर्मचारी हैं।

२—प्रारम्भ में इनका वेतन-क्रम ५०—७५ रुपये था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इनके पदों को एक नवीन वेतन-क्रम ७५—११५ रुपये में रखने का निर्णय लिया गया था। १—४—१९६९ से १७६० पंचायत मंत्रियों के पदों को तथा १—३—१९७० से ७०३२ पदों को इस नये वेतन-क्रम में रखा गया। तब से प्रदेश के सभी पंचायत मंत्री यही वेतन-क्रम पा रहे हैं और इनको नियमानुसार वेतन वृद्धि भी दी गई है।

३—वर्ष १९६९—७० के पूर्व पंचायत मंत्रियों के महंगाई भत्ते की दर केवल १२—५० रुपये थी। इसका आधा भाग शासन वहन करता था, बाकी गांव सभायें देती थीं। जब नया वेतन-क्रम लागू किया गया तो महंगाई भत्ते की दर ३७—५० रुपय कर दी गई। इसका आधा अंश शासन के जिम्में है।

४—प्रारम्भ से ही यह विचारधारा रही है कि पंचायती राज संस्थायें अपने कर्मचारियों का वेतन स्वयं देने में समर्थ हो जांय। किन्तु पंचायतें आर्थिक दृष्टि से इतनी सम्पन्न नहीं हो सकीं कि वे पंचायत मंत्रियों क वतन का पूरा बोझ सम्भाल सकें। इसलिये शासन वेतन का पूरा हिस्सा और महंगाई भत्ते का आधा हिस्सा वहन करता आया ह। पुराने वेतन-क्रम और महंगाई भत्ते को देने में ही ७८ लाख २७ हजार रुपया प्रतिवर्ष खर्च करना पड़ रहा था। १९६९—७० में जब २० प्रतिशत पद नये वेतन-क्रम (७५—११५) में रखे गये थे तो यह खर्च बढ़कर ८३,१०,००० रुपया हो गया। वर्ष १९७१—७२ में पंचायत मंत्रियों के वेतन व महंगाई भत्ते के ही भुगतान के लिये शासन को १,१४,४५,००० रुपया व्यय करना पड़ेगा

५—पंचायत मंत्री संघ की मुख्य मांग यह रही है कि पंचायत मंत्रियों को राजकीय कर्मचारी घोषित किया जाय। इसके अतिरिक्त वे निम्न मांगें भी करते रहे हैं :—

(१) पंचायत मंत्री का वेतन कम से कम १२०—२२० रुपया हो।

(२) पंचायत मंत्रियों को योग्यता एवं ज्येष्ठता के आधार पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायतें) के पद पर पदोन्नत किया जाय।

(३) पंचायत मंत्रियों को पुरानी सेवाओं का लाभ देते हुए स्थायी किया जाय।

(४) उनको सरकारी कर्मचारियों की सभी सुविधायें प्रदान की जांय।

(५) पंचायती राज विभाग को सामुदायिक विभाग से प्रथक एंव सर्वोपरि कर दिया जाय।

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

६--अब उन्होंने कुछ पूरक मांगें की हैं। एक तो यह कि सभी पंचायत मंत्रियों को १-४-१९६९ से ७५-११५ का वेतन-क्रम दिया जाय, दूसरे यह कि सरकारी कर्मचारियों को संशोधित वेतन मान देते समय जो तरीका पहले अपनाया गया था उसी के अनुसार पंचायत मंत्रियों को भी नया वेतन मान दिया जाय और देय राशियों का भुगतान किया जाय और तीसरे उन्होंने शासकीय कोष से ५६ रु० का महंगाई भत्ता देने की मांग की है। शासकीय कोष से ही वे एक अन्तरिम सहायता भी २५ रुपय की मांग रहे हैं।

७--जैसा कि पहले कहा गया है पंचायत मंत्री उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यवस्था में हैं। उनको राजकीय कर्मचारी घोषित करन क पूव उक्त अधिनियम को संशोधित करना आवश्यक होगा। पहले भी पंचायत मंत्री संघ ने शासन के समक्ष सरकारी कर्मचारी घोषित किये जान की मांग रखी थी और बाद में १९६६ और फिर १९६७ में इस मांग पर विचार करके अस्वीकृत किया जा चुका था। यदि पचायत मंत्रियों का वेतन-क्रम १२०-२२० के वेतन क्रम में रखा जाय तो तत्काल १,०२,८७,००० रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ेगी। सरकार को इसके लिये साधन जुटाने की बात सोचनी पड़ेगी। फिर पंचायत मंत्रियों का प्रश्न कोई अकेला है भी नहीं। इसी स्तर क अन्य कर्मचारी भी जिनकी योग्यता इनके समक्ष है या इनसे अधिक है ऐसी ही मांग कर सकते हैं।

८--प्रदेश सरकार के कर्मचारियों एवं स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन मानों के सम्बन्ध में विचार करने के लिये वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है। नये वेतन क्रमों को लागू करने और एक ही स्तर के विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों के लिये उचित वेतन मान निर्धारित करने में वेतन आयोग की राय उपयोगी होगी। अतः शासन यह स्वभावतः चाहेगा कि व्यापक हित में वेतन आयोग को इस मामलें में भी विचार करने का अवसर मिले।

९--पंचायत मंत्री इस समय भी सहायक विकास अधिकारी (पं०) के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्राप्त कर रहे हैं। सहायक विकास अधिकारी (पं०) पदों की तीन चौथाई रिक्तियां पंचायत मंत्रियों में से ही पदोन्नत द्वारा भरी जाती हैं और ग्राम सेवक शेष एक चौथाई रिक्तियों के लिये चुने जाते हैं। इसके अलावा पंचायत मंत्री, ग्राम सेवक के पद पर भी पदोन्नति पाते ह। इस तरह से पंचायत मंत्री जो उनका पदोन्नति का कोटा है, उससे कहीं अधिक नियुक्ति पा जाते हैं। उनकी अन्य मांगें सरकारी कर्मचारी घोषित हो जाने से सम्बन्धित हैं और इस विषय में मैं पहले ही कह चुका हूं कि सभी पहलुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है।

१०--गत २२ अप्रैल को पंचायत मंत्री संघ के प्रतिनिधि तत्कालीन पंचायत राज मंत्री जी से मिले थ। उस समय भी पंचायत मंत्री हड़ताल पर थे और मंत्री जी ने यह उनसे स्पष्ट कहा था कि वे अपना आन्दोलन वापिस ल और शासन उनकी मांगों के विषय में विचार करेगा। संघ क प्रतिनिधियों न अपना आन्दोलन वापिस करने का आइवासन तो दिया किन्तु उसका पालन नहीं किया। व पिछले चार महीनों से हड़ताल पर हैं जिससे पंचायतों के कार्य में बड़ी क्षति पहुंची है। मैंने स्वयं उनके प्रतिनिधियों को ११-७-१९७१ को मिलने के लिय बुलाया था और उनसे वार्ता की। मैंने उन्हें बताया था कि उनकी मांगों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। और शीघ्र ही सहानभूति पूर्वक निर्णय लिये जाने की सम्भावना भी है। उनक प्रतिनिधियों से यह भी तय हुआ था कि १२-७-१९७१ को २.३० बजे जिला परिषद् हाल, लखनऊ में जिलों से आये हुए समस्त पंचायत मंत्रियों से मैं स्वयं वार्ता करूंगा और उनकी बात सुनूंगा। प्रतिनिधियों ने भी मुझे आइवासन दिया था कि वे अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर आन्दोलन वापिस करने का निर्णय लेंगे और प्रातः काल ८ बजे तक सूचित भी करेंगे। मैं इस सूचना की प्रतीक्षा ही करता रह गया और स्थानीय अधिकारियों ने जिला

परिषद् हाल में बैठक की व्यवस्था भी पूरी कर ली थी। खेद है कि फिर भी संघ के प्रतिनिधियों न आन्दोलन को जारी रखन का ही निणय लिया है ।

११—शासन पंचायत मंत्रियों की मांगों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में तय करने का इच्छुक है किन्तु पंचायत मंत्री संघ का सहयोग हमें नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि जो भी निर्णय लिया जाय वह उचित हो और सबके हित में हो। ऐसा निर्णय न तो संघर्ष के वातावरण में लिया जा सकता है और न जल्दी में। वित्तीय साधनों पर विचार के उपरान्त ही पंचायत मंत्रियों की मांग पर निर्णय हो सकता है। इसलिये पंचायत मंत्री संघ को अपना आन्दोलन तत्काल वापिस ले लेना चाहिये और पंचायत मंत्रियों को अपने-अपने काम पर वापिस जाना चाहिये। फिर हम से और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से मिल कर अपनी कठिनाइयों का हल निकालना चाहिये। शासन की निश्चित नीति है कि स्टाफ के समस्त झगड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में तय किये जाने चाहिये और इस मामले में भी हमारी नीति यही है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, वक्तव्य की प्रतिलिपि तो हमको मिलनी चाहिये ।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, अगर आप अनुमति दें तो आफटर नून में इसकी प्रतिलिपि बंटवा दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

वह आप बंटवा दें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

हम यह चाहते हैं पहले हम लोगों के विचार सुन लिये जायें फिर माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहें।

श्री अध्यक्ष—

आप इसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण चाहें तो पूछ सकते हैं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, सामुदायिक विकास मंत्री जी ने अभी जो वक्तव्य दिया है वह बहुत विस्तृत है, उसमें सारी बातों का उल्लेख है और सरकार इस संबंध में क्या नीति बरतना चाहती है उसकी ओर भी उसमें संकेत हैं। पंचायत मंत्रियों का यह प्रश्न आज का नहीं है, न केवल इस नयी सरकार के सामने ही यह मसला आया है। सन् ६७ से ही इस विषय पर वादविवाद होता रहा है। कई सरकारें बनीं और बदलीं, हर सरकार के सामने यह प्रश्न आया और हर सरकार ने उसे अस्वीकृत किया। अब यह नयी सरकार बनी है, इसके सामने भी यह मसला आया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न ऐसा है कि उस पर विचार करने के लिये हमको कुछ अवसर मिलना चाहिये। उनकी कई मांगे ऐसी हैं कि जिनके ऊपर मेरी व्यक्तिगत रूप से सहानुभूति है। कई मांगे ऐसी हैं कि जो, यदि मौलिक प्रश्न हल हो जाय तो वे अपने आप हल हो जायेंगी।

उनका वित्तीय प्रभाव बड़ा भारी पड़ने वाला है। सहसा उनके सम्बन्ध में निर्णय ले लेना सरकार के लिये कठिन है तब तक जब तक कि उसको कुछ अवसर न मिल जाये। हम उस विषय पर विचार कर रहे हैं और हमारी सहानुभूति भी है। लेकिन जब तक हम

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

उन पर विचार न कर लें कोई घोषणा करना हमारे लिये सम्भव नहीं है। जब पंचायत मंत्री यहां आये तो मैंने सामुदायिक विकास मंत्री जी से कहा कि आप उनसे बात कीजिये और उनसे व्यक्तिगत रूप से यह अपील भी कीजिये कि वे इस संबंध में कोई आन्दोलन न करें और कोई संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न करें। कई विषयों पर हम विचार करके फैसला लेते आये हैं जैसे इलेक्ट्रासिटी बोर्ड का मसला था जिसमें वर्कचार्ज कर्मचारियों का भी प्रश्न था, हमने उसे हल किया। हम यह समझते हैं कि न्यायोचित मांगों को मानना चाहिये और यदि उसके कारण कुछ बोझ भी सरकार पर आ पड़े तो सरकार को उसके लिये अन्य साधनों को ढूंढ़ना चाहिये।

मुझे तो यह सूचना मिली कि जब माननीय सामुदायिक विकास मंत्री जी ने उन लोगों से बात की तो वे इसके लिये मान गये। यह तय भी हुआ था कि कल ढाई बजे जिला परिषद् हाल में उनकी बठक होगी जिसमें सामुदायिक विकास मंत्रा जी जायेंगे, तथा पंचायत राज का वरिष्ठ अधिकारी भी व हां जायेंगे। बातचीत होने के बादवह अपने अपने स्थानों पर चले जायेंगे। उनकी सारी बातें हम सुन लेंगे। फिर जल्दी से जल्दी इस विषय में निर्णय करने की चेष्टा करेंगे। मुझे यह सूचना दी गयी कि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया, मुझे प्रसन्नता भी हुई कि यह बात तय हो गयी कि कल यानी १२ तारीख के लिए।

मैंने अपने विभाग के मंत्री जी से यह अनुरोध किया कि वह स्वयं उस मीटिंग में जायं। केवल अधिकारियों के जाने की आवश्यकता नहीं। वह उनकी बात सुनें और इस सम्बन्ध में रिपोर्ट करें ताकि जल्दी से जल्दी विचार करके फैसला कर सकें। यहां सदन में बैठे-बैठे सूचना मिली कि उन्होंने जो, आश्वासन तो मैं नहीं कह सकता, एक संकेत मिला था, शायद इस बात को मंजूर कर लिया था, यह कहना कि आश्वासन देकर गये थे यह कहना गलत होगा, यह संकेत दिया था कि इसी के अनुसार काम करेंगे। इसके विपरीत उन्होंने जलूस निकाला, धारा १४४ को तोड़ कर निकाला। उसमें कई सौ आदमी गिरफ्तार हुए। मुझे खेद है कि यह परिस्थिति अकारण उत्पन्न की गयी जब हम पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार थे कि हम उनकी बातों पर सहानुभूति- पूर्वक विचार करके निर्णय करना चाहते हैं और निर्णय एकतरफा नहीं करना चाहते हैं, उनसे बात करके, सारे प्रश्नों को सामने रखकर इस ढंग से विचार करें जिससे कोई तथ्य निकल सके। तो इस बात की आवश्यकता नहीं थी इस प्रकार कानून को तोड़ कर आन्दोलन का सृर्जन करते।

जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उस समय इसके सिवाय कोई चारा नहीं था कि जब कानून तोड़ा गया तो वह कदम उठाएं। मैं आपके द्वारा अपनी ओर से और विरोधी दल के तमाम साथियों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे हमारी इसमें सहायता करें। पंचायत मंत्री अपने-अपने काम पर चले जायं। मैंने मांग पढ़ कर सुनायीं। विचार करने की मांग है, सहानुभूति-पूर्वक विचार करने की मांग है, न्याय की दृष्टि से विचार करने क मांग है। उन पर शीघ्र से शीघ्र विचार करके निर्णय लेकर हम घोषणा करेंगे। वे ऐसा वातावरण उत्पन्न करने में सहायक हों जिस में शान्ति के साथ विचार किया जा सके। उनसे भी सलाह मशविरा किया जायगा। उनके प्रतिनिधियों से मिल कर कोई निर्णय लिया जायगा, तो हमारे लिए भी और उनके लिए भी अत्यन्त हितकर होगा।

मैं पुनः आपके माध्यम से उन तमाम पंचायत राज मंत्रियों और यहां के साथियों को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार इस विषय में शीघ्र से शीघ्र विचार करेगी और उनसे भी राय मशविरा करके कोई न कोई निर्णय लेगी। आज इस प्रकार के संघर्ष के वातावरण को खत्म करके अपने स्थानों पर जायं क्योंकि जब कानून की अवहेलना होगी तो वातावरण दूषित होगा, शासन द्वारा जो कार्यवाही होती है उससे व्यर्थ की कटुता बढ़ती है और जो आवश्यक और मुख्य बातें हैं उन पर विचार करने का अवसर नहीं मिलता।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने आश्वासन दिया सदन को एक सौहार्द्रपूर्ण वातावरण तैयार करने के लिए जिसके अन्दर दोनों पक्षों के बीच बैठकर बातचीत हो जाय। उस वाताबरण को तैयार करने के लिए क्या सरकार तैयार है कि जितने लोग बन्दी बनाये गये हैं उनको तुरन्त छोड़कर एक सामान्य मांग इंटरिम रिलीफ की मांग या कोई सामान्य मांग मान लें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैंने आपसे निवेदन किया कि जब तक घेराव की नीति चलती हो, कानून तोड़ने की नीति चलती हो तब तक विचार करने के लिए वातावरण उत्पन्न नहीं होता। वह अपने-अपने काम पर जायं। हम इस बात पर विचार करेंगे, जल्द से जल्द उनकी मांगों पर पूरी तरह से गौर करने के बाद कोई शीघ्र निर्णय लें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उन गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सिर्फ एक लाइन की घोषणा करेगी कि उनको सरकारी कर्मचारी मान लिया जायेगा और उसके बाद उन लोगों की अन्य मांगों पर विचार किया जायेगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह बिना किसी विचार के और बिना किसी तथ्यों को देखे अविचारपूर्ण घोषणा मैं समझता हूं कि माननीय कल्पनाथ सिंह जी नहीं करना चाहेंगे। जहां तक गिरफ्तारियों का प्रश्न है, मुझे यह पता नहीं है कि कितने लोग पकड़े गये हैं, कितने लोग जेलों में हैं और उनकी इस समय क्या स्थिति है। हमें कोई शौक नहीं है कि हम उनको जेलों में रखें। मैं इसे देखूंगा और बात करूंगा।

श्री गोविन्दसिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, इस बात को देखते हुये ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने विरोधी दल के माननीय सदस्यों का भी स्वागत किया है, कि इस मसले को हल करके और वे लोग अपने काम पर वापस जायं, वे विरोधी दल की इस अपील को भी स्वीकार करेंगे कि एक सौहार्द्रपूर्ण वातावरण लाने के लिये उनके मुकदमे अविलम्ब वापस लिये जायं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं अवश्य तत्काल इस प्रश्न को देखूंगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो उन लोगों की यह मांग है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाय तो इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके ही घोषणा की जाय, कहीं उनके विरोध में तो नहीं है.....

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बात यह है कि जिन कारणों से पहले की सरकारों ने उसे अस्वीकार किया था, उन्हें भी हमको देखना है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन पंचायत मंत्रियों की मांगें उनको सर्वप्रथम कब मिली और जब बजट तैयार होने लगा तो उस समय उनकी इन मांगों पर क्यों विचार नहीं किया गया।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

कब मिली, यह तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास....

(व्यवधान)

आप बैठ जायं। जब आप खड़े होते हैं तो मैं बैठ जाता हूं और जब मैं खड़ा होता हूं तो आप बैठे रहें।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

अध्यक्ष महोदय, वे इन्फार्मेशन दे रहे हैं कि उनको यह मांगें कब मिलीं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यह मांगें पहले से ही जब आप लोगों की सरकार थी, उस समय आई थीं। वही मांगें हमारे सामने भी आई हैं। यह बात ठीक है कि हर मसले पर बजट के समय विचार नहीं किया जा सका। बहुत से ऐसे मसले हैं जो बजट के बाद भी विचार करने के हैं। उनमें से एक मसला इन पंचायत मंत्रियों का भी है और उस पर हम लोग शीघ्र विचार करने जा रहे हैं।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वे इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कौन-कौन सी मांगें हैं जिनके ऊपर इन्होंने सहानुभूति दिखाई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

बात यह है कि मैं भी माननीय दीपनारायण मणि त्रिपाठी जी की तरह ही एक बहुत ही छोटा सार्वजनिक कार्यकर्ता हूं। कोई भी मांग ऐसी नहीं जिसका कि मुझे ज्ञान न हो।

श्री कल्याणसिंह (जिला अलीगढ़)---

यह जो वेतन आयोग राज्य सरकार ने गठित किया है क्या उसमें इन पंचायत मंत्रियों की मांगों पर संस्तुति देने हेतु उनको शामिल किया गया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जी हां, उनकी मांगें भी अवश्य शामिल रहेंगी।

श्री अध्यक्ष---

अब इसको समाप्त किया जाय।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हम जल्दी से जल्दी निर्णय लेंगे तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इसी ३१ जुलाई तक ही आप निर्णय ले लेंगे या उसके बाद?

श्री अध्यक्ष---

यह कोई सवाल नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

ऐसे मामलों में तारीख तो निश्चित नहीं हो सकती। पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात पर भी विचार करेंगे कि विरोधी पक्ष और अन्य सदस्यों की एक समिति इस विषय में बनायेंगे जो अपना प्रतिवेदन एक हफ्ते के अन्दर दे ?

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)—

क्या जब संविद सरकार थी तो उसने पंचायत मंत्रियों के मसले पर कोई विचार किया था और क्या किया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कमेटी बनाने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन विरोधी दल के अपने साथियों के मत से, अपना मन स्थिर होने पर, किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले अवश्य बातचीत करके अवगत हो जाना चाहता हूं।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि पिछली सरकारों के पास जब पंचायत मंत्रियों का मामला आया था तो उन्होंने उस पर क्या कार्यवाही की थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उनकी सब मांगें नामंजूर कर दी गयी थीं।

(माननीय कृष्णानन्द राय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं चार बार खड़ा हुआ और आपने मुझे एक बार भी बोलने की आज्ञा नहीं दी और माननीय कृष्णानन्दराय जी एक बार ही खड़े हुए और उनको आज्ञा दे दी। कुछ लोग ऐसे हैं जो अनुशासन में रह कर बिना आपके कहे हुए नहीं बोलते, उनको मौका नहीं मिलता और जो बिना आज्ञा के बोलने के लिये खड़े हो जाते हैं, उनको मौका मिल जाया करता है।

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि धारा १४४ जिला अधिकारियों ने कब लगायी ? क्या यह सही है कि धारा १४४ की सूचना पंचायत मंत्रियों को नहीं थी, वे तो शांतिपूर्वक अपना जलूस निकाल रहे थे, उनको तत्काल ही धारा १४४ लगा कर गिरफ्तार कर लिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दफा १४४ कब, कहां, किस समय लगायी जाती है, उसकी पूरी सूचना हर समय सरकार के पास नहीं आती है। वह जिलाधीश का काम है। वे जहां आवश्यकता समझते हैं वहां १४४ लगाते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय शिवकुमार पांडेय ने एक प्रश्न पूछा था कि संविद सरकार के सम्मुख जब यह प्रश्न आया था तो उन्होंने इस पर क्या कार्यवाही की थी, उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया कि कोई कार्यवाही नहीं की, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि संविद सरकार ने यह फैसला किया था कि स्व यत्त शासन कर्मचारियों की भांति उनको ८ रुपये सरकार की तरफ से दिया जाय लेकिन इस सरकार ने उनको केवल ४ रुपये ही दिया है और ४ रुपये की जिम्मेदारी पंचायतों पर डाल दी है ? क्या यह बात सही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

माननीय सदस्य इसका अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर दें, मैं इसका उत्तर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं इसको बन्द करता हूं।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रश्न पूछ लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

पूछ लीजिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह कह दिया था कि पंचायत मन्त्री अपने घर चले जायं और उनकी मांगों पर वे विचार करेंगे। एक बार मैंने भी प्रश्न किया था कि क्या वे तुरन्त घोषणा करने के लिये तैयार हैं। लेकिन वे इस प्रश्न को बराबर टालते जा रहे हैं। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि अच्छा शांतिपूर्ण वातावरण बनाने के लिये वे तुरन्त इस बात की घोषणा कर दें कि वे गिरफ्तारशुदा लोगों को तुरन्त रिहा कर देंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि मैं इस प्रश्न को अभी देखूंगा तब उस पर फैसला कर दूंगा। जरा मुझे सदन से बाहर तो जाने की छुट्टी दीजिये।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)—

क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि पंचायत मन्त्रियों को ७५–११५ का वेतन क्रम कब दिया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह प्रश्न ऐसे हैं जिनके लिये माननीय सदस्य प्रश्न कर सकते हैं और सरकार उनका उत्तर देगी।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो लोग गिरफ्तार किये गये हैं उनको वे तुरन्त छोड़ने के लिये तैयार हैं और उनके प्रतिनिधियों को वार्तालाप करने के लिये बुलाया जाय और इस मामले को जल्द से जल्द तय किया जाय?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मेरी मंशा वही है जो आपकी है।

श्री महीलाल—

क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि हमारे दल के सदस्य माननीय लक्ष्मण स्वरूप के साथ जो व्यवहार हुआ है और जिन्होंने किया है उनको जांच के बाद उचित दण्ड दिया जायेगा? समय पर दफा १४४ की सूचना नहीं दी और उनको पागल के साथ रखा गया। उसने

वो आदमियों के ऊपर पेशाब कर दिया। ऐसे स्थान पर रखा गया तथा इस तरह की उपेक्षा उनके साथ बरती गई। इसके सम्बन्ध में क्या मुख्य मन्त्री जी जांच करायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यदि कोई ऐसी अनुचित कार्यवाही किसी बन्दी के साथ की गई है जिसका माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं। (व्यवधान) विधायक भी उस समय गिरफ्तार हुये थे और उस समय वे जेल में थे। मैं कहता हूं कि विधायक तो बहुत बड़ी चीज है यदि किसी बन्दी के साथ ऐसी कार्यवाही की जाय और उसकी सूचना मिले तो शासन का कर्त्तव्य है कि उसकी जांच कराये और जिसने ऐसा काम किया है उसको सख्त दण्ड दे।

श्री बांकेलाल—

उनको तत्काल राज्य कर्मचारी होने की घोषणा करें।

(व्यवधान)

९ मार्च, १९७० के तारांकित प्रश्न संख्या १ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

राज्य श्रम मंत्री (श्री गनेशदत्त बाजपेयी)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक ९ मार्च को सर्वश्री मो० असरार अहमद तथा राम गोपाल सण्ड द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १ के सम्बन्ध में श्री असरार अहमद ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि "फिर यह सीटें हर साल क्यों बढ़ाई गईं जबकि विद्यार्थी पढ़ने को नहीं आते हैं।"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद कोई और सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है "वर्ष १९६७-६८ के बाद कोई और सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं।"

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

विधान सभा के प्रथम सत्र (१९७०) के २रे सोमवार के लिये निर्धारित।

(सर्वश्री मो० असरार अहमद तथा राम गोपाल सण्ड द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर)

प्रश्न	उत्तर
१—क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस समय कितने आई० टी०आई० विद्यालय हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं ? विद्यालयों के खुलने के समय कितने स्थान विभिन्न ट्रेडों में थे एवं अब कितने हैं ?	उत्तर प्रदेश में इस समय ५० आई०टी० आई० हैं। इनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इन विद्यालयों में खुलने के समय विभिन्न ट्रेडों में ६,९०८ स्थान थे और अब २३,७१२ स्थान हैं।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७० पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष--

एक प्रस्ताव आया है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७० पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि ७ जून, १९७१ तक थी किन्तु समिति इस अवधि में किन्हीं कारणों-वश अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकी, अतः इस विधेयक पर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि ५ मास तक और बढ़ा दी जाय।

अब इस पर मैं सदन की राय ले लेता हूं।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में एक संशोधन रखा गया था और माननीय मन्त्री जी द्वारा वह संशोधन स्वीकार किया जा चुका था। सदन की कार्यवाही में यह मौजूद है, इसे कार्यवाही से देख लिया जाय। फिर आज सदन से इस संशोधन पर स्वीकृति मांगी जा रही है।

श्री अध्यक्ष--

(खाद्य मन्त्री से) क्या आपने इसको सदन में स्वीकार कर लिया था कि दो महीने का समय बढ़ाया जाय?

खाद्य तथा रसद मन्त्री (श्री बेनीसिंह)--

दो महीने की बात जब आई तो हिसाब लगाने से मालूम हुआ कि दो महीने में यह काम पूरा नहीं हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष--

अगर आपने इसको पहले मान लिया है तब तो दोबारा इसको समय पूरा होने पर आपको सदन में लाना पड़ेगा कि इतने समय में काम पूरा न हो पाया इसलिये इतना समय और दिया जाय। जब दो महीने का समय खत्म होगा तो फिर आपको दोबारा लाने के लिए कवायद करनी पड़ेगी।

श्री बेनीसिंह--

मैंने बातचीत कर ली है, वे राजी हो गये हैं कि ४ महीने का समय कर दिया जाय तो काम पूरा हो जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह--

श्रीमन्, प्रश्न वैधानिक है। यहां एक संशोधन रखा गया था।

श्री अध्यक्ष--

अगर आपने बातचीत की है तो ठीक है। मेरा खुद का अपना आबजरवेशन था कि अगस्त तक यह काम पूरा नहीं हो सकेगा।

---

*१२ जुलाई, १९७१ की कार्यवाही से।

श्री गोविन्द सिंह—

मान्यवर, निवेदन है कि प्रस्तावक महोदय ने यहां एक संशोधन पेश किया था और सदन की कार्यवाही मे वह चीज मौजूद है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, कल मैंने एक संशोधन दिया था २ महीने के लिये मुझे बतलाया गया कि इसमें कठिनाई है। फिर तीन महीने की बात चली। मेरा निवेदन है कि रेंट कन्ट्रोल विधेयक के लाने में इतना विलम्ब हो गया है कि अब अधिक विलम्ब करना ठीक नहीं होगा। उस सम्बन्ध में प्रवर समिति का काम करीब-करीब समाप्त हो चुका है। केवल फिनिशिंग टच देना बाकी है।

श्री बेनीसिंह—

अगर ४ महीने हो जाय तो जल्दी काम समाप्त हो जाने पर उसे जल्दी ही पेश कर दूंगा। उसे हाउस के सामने लाने में कोई देर न होगी। और इसके लिये हमें हाउस के सामने बार-बार आना नहीं पड़ेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस आश्वासन के साथ कि बार-बार नहीं आना पड़ेगा ४ महीने का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७० पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि ७ जून, १९७१ तक थी किन्तु समिति इस अवधि में किन्हीं कारणों वश अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकी, अतः इस विधेयक पर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि ४ मास तक और बढ़ा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९७१-७२ का द्वितीय लेखानुदान का प्रस्ताव

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन्। आप मेहरबानी करके इस बिल को रखवा दीजिये और उस पर बहस करवा दीजिये। हमने व्यवस्था की बात आपके सामने रखी है, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

उसको बाद में लिया जायगा। देखिये आज फिर बहस होनी है।

अब अतिवृष्टि से कई जिलों में किसानों के अनाज आदि जो सड़ गये हैं उन पर यहां चर्चा होगी।

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी के प्रस्ताव के अनुसार अब वोट आन एकाउन्ट का प्रस्ताव लिया जायगा।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

श्रीमन्, मिर्जापुर में बाढ़ के कारण गंगा नदी में एक नाव उलट गई जिसमें २०-२५ आदमी मर गये। वह भी एक बार ही नहीं, दो दो बार और मिर्जापुर जिले में सोन नदी में भी इस तरह की दुर्घटना हुई बाढ़ के कारण।

(व्यवधान)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं माननीय सदस्य गाजीपुर से अनुरोध करूंगा···

श्री कृष्णानन्द राय—

मुझे अध्यक्ष जी ने आज्ञा दी है। वोट आन एकाउन्ट पर हम कोई बहस थोड़े ही करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह प्रश्नोत्तर के बाद लिया जायगा ऐसा प्रस्ताव है बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी का।

श्री अध्यक्ष—

कृष्णानन्द राय जी के सुझाव पर १२ और १३ जुलाई·····

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं तो चर्चा शुरू करने जा रहा हूं, मुझे आज्ञा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

प्रदेश में असामयिक वर्षा के कारण खाद्यान्नों के खराब होने·····

श्री कृष्णानन्द राय—

आपने आज्ञा दी है और हमने उस विवाद को आरम्भ कर भी दिया है।

श्री अध्यक्ष—

१३ जुलाई को प्रश्नोत्तर के बाद आयेगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

लेखानुदान तो बाद में है। उस पर हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। वह तो पास होगा ही चाहे अभी ले लीजिये चाहे शाम को ले लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष—

यह तय हुआ था कि प्रश्नोत्तर के बाद लेखानुदान का संकल्प तथा विनियोग विधेयक लिये जायेंगे और उसके ऊपर कोई बहस नहीं होगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि १६७१-७२ में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान के विवरण में, जो १२ जुलाई, १६७१ को सदन में प्रस्तुत किया गया, पृष्ठ १–३ पर अंकित अनसूची में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये अगस्त, १६७१ के महीने में राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो ५५,४६,६२,००० रुपये से अधिक न हो।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि १९७१-७२ में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान के विवरण में, जो १२ जुलाई, १९७१ को सदन में प्रस्तुत किया गया, पृष्ठ १–३ पर अंकित अनुसूची में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये अगस्त, १९७१ के महीने में राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो ५५,४६,६२,००० रुपये से अधिक न हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, १९७१

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानदान) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, १९७१ पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ रुक कर)

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, १९७१ पर विचार किया जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

विधेयक तो मिला नहीं है विचार किस पर होगा ?

श्री अध्यक्ष—

वह डिस्ट्रीब्यूट हो गया है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, १९७१ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २, ३, अनसूची, खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, १९७१

१ अप्रैल, १९७१ को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिए राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिए,

विधेयक]

भारतीय गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षक

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) अधिनियम, १९७१ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष १९७१-७२ के लिये ७३,७८,२७,००० रु० का दिया जाना

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए, जो १ अप्रैल, १९७१ को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के लिखित में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना धन निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग ७३,७८,२७,०००रु० (तिहत्तर करोड़, अठहत्तर लाख, सत्ताइस हजार) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें २ व ३ देखिये)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
१	२		३	
		रु०	रु०	रु०
१	वृहत् जोत कर ..	.. ३४,०००	१,०००	३५,०००
२	भू-राजस्व ..	.. १,१४,४३,०००	२,०००	१,१४,४५,०००
३	राज्य आबकारी	.. ५,०७,०००	१,०००	५,०८,०००
४	बिक्री-कर ..	.. ११,२६,०००	१,०००	११,२७,०००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
१	२		३	
		रु०	रु०	रु०
५	अन्य कर और शुल्क ..	२,०१,०००	१,०००	२,०२,०००
६	स्टाम्प ..	१,७९,०००	१,०००	१,८०,०००
७	निबन्धन ..	३,२४,०००	१,०००	३,२५,०००
८	राज्य विधान मंडल ..	६,१२,०००	७,०००	६,१९,०००
९	निर्वाचन ..	९,१५,०००	..	९,१५,०००
१०	सामान्य प्रशासन ..	३१,९३,०००	१,७९,०००	३३,७२,०००
११	आयुक्त (कमिश्नर) और जिला प्रशासन ..	१,१४,१५,०००	१,०००	१,१४,१६,०००
१२	गांव सभाएं और पंचायतें ..	१८,७६,०००	१,०००	१८,७७,०००
१३	न्याय प्रशासन ..	३०,५२,०००	५,७२,०००	३६,२ ,०००
१४	कारागार (जेल) ..	२९,१२,०००	१,०००	२९,१३,०००
१५	पुलिस ..	२,३२,५३,०००	१,०००	२,३२,५४,०००
१६	खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन	१२,७८,०००	६,०००	१२,८४,०००
१७	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य	२,८३,०००	१,०००	२,८४,०००
१८	शिक्षा	७,५१,४३,०००	१,०००	७,५१,४४,०००
१९	चिकित्सा	१,३७,८०,०००	१,०००	१,३७,८१,०००
२०	सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	१,५०,६३,०००	१,०००	१,५०,६४,०००
२१	कृषि संबंधी विकास ..	१,६२,७६,०००	९,०००	१,६२,८५,०००
२२	उपनिवेशन	३,०००	१,०००	४,०००
२३	पशुपालन तथा मत्स्यपालन ..	५६,२०,०००	१,०००	५६,२१,०००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२		३	
		रु०	रु०	रु०
२४	सहकारिता	२३,३०,०००	१,०००	२३,३१,०००
२५	उद्योग	१,४३,२७,०००	१,०००	१,४३,२८,०००
२६	नियोजन और समन्वय ..	१,३०,४३,०००	१,०००	१,३०,४४,०००
२७	श्रम तथा सेवायोजन ..	३६,३०,०००	१,०००	३६,३१,०००
२८	सूचना निदेशालय ..	३,१७,०००	१,०००	३,१८,०००
२९	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां	५३,८६,०००	१,०००	५३,८७,०००
३०	समाज कल्याण ..	५,२८,०००	१,०००	५,२९,०००
३१	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई निर्माण-कार्य ..	२,९०,८७,०००	१,०००	२,९०,८८,०००
३२	सिंचाई अधिष्ठान ..	१,०९,३३,०००	१,०००	१,०९,३४,०००
३३	सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं ..	१,३७,९३,०००	२८,०००	१,३८,२१,०००
३४	संचार साधनों का सुधार ..	७,५८,०००	..	७,५८,०००
३५	सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान	५१,७३,०००	१,०००	५१,७४,०००
३६	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक अनुदान ..	१७,५६,०००	..	१७,५६,०००
३७	परिवहन	३,३९,१९,०००	१३,०००	३,३९,३२,०००
३८	दुर्भिक्ष सहायता ..	८,३४,०००	८,३३,०००	१६,६७,०००
३९	अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें ..	४२,५७,०००	१९,०००	४२,७६,०००
४०	राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते ..	२,९८,०००	..	२,९८,०००
४१	लेखन-सामग्री और मुद्रण ..	२३,४७,०००	..	२३,४७,०००
४२	ऋण	७२,२८,०००	३,०००	७२,३१,०००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित घारित किया से अतिरिक्त		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२		३	
		रु०	रु०	रु०
४३	प्रकीर्ण व्यय	९६,५०,०००	१,०००	९६,५१,०००
४४	नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन	१९,५६,०००	१,०००	१९,५७,०००
	*ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज	..	४,०५,५०,०००	४,०५,५०,०००
	*ऋण कम करना अथवा उसका परिहार	..	१४,०८,४५,०००	१४,०८,४५,०००
४६	कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	१,१३,२६,०००	१,०००	१,१३,२७,०००
४७	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय ..	७७,९८,०००	१७,०००	७८,१५,०००
४८	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	२,०४,८३,०००	..	२,०४,८३,०००
४९	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय	२,८०,५२,०००	१,०००	२,८०,५३,०००
५०	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	२,२४,९६,०००	२५,०००	२,२५,२१,०००
५१	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	३५,५४,०००	२३,०००	३५,७७,०००
५२	पेंशनों का राशि मूल्य ..	६२,०००	३,०००	६५,०००
५३	राज्य व्यापार की योजनायें ..	२,९८,३७,०००	१,०००	२,९८,३८,०००
५४	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम ..	८,१०,१६,०००	..	८,१०,१६,०००
	योग ..	५५,४६,६२,०००	१८,३१,६५,०००	७३,७८,२७,०००

*भारित विनियोग ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३ अनुसूची, खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, १९७१ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, १९७१ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रदेश में असामयिक वर्षा से खाद्यान्नों के खराब होने तथा बाढ़ और अत्यधिक वर्षा से हुई हानि के सम्बन्ध में चर्चा

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय माल मन्त्री ने हमारे प्रदेश में जो मई-जून में वृष्टि हुई और जिसका क्रम जुलाई में भी चल रहा है उसके बारे में जो रिपोर्ट दी है मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उसको उन्होंने बहुत हल्के ढंग से दिया है यह बहुत आश्चर्य की बात है कि इस प्रदेश के माल मन्त्री जी न तो यह जानते हैं कि इस समय कहां-कहां बाढ़ आई है और न उनको यह पता है कि इस वर्षा से कहां-कहां कितनी क्षति हुई है और उनको क्या-क्या राहत दी गई है इस बात पर मैं कोई विवाद नहीं करना चाहता।

(इस समय १ बजकर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री वासुदेव पंठ सीन हुये।)

मई और जून की वर्षा से जो इस प्रदेश मे हुई उससे कितना नुकसान हुआ है इसको देखा जाय तो समाचार पत्रों में देखने से और मुख्य मन्त्री जी ने जो अन्य मन्त्रियों को बुलाकर और अधिकारियों को बुलाकर बात की और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि कम से कम २०० करोड़ रुपये का गल्ला इस मई जून की वर्षा से सड़ गया है। जलील अब्बासी साहब ने अपने एक भाषण में कहा था कि ३०० करोड़ रुपये का गल्ला सड़ गया है। यह २०० करोड़ का गल्ला सड़ा या ३०० करोड़ का गल्ला सड़ा और हम लोगों ने भी कांग्रेस कमेटी में बैठकर इस बात पर विचार किया और चारों तरफ से जो रिपोर्ट आई उससे हमने भी यह नतीजा निकाला कि लगभग ४८० करोड़ रुपये का गल्ला किसानों का मई-जून की वर्षा से सड़ा है।

अब चाहे वह कितना भी नुकसान हो मगर मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि रबी की फसल का गल्ला मई-जून की वर्षा से खलिहान में सड़ गया। मुझे आशा है वह इस बात को भी स्वीकार करेंगे कि जो थोड़ा बहुत गल्ला किसान अपने घरों को ले गये वह भीग गया था उसको सुरक्षित रख । बहुत कठिन है। उसको कीड़ा लग गया था और वह बच नहीं सकता है। किसानों को उसका पैसा प्राप्त करना कठिन हो गया है। मुझे यह बात बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह जो रबी की फसल का गल्ला खासकर गेहूं इस साल किसानों ने बहुत ही महंगे भाव पर सामान लेकर पैदा किया था । बहुत महंगा पानी, बहुत महंगी खाद और बहुत महंगे बीज लेकर बोया था। किसान बाहर से इन चीजों को नहीं लाये थे। किसानों ने सरकार से ही न चीजों को खरीदा था। सरकार ने महंगे रेट पर उनको पानी, खाद और बीज दिया था। यह सरकार ही उनका रेट भी फिक्स करती है। तकावी के जरिये से उनको यह सामान मिलता है। आज यही कारण है कि किसानों ने इतने महंगे रेट पर कर्जा से सामान लेकर इस रबी की फसल को पैदा किया था। जब उनका सारा अनाज विनष्ट हो गया उस पर दाम उनको नहीं मिल रहे हैं तो हमें वक्तव्य में यह देखकर ताज्जुब हुआ कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने केवल यह घोषणा की कि रबी की फसल के समय की जितनी भी तकावी और कोआपरेटिव आदि की बकाया है वह स्थगित कर रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमने जून के चौथे सप्ताह में रेडियो पर यह घोषणा सुनी लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात का पता लगायें कि क्या यह सही नहीं है कि उन की इस घोषणा के बाद जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वह ५–६ जुलाई तक इन आदेशों के खिलाफ वसूली करते रहे और उन पर अमल नहीं किया, अमीन लोग बराबर पानी, बीज और कोआपरेटिव के डयूज वसूल करते रहे। यहां तक कि प्रदेश की कांग्रेस कमेटी की जब बैठक हुई और जब अधिकारियों को पता चला कि असेम्बली आने वाली है तब उन पर अमल आरम्भ हुआ। रेवेन्यू विभाग हमेशा ऐसा करता है और उसका यह रवया है कि वह सरकार के आदेशों को तुरन्त इम्प्लीमेंट नहीं करता और वसूली जारी रखता है। तकावी और बीज आदि का पैसा बराबर अनावश्यक ढंग से ३० जून तक वसूल हो चुका है, विभाग अधिकांश तकावी आदि वसूल कर चुका है और इस तरह से केवल २० प्रतिशत ही स्थगन हुआ है और यह कोई उचित रिलीफ का कार्य नहीं है।

आपके माध्यम से मैं एक चीज की तरफ और आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि इस सरकारी ऋण की वसूली को स्थगित करने के कोई मानी नहीं हैं। पिछले ५ साल में कृषि विकास के लिये प्रदेश की सरकार ने यन्त्रों के लिये, बीज और खाद के लिये, पानी के लिये किसानों को लाखों और करोड़ों रुपया ऋण का दिया है और दैवी आपदाओं के कारण औ कुछ अन्य कारणों से किसान ऋण अदा नहीं कर सके। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आप एक कमीशन नियुक्त करें जिस से आपको जानकारी हो कि प्रदेश का ८० प्रतिशत किसान प्रति एकड़ २००० रुपये कृषि विभाग से ले चुका है। उसकी सारी जमीन आप के यहां रहन है। आप अगर उन की केवल तकावी की वसूली स्थगित करते हैं तो इस से काम नहीं चलेगा और उस को स्थगित करने के कोई माने नहीं हैं। कर्ज में पड़े हुये किसानों पर से दो टोकरी बोझ मिट्टी का हटाने से क्या होगा।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से अपील करूंगा कि यदि वह हृदय से प्रदेश के किसानों के प्रति जरा सी भी दया की भावना रखते हैं तो वह रबी की फसल के लिये ली गई बीज, पानी और खाद के लिये ली गई तकावी को स्थगित न करके कतई माफ कर दें। यह कोई बहुत बड़ी रकम न होगी। पिछले ५ साल में जो पैसा यन्त्रों के लिये दिया गया है वह माफ न किया जाय लेकिन आप के आंकड़ों के हिसाब से ५०–६० प्रतिशत गल्ला सड़ गया है और बाजार में बिकने के योग्य नहीं रह गया है। इस तरह के स्थगन के कोई माने नहीं हैं।

इस सरकार ने एक और ऐलान भी किया था जिसको हर किसान ने रेडियो पर सुना था। इन्होंने यह कहा था कि किसानों का गल्ला जो भीग गया है उसमें जरा कुछ नमी आ गई है। वह कुछ इन्फीरियर क्वालिटी का हो गया है, इसलिये किसानों को राहत देने के लिये सरकार गल्ला खरीदेगी। मैं माननीय मंत्री जी को अपनी बात नहीं कहना चाहता बल्कि चार-पांच दिन पिछले दिनों यहां अधिकारियों की मीटिंग हुई और उसी को श्रीमन्, मैं उसकी दो लाइनें पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। मेरे पास नेशनल हेराल्ड ६ जुलाई का है और इसमें लखनऊ, थर्सडे, ८ जुलाई का समाचार है—

"The State Government have set up a CID cell of wo Superintendents of Police with subordinate Staff to conduct probes into wide complaints of malpractices in food grains procurement operations.

श्रीमन्, सारे के सारे को पढ़ कर देख लें। तो स्वयं इस सरकार को बहुत ही रिलायेबुल कम्प्लेन्ट्स मिली हैं जो कि सारे प्रदेश भर में गल्ले की खरीदारी हुई है उससे सम्बन्धित हैं। खाद्य निगम के जो कोई भी एजेन्ट हैं उन्होंने उस गल्ले को जिसमें नमी आ गई है या जो इन्फीरिया-

[श्री कृष्णानन्द राय]

रिटी का गल्ला हो गया है उसको बिल्कुल नहीं खरीदा है और खरीदने से साफ इन्कार कर दिया है। और श्रीमन्, मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि गल्ले की खरीदारी आपने प्रदेश भर के ५–७–८ जिलों में की है। बनारस में हुई है या नहीं मैं नहीं जानता लेकिन गाजीपुर जिले की जानता हूं। इसके अलावा देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ जिलों के बारे में समाचार पत्रों की कटिंग मौजूद हैं। इन जिलों में पर्चेजिंग एजेन्सी कायम नहीं हुई हैं और जहां कि बाढ़ के प्रकोप ने भी भयानक रूप पकड़ लिया है उन जिलों में कोई भी खरीदार नहीं है।

श्रीमन्, इस परिस्थिति का हमारे प्रदेश का व्यापारी वर्ग नाजायज फायदा उठा रहा है। इस प्रदेश में गेहूं ५५–५६ रुपये क्विंटल बेच रहे हैं और कुछ गेहूं का दाम ७२–७७ रुपये भी है। इस तरह का ग्रेडेशन गेहूं का है। खाद्य निगम जो गल्ला खरीदता है वह उत्तर प्रदेश के बनियों व्यवसायियों के द्वारा ही खरीदता है। खाद्य निगम की आफिसर्स की मीटिंग में यही तय किया गया था। व्यवसायी व बनिये लोग ५५–५६ रुपये क्विंटल गेहूं खरीद कर ७२–७५ में खाद्य निगम ने स्वीकार किया और वही गल्ला कन्ज्यूमर्स को ८०–८२ रुपये में देंगे। इस प्रकार से इस विपदा के जमाने में जो अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है सरकार ने उसका फायदा उठा कर उसको एक ब्लैक मार्केटिंग का साधन बना लिया है इस प्रकार इस विपदा के जमाने में ३० रुपये प्रति क्विंटल की ब्लैक मार्केटिंग सरकार कर रही है जिसकी सैक्शन यहां पर मौजूद है। मैं श्रीमन् आपसे यह निवेदन कर रहा था कि इस सरकार का एक बड़ा विचित्र रवैया है कि श्रीमन् यह सरकार बड़ी भाग्यशाली भी है। अगर यह सब को बिना खाना मार दे और प्रदेश को एक पैसा भी न दे तब भी यह समाजवादी होगी।

श्रीमन्, रेडियो इनके हाथ में है, समाचारपत्र इनके हाथ में है। अगर उत्तर प्रदेश की आधी जनता बिना खाने के मर जाय तब भी इनका रेडियो यही कहेगा कि समाजवादी सरकार जनहित में काम कर रही है, गरीबी मिटा दी गयी है। तो यह बड़ी भाग्यशाली स्थिति में हैं। करें चाहे न करें, लेकिन इनके प्रचार साधन बहुत मजबूत हैं। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से इस सदन और सरकार को बता देना चाहता हूं कि रबी की फसल की बरबादी के बाद और जिस प्रकार सरकार के एजेन्ट्स के द्वारा किसानों को लूटा गया है, अगर किसानों का कोई संगठन होता तो यह सरकार एक दिन भी न चलती और यहां विद्रोह हो जाता और सारी शान्ति व्यवस्था समाप्त हो जाती। लाखों-करोड़ों की फसल सड़ गयी है अमीन के झुंड के झुंड जाकर वसूली कर रहे हैं। परचेजिंग एजेन्ट्स ब्लैकमार्केटिंग कर रहे हैं। और इनक रेडियो प्रचार करता है कि यह रिलीफ दे दी, वह रिलीफ दे दी। लेकिन एक पैसे की रिलीफ इन्होंने नहीं दी।

श्रीमन्, राजस्व मंत्री जी प्रदेश के एक कर्मठ र जनैतिक व्यक्ति रहे हैं। लेकिन इनको पता भी नहीं कि कहां-कहां बाढ़ आयी है। कहते हैं चमोली में और देवरिया में आ रही है। मालूम पड़ता है खाली अखबार ही पढ़ लेते हैं, सही जानकारी नहीं है। मान्यवर, गंगा, सरजू, गंडक, राप्ती सारी नदियां बाढ़ पर हैं। गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती की लाखों एकड़ जमीन जलमग्न है। गंडक और सरजू से मध्य उत्तर प्रदेश का बहराइच, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई जलमग्न हैं। अलकनन्दा और मंदाकिनी से उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ आदि जलमग्न हैं। १७–१८ जिलों में बाढ़ का प्रकोप ह और तमाम जमीन जलमग्न है। खरीफ की फसल बोने का कोई मौका नहीं है।

मान्यवर, कितने साहस का काम उन्होंने किया है कि जो बाढ़ की रिपोर्ट दी है, उसके साथ एक एडीशनल [illegible] गज बंटा , उसमें पीछे दिया है—राहत का काम विशेष विवरण, और वह सब खाली है।

श्री उपाध्यक्ष—

वह टाइप की गलती होगी।

श्री कृष्णानन्द राय---

नहीं श्रीमन्, कोई काम हुआ ही नहीं है। बाढ़ के प्रति सरकार के अधिकारी बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हैं। यहां एक बाढ़ बोर्ड है जो १५ जून के बाद लागू हो जाता है और पी० डब्लू० डी० तथा सरकारी कर्मचारी १५ जून के बाद बाढ़ की आशंका को मान लेते हैं। २८-२९ जून को कई जिलों में बाढ़ आयी। गाजीपुर में पुल टूट गया, संचार साधन बन्द हो गया तीन दिन के लिए। राजस्व मंत्री जी शायद गाजीपुर का नाम ही नहीं जानत। २८-२९ जून को गाजीपुर जिले में गंगा का पानी तेजी से चला तो पुल टूट गया, तीन दिन के लिए संचार बिल्कुल रुक गया। १००-२०० आदमी पुल के पीपों पर बह कर मीलों चले गए और इनकी सरकार और पी० डब्लू० डी० ने कुछ भी प्रबन्ध नहीं किया।

एक नाव पर जाते समय एक परिवार के ७ व्यक्ति डूब कर मर गये। मिर्जापुर में दो नावें डूब गईं। एक नांव में १२ आदमी थे और दूसरी में ८ व्यक्ति थे जिनका पता नहीं चला। गाजीपुर में ७, मिर्जापुर में २० और देवरिया में २०, २५ व्यक्ति डूब गये। अलकनन्दा की बाढ़ में १५०, २०० व्यक्ति मर गये और आप रिपोर्ट देते हैं, आपको मरने की कोई सूचना नहीं ह और न कोई नुकसान होने की ही सूचना है। आप जिस पार्टी के हैं उसकी हवा बहुत अच्छी है और आप चाहे जितना भी पाप करें आपका रेडियो और आपके समाचार-पत्र आपकी हवा को सदा बनाये रखेंगे। आपके पक्ष में ही वे प्रचार करेंगे। वित्त मंत्री, श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने २ घंटे का बजट भाषण पढ़ा। उसमें न तो कर्मचारियों को एक पैसा दिया न किसानों को और न तो मजदूरों को एक पैसे की राहत दी। आपके डर से हम लोग यहां पर बैठे हुये उनका भाषण सुनते रहे अन्यथा उठ कर चले गये होते।

आप एक लाख एलेक्शन जीते हैं यह ठीक है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के १७, १८ जिलों में बाढ़ की विभीषिका चल रही ह। खरीफ फसल को बोने का भी कोई सवाल नहीं है क्योंकि खेतों में पानी भरा पड़ा है और इस समय भी पानी बरस रहा है। खेत खाली नहीं हैं जिससे कि हल चल सकें। रबी की फसल खलिहानों में ही सड़ गई है। गल्ला परचेजिंग का सिस्टम आपका बहुत ही दोषपूर्ण है। पूर्वांञ्चल के जिलों में गेहूं को कोई पूंछ नहीं रहा है और वह सड़ रहा है। ३१ जून तक लक्ष्मी शंकर यादव और श्री उदित नारायण शर्मा ने सारी तकावी वसूल करवा ली है। जब सारी तकाबी वसूल कर ली तब यह कह दिया कि उसको स्थगित कर दिया है। अभी भी जो सूचना मेरे पास है उससे मालूम होता है कि वह वसूल की जा रही है। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि इसको स्थगित ही न किया जाय बल्कि पूरी तरह से माफ कर दिया जाय। काश्तकारों का हर एकड़ और बीघे पर कितना अधिक खर्च आता है। उसकी सारी जमीन रेहन पड़ी हुई है। आप अक्तूबर और नवम्बर में फिर उनको जेल भेजना शुरू कर देंगे। आप आज इस बात का ऐलान करें जो रबी की फसल की तकाबी है उसको आप माफ करवा देंगे। अगर आप इसको माफ नहीं करेंगे तो हम आपको बता दें कि हम इस सरकार को चन से सांस नहीं लेने देंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस जटिल समस्या पर हमारे माननीय राय साहब ने अच्छी तरह से प्रकाश डाला ह। मेरे भी बयान में उसी की पुनरावृत्ति होगी। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इस वर्ष ऐसे समय पर बर्षा हुई जो कि ५० वर्षों म नहीं हुई। ईश्वर पर विश्वास होने के नाते मैंने सोचा कि अनैतिकता के आधार पर गठित यह दल बदलुओं की सरकार का भगवान सहायक नहीं हो सकता है। किसान की आधी उपज खेत में पड़ी रह गई, आधी फसल खलिहान में आई और उसको भी बर्बाद करने में सरकार सहायक हुई। जिसके पास थ्रेशर था बिजली नहीं मिली, रोस्टर किया गया था और रात के समय में बिजली दी जाती थी। दिन में दांय चला कर दाना निकाला नहीं जा सका। परिणाम यह हुआ कि गेहूं चना और जौ

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

सड़ गया और भूसा भी सड़ गया। आम भी बर्बाद हो गये। इतना ही नहीं कि पानी बरसा, आंधी भी आई और पुरवाई चलती रही, जिस कारण पानी भी निरन्तर बरसता रहा।

मान्यवर, जिस समय यह हो रहा था और बर्बादी हो रही थी उसी बीच में वसूली भी शुरू की गई। मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि ऐसी दयनीय स्थिति में वसूली शुरू की गई जबकि किसान अत्यन्त मसीबत में था। सरकार की ओर से कहा गया कि किसान का २०० करोड़ का नुकसान हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह नुकसान ४०० करोड़ से कम नहीं है। बाद में एक बोरा कमेटी आई थी, उसके बारे में भी चर्चा की गई। मैं इस बारे में अधिक नहीं कहना चाहता लेकिन यह बोरा कमेटी केवल मोटरों पर चलती रही।

उसकी सूचना का आधार सरकारी अधिकारी थे जिनके ऊपर किसी को भी विश्वास नहीं है। यह इसलिये है कि यह जो आंकड़े बनाते हैं वह अपने घर पर बैठ कर ही बना लेते हैं। इसलिये अगर उन्होंने २०० करोड़ रुपये का नुकसान बतलाया है तो नुकसान ४०० करोड़ से कम नहीं हुआ है। यह नुकसान उस समय हुआ जबकि कैश क्राप किसान के घर में आती है। उस समय वह शादी ब्याह करता है, दूसरे परस्पर सम्बन्धों में खर्चा करता है, सरकार को लगान देता है और दूसरे मुताल्बे अदा करता है। सरकार का यह कहना बिलकुल गलत है कि हमने वसूली रोक दी है। सरकार के यहां एक नियम है। यहां से वसूली स्थगित करने के आदेश चले जाते हैं लेकिन परोक्ष में आदेश रहता है कि जब तक प्रत्येक को यह बात मालूम न हो जाय वसूली करते रहो। बड़ी बेदर्दी से वसूली की गई। लगान, तकावी, सिंचाई इर्रीगेशन ड्यूज की वसूली की गई।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अगर सरकार का यह सही मतलब है कि जब किसानों को कष्ट हो तो उनकी मदद करे तो उसको परिस्थिति को समझना चाहिये। एक तो किसान का आधा गल्ला खत्म हो गया और उसको आगे के लिये खाने पीने का प्रबन्ध करना है तो सरकार ने यह कहकर कि सरकारी ड्यूज की वसूली नहीं कर रहे हैं, काफी नहीं किया। होना तो यह चाहिये था कि किसी प्रकार की रिलीफ उसको दी जाती। मुझे मालूम है कि सरकारी अधिकारी किस प्रकार से रिलीफ देते हैं। बस्ती जिले का एक केस मुझे याद है। सैकड़ों, हजारों घर पानी बरसने से गिर गये, जिसके कारण सरकार ने रिलीफ दी परन्तु उसको आधी ही मिली क्योंकि आधी तहसीलदार और कर्मचारीगण खा गये।

मुझे गांव-गांव में जाकर पता चला कि ५० प्रतिशत उन्होंने ले लिया और ५० प्रतिशत इन्हें मिला। आज भी इस पर कोई रोक नहीं लगायी है। पैसा दिया जाय तो वह किसान के हाथ में जाय। लेकिन इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। श्रीमन्, उनके हाथ में पैसा भी आता तो इस प्रकार आता कि उनका गेहूं बिकता। सड़ा हुआ अनाज बिकता। जो अच्छे दाने निकाल चुके थे वह अच्छे दामों पर बिकते। माननीय राय साहब ने सारी बातें कह दी हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता। राज्य सरकार ने खरीद नहीं की, निगम ने खरीदा। जिनसे अच्छे पैसे मिल गये उनका खरीदा वरना बाकी का रह गया। इस तरह से उसमें भी करप्शन हुआ।

माननीय, उससे छुट्टी नहीं पाये थे कि बाढ़ का संकट आ गया। बाढ़ का संकट सारे प्रान्त में नहीं लेकिन फिर भी कुछ जिलों में है। बाढ़ का भी जिक्र किया गया और जो वक्तव्य दिया गया उसमें भी उसकी चर्चा है। इसकी थोड़ी सी चर्चा इसलिये किये देता हूं कि भविष्य में, सम्भवतः निकट भविष्य में, वह बृहत रूप लेकर सरकार के सामने आये। जो असामयिक वर्षा हुई उसकी कल्पना सरकार को नहीं थी। लेकिन बाढ़ के विषय में तीन कदम उठाये जाते हैं। एक तो बाढ़ से सुरक्षा की दृष्टि से। फिर अगर बाढ़ आ जाये तो उस बीच संकट दूर करने के उपाय की दृष्टि से और तीसरे यह होता है कि बाढ़ आने के बाद हम क्या करें कि बाढ़ न आये या कम से कम आये।

अलखनन्दा का उदाहरण ले लें। इसकी घटना पहले हो चुकी थी। छितौनी बांध पर भी घटना पहले हो चुकी थी। छितौनी बांध के बारे में मुझे याद है। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी वहां गयी। वहां पर बाढ़ को रोकने के लिये सीमेंट की जगह बालू लगायी गयी थी। चूंकि पैसा लोग खा गये और सीमेंट की जगह बालू का इस्तेमाल किया गया तो वह बांध कमजोर हो गया। उसे देखने के लिये हम गये, पी० ए० सी० गयी और पं० कमलापति त्रिपाठी भी गये जो कि आज मुख्य मंत्री हैं। तम्बरेश्वर प्रसाद जो उस समय मंत्री थे, वे भी गये। उस समय यह हुआ कि एक कमेटी बना दी जाय। लेकिन हमारे सामने अब तक कुछ नहीं आया कि उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी और सरकार ने क्या विचार किया। इस सन्दर्भ में हम सोचें कि इन्होंने क्या कदम उठाये ? जैसा कि कल एक माननीय सदस्य ने कहा था, सचमुच सिंचाई मंत्री और जितने अधिकारी हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिये।

बाढ़ आने के पहले क्या प्रबन्ध किया। कल इसका रेफरेन्स आया था कि वायरलेस स्टेशन ऐसे स्थानों पर बनाये जाने चाहिये थे और हमारे अधिकारियों को वहां प्रीकाशनरी मेजर्स लेने के लिये रहना चाहिये था। जिससे कि बाढ़ यदि वहां आये तो वहां प्रभावित होने वाली जनता को पहले से सूचित कर दें। सूचना के होने से जन धन और पशु धन की हानि को यद्यपि हम पूरी तरह से रोक नहीं सकते थे फिर भी काफी हद तक कम कर सकते थे। जितने जन धन और पशु धन की हानि हुई पहले से सूचित कर देने से शायद उतनी हानि न होती। करोड़ों एकड़ भूमि नष्ट हो गयी, सैकड़ों आदमी मर गये और कहा नहीं जा सकता कितने पशुधन की हानि हो गयी। कितने ही घर गिर गये। इस हानि में हम कमी तक नहीं कर पाये और वह केवल हमारी सरकार और हमारे अधिकारियों की असावधानी के कारण। २६ तारीख तक वहां इंजीनियर उपस्थित नहीं थे। वह घर पर मौजूद थे और उन्होंने इसलिये छुट्टी ले ली कि उनके पास जवाब नहीं था। अगर हम बड़े से बड़े अधिकारी के पास शिकायत करने जाते हैं तो मैं आपको बतलाऊं कि मैं उनसे हतोत्साहित हो चुका हूं।

मैंने पहले भी एक इंजीनियर के बारे में शिकायत की थी, जिसके पास मैं गया था, वह मुझे पहचानता नहीं था, उसने मुझसे कहा कि एक टेबिल से दूसरी टेबिल तक पेपर्स चलाने के लिये यहां तो पत्ता चाहिये और यहां तक कहा कि यह एम० एल० ए० तो भ्रष्ट होते हैं। वह मुझे पहचानता नहीं था। मैंने उसकी शिकायत यहां पर भी की थी। मुझे पता नहीं उस इंजीनियर का क्या हुआ, कहीं शायद ट्रांसफर हो गया है। लेकिन आज आफिशियल बादरहुड है जिसका यह नमूना आपके सामने है कि कोई काम हो नहीं पाता। कोई अधिकारी किसी बात को सुनना पसन्द नहीं करता। मैं यह नहीं कहता कि सभी ऐसे हैं, मगर अधिकांश ऐसे हैं। अधिकांश में सरकारी बदरहुड है। आज कोई हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं है। कह दिया जाता है कि सी० आई० डी० मुकर्रर कर दी है, देख लेंगे, आदि बातें कह कर मामले को टाल दिया जाता है। आज अगर हम सिंचाई के इंजीनियर से कहते हैं कि फलां खेत सींचा तक नहीं गया है और टैक्स लिया गया है, तो वह उसकी जांच आषाढ़ के महीने में करता है जब कि वहां पानी भरा हुआ मिलता है। तो यह हालत है।

तो मैं यह कह रहा था कि आपके अधिकारियों ने पहले से जो प्रीकाशनरी मेजर्स लेने चाहिये थे वे नहीं लिये। अगर आपने पहले से उचित उपाय किये होते तो आज इतना विनाश जो हुआ है वह न होने पाता। नावें तक नहीं थीं। लोग पेड़ों पर कराह रहे थे। रेलवे लाइन नष्ट हो गई थी, वह कहीं सितम्बर तक जाकर बन पायेगी। स्थिति इतनी भयानक थी कि गन्ना खेतों में दिखाई नहीं पड़ता था। कोई सहायता नहीं पहुंच रही थी। सरकार के पास डेंजरस्पाट्स थे, उनका नक्शा सरकार के पास था, मगर सरकार ने क्या किया ? मौके पर लोगों को कोई पहले से सूचना नहीं दी गई, न उनको भोजन

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—]

मिला न कपड़ा मिला। हमें उन अधिकारियों की भर्त्सना करनी चाहिये जिनके सिपुर्द यह कार्य था। जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। जब भी कोई संकट आता है हम उनकी मदद नहीं पाते।

छितौनी बांध के बारे में पहले १९-२० लाख का हिसाब था, पी० ए० सी० वहां गई, उसने वहां पर लोगों की शिकायतों को सुना, उसने अपनी रिपोर्ट दी, आखिर सरकार ने कौन सा उपचार किया? ख ली रुपये खर्च कर देने से ही उपचार नहीं होता। जब भी कोई शिकायत की जाती है, सरकार कह देती है हमने ५० लाख रुपये खर्च कर दिये, यह नहीं कहती कभी कि हमने इतना काम कर दिया। अब उतना नुकसान नहीं हो रहा है जो पहले होता था। सरकार अपने काम को रुपयों से आंकती है। यह मूक जनता के साथ ऐसा व्यवहार करती है कि कोई नहीं कर सकता। चाहे वह पैसा बाटने की बात हो, चाहें पट्टे पर जमीन देना हो, चाहे सिंचाई के चार्जेज को लिखना हो, हर जगह लूट मची है। नीचे की जनता मूक है, कराहती है। बीच में काम नहीं किया, और बाद में भी काम नहीं किया। मुझे विश्वास नहीं है कि यह करेंगे बजट में आपने देखा। मुझे बड़ा सन्तोष हुआ। भगवान ने उनको अपनी जगह पर पहुंचा दिया। राष्ट्रनेत्री और वित्त मन्त्री ने कहा कि हम डरते हैं कि नरक से गुजरना पड़ेगा। हमने कहा कि कोई नुक्ताचीनी करने की जरूरत नहीं है। उनको स्वयं स्वीकार है कि हम को नरक में से जाना पड़ेगा। उनके गलत कार्यों के फलस्वरूप चारों तरफ निराशा है। आज यह स्थिति हमारे सामने पहुंच गई है। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि तीनों अवसरों पर, पहले, बीच में और बाद में पूरी असफलता रही।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैंने पहले कह दिया कि इन तीनों पहलुओं से देखिये। किसान का सर्वस्व नष्ट हो गया। किसान पर जो कर्जा था वह उसी में से अदा करता, वह समाप्त हो गया। जो बेटी बेटा की शादी में लगाता वह भी समाप्त हो गया, जो अपने खर्चे के लिये रखता वह भी समाप्त हो गया। आज उसके पास कोई साधन नहीं रह गया। पहली बात यह है कि सरकार के डेंजर स्पाट्स हर जगह नोट करने चाहिये। डेंजर स्पाट्स नोट होने के बाद अगर वहां सरकारी अधिकारियों ने काम नहीं किया तो उनको एग्जम्प्लरी पनिशमेंट देना चाहिये। मैं कितने रोष से भरा हूं, सिंचाई विभाग और रेवेन्यू विभाग के बारे में कभी कहने का अवसर आयेगा तो कहूंगा। दूसरी बात यह है कि फसल सम्बन्धित जितने ड्यूज हों उन सब को माफ किया जाय जैसे लगान, खाद, बीज, पानी के चार्जेज माफ किये जायं। बिजली और सिंचाई के चार्जेज निश्चित रूप से माफ किये जायं। मैं मानता हू कि बिजली विभाग घाटे पर चल रहा है। लेकिन सिंचाई विभाग के लिए जनता नहीं बनी है, जनता के लिए सिंचाई विभाग बना है। सहकारी और कृषि विभाग की वसूलियों को रोकें। मैं जानता हूं कि सहाकारी विभाग दूसरा है। लेकिन फिर भी सरकार अपने प्रभाव को इस्तेमाल करे। वह सरकार में हैं। सहकारी विभाग की वसूलियां बन्द कर दी जायं।

दूसरी बात है कि उन्होंने नष्ट कर दिया, गन्ने की कीमत की मिलों से वसूली नहीं हो सकी। मैं समझता हूं यह ऐतिहासिक रहेगा। गवर्नमेंट हैज मेड ए मेस आफ दि होल थिंग। इंडस्ट्री के बारें में कभी इतनी दुर्गत नहीं हुई होगी, निश्चित नीति न रहने के कारण भविष्य भी अंधकार में, यह अंधकार में वह भी अंधकार में। एक बार कहते हैं कि नैशनलाइज करेंगे, एक बार कहते हैं कि संसाधनों की कमी है, एक बार कहते हैं कि माडर्नाइज्ड करेंगे। नष्ट कर दिया, गन्ने की कीमत नहीं वसूल हो पाये। गन्ने की कीमत भी वसूल करायी जाय। दूसरे, उत्तर प्रदेश भर में फीस हालिडे डिक्लेयर करना चाहिये अरबन एरिया को छोड़ कर।

दूसरे, भूसा भी इसी प्रकार नष्ट हुआ है। उससे दुर्गन्ध आ रही है। उसको भी सब्सिडाइज्ड रेट पर दिया जाना चाहिये। मान्यवर, रबी के बीज का मौसम आ रहा है। उनके पास बीज के लिये भी नहीं बचा है। मान्यवर ऐसा नियम है कोआपरेटिव विभाग में कि यदि उस किसान के पास पहले बीज लिया हुआ है तो उसको तब तक नहीं दिया जाता जब तक कि वह पुराने बीज का पैसा न अदा कर दे। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि भले ही उनके ऊपर बकाया हो, उन्हें बीज दिया जाना चाहिये।

रवी की फसल के लिये उन्हें बीज दिया जाना चाहिये और पहले की रवी का बकाया नहीं माना जाना चाहिये। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं अपनी सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि इस संकट में फंसी हुई जनता को जितना हो सके राहत दे। मान्यवर, मैंने कल बजट पढ़ा और उसमें देखा कि उसमें जो गरीब से गरीब है घोर आपत्ति जिस पर आई हुई है जिसके कि हाथ पैर कट गये हैं, उसके लिये राहत का प्रोविजन उसमें नहीं है। जैसा कि हमारे राय साहब ने कहा है कि उसमें हवा भर दी गई है। उसकी हवा तो ऐसे निकल रही है जैसे कि साइकिल की हवा निकलती है।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की कृषि तथा कृषकों पर प्राकृतिक आपदा अपने आकार और प्रकार की दृष्टि से अभूतपूर्व है। उत्तर प्रदेश के सब विधान सभाओं के काल के इतिहास में इतनी घोर और इतनी व्यापक प्राकृतिक आपदा कृषकों पर कभी नहीं आई और इतनी क्षति कृषि को उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुई। यह आपदा असाधारण थी इस असाधारण आपदा का मुकाबला सरकार ने निश्चित रूप से प्रशंसनीय ढंग से किया है। किसानों को सराहनीय ढंग से राहत पहुंचाई है। मैं इसकी सराहना करता हूं लेकिन श्रीमन्, मेरी तुच्छ राय यह है कि दो बुनियादी भूलें इस सम्बन्ध में सरकार से हुई हैं। प्रथम तो श्रीमन्, यह है कि असाधारण आपदा का मूल्यांकन सरकार ने साधारण प्रक्रियाओं से किया है।

श्रीमन्, इन परिस्थितियों में आवश्यकता इस बात की थी कि इन असाधारण आपदाओं के मूल्यांकन हेतु सरकार को असाधारण प्रक्रियायें अपनानी चाहिये थीं। जिलाधिकारियों को निश्चित रूप से संपूर्ण निर्देशन देना चाहिये था कि वह किस प्रकार से अपने आप को परगनाधिकारियों के साथ शामिल करते हुये इस क्षति को पूरा करे। मूल्यांकन करने हेतु योजना बनाये और साइन्स आफ स्टेटिस्टिक्स के सिद्धान्तों का प्रयोग करके उस क्षति का मूल्यांकन करे। मान्यवर, सरकार ने अपने आदेश द्वारा यह निश्चय किया हुआ है कि एक जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में, वहां की क्षति मात्रा के आधार पर राहत देंगे।

इसलिये श्रीमन्, जनपदों की क्षति का मूल्यांकन के प्रयोजन ठीक से कायम करना सरकार के लिये बहुत आवश्यक था। परन्तु सरकार ने वही साधारण पद्धति अपनाई। तहसील के अन्दर लेखपालों को इकट्ठा कर तहसीलदार के माध्यम से क्षति का मूल्यांकन किया गया। मुझे श्रीमन्, खेद है कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि जिला बदायूं और मेरे पड़ोसी जिले मुरादाबाद को निश्चित रूप से किसी अन्य जिले की क्षति की अपेक्षा कम क्षति नहीं हुई है। मान्यवर, आप इस सूची का अवलोकन करें जिसमें क्षति की मात्रा दी हुई है, उसे विभिन्न जिलाधिकारियों ने विभिन्न ढंग से वर्णित किया है। कुछ जनपदों के जिलाधिकारियों ने सरकार को क्षति का टोटल भेजा है। जिस में क्रम संख्या ३१ पर अलीगढ़ और क्रम संख्या ३७ पर लखनऊ मिसाल के तौर पर है। कुछ ने क्षति के range का वर्णन किया है मान्यवर, जो ये विभिन्न ढंग के आंकड़े सरकार के पास भेजे गये हैं यह इस बात का सबूत है कि सरकार की ओर से कोई विस्तृत निर्देश और निश्चित निर्देश इस असाधारण प्राकृतिक आपदा की क्षति के मूल्यांकन करने का नहीं

[श्री शिवराज सिंह---]

दिया गया। श्रीमन्, मुझे खेद है कि ऐसी कोई चेष्टा नहीं की गई। मान्यवर, क्षति का सही मूल्यांकन करने के लिये कुछ सांख्यिक तथ्यों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। मान्यवर, यों तो सारा भारत कृषि प्रधान है और ग्रामीण है किन्तु हमारा यह उत्तर प्रदेश विशेषतया है।

भारत के १७ अन्य राज्यों में बिहार उड़ीसा और नागा लैण्ड को छोड़कर सबसे अधिक ग्रामीण राज्य उत्तर प्रदेश है। इस संबंध में अन्तिम उपलब्ध सन् १९६१ के आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के ८७.१ प्रतिशत निवासी गांवों में बसते हैं। और कृषि पर आश्रित हैं। श्रीमन्, ये आपदा इतनी व्यापक हैं और प्रदेश के समस्त गांवों में सभी कृषि पर आश्रित हैं। इसलिये इस आपदा से सब ही प्रभावित हुये हैं। उत्तर प्रदेश की ८७.१ प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष रूप से और प्रदेश की सारी आबादी परोक्ष रूप से इससे प्रभावित हुई है। मान्यवर दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उत्तर प्रदेश छोटे किसानों का प्रदेश है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार ३ हेक्टेयर से छोटे कृषक उत्तर प्रदेश में भारत के २४.२ प्रतिशत बसते हैं।

श्रीमन्, यह छोटे किसान केवल उतना ही पैदा कर पाते हैं कि खुद अपना पालन-पोषण कर लें और खेतों के लिये बीज उठाकर रख लें। उनके अनाज का surplus नहीं होता। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में ८८.३ प्रतिशत किसान ३ hectare से छोटे हैं और वह सब आज इस अवस्था में हैं कि उनका गल्ला नष्ट हो गया है, उनके जीवनयापन का साधन नष्ट हो गया है। हम इस स्थिति का इस प्रकार से मूल्यांकन करते हैं तब हमें मालूम होगा कि यह समस्या कितनी व्यापक और कितनी घोर है। मान्यवर, जैसा कि वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया राज्य की आय में कृषि की आय का अंश ५६ प्रतिशत है और रबी की फसलों का हिस्सा उसमें अधिक है। इस दृष्टि से हमें इस समस्या को देखने की आवश्यकता है।

मेरी राय तो यह है कि हमें इस सदन में इस समस्या पर इस दृष्टि से विचार करना चाहिये कि सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं। सरकार ने क्या किया है कि जिससे भविष्य में इस प्रकार की हानि कृषि को न पहुंच पाये, ऐसी विपदा का मुकाबला करने के लिये उसने क्या कदम उठाये हैं? जिनकी हानि हो गयी है उनको कहां तक सरकार ने सहूलियत दी है? जहां तक लगान की वसूली के मुलतवी करने का प्रश्न है, मैं नहीं समझ पाया कि जब किसानों की यह फसल पूर्णतया नष्ट हो गयी है तो दूसरी फसल से बचत करके उस मुल्तवी को दे सकना उनके लिये संभव नहीं होगा, फिर सरकार उसको माफ ही क्यों नहीं कर देती। मेरा विचार तो यह है कि यह आपदा सब जिलों में आयी है लेकिन यदि कोई जिलाधीश यह कहता है कि उनके यहां ऐसी आपदा नहीं है तो उनको बुलाकर पूछा जाय कि ऐसे कौन से तत्व हैं उनके पास जिनके कारण वे कहते हैं कि उनके जिले के अन्दर ऐसी आपदा नहीं आयी। इस आपदा से कृषकों को क्षति नहीं पहुंची। जहां-जहां भी क्षति हुई है वहां-वहां वसूली तुरन्त बन्द कर दी जानी चाहिये। मुझे खेद है कि मेरे जिले के अन्दर भारी क्षति पहुंचने के बावजूद वसूलयाबी मुल्तवी नहीं हो सकी है।

एक तो किसानों को उनके गन्ने का पैसा भी नहीं मिला है दूसरे उनका अन्न खलिहानों में सड़ गया और कहीं-कहीं तो इतनी बारिश हुई कि खलिहानों में भी कटी फसल नहीं पहुंच पायी, खेतों में नष्ट हो गई और जिलाधीश आपके ऐसे हैं कि वह कहते हैं कि उनके यहां कोई क्षति ही नहीं हुई और उसका नतीजा यह है कि सरकारी वसूलयाबी के सिलसिले में किसानों को हवालात में जाना पड़ रहा है। जिला बदायूं में तो बड़ी भारी क्षति हुई है, मेरी निजी जानकारी उसके

बारे में हैं। माननीय मंत्री जी उसके बारे में विस्तृत जांच करें और अधिकारियों को उचित आदेश उसके बारे में दें और झूठी सूचना देने पर दंडित भी करें।

मुझे खुशी है और संतोष है कि सरकार ने क्षति पहुंचे गल्ले की खरीद की योजना बनायी। उनकी योजना स्वस्थ और सही है। क्षति ग्रस्त गल्ले को ७२–७४ रुपया तक खरीदने की आज्ञा सरकार ने जारी की हुई है। लेकिन इस योजना का कार्यान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। जब उचित समझा व्यापारियों ने खरीद बन्द कर दी जब चाहा जारी रखी, कारण उस का कुछ भी हो। चाहे तो यह भंडार गृहों की कमी हो और चाहे यह हो कि माल के Transport करने के साधनों का अभाव हो लेकिन इसका फायदा व्यापारियों और ऐजेन्टों ने उठाया जो इस काम को कर रहे थे, उसका बहाना लेकर उन्होंने कुछ जिलों में खरीद की और कुछ जिलों में कईस्थानों पर खरीद कुछ दिनों नहीं की। जहां उनका जैसा हित हुआ वैसा किया। और श्रीमन्, जिन दिनों में खरीदारी बन्द कर देते है उन दिनों में गल्ला बाजार में खुले रूप में बिकता रहा है तो पिछले दरवाजे से एजेंट गल्ला खरीद कर और काश्तकारों को दबाकर ५५–६० रुपये के हिसाब से गल्ला खरीद कर एफ० सी० आई० के गोदामों में ७२–७६ रुपये दिखाकर भरते रहे। इस की जांच होनी चाहिये। इसके लिये मैं सरकार को दो सुझाव देना चाहता हूं। इन एजेंटों को जो रसीद दी गई उनमें देखा जाय कि उनमें क्रय मात्रा तथा भाव सही दर्ज की गई है या नहीं। मान्यवर, प्रत्येक जगह के ५–५ काश्तकारों के संबंध में खोज की जाय कि उन्होंने उन दिनों में रसीदों में लिखित गल्ला बेचा था या नहीं। इस तरह की जांच से बोगस खरीदारी सामने आ जायेगी।

इसी के साथ-साथ श्रीमन्, यह भी जांचा जाय कि इन काश्तकारों की कीमत दी जानी दिखाई गई है, वह उनको दी गई या नहीं। रसीदें जो हमारे यहां के काश्तकारों को दी गई है वे अंग्रेजी में हैं। हमारे यहां का किसान विचारा वैसे ही पढ़ा-लिखा नहीं होता इसलिये वह उनको नहीं पढ़ सकता है। एफ० सी० आई० के माध्यम से जो रसीदें दी गई हैं वे अंग्रेजी में हैं उनको हिन्दी में होना चाहिये जिसे काश्तकार स्वयं पढ़ सके या गांव के अन्य लोगों से पढ़वा सके। इस प्रकार की जांच से एफ० सी० आई० के एजेन्टों ने जो जाल, जो फ्राड, जो प्रपंच रचा रखा है, वह पकड़ में आ सकता है।

भविष्य में अधिकारियों को आदेश दिये जायं कि वे रोजमर्रा इस बात को देखें कि सही ढंग से काम हो रहा है या नहीं और जो रसीदें लिखी जा रही हैं वे सही लिखी जा रही हैं या नहीं। हमारे प्रदेश के तहसीलदारों तथा परगनाधिकारियों को इस तरह के आदेश नहीं दिये गये हैं। इसका सबूत यह है कि जिला बदायं के अन्दर किसी अधिकारी ने अभी तक इन एजेंटों के संबंध में किसी तरह की कोई छान-बीन नहीं की है।

श्रीमन्, मुझे इससे बड़ी खुशी हुई है और संतोष हुआ है कि सरकार ने आगामी फसल के लिये ५ लाख क्विंटल बीज लेने का प्रबन्ध किया है। सरकार यह भी सोच रही है कि प्रदेश के छोटे-छोटे किसानों को अहैतुक सहायत के बेसिस पर बीज फ्री सप्लाई कर दिया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि यदि वर्तमान परिस्थिति रही तो सरकार इस बीज की खरीद किसानों से नहीं कर पायेगी। ८० परसेंट इस बीज को एजेंटों के माध्यम से सम्बन्धित विभाग क्रय कर लेंगे। पर सरकार को विशेष रूप से इधर ध्यान रखना चाहिये। सरकार इस बीज की कीमत ९२ रुपये प्रति क्विंटल रखने जा रही है। यदि व्यापारियों ने ७६ रुपये प्रति क्विंटल इस समय गेहूं खरीद कर ९२ रुपये में सरकार को दिया और इसमें कहीं संबंधित डिपार्टमेंट के सरकारी अधिकारियों के साथ इनकी सांठगांठ हो गई तो सरकार का यह उद्देश्य विफल हो जायेगा कि बीज योग्य उपज के लिये किसानों को उत्साहवर्धक भाव दिये जायं।

दूसरी बात मुझे यह कहनी थी कि सरकार जो यह बीज खरीदने जा रही है, यह बहुत कम है। इस प्रदेश के कृषकों में ८८.३ परसेंट कृषक ऐसे छोटे किसान हैं जिन की जोत

[श्री शिवराज सिंह]

से कम है उनकी जोतों के नीचे प्रदेश की ४९.५ परसेंट कृषि भूमि है। इस प्रदेश के जो आंकड़े उपलब्ध हैं वह इस प्रकार के हैं कि १९६७-६८ में गेहूं की काश्त ४१ लाख ८७ हजार हैक्टेर में हुई थी। लेकिन अब बहुत सी गेहूं की नई उन्नतशील वैराइटीज आ गई हैं इसलिये यह आंकड़ा अवश्य बढ़ जायगा। इस वर्ष अनुमानतः ६० लाख हक्टर में गेहूं बोया जायेगा।

आधी जोत हमारे प्रदेश की, छोटे किसान लिये हुये हैं जो ३० लाख हैक्टेर होती है। इस तरह केवल छोटे वर्ग के किसानों को ही ३० लाख क्विंटल बीज की जरूरत पड़ेगी। ५ लाख और ३० लाख क्विंटल में बहुत अन्तर है। सरकार को बीज खरीदने के इस लक्ष्य को बढ़ाना चाहिये। इस प्रदेश में केवल मुट्ठी भर किसान हैं जिनके पास कम्बाई ड्स हैं। वे केवल इस क्षति से बचे हैं शेष प्रदेश के तमाम किसानों का गल्ला किसी न किसी मात्रा में खेतों या खलिहानों में भींग गया। भविष्य में इस प्रकार की क्षति न पहुंचे इस प्रकार प्रबन्ध करना सरकार के कर्त्तव्य विशेष में आ जाता है। गत वर्ष भी यह विपदा प्रदेश में आयी थी। उस वक्त मैं इस प्रदेश का कृषि मंत्री था। इस प्रदेश में जितने कारखानेदार Threshers निर्माण करते थे उनके प्रतिनिधियों की एक सभा बुलायी थी और एक योजना बनायी थी कि सरकार इस प्रदेश के अन्दर अधिक से अधिक मात्रा में थ्रेसर मुहइया करने का प्रबन्ध करे और एग्रो के जरिये हायर परचेज के लिये धन भी उपलब्ध करावे।

सरकार न इस योजना पर विचार करके यह निर्णय लिया था कि तेजी से इस योजना को चालू करे। हरियाना और पंजाब में ऐसी मशीन का आविष्कार हो गया है जो एक घंटे के अन्दर डेढ़ एकड़ खेत के गेहूं का भूसा बना कर इसमें से गेहूं को निकालकर रख देती है। ऐसी मशीनें अधिक से अधिक मात्रा में क्रय करने की बहुत जरूरत है। कारपोरेशन के माध्यम से हायर परचेज पर किसानों को मशीनें दी जायं। देहात के रहने वाले छोटे किसानों में ऐसी मशीनें लाकर दी जायं और योजना के अनुसार Custom work काम हो ताकि कहीं अगले वर्ष अप्रल के प्रारम्भ में ही फिर बारिश शुरू हो जाय तो प्रदेश की कृषि को, रबी की उपज को जो क्षति इस वष पहुंची है, वह क्षति न पहुंच पाये। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि काफी मात्रा में टारपोलिन का प्रबन्ध करके कृषकों को दिया जाय जिनसे वे अपनी फसल को खलियानों में तथा अन्न के भंडार में सुरक्षित रख सकें।

बड़ी खुशी की बात है कि भारत में गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। १९६८ के यूनाइटेड नेशन्स के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में गेहूं का उत्पादन १९६७-६८ में घटा है लेकिन तीन मुल्कों में गेहूं का उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा बढ़ा है। और खुशी की बात है कि हिन्दुस्तान में गेहूं का उत्पादन सभी देशों से अधिक मात्रा में यानी १३ प्रतिशत अपनी गत वर्ष की उपज से बढ़ा है। जहां गहूं का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है वहां गेहूं को रखने के लिये भंडार गृहों की बहुत भारी कमी है। सामूहिक रूप से कोई संस्था हो, ट्रेडर्स हों या काश्तकार हों, उनके पास भंडार गृहों की बड़ी भारी कमी है। आप किसानों को, आप उन्नत गेहूं के बीज दे रहे हैं, मक्सिकन वैराइटीज के अच्छे बीज द रहे ह, टेक्निकल ऐडवाइस दे रहे हैं, अच्छी खाद दे रहे हैं तो उस ऊपज को सही तौर पर रखने के लिये, उनको भंडार गृह के लिये डाइरेक्शन, टेक्निकल सलाह और भंडार गृह बनाने के लिये सामग्री भी दें और धन की आवश्यकता हो तो धन भी दें। मुझे खेद है कि किन्हीं कारणों से राष्ट्रीय पैमाने पर अन्न जो हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है, उसको सुरक्षित रखने के लिये बहुत सी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध नहीं होती।

मैं रसद मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे गांव वालों के लिये अनाज भंडारों के निर्माण हेतु जो सामग्री आवश्यक है उसका समुचित प्रबन्ध करें।

अन्त में मैं एक सुझाव और दे कर समाप्त करना चाहता हूं। आज के विज्ञान युग म वेदर फोरकास्ट बहुत आगे बढ़ चुका है। परन्तु हमें खेद है कि हमारा मेटालर्जिकल डिपार्टमेंट से इस सम्बन्ध में सहायता न के बराबर मिल पाती है। कोई कारण नहीं है कि अगर काफी पहले नहीं तो एक फोर्टनाइट पहले बारिश का फोरकास्ट न कर दिया जाय। मैं माल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जहां वे नुकसान का मूल्यांकन करते हैं, उसके आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो जिन बातों के माध्यम से कृषि को क्षति पहुंचती है उनके भावी कार्यक्रम से भी अवगत कराने की कृपा करें। उस सर्विस को बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है। रेडियो के माध्यम से मुखतलिफ तरीकों से चेतावनी देने की बहुत जरूरत है। मुझे खेद है कि किसान को किसी प्रकार की सहायता मौसम के फोरकास्ट के बारे में नहीं मिलती है। इसलिये सरकार अपने माध्यम से या केन्द्रीय सरकार की सहायता लेकर इस सम्बन्ध में अवश्य कदम उठाये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी न एक सुझाव अभी पेश किया था। मुझे वह बहुत पसन्द आया। मैंने प्रारम्भ में अर्ज किया कि सभी विधान सभाओं के काल में इतनी व्यापक और इतनी घोर क्षति कृषि को कभी नहीं पहुंची और इतनी घोर विपत्ति किसानों पर कभी नहीं आयी। किसान भी इस देश का नागरिक है। उनके बच्चों को भी शिक्षा दीक्षा देना बहुत जरूरी है। इसलिये गांव के आये हुये कृषकों के बच्चों की फीस इस वर्ष कालेजेज और यूनिवर्सिटीज में माफ होनी चाहिये और खास तौर से छोटे किसानों के बच्चों की फीस निश्चित रूप से माफ होनी चाहिये। ऐसा न हो कि किसी भी किसान के बच्चे को पैसे के अभाव के कारण अपनी तालीम समाप्त करनी पड़े।

इन शब्दों के साथ उन सभी कदमों की सराहना करते हुए जो सरकार ने इस सम्बन्ध में उठाये हैं मैं अपने सुझावों को विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

हमको भी कभी मौका मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

समयानुसार सभी को मौका दिया जायगा।

श्री बांकेलाल—

तो हमारा नाम भी नोट कर लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नाम नोट नहीं करता।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, अप्रैल के महीने से जो असामयिक वर्षा शुरू हो गयी उससे एक विशेष परिस्थिति पैदा हो गयी और खेती की जो बढ़ाई होनी चाहिये थी, वह नहीं हो पायी। हमारे राजस्व मंत्री जी ने जो नुकसान के आंकड़े दिये हैं वह सत्य से परे हैं। आखिर ये आंकड़े आये कहां से ? चाहे कृषि के अधिकारी हों, चाहे सहकारिता के अधिकारी हों, चाहे राजस्व विभाग के अधिकारी हों क्या उन्होंने गांव-गांव जाकर खलिहानों में के आंकड़े इकट्ठे किये। शाहजहांपुर जिले के अधिकारियों का हो टूर प्रोग्राम मंगा लें कि अप्रैल से ३० जून तक कितने अधिकारी गांवों में गये। यदि नहीं गये तो दफ्तर में बैठ कर जो आंकड़े दे दिये वह सत्य से परे हैं।

[श्री सुरेन्द विक्रम—]

जैसे शाहजहांपुर के आंकड़े हैं कि २५ से लेकर ४० प्रतिशत तक नुकसान हुआ यह बिल्कुल गलत है। वहां अब भी देखा जा सकता है कि सारा गल्ला और भूसा सड़ गया और कोई भी रेवेन्यू अधिकारी मेरे जिले में निश्चित रूप से खलिहान देखने नहीं गया। वह नहीं गये और तहसील हैड क्वार्टर पर बैठ कर सब आंकड़े तैयार कर देते हैं। किसी जिले में उनके जाने का प्रोग्राम दिखाई नहीं दिया। आज कल सबसे बड़ी परेशानी अफसरों को यह है कि जहां तक जीप जाती है वहीं तक वह जा पाते हैं। आजादी के पहले तो मोटर, साइकिल, पैदल, घोड़े से लोग जाने का प्रयत्न करते थे लेकिन आज तो जहां तक जीप का पहिया जाता है वहीं तक हमारे अफसर जा पाते हैं। सारे प्रदेश में इतनी मुसीबत आई और किसान बहुत परेशान रहे, दुखी हो गये, खलिहान तबाह हो गये, उनके बीज बरबाद हो गये, चारा खत्म हो गया लेकिन प्रदेश का कोई भी अधिकारी जहां तक जीप जा सकती थी उसके आगे नहीं गया।

आज हालत यह हो गई है कि अफसर पहले यह पूछता है कि बताओ वहां पर जीप जा सकती है या नहीं। उन अफसरों ने गांवों में जाकर किसानों की हालत को नहीं देखा। अगर वह गांव में जाकर सही हालत का पता लगाये तो सरकार के पास सही रिपोर्ट आये। अगर तहसीलदार या नायब तहसीलदार गांव की हालत को सही रूप में जाकर देखें तो सरकार को यहां पर झूठी रिपोर्ट सदन में न रखना पड़े। यह तो असामयिक वर्षा थी और किसी के हाथ की बात नहीं थी। यह भगवान का प्रकोप था। यह भी सरकार के खराब होने की वजह से होता है। यह लिखा है कि जिस सरकार की नीयत खराब होगी वहां पर अतिवृष्टि, अकाल, अनावृष्टि हो जायगी। उसी के अनुसार यह हुआ है। इसमें यह दैवी कठिनाई हुई।

आज समस्या यह पैदा हो गई है कि काश्तकार जिस गल्ले को उठाकर अपने घर ले गया है उसमें घुन लग गया है। मेरे यहां बीज गोदाम है। उसके सुपरवाइजर ने मुझे बताया कि क्या करें गोदाम में घुन लग गया है। जितना भी बीज उठाया गया है वह सब पूर्वी हवा में उठाया गया है। पूर्वी हवा में उठाया हुआ बीज बच नहीं सकता है। उसमें हमेशा घुन लग जाया करता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उसका कुछ विशेष प्रबन्ध किया जाय। काश्तकारों के लिये स्थगन किया गया है लेकिन मौके पर स्थगन नहीं हुआ है।

१२ तारीख से विधान सभा हो रही है तो शायद अब हुआ हो, लेकिन अभी तक नहीं हुआ था। सरकार वहां से आंकड़े मंगाकर देखे और जानकारी प्राप्त कर ले। पहले भी ऐसा हुआ है कि १० मार्च को जब ओले पड़े थे तो वहां से जिलाधीश ने शासन को रिपोर्ट भेजी। शासन ने यहां से स्वीकृति दे दी और लिखा कि छूट दे दी जाय, लेकिन आज तक वह छूट अमीन को नोट नहीं कराई गई है इसलिये मैंने कहा कि पिछले साल की अब तक नोट नहीं कराई गई है। तो यहां शासन से छूट मिल जाती है। और शासन माफ कर देता है पर वहां तक वह पहुंच नहीं पाती है। इसलिये शासन जो माफी करता है या सहूलियत काश्तकारों को सरकार देती है, तो वह उनको मिलनी चाहिये। अमीन हर हफ्ता रुपया दाखिल करता है। नायब तहसीलदार इस सब कामों को देखता है। मैंने इस विषय में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव देने का विचार किया है। जो कल दूंगा मुझे अभी खबर मिली है कि मेरे यहां तलहर तहसील में सवा छै एकड़ की जो लगान की माफी थी उसका भी लगान वसूल कर लिया गया है। उनको छूट देना तो अलग रहा। उनसे वह रुपया भी वसूल कर लिया गया जो उनको नहीं देना था। मैंने कलेक्टर साहब से इस बात को कहा तो उन्होंने बताया कि आबपाशी में मुजरा कर दिया जायगा लेकिन जिन लोगों ने आबपाशी नहीं की उनका क्या होगा। उनको कैसे रुपया वापस किया जायगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो रुपया किसानों से वसूल कर लिया गया है वह खाद के रूप में उनको दिया जाय और गांव में जाकर उनके दस्तखत लेकर उनको खाद दी जाय। नहीं तो उसको एक पैसा नहीं मिलेगा, काश्तकार मर जायगा।

आज गांवों में थ्रेसर नहीं मिल रहे हैं, बिजली के कनेक्शन मिलने में भी बहुत परेशानी है। वे केवल अप्रोच वालों को ही मिलते हैं। थ्रेशरों को चलाने के लिये ५–१० हार्स पावर के इंजिन चाहिये जिनकी बहुत कमी है। एग्रो इंडस्ट्रीज वालों से कहा जाय कि वह ज्यादा से ज्यादा तादाद में ब्लाक हेड क्वार्टर्स पर थ्रेशर भेजें और वह किसानों को सबसिडी पर दिये जायं ताकि जल्द से जल्द गल्ला खलियान से उठकर घरों में ले जाया जा सके। आज हालत यह है कि गल्ला खलिहानों में उग आया है। उनके पास जब पैसा नहीं है तो वह भैंसा बैल खरीद नहीं सकते। इन क्षेत्रों की इस समय बहुत ही दर्दनाक हालत हो गई है जहां कि पिछले साल भी एक दाना पैदा नहीं हुआ था। जहां ओला पड़ चुका था वहां के काश्तकार अब क्या करें। उनके ड्यूज के स्थगन से कोई काम नहीं चलेगा, वह तो उनको चार ६ मास बाद फिर देना ही होगा। जिस किसान ने कर्ज लेकर खाद डाला, बीज डाला और पानी सरकार से लेकर या नलकूप से दिया, क्रूड आयल भी आज बहुत मंहगा है वह सब उसने खर्च किया और कुछ उसके हाथ नहीं लगा तो स्थगन के कोई अर्थ नहीं है। अगर सरकार को पूरी माफी के लिये कोई विधेयक लाना पड़े तो वह उसे लाये और वह आपदकाल स्थिति की घोषणा करे क्योंकि किसान पर डबल केलेमिटी आ चुकी है।

छितौनी बांध की यहां कल बहुत चर्चा हुई। इंजीनियर्स छुट्टी चले गये और बाढ़ और बांध के टटने से व्यापक हानि वहां हुई है। मैं सन् ६२ से यहां सदस्य हूं हर साल छितौनी बांध का यहां जिक्र आता है और बरसात के सेशन में हर जुलाई अगस्त में छितौनी बांध की चर्चा होती है। मैं चाहता हूं कि इसका कोई स्थायी हल निकाला जाय। दस बीस करोड़ रुपया एक बार खर्च करके कोई स्थायी काम ऐसा किया जाय जिससे हर साल का यह रोना न रहे। अगर आप के यहां के इंजीनियर इस काबिल नहीं है, वह नालायक हैं तो आप जर्मनी से, केन्द्र से या विदेश से इंजीनियर मंगा कर इसका एक स्थाषी हल निकालें ताकि जो लाखों करोड़ों रुपये की सरकार की क्षति बांध टूटने से होती है, वह भी न हो और किसानों का करोड़ों रुपये का जान-माल का नुकसान न हो।

हर साल बांध टूटने की केलेमिटी आती है और गांव बरबाद होते हैं। यह बड़ी भारी पूरब की समस्या है इसका हल निकाला जाना चाहिये लेकिन दिक्कत यह भी है कि हर साल यहां सरकार बदल जाती है और जो भी सरकार आती है वह पावरमून और मनीमून मनाने लगती है जैसे हनीमून मनाया जाता है। जिन अधिकारियों के द्वारा हर तरह के चन्दे वसूल कराये जाते हैं यह उन्हीं अधिकारियों पर निर्भर करते हैं या और यह उन की खिलाफत नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने चन्दा इन्हें दिया है। तमाशा यह है कि छितौनी बांध से लोग बरबाद हुये। रेलवे वाले कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है, प्रदेश के इंजीनियर कहते हैं रेलवे वालों की गलती है, केन्द्र के इंजीनियर और मिनिस्टर कहते हैं कि प्रदेश के इंजीनियरों की गलती है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, इस तरह से एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से काम नहीं चलेगा।

ऐसी हालत में जनता क्या करे? उसका काम बड़े-बड़े भाषणों से और समाजवाद का ढिंढोरा पीटने से नहीं चलता, भाषण से राहत मिलती होती तो वह २५ साल पहले ही मिल गई होती। इस त्रुटि के निवारण के लिये आप को अपने नियमों में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। एक जगह बैठ कर लेखपाल लिख देते हैं कि ४०, ३५, ४५, प्रतिशत हानि हुई है, वह कभी ५० प्रतिशत से अधिक हानि नहीं दिखाते, ब्रिटिश शासन के जमाने से उनका वही रवैया चला आता है क्योंकि अगर वह ५० प्रतिशत से ज्यादा नुकसान दिखाते है तो उनको तमाम तरह के नक्से और कागज छूट के बनाने होते हैं इसलिये नीचे से ऊपर तक के सब अधिकारी यही चाहते हैं कि छूट होने के लिये ५० प्रतिशत से अधिक हानि न दिखाई जाय। इसके लिये आपको अपने इस रेवेन्यू मैनुअल को पूरा बदलना होगा। कागजात बनाने के चक्कर से बचने के लिये

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]

तहसीलदार, कानूनगो पटवारी कोई नहीं चाहता कि ज्यादा नुकसान दिखा कर छूट के कागजात बनाने के चक्कर में फंसा जाय।

यह जरूरी है कि हमारे घर में जितनी आग लगे उतना ही लिखें। अगर असलियत नहीं लिख सकते हैं तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जितना नुकसान हुआ है उसका सही मूल्यांकन हुआ है मौके पर। इसके लिये जो पुराने कानून हैं उसमें हमें आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा। ऐसा विशेषक लाइये जिससे छोटे काश्तकार को लाभ हो और उसके स्टैन्डर्ड आफ लिविंग में परिवर्तन आये। बड़े काश्तकारों को छोड़ कर छोटे काश्तकारों के स्टैन्डर्ड आफ लिविंग में कोई परिवर्तन नहीं आया है। वह उसी टूटे झोंपड़े में रहता है, उसी में बकरी, बैल आदि बांधता है। जाड़ों को वह रातें अपनी तपस्या करके आग को सेंक कर गुजारता है। गर्मियों के दिनों में बड़े-बड़े नेता और पूंजीपति जो बातानुकूलित कमरों में बैठे होते हैं तो वह अपने खेतों में लू चलते हुये जाता है। जाड़ों में जब वे रजाई, कम्बल आदि ओढ़े चैन से सोते हैं तो वह अपने खेतों में पानी दे रहा होता है। तो उस किसान की स्टैन्डर्ड आफ लिविंग में कोई अन्तर नहीं आया है।

इस पर भी उस पर पचास-पचास अफसर लाद दिये गये हैं। यह कौन है, ये हैं ए० डी० ओ० एग्रीकल्चर, ये कौन हैं, ये हैं ए० डी० ओ० कापरेटिव्स, ये कौन हैं, ये हैं एन्टी मलेरिया वाले, ये कौन हैं, ये हैं फैमिली प्लानिंग वाले, इसी तरह से ये हैं सीड स्टोर सुपरवाइजर, खाद के सुपरवाइजर, मवेशी डाक्टर आदि आदि, कोई मछली के और कोई स्टेटिस्टिक्स के। तो इतने अफसर जो डालडा किस्म के लाद दिये गये हैं वे वहां पतलून पहनकर जाते हैं। वे खेत की मेड़ पर नहीं जाते हैं। ग्राम सेवक का क्या कर्तव्य है। जैसे कि आज कल खरीफ अभियान चल रहा है उसे चाहिये कि वे साइकिल रखें, फावड़ा रखे और अपने पास खुर्पी रखे वह वहां मौके पर जाकर खेत नापे और बतावे कि पैडी लगाने में कितने एकड़ में कितना बीज लगेगा। वह तो टैरीलीन की बुशर्ट आदि पहने हुये हैं। वह तो गांव में प्रधान से ही बात कर लेगा। उनकी भी मीटिंग्स इतनी होती हैं कि उसको भी फुरसत नहीं मिलती। ये जो इतने अधिकारी लाद दिये गये हैं अगर इनसे वह छुट्टी पा जाय तो उत्तर प्रदेश का किसान आभारी रहेगा।

नेचुरल कैलेमिटी प्रतिवर्ष होती है परन्तु इस वर्ष नेचुरल कैलेमिटी ज्यादा हो गई। इस का सही मूल्यांकन तो कराइये। उसको कितने बीज की जरूरत है। उसको आने वाले साल में कितनी फसल बोनी पड़ेगी। बीज कहां से मुहैया करायेंगे आदि। यह विशेष परिस्थिति हमारे प्रदेश में पैदा हो गई है। यदि इस विषम परिस्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया तो हमारे प्रदेश का कृषक हमेशा-हमेशा के लिये पीछे रह जायेगा। वह पहले से ही तकावी कर्जे आदि से लदा हुआ है। उसका तो सामान बिक कर ही निस्तारा होगा। भविष्य का इतिहासकार हमको और आपको क्षमा नहीं करेगा। जहां पिछले साल भी कैलेमिटी हो चुकी हों वहां जरूर लगान आदि माफ करायें, राहत दें।

जिला कृषि अधिकारियों तथा रेवेन्यू अधिकारियों को आदेश दें कि जब तक बुवाई वहां खेतों में न हो जाय तब तक वे वहां कैम्प करें भले ही उन्हें बैलगाड़ी पर या साइकिल पर चलना पड़े पर वे वहां तक अवश्य जायं। वे हेडक्वार्टर्स में बैठे हुये हैं पंखों के नीचे और वहां किसान किस तकलीफ में है या उनको पता तो चले कि किसान को वहां मच्छर किस तरह काटते हैं। आप इसकी व्यवस्था कर दें। दूसरी बात मैं यह आवश्यक समझता हूं कि जो नुकसान का मूल्यांकन करना है वह आप छांट लें। किस तहसील का तहसीलदार ने टूर किया, ३१ जून तक? यदि नहीं किया है और जिले में बैठकर रिपोर्ट भेज दी है, तो वह सही नहीं हो सकती। यह तो बड़ा देश द्रोह है कि काश्तकार की तकलीफ को छिपाया जाय। तो इससे काश्तकार को राहत दिलाइये और उसे बीज मुहैया कराइये।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मैनेजर सिंह ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

श्रीमन्, कल से लेकर आज तक हमारा रोजन अनरिप्रेजेन्टेड रहा है । यह कंलेमिटी वैस्ट में भी आयी है, इसलिये मुझे भी मौका दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके दल से श्री शम्भूनाथ चौधरी जी ने नाम दिया था । मैं उनको समय देना चाहता था लेकिन वह इस समय से उठे नहीं और नजर श्री मैनेजर सिंह पर पड़ी ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

इस तरह से मेरे साथ ज्यादती हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपाकर व्यवहार और मर्यादा को इस सदन के अनुकूल बनायें ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

तमाम बहस पूर्वी जिलों पर हो रही है....

श्री उपाध्यक्ष—

जो बाहर रहें और आकर यहां लेक्चर झाड़ दें और समय चाहे तो उन पर नजर पड़ना मुश्किल होता है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी शम्भूनाथ जी इतने छोटे हैं कि कुर्सी के अन्दर छिप जाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी नजर जरूर उधर थी कि अभी भारतीय क्रान्ति दल को समय नहीं मिला है, लेकिन वह खड़े नहीं हुए ।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे प्रदेश के किसानों पर जैसी विपत्ति आई है उसके सिलसिले में जिस वातावरण में आज विवाद होना चाहिये था उस वातावरण का सर्वथा यहां अभाव नजर आ रहा है । मान्यवर, मुझे खेद है कि माननीय राजस्वमंत्री जी जो इस विवाद में बराबर यहां उपस्थित हैं, जिस भाव-भंगिमा से बैठे हुए हैं उससे मुझे लगता है कि हमारे माननीय सदस्यों की बातों का उनके दिल-दिमांग पर कोई असर नहीं हो रहा है, वे सुन ही नहीं रहे हैं । माननीय राजस्व मंत्री जी हमारे सोशलिस्ट पार्टी के नेता रहे हैं, हमारे भी नेता रहे हैं । लेकिन मैं खेद के साथ कहना चाहता हूं, हमारे सोशलिस्ट बन्धु जब विरोध में थे तो बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें किया करते थे औरहम भी कहा करते थे कि हमारे लोग जब शासन की कुर्सीयं पर बैठेंगे तो एक इंक्लाब आ जायगा, किसानों की बात सुनी जाएगी, गरीबों की पूछ होगी और नौकरशाही पर अंकुश लगेगा, नौकरशाही का हौसला पस्त होगा । लेकिन अब मैं देखता हूं कि जब हमारे समाजवादी साथी शासन की कुर्सीयों पर बैठते हैं तो नौकरशाही के गुलाम हो जाते हैं, नौकरशाही के पीछे दुम हिलाते हैं । इससे तो अच्छे हमारे वह पुराने कांग्रेसी बंधु हैं जिनमें आज भी कुछ हया और शर्म है ।

[श्री मैनेजर सिंह]

आज का हमारा राजस्व विभाग इतना निष्क्रय और अयोग्य है कि उसकी कोई हद नहीं है। हमारे अनेक साथियों ने शिकायत, की कि माननीय मंत्री जी में जुर्रत हो, हिम्मत हो तो वह कहें कि किस जिले के जिलाधिकारी, हाकिम परगना, तहसीलदार,नायब तहसीलदार ने किसानों की इस विपत्ति में गांव में जाकर, खलिहानों में जाकर उनकी तकलीफ को देखने और समझने की कोशिश की है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज से दो महीने पहले हमारे बलिया में कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रदर्शन हुआ। उनका शिष्ट मंडल जिलाधिकारी के पास गया और अपनी मांग की कि खलिहानों में किसानों का गल्ला सड़ रहा है और उनकी नाउम्मीदी बढ़ती जा रही है, आप इस तरफ भी ध्यान दें।

हमारे बलिया के जिलाधिकारी ने कहा कि उनको इसका पता है। जिलाधिकारी बलिया ने कहा कि आज ही मैंने इस विषय को डिस्कस किया है अपने अधिकारियों के साथ और ६० फीसदी गल्ला घरों में पहुंच गया है और ४० फीसदी बचा है और उसके लिये भी समय है। मैंने भी उनसे कहा कि आप १ घंटे के लिये समय निकाल कर बलिया के कुछ गांवों में मेरे साथ चलें तो मैं आपको वहां की स्थिति को दिखलाऊं। आप इन गावों के खलिहानों में जाकर तो देखिये ताकि आपको पूरी स्थिति का पता चले कि क्या हालत है। मैं कहना चाहता हूं कि मुश्किल से २० फीसदी गल्ला भी किसानों के घरों तक नहीं जा पाया है और सब बर्बाद हो गया है। इस प्रकार की रिपोर्ट देकर आपका राजस्व विभाग किसानों के साथ दगा कर रहा है। वह अयोग्य है। आप जांच करवायें और अगर यह बात गलत है तो आप कहें।

मुझे अफसोस है कि हमारे जिलाधिकारी न तो स्वयं गये और न तो उस दिन के बाद भी किसी अधिकारी को ही उन्होंने भेजा। माल विभाग निकम्मा विभाग है। उसको काश्तकारों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। मैं तो यह मांग करता हूं कि यह राजस्व विभाग माननीय मंत्री जी से निकाल कर किसी और माननीय मंत्री को सौंप दिया जाय। बाढ़ सेवा के लिये विधान मंडल से पैसा स्वीकृत होता है लेकिन आप देखें कि वर्ष ६९-७० में जो धन स्वीकृत हुआ था राजस्व विभाग ने उस धन का सदुपयोग नहीं किया इससे बढ़कर नाकारेपन का और क्या उदाहरण हो सकता है।

देवरिया के जिलाधिकारी ने कहा कि हमारे पास देने के लिये पैसा नहीं है। हम कहां से उनको दें। बाढ़ में, आग में, जिस गरीब काश्तकार का घर जल या ढह जाय उसके लिये शासन ने १२० रु० या कितना देने की स्वीकृति दी थी पर उनके अहलकार केवल २०, २५ रु० ही उसको देते हैं। आग लगने की सूचना जब विधान मंडल के सदस्य देते हैं, यहां पर देते हैं उसके ऊपर भी कोई कदम नहीं उठाया जाता। आपके [<<<] तहसीलदार, कानूनगो आदि उसकी रिपोर्ट नहीं देते हैं। मैंने इसको भी कई मर्तबा शिकायत की, राजस्व सचिव से इसकी शिकायत की। परन्तु आपके [<<<] राजस्व सचिव ने उस पत्र की प्राप्ति भी स्वीकार नहीं किया और न तो उसका कोई जवाब ही दिया। मैंने राजस्व सचिव से कहा था कि आप तो कानूनगो और तहसीलदार को रिपोर्ट न भेजने के कारण मुअत्तल करना चाहिये। बात तो यह है कि लेखपाल से कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार तथा कलेक्टर सभी खाते हैं। यह सिलसिला है इन अधिकारियों का। मैं कहना चाहता हूं कि मुझे इसका बहुत अफसोस है।

राजस्व सचिव ने न तो इसकी जांच करवाई और न तो इस पर कोई ध्यान दिया। यह सिलसिला हमारे इस निष्क्रिय और अयोग्य राजस्व विभाग का है। यहां पर पैसा मंजूर होता है वह भी इन बेचारे काश्तकारों को नहीं बांटा जाता है। मैं यह मांग करता हूं कि यह महकमा अलग कर दिया जाय और यह विभाग ऐसे व्यक्ति को दिया जाय जिसमें शर्म, हया और दया हो। किसानों के गल्ले के बारे में कोई भी ठीक रिपोर्ट नहीं दी गई है। जो कुछ दिया गया है

[×××] मा० अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिये गये।

वह सरासर गलत है। राजस्व मंत्री जी हमारे नेता रहे हैं। मैं अभी भी विधान सभा को छोड़ कर उनके साथ बलिया जा सकता हूं और वह भी हमारे साथ चलें तो मैं उनको दिखलाऊं।

अभी हमारे [illegible] माधव प्रसाद त्रिपाठी ने कहा कि कमेटी सड़कों पर घूमती रही लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं बीच सड़क से घुमाऊंगा। सड़कों के किनारे हजारों-हजार बोरा गेहूं के सड़ रहे हैं और टाल में से गेहूं जम आया है और पौधे खड़े हो गये हैं। आपके अधिकारियों ने कह दिया कि सब ठीक है, पानी से कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसानों का गल्ला घर में बताया है। आप कहिये कि दूसरे विभाग के मंत्री हो जाइये या बिना विभाग मंत्री रहिये। आप विभाग से ऐसे अधिकारियों को निकाल नहीं पाये हैं। तो या तो बिना विभाग के मंत्री बन जाइये या इन निकम्मे अधिकारियों से प्रदेश को मुक्ति दिलाइये।

मैं कहना चाहता हूं कि आपने किसानों को रसातल में पहुंचा दिया है। आपको उनके भविष्य का भी विचार नहीं है। आपने अभी तक किसानों के लिये रबी की फसल में बोये के लिये बीज का प्रबन्ध नहीं किया है। इसके संबंध में हमारे साथी शिवराज सिंह जी ने अपने भाषण में कहा, हमारे माननीय त्रिपाठी जी ने कहा और मा० कृष्णानन्द राय जी ने कहा, लेकिन सरकार सोई हुई है। आप बीज के लिये पंजाब और हरियाना को जनवरी, फरवरी में जो करेंगे और फिर मार्च अप्रैल में बीज आयेगा। ऐसा पिछले सालों में हो चुका है। होगा यह होगा कि इसको रोपे बाई जायेंगी और व्यापारी लोग फायदा उठायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि बीज का प्रबन्ध कीजिये ताकि बोये के समय खेत परती न रह जायं।

[illegible] आपके राज्य मंत्री, माननीय राजबिहारी सिंह १० तारीख को गये थे, उनसे पूछ लीजिये। बलिया से बहुआरा तक २८ मील किस तरह दोनों तरफ पानी भरा है कि खेत [illegible] कहीं नजर नहीं आता है, खेत ऐसे ही पड़े हैं। रबी की फसल तो खराब हो गई, भाई की फसल भी नहीं होगी। ऐसी हालत में किसान को रोटी देने की जरूरत है। किसानों को बेरोजगारी देने की, उनके लड़कों को कोई काम [illegible] पड़ेगी और वह दूसरों के यहां काम करने जायेंगे उनको आपको मजदूरी देनी पड़ेगी। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो यह मरीचिका से काम होने वाला नहीं है।

मदारी आता है और सड़क के किनारे तमाशा करता है। सर्प को काट देता है और जोड़ देता है। पढ़े लिखे लोग जानते हुये भी कि सब झूठ है विश्वास कर लेते हैं। लोक सेवा समिति के [illegible] के समय एक मदारी कुरुक्षेत्र में लड़के का गला काटकर जोड़ दिया। हमारे विधान सभा के सदस्य उस मदारी के चक्कर में पड़ गये। लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि जनता आपको बैलट से नहीं बैठने देगी। जनता में निराशा का वातावरण बढ़ रहा है। माननीय इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओं नारे के कारण जनता में विश्वास पैदा हुआ कि वे कुछ करना चाहती हैं, किन्तु अब आशा क्षीण होती जा रही है

जनता ने समझा था कि हमारे तकलीफ का अहसास प्रधान मंत्री को हो गया और अब गरीबी मिटेगी। लेकिन गरीबी मिटना तो अलग आपको हमदर्दी भी उनके साथ नहीं [illegible] है। जनता को यह एहसास हो गया है कि ये ओछे लोग हैं, धोखा दे रहे हैं। हमारे साथ इनको हमदर्दी नहीं है। यह तो कुर्सी के लिये नारा देते हैं। जनता इनको बर्दाश्त नहीं करेगी और इस को बाकी की तरह आपको निकाल कर फेंक देगी। आपकी दशा बंगाल की तरह होगी। आपका बामोनिशान नहीं होगा। उस समय आपके साम्यवादी साथी, माननीय नेगी जी का झंडा बुलन्द होगा। आपको जो दोस्ती है उस समय यह उस दोस्ती का ख्याल नहीं करेंगे।

एक सदस्य—

आप उनके साथ हो जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

वहां वर्षों के कार्य के बाद ऐडमिशन (प्रवेश) होता है। वहां आपका ऐडमिशन (प्रवेश) नहीं होगा। वहां तो आपको दंड मिलेगा अपने कर्मों का। यदि आप चाहते हैं कि जनता में प्रजातंत्र के प्रति आस्था बनी रहे तो आप जनता के दुःख दर्द में सहानुभूति पूर्ण कार्य करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और नौकरशाही के कुकर्मों पर पर्दा डालते रहेंगे जो जनता का गला घोंट रही है तो यह नौकरशाही आपको ले डूबेगी।

कौन अधिकारी कहां रखा जाय आप यही तय नहीं कर पाते। ए०पी०सी० कौन बने? आपने आई० सी० एस० को ए०पी०सी० बना दिया जिसके घर खेती नहीं होती। वह गरीब खेती के बारे में कुछ जानता नहीं। इसी तरह राजस्व सचिव ऐसे आदमी को बना दिया जो खेती के बारे में कुछ नहीं जानता। इस तरह से काम करने वाला नहीं है। Io माधव प्रसाद जी ने कहा कि नौकरशाही इतनी मजबूत हो गयी है कि हरदोई से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक एक खून का संबंध हो गया है। यह सही है। उनमें एक लैंड रिलेशन हो गया है। एक सिपाही, दरोगा या लेखपाल पर उंगली नहीं उठा सकते। शिकायत भी करें तो कोई सुनने वाला नहीं। अभी परसों नेगी जी को पुलिस वाले ने हांट कर दिया। इस बात को वह भी जानते हैं कि यह गलती से दूसरी गाड़ी में बैठ गये। अगर पुलिस वाले आइजजल इनसे पहले पूछ लेते तो यह मामला इतना तूल न पकड़ता। ऐसे माननीय सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया गया जिनका और जिनकी पार्टी का यहां और दिल्ली में आपको कुर्सी पर बैठाने में बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप इस तरफ ध्यान न देंगे तो यह नौकरशाही आपको ले डूबेगी। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि बीज, खाद और पानी की जो तकलीफ है, उसको साफ किया जाय और आने वाले साल के लिए बीज और खाद का प्रबन्ध किया जाय।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

हमारे क्षेत्र के बारे में यहां कुछ नहीं आ रहा है तो आप मुझे भी समय देंगे या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष—

हम सबको समय देने की कोशिश करेंगे।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

मैं आपकी भाषा को जरा कम फालो कर पाता हूं। आप स्पष्ट बतला दें कि आप समय देंगे या नहीं।

(व्यवधान)

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

हमें भी तो बोलने का अवसर दीजिये .... (व्यवधान)

श्री बांकेलाल—

हमारे दल का भी अभी तक कोई नहीं बोला है ....

श्री उपाध्यक्ष—

जब मंत्री जी खड़े हुये हैं तो उनको आपको सुनना चाहिये।

श्री गोबिन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

अच्छा होता पहले हम लोगों को मंत्री जी सुन लेते। (व्यवधान)

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनीसिंह)—

आप चाहें तो उनको समय दे दें, वैसे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा ।

बात यह है कि इसमें किसी को इनकार नहीं है कि सारे सूबे में एक बड़ी भारी विपत्ति आयी है जिसको यदि असाधारण से भी ऊपर कुछ कहा जाय तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी । ऐसे समय में पानी बरसा जब फसल कट भी नहीं पायी थी । हमें उम्मीद थी, और बड़े खुश थे कि अब की पैदावार बहुत अच्छी होगी, किसान का भला होगा, हमसे पहले वाली सरकार भी इससे खुश थी, जाने में उसको भले ही तकलीफ हुई हो, मगर इससे खुश थी कि फसल अच्छी होगी । उसने किसानों का गल्ला खरीदने के लिये यह प्रबन्ध भी किया था कि केंद्रीय फूड कारपोरेशन उसको खरीदे क्योंकि उसके पास सभी साधन उपलब्ध हैं ।

एफ० सी० आई० ने गल्ला खरीदना शुरू किया । इस वक्त हालत यह है कि हर आदमी अपने अपने जिले की बात सोचता है, लेकिन जब पास वाले जिले में जाता है तो वहां उससे अधिक नुकसान नजर आता है । मैं तो कहता हूं कि कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां नुकसान न हुआ हो । लेकिन किसान बड़ा ही धैर्यवान है, उसने धैर्य को छोड़ा नहीं । उसने बड़े परिश्रम और धैर्य से काम लिया। मैं तो कहूंगा कि आपके सूबे की एकोनामी को उसने पलट दिया है । लेकिन दुदव हुआ । उसमें कोई हाथ किसी का नहीं बटा सका । सरकार ने देखा, हमने फैसला किया कि अन्न खरीदें । जो आपने दोष बताये हैं वह सब उनमें हैं । बहुत से नुक्स हैं । हमारा गल्ला सस्ता खरीदा, महंगा बेचा, हमारी क्वालिटी में कमी की । तौल में कमी की । हमारी नजर में वह चीजें आयीं । हमने बड़ी तेजी से उसका प्रतिकार करने की कोशिश की । जब किसी चीज पर बहस होती है तो बहस का मंशा यह होता है कि एक प्राबलम है, उसको हल करें ।

आप हमको कहें कि हम नहीं कर पाये, हम आपको कहें कि नहीं कर पाये । इस तरह से मामला हल नहीं होता । मामला हल होता है जब निकाल दें इस भावना को कि कौन गवर्नमेंट में है और कौन अपोजीशन में हैं, फिर उस पर आप बतायें तो प्राबलम हल होगी । आपको अधिकार है कि आप अपनी कांस्टीटुएंसी की बातें यहां पर रखें । सरकार का फर्ज है कि उनको सुन कर जहां तक दूर कर सके, दूर करे । लेकिन भावना यह होनी चहिये कि हम एक दूसरे की मदद में आयें । यह आपदा सरकार की बनायी हुई नहीं है । न हमारी सरकार की, न पिछली सरकार की । हमारी शक्ति के बाहर है । मानव की शक्ति के बाहर है । आज आसमान खुला है । डर लगता है कि सावन में पानी होगा या नहीं । बैठ मास पुरवा सावन धूरि उड़ायी । इन बातों का हमें मुकाबला करना है। वह मुकाबला करने की हमने कोशिश की । मैं गल्ले की खरीद की बात कहता हूं ।

जब हमें मालूम हुआ, हमने अपने विभाग के कार्यकर्ता लगाये जब कि एफ०सी०आई० पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था । वह सेंट्रली गवर्न्ड है । कामर्शल बाडी है । उनके अलग एजेंट हैं । जब दिक्कतें हुईं तो हमने क्वालिटी इंस्पेक्टर और अपने इंस्पेक्टर को भेजा । हम गल्ला मंडी गये । हमने जा कर देखा । हम कच्चे आढ़तियों और पक्के आढ़तियों के पास गये । हमने कोशिश की कि किसान को किसी तरह से राहत पहुंच सके । हमें जितना अन्न खरीदना एफ०सी०आई० का उससे दुगना खरीद लिया। ४ लाख टन खरीदना चाहिये था एक महीने में ६ लाख टन आया, ८ लाख टन खरीद लिया । साढ़े नौ लाख टन खरीदना है । हम भागते नहीं । बनिया किसान को पूरी तरह से लूट रहा था । हमने स्टैंड बाई किया । हम गल्ले को बराबर साल भर इसी रेट पर खरीदेंगे । अगर बनिया कम करेगा तो नहीं करने देंगे । हो सकता है कि इस में पूरा फायदा न पहुंचा हो । हमने रेडियो में घोषणा करायी, हमने कलेक्टरों को कहा, लेखपालों के जरिये कहलाने की कोशिश की। लेकिन हमें एक दाना अन्न की जरूरत नहीं है। हम प्रोक्योरमेंट नहीं कर रहे हैं ।

[श्री बेनीसिंह]

हम प्राइस सपोर्ट कर रहे हैं । उसमें हमें आपकी मदद चाहिये । जहां कहीं कोई गड़बड़ी हो हम को बताइये, उसके लिये लड़िये और रोकथाम कीजिये । तब हमारी मदद होगी । जिन-जिन महानुभावों ने चिट्ठी लिखी है, अपने जिले की शिकायत की, उसको हमने जांच करवायी और रफा करने की कोशिश की । आपने जो कुछ कहा अच्छी भावना से कहा, किसान की भलाई के लिये कहा । हम इस चीज को मान कर चल रहे हैं ।

हमने क्या किया है और हम क्या कर रहे हैं इसको भी तो देख लिया जाय । इसको भी तो आप नापतौल लीजिये । हमने कहा कि हम किसानों के भावों को नहीं गिरने देंगे और उनसे गल्ला खरीदेंगे । एफ० सी० आई० के जितने भी सेंटर हैं उन पर क्रय किया जितने सड़क के किनारे सीड स्टोर हैं हम उनसे गल्ला खरीदेंगे और खरीद रहे हैं । यह स्कीम हमारी थी कि हम गांवों में जाकर किसानों का गल्ला खरीदें किन्तु वर्षा अधिक होने और भारी होने के कारण हम वहां नहीं जा पाये क्योंकि हमारे ट्रक और आवागमन के साधन न ले जा सकने के कारण हम ऐसा नहीं कर पाये किन्तु हमारा यह निर्णय है कि सड़क पर जहां पर कि हमारे ट्रक्स वगैरह आसानी से पहुंच सकेंगे वहां से किसान का सारा गल्ला ले लेंगे, बशर्ते कि वह अपने गल्ले को वहां सड़क तक ले आये । वहां पर हमने अपने सुपरवाइजर लगा दिये हैं और हमने एफ० सी० आई० में अपने क्वालिटी इन्सपेक्टर बना दिये हैं किन्तु किसानों का गल्ला हमें जिस रूप में और जितनी मात्रा में लेना चाहिये था, वह नहीं हुआ। दूसरे जिलों का गल्ला हमारे पास आया। इसका कारण बीच के गांवों में जो दलाल और आढ़ती होते हैं उनकी वजह से हम ऐसा नहीं कर पाये ।....(व्यवधान)

मैंने बताया कि एकाएक बरसात में हम ऐसा नहीं कर पाये । अगली फसल में हम कोआपरेटिव से भी और एफ० सी० आई० से तथा अन्य ऐजेंसियों से हम किसानों का गल्ला खरीदेंगे और जितने भी परचेजिंग सेंटर होंगे वे शहर में न खोल कर देहातों में खोले जायेंगे। हमने ऐसा प्रबन्ध किया है और मैंने अपने विभाग को आदेश दे दिये हैं कि १५ दिन के अन्दर हमें इस प्रकार का एक नक्शा तैयार करके दो कि कितने सीड स्टोर खुलेंगे ताकि किसानों को शहर न आना पड़े।

हम गांवों में भी जायेंगे । अगर हम केवल मंडियों में ही रहेंगे तो बीच का आदमी जरूर हमारे और किसान के बीच में आयेगा । इसलिये हमने सोचा है कि जितने ज्यादा सेंटर्स हम बना सकें बना दें । हम गांवों में भी जायेंगे, अगर कोई कहेगा कि हम वहां पर एक ट्रक गल्ला देंगे । वहां हमारी ट्रक जायगी और हमारा पल्लेदार भी जायगा । वह आपका गल्ला तौल कर लायेगा । लेकिन दूसरी ओर हमारी मुसीबत भी सोचिये । जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया और जितना हम करना चाहते थे उतना हम नहीं कर पाये।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

आपने तो गरीबी दूर करने की एक डैफीनिट डेट दी है।

श्री बेनी सिंह—

यह तो गल्ले खरीदने का प्रश्न चल रहा है । गरीबी दूर करने का प्रोसेस तो बहुत लम्बा है । यह तो उसका एक हिस्सा है । इस तरह से जब बहुत सी चीजें मजमुई तौर से होंगी तब जाकर गरीबी दूर होगी । अब हमारी मुसीबत भी देखिये कि हमने ४–६ लाख ट की खरीद का इन्तजाम किया था, लेकिन ८ लाख टन खरीद हो गयी । अब उसके लिये बोरे भी नहीं हो सकते, पैसा भी कम हो सकता है, जगह की कमी भी हो सकती है ।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

यहां सूखा और कटाव पर माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं और माननीय मंत्री जी उसके बारे में कुछ न कह कर एक ही बात कहे जा रहे हैं ।

श्री बेनीसिंह—

एफ०सी०आई० के सिलसिले में माननीय कृष्णानन्द राय जी ने एक बात कही थी, मैं उसी का जवाब दे रहा था । हमने जो किया है उसमें अगर कोई खामी हो उसे बताइये ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

आप जो कह रहे हैं वह आपने किया नहीं है ।

श्री बेनीसिंह—

अगर नहीं हो रहा है तो आप हमें बताइये और हमारी मदद कीजिये । अगर इसमें आप हमारी मदद न कीजियेगा तो कभी नहीं होगा । आपकी इम्दाद से सौ काम पूरा होगा ।

मैं यह कह रहा था कि हमारे पास ऐसी हालत में जगह की कमी हो सकती है, बोरों की कमी हो सकती है और अगर बीच में बेईमान लोग आ जा.ं तो हमारी दिक्कत और भी बढ़ सकती है । उनको हमें दूर करना होगा । हमने यह बताया कि यह हम कर रहे हैं अब और जो राय हो आप हमें बजट सेशन में दीजिये कि हम क्या और करें । गांवों में जो किसान भी हमारे पास गल्ला लेकर आये वह अपनी जोत बही साथ में लाये । अगर उसके पास जोत बही नहीं होगी तो गल्ला नहीं लिया जायगा । अगर जोत बही न हो तो सभापति ः लिखवा कर लाये ।

श्री रामलाल भाई (जिला गोरखपुर)—

१५ जून को माननीय राज्यमंत्री खाद्य हमारे यहां गये थे और उन्होंने ७५ रुपया क्विंटल के हिसाब से खरीदते हुए और ४५ रुपया देते हुए देखा था । राज्य मंत्री जी ने उसको स्वयं पकड़ा था । मैं उस संबंध में मंत्री जी से जानकारी करना चाहता हूं कि क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री उपाध्यक्ष—

अगर मंत्री जी को मालूम हो तो बता दें ।

श्री बेनी सिंह—

ऐसे अलग अलग सवालों का जवाब तो मैं इस समय नहीं दे पाऊंगा । माननीय रामलाल भाई मेरे पास चले आयें उनको बता दूंगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें बड़ी खुशी है कि हमारे प्रदेश के माननीय खाद्य मंत्री जी ने इस विषय की गुरुता को आज समझा है । क्योंकि यह नंवी आपदा है । इस विषय की गुरुत को न समझने के कारण ही हमारी इस सरकार से भूल हुई है । एक कारण यह बताया गया है कि असामयिक वर्षा हुई । लेकिन दूसरा कारण पुरवा हवा का भी है जिसकी बराबर उपेक्षा हुई । यह हवा तो उसी समय से बहना शुरू हुई जब से लोक सभा के चुनाव हुये थे । देश के लोग कहते थे कि इंदिरा जी की हवा बह रही है और जिस दिन माननीय कमलापति त्रिपाठी जी की सरकार इस प्रदेश में ४ अप्रैल को सत्तारूढ़ हुई उसी समय से यह हवा बराबर बह रही है और लगातार चल रही है । वर्षा श्रीमन्, मुख्य रूप से जून से होना शुरू हुई । वैसे छुटपुट पहले से भी होनी शुरू हो गई थी । जून में मुख्य रूप से वर्षा प्रारम्भ हो गई थी । उधर दो महीने से पछुआ हवा नहीं चली तो किसान कैसे अपनी मड़ाई करता । उस समय किसी ने भी सोचा कि किसानों की जो दौरी नहीं हो रही है, वह कैसे हो सकती थी ।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

उस समय हमारे प्रदेश की सरकार की नीति तो यह थी कि जो अनुशासित दण्डित कर्मचारी थे, उनको बहाल करके खुश किया जाता तथा विद्यार्थियों को आर्डिनेन्स वापस लेकर खुश किया जाय। ऐसे-ऐसे कर्मचारी भी हैं कि मैं क्या बताऊं। एक हमारे शर्मा जी थे जो रिटायर हो गये थे और जिनका प्राविडेंट फंड भी ले लिया गया था उनको भी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिये दुबारा वापस बुला लिया गया है। यदि सरकार ने, सरकारी नलकूप से किसान को बिजली देकर मड़ाई की मशीन लगाने की छूट दी होती और निजी नलकूपों को दिन रात बिजली दी होती तो उस आपदा का मुकाबला हुआ होता।

किसान बिचारे कहते हैं कि हम से चार्ज ले लिया जाय लेकिन हमको बिजली दे दी जाय, और हम गांव भर की दौरा कर लेंगे। लेकिन इंजीनियर महोदय कहते हैं कि हमें सरकारी आदेश नहीं है। श्रीमन्, जो लोग उधर बैठे हैं उनको अच्छी तरह से मालूम होगा कि १९६७ में भी दैवी आपदा आई थी तो उस समय की सरकार ने क्या किया था। उसने साफ एलान कर दिया था कि जो लोग निजी नलकूप लगायेंगे उनको इतनी सरकारी छूट दी जायगी, जो लोग कुयें खुदवायेंगे उनको इतनी छूट होगी। हमारे यहां ७० फीसदी फसल सड़ गई। जब बिजली नहीं मिलती है तो गांव के लोग कैसे थ्रेशर लगवायें और दौरी करायें ?

आप दिन में बिजली नहीं देते हैं और रात में बिजली देते हैं। रात को तो बिच्छू और सांप काट दे। कौन किसान है जो रात में दौरी कर सकता है? राजस्व मंत्री जी बतलावें कि मड़ाई करने के लिये किसानों को कोई सुविधा उन्होंने क्यों नहीं दी ? सरकार एक आदेश निकाल सकती थी, कि जो मशीन लगायेंगे, जो थ्रेशर लगायेंगे उनको चौथाई छूट दी जायगी, इसका नतीजा यह होता कि किसान उत्साहित होते और थ्रेशर के माध्यम से किसान जल्द से जल्द अपनी दौरी कर लेते और इस तरह से तीन चौथाई अन्न किसानों के घर में अवश्य पहुंच गया होता। लेकिन ये तो समझते ही नहीं। जितने मिनिस्टर्स हैं उनमें आधे तो एक जाति के हैं—पत्रा वाले। इन्हें मतलब नहीं खेती से। किसानी न उन्होंने की और न इनका पुश्तैनी पेशा खेती है। इसलिये यह साफ है कि श्रीमन्, मैं कोई आलोचना के लिये नहीं कहता—यह स्पष्ट है कि इस सरकार ने किसानों के साथ बड़ा भारी विश्वासघात किया है, धोखा किया है और जैसा कि श्री मैनेजर सिंह ने कहा—जो देशद्रोहिता आपने किसानों के साथ की है उसका मजा वह आपको भविष्य में चखायेगा। इसको आप भूलें नहीं।

माल मंत्री ने एक बात अपने बयान में कही है कि खरीफ की फसल की बोआई हो गयी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। खरीफ की बोआई तो अभी शुरू ही नहीं हुई क्योंकि कल परसों से भले ही लखनऊ में आसमान खुल गया हो लेकिन पूर्वी जिलों में तो लगातार एक महीने से बारिश हो रही है बादल कभी खुला ही नहीं, फिर खरीफ की बोआई कैसे हो। जैसे नेहरू जी की खेती छत पर और गमलों में हुआ करती थी उसी तरह से इनकी भी खेती कहीं छत पर या गमलों में हो गयी हो तो हो गयी हो लेकिन और कहीं तो खेती हुई नहीं है। जहां तक लगान तकावी को स्थगित करने की बात है, उसको १५ अक्तूबर तक आपने स्थगित किया है। लैंड मारगेज बैंक के लोन की वसूली को ३१ जुलाई, ७१ तक स्थगित किया गया है। तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि रबी और खरीफ की फसल तो नष्ट हो गयी, फिर ३१ जुलाई या १५ अक्तूबर तक किसान के पास कहां से पैसा आ जायगा जो वह आपको दे सकेगा ? इसके बाद फिर आप क्या करेंगे ? मैं साफ कहना चाहता हूं कि भारतीय क्रान्ति दल व्यावहारिकता में विश्वास करता है, नारे में नहीं विश्वास करता है।

यह मैं नहीं कहता कि सारी तकावी को आप माफ कर दें। यहां भाषण देने के लिये तो सभी खड़े हो जाते हैं लेकिन आज तक कोई भी सरकार ऐसी नहीं आयी जिसने किसी की तकावी को माफ किया हो। परन्तु यह सही बात है और व्यावहारिक बात भी है कि कोई भी सरकार हो ऐसी विपदा आने पर ऋण की वसूली बन्द करे और यह खुली घोषणा करे कि

वह इस साल उस पर सूद न लेगी। ऐसे मौके पर महाजन भी सूद नहीं लेते। साथ ही ऋण की वसूली तब करेगी जबकि अगले साल फसल अच्छी हो जायगी।

हमारी सरकार धान के बीज दे रही है और मध्यम दर्जे के धान के बीज दे रही है। पिछले साल उस बीज का भाव ८४ रुपये क्विंटल था लेकिन आज उसे ११७ रुपये क्विंटल के भाव पर दे रही है। क्यों दे रही है? थैला बना दिया कपड़े का। क्या बीज की शुद्धता हो गयी? क्या बीज की उत्पादकता हो गयी? यह हमारी समझ में नहीं आया। ३३ रुपये का अन्तर, यह किसान के ऊपर बड़ा भारी बोझ है। मेरा बल तैयार है, आप बैठिये, बुलाइये। व्यावहारिक कदम होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समाप्त कीजिये। माननीय सहकारिता मंत्री।

श्री गोविन्द सिंह—

मान्यवर, हम लोगों को मौका नहीं मिला। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में बाढ़ आयी है। अवसर माननीय मंत्री को बाद में बुलावें तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष—

बारी इनकी है। दूसरे लोग जो खड़े हैं, उनको समझना चाहिय कि जब मंत्री खड़े हो गये तो उनको बैठ जाना चाहिये।

श्री शिव कुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)—

४१ मंत्री हैं कुल। वह बीच में खड़े हो जायं और आप हमारा समय काट दें उस सूरत में आप ही व्यवस्था दें कि मैं गांव का रहने वाला हूं....

श्री उपाध्यक्ष—

यह बात आप अपने बल में उठाइये।

श्री राम बिलास पाण्डेय—

हमें सहकारिता मंत्री, खाद्य मंत्री, राजस्व मंत्री, मुख्य मंत्री और सरकार से ही कहने के लिये आज का समय मिला है कि हमारे प्रदेश में, कमिश्नरी में, जिले में और गांव में क्या स्थिति है। इसकी जानकारी तो वह कर लेते तब बोलते।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आप चाहते हैं कि यह बहस एकतरफा हो?

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

बात तो सही है कि एक तरफा बहस नहीं होगी लेकिन इसी सरकार के पाप का वर्णन तो इधर वाले कर रहे हैं।

श्री राममूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)—

जो पाप की बात कल्पनाथ सिंह जी ने कही है तो इन लोगों को क्या पता कि यह पाप पहले बैठने वालों का है, या आज का है। शायद पुराने पापों को धोने के लिये ही यह सरकार आयी है।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)—

आपने सरकारी पक्ष को तो बहुत कम मौका दिया है। उल्टे वह लोग जल्दी जल्दी खड़े हो कर बोल लेते हैं। तो इधर के आदमियों को भी मौका दें, यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस निवेदन को स्वीकार नहीं करूंगा। अगर मंत्री खड़े होंगे तो संसदीय पद्धति के अनुसार उनको तरजीह दी जायगी।

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पहले ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि मुझे ज्यादा समय नहीं लेना है। मुझे सहकारी ऋणों की बाबत कुछ सूचना देनी है। सहकारी बैंकों से जो अल्पकालीन ऋण दिया जाता है और जो कि पहली अप्रैल को ड्यू हुआ और पहली जुलाई को ओवर ड्यू हो गया। केवल स्थगित होने से लाभ नहीं होता। स्थगित होने के बाद भी जरूरी था कि वह मध्यकालीन ऋण में बदल दिया जाय। जितने क्षतिग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें अल्पकालीन ऋण मध्यकालीन ऋण में बदले जा रहे हैं जिसका लाभ यह होगा कि अगर केवल स्थगित होता, वसूल होता नहीं और रिजर्व बैंक पैसा नहीं देता और बैंकों से हम किसान को फिर कर्जा नहीं दे पाते हैं।

मध्यकालीन होने की वजह से यह तीन वार्षिक किस्तों में वसूल किया जायगा। पहली किस्त का काल ३० जून तक का होगा लेकिन उस का लाभ यह होगा कि उस रकम को किसान पर बकाया नहीं माना जायगा और उसके फलस्वरूप किसान को आगे फिर कर्जा मिल सकेगा। दूसरा लांग टर्म लोन है जो भूमि विकास बैंक के द्वारा मिलता है, वह है जो उस के लैंड को रहन रख कर दिया जाता है। उस के संबंध में वैसे यह निश्चय हुआ कि १५ दिसम्बर तक कोई वसूली की कार्यवाही नहीं होगी। उसमें नियम यह है कि अगर पैसा वसूल न हो तो कुर्की और नीलाम की कार्यवाही होती है लेकिन अब कोई इस तरह की कार्यवाही नही होगी और यह वसूली न होगी।

तीसरी बात मैं थोड़ी सी सदन के सामने बीज के संबंध में भी बता देना चाहता हूं। इस साल चूंकि खेतों में या खलिहानों में सारा गल्ला भीग गया और उस को बीज के तौर पर इस्तेमाल करने पर वह उगने योग्य हो इसमें शक है और यह शुबहे की बात हो गई है। इस लिये निश्चय किया गया है कि हम ऐसा बीज खरीदेंगे जो किसानों के काम आ सके और जिसका जर्मिनेशन ठीक हो। श्री शिव राज सिंह ने कहा था कि केवल ५ लाख क्विंटल बीज खरीदने का इंतजाम हो रहा है। बात असिल में यह है कि वह फीगर खाद्य सहकारी विभाग की है। ६ लाख ४० हजार क्विंटल बीज सवाई पर बांटा गया, जिस में ऐसे आइटम भी हैं और जहां फसल पहले कट गई थी वहां से कुछ वसूली हो जायगी और इस सब से ऐसा अन्दाजा है कि डेढ़—२ लाख क्विंटल बीज अच्छा वसूल हो सकेगा।

माननीय सदस्य ने जो बताया वह तो साढ़े ४ लाख क्विंटल सहकारी विभाग से लिया जायगा। इसके अलावा कृषि विभाग से खरीदा जाता है, यह सही नहीं है कि केवल ५ लाख क्विंटल बीज ही खरीदा जायगा। इस तरह से ५ लाख क्विंटल सहकारी विभाग से, २ लाख क्विंटल की वसूली होगी और सब ६—७ १/२ लाख क्विंटल बीज सहकारी विभाग से बटेगा और हाई ईर्लाडिंग वैराइटीज का बीज जो बटेगा, वह इसके अलावा होगा। हम सवाई पर बीज देते हैं और सवाया लेते हैं और वह गल्ला १५ जून तक वापस होना चाहिये और वह सारा हिसाब किताब ३० जून तक हो जाता है लेकिन १ जुलाई के बाद उस की अदायगी न करने पर पैनल इनटरेस्ट पड़ता है। इसलिये इसके बारे में भी सरकार ने निश्चय किया है कि प्रीमियम किसानों से वसूल नहीं किया जायगा और उसको सरकार स्वयं बरदाश्त करेगी और जिस भाव

से सरकार गल्ला खरीद रही है यानी ७६ रुपया क्विंटल की दर से ही लिया जायगा और किसी तरह की कोई पेनाल्टी वगैरह नहीं पड़ेगी । ३१ जूलाई तक उसे ओवरड्यू नहीं माना जायगा इतना ही मुझे निवेदन करना था और इसके अतिरिक्त और जो भी सुझाव माननीय सदस्य देंगे उनको हम स्वीकार करने की कोशिश करेंगे ।

श्री इन्द्रमणि (जिला टेहरी गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने जहां से बात शुरू होती है वहां से लोगों को भी बोलने का अवसर दिया । यहां के ८७ प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और इस साल जो असमय की वर्षा हुई है या जो अतिवृष्टि हुई है उस का संबंध हर किसान से है और जो इस चर्चा के लिये २ दिन का समय देखा गया है, उसके लिये मैं शुक्रगुजार हूं लेकिन दो दिन का समय इसमें बहुत कम है क्योंकि प्रत्येक सदस्य, जिसका संबंध गांव से है, इस विषय पर बोलना चाहता है । लेकिन फिर भी जितना समय इसके लिये दिया गया है, हम सब उसके लिये आपके आभारी हैं ।

श्रीमन्, यह जो घटना है यह दो तरह की है । एक तो दैवी घटना है जो देव की ओर से वर्षा हो गई । दूसरी घटना सरकार के द्वारा तैयार की गई है । सरकार बांध बनाती है जैसे कि छिरौंनी बांध बनाया गया लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण वह टूट गया। सरकार बांध बनाती है और हर साल उसका किस्सा आता है कि वह टूट गया और दरार पड़ गई । जो भी बांध बनाया जाता है १० साल के बाद वह जनता की सफाई के लिये कारण बनता है । हर वर्षा के बाद किसी न किसी बांध में दरार पड़ती है और वह बांध टूटता । जैसे कि छिरौंनी बांध टूट और नानक सागर बांध टूट गया जिससे हजारों घर बरबाद हो गये और हजारों लोग तबाह हो गये । इसलिये सरकार का ध्यान जब कभी भी विधान सभा में आकर्षित किया गया तो सरकार कभी भी अपनी लापरवाही महसूस नहीं करती है । खाली बहानेबाजी कर देती है और दूसरा कारण सरकार बताने लगती है लेकिन असली कारण की तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता है ।

दूसरी तरफ यह बाढ़ की समस्या केवल मैदानी इलाके की ही नहीं रह गई है बल्कि पर्वतीय इलाके में भी बाढ की समस्या बहुत भयंकर हो रही है । वह पर्वतीय इलाके की समस्या ही रह नहीं गई है, सारे भारतवर्ष की समस्या हो गई है । अभी आपने देखा कि अलकनन्दा की बाढ से सारे भारतवर्ष पर असर पड़ा । उसमें आपने देखा कि सरकार की ओर से कहा गया कि सड़क ७ रोज के अन्दर बनकर तैयार हो जायगी लेकिन ६ महीने तक भी वह सड़क नहीं बनी और ६ महीने के बाद जब बनी भी तो वह बनकर फिर बरबाद हो गई । सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि इस अतिवृष्टि का क्या कारण है । सरकार ने यह कह दिया कि यात्रियों को हमने पहुंचा दिया । बदरीकेदार की यात्रा न होने से जिन लोगों का भारी नुकसान हुआ है उनकी समस्या को हल करने के लिये सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया कि उनकी समस्या कैसे हल होगी और उसको कैसे हल किया जाय ? वहां पर यात्रा बन्द होने से वहां के लोग इस तरह से घूमते हैं कि उनके पास कोई भी आर्थिक हल नहीं है जिससे वे अपना निर्वाह कर सकें । सरकार इस तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है ।

वहां पर कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा कि जैसे वे एक तरफ से पड़ गये हैं । उनकी बस्ती बिलकुल एक तरफ हो गई है जिससे यह भी पता नहीं है कि नदी के पार जो लोग रहते हैं वे जिन्दा भी हैं या नहीं, क्योंकि वहां पर आने-जाने का कोई साधन नहीं है। इसलिये कि सरकार ने आज तक उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है ।

[श्री इन्द्रमणि]

खास बात यह है कि चमोली और गढ़वाल में करीब ५६ गांव ऐसे हैं जहां पर भू-स्खलन हो रहा है । जमीन नीचे धंस रही है । वहां पर उन गांवों में रहने वालों के लिए बहुत खतरा है । सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं गया है । गतवर्ष भी जब वहां पर बाढ़ आई थी तो ये गांव बहुत खतरे में पड़े थे । हेलंग, मरोस, डुंगरडु भगवा गांव मोल्टा, कैमाणा आदि ऐसे गांव हैं जो बिलकुल खतरे में हैं । उनके बसाने का कोई भी प्रबन्ध नहीं हो रहा है। टेहरी गढ़वाल में भटियार, रतनपुर और खरक रिगौली आदि ऐसे गांव हैं जिनको बसाने का कोई भी प्रबन्ध अभी तक नहीं किया गया है ।

अब की साल मन्दाकिनी में जो बाढ़ आई उस में ९,१० गांव के रहने वाले लोग बिल्कुल बेघरबार हो गये हैं । उनके बसाने का कोई भी प्रबन्ध नहीं किया गया है । इस लिये मेरा सरकार से निवेदन है कि पर्वतीय जिलों की ओर विशेष ध्यान देकर ऐसे लोगों के बसाने का प्रबन्ध किया जाय । जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि सरकार के आने के बाद ऐसी घटना हुई जिससे अतिवृष्टि आदि हुई है और जिससे किसानों का ज्यादा से ज्यादा नुक्सान हुआ है। लेकिन इससे भी ज्यादा और सबसे ज्यादा दुख इस बात का रहा है कि सरकार ने, ८७ प्रतिशत लोग जो गांव में रहते हैं, उनके लिये जो रिपोर्ट दो और तीन पेज की प्रस्तुत की है; उसमें लिखा हुआ है कि—"सभी पहाड़ी जिलों में तथा मैदानी जिलों मे वर्षा के साथ-साथ ओला वृष्टि हुई और कहीं-कहीं तूफान भी आया है"। लेकिन जब हम देखते हैं कि किस-किस पहाड़ी जिले में तो पिथौरागढ़ और चमोली हो हमको मिलते हैं यानी और जिले सब साफ । एक तरफ चमोला है और एक तरफ टिहरी है । अगर बाढ़ आई और वर्षा हुई तो दूसरी तरफ कैसे बच गया ।

आप स्वयं सोच लीजिये कि कितनी गलत रिपोर्ट ये प्रस्तुत करते हैं । जो कुछ कहीं से लिखकर आ गया उसको रिपोर्ट में लिख दिया । इसी तरह से अतिवृष्टि में भी खाली दो जिले लिखे गये हैं, पिथौरागढ़ और चमोली । इसके अलावा टिहरी गढ़वाल में एक ही जगह भटवाड़ीसैंण बेंगन और रतनपुर आदि में सब जगह मैं गया, वे सब खतरे में गांव रहे हैं । लेकिन उनका जिक्र नहीं है । इस तरह से यहां गलत रिपोर्टिंग होती है । मैं स्वयं कह रहा हूं कि मैंने वे स्थान देखे हैं जहां आदमी मरे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुख की बात है कि अगर सरकार यह रिपोर्ट प्रस्तुत न करती तो हम सोचते कि हमारी सरकार जरूर कुछ करेगी । बजाय इमदाद करने के सरकार ने इस रिपोर्ट में उनका नाम ही नहीं दिया है । अल्मोड़ा और नैनीताल आदि में भी नुक्सान हुआ है। उन जिलों का नाम भी नहीं है। मैं समझता हूं कि उन्हीं जिलों के नाम हैं जहां के मिनिस्टर हो जाते हैं । अब यह जो उत्तर प्रदेश की विधान सभा है यहां के मिनिस्टर सब अपने अपनी जगहों में ही सब चीजें ले लेते हैं और जगहों में अगर वर्षा भी आती है तो वह भी नहीं लिखी जाती है । इससे ज्यादा भयंकर चीज और क्या हो सकती है ।

इसके अलावा मेरे कुछ सुझाव हैं । मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि आप एक मर्तबा हमारे यहां तो पधारें । आप तो बनारस के रहने वाले हैं, काशी के पंडित जी हैं और काशी वालों की तो हिमालय में ससुराल थी । इसलिये मेरा पंडित जी से निवेदन है कि आप एक बार बद्रीनाथ जरूर जायं और देखें कि वहां कितना नुक्सान हुआ है । वहां पर जनजीवन ठप्प पड़ा हुआ है । इसके अलावा दूसरी चीज यह है कि मुख्य मंत्री जी पी० डब्लू० डी० को आदेश दें कि लोगों को एक पट्टी से दूसरी पट्टी तक पहुंचने के लिये झूला पुल बना दिये जाय। वहां पर खाद्य सामग्री की अत्यन्त कमी है इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर सस्ते गल्ले की दूकानें हों और उस सब खाद्य सामग्री की ढुलान सरकार वहन करे।

जोशीमठ और उसके आगे का जो इलाका है उसमें आलू और सेब बहुत पैदा होता है लेकिन सड़क न होने के कारण कहीं नहीं जा सकता है उन चीजों को बाजार तक भेजने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये । एक निवेदन और है, पर्वतीय इलाके में कोई मकान १००-५० रु० में नहीं बन सकता है । आप नियम के अनुसार १००-२०० रु० से किसी को भी ज्यादा इसमें नहीं दे सकते । इसलिये आप इस कानून को बदलें और मकान बनाने के लिये कम से कम वहां इतना रुपया दें जितने में वे बन सकें ।

पर्वतीय इलाकों और मैदानी इलाकों में जो बाढ़ आती है इनमें अन्तर है । हमारे यहां जो बाढ़ आती है वह एक प्रलय होती है । एक दफा जो जमीन बरबाद हो जाती है वह हमेशा के लिये चली जाती है । गत वर्ष हमारे जो इलाके बह गये उनको हम दुबारा बसा नहीं सके हैं । मैदानी इलाकों में बाढ़ आने के बाद पानी उतर जाने पर फसल अच्छी होती है लेकिन हमारा जो इलाका बह जाता है उसको हम दुबारा नहीं बसा सकते । इसलिये जिन लोगों की जमीन बिल्कुल खत्म हो चुकी है उन्हें दूसरी जगह जमीन दी जाय ।

एक निवेदन और वन विभाग से है । यह जो बाढ़ का कारण है यह जंगलात का गलत तरीके से कटना है । जो तमाम इलाके बरबाद हुए हैं वहां वन विभाग ने व्यापारिक दृष्टि स जंगल कटवाये हैं । मैं गत वर्ष अलकनन्दा की बाढ़ देखने गया था । एक हेलंग गांव है । उसके ऊपर देवदार के पेड़ काट दिये गये । जंगलों की सुरक्षा के कारण पहले बाढ़ पर नियंत्रण था लेकिन अब वन विभाग ने जंगलों का काटना व्यापारिक दृष्टि से शुरू कर कर दिया है जिसके कारण बाढ आ रही है । इसको रोकना चाहिये ।

इसके अलावा भूगर्भ विभाग को भी वहां जाकर देखना चाहिये कि क्या कारण है जो अलकनन्दा में बाढ़ आ रही है । अलकनन्दा के ऊपर एक पहाड़ है बिल्कुल सफेद और टूटा है । वहां के गांव बहुत खतरे में हैं । लोगों को वहां जाकर देखना चाहिये कि बाढ़ क्यों आ रही है ।

अन्त में मेरा मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन है कि यह पहाड़ का मसला केवल पहाड़ या उत्तर प्रदेश का ही नहीं है बल्कि यह भारत की सुरक्षा का प्रश्न है । बाराहोती दर्रा बदरीनाथ से होकर जाता है । ऐसी सड़क जो साल भर तक बन्द रहे, उससे कैसे हम देश की सुरक्षा कर सकते हैं । तो इस ओर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिये ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आखिर मुझे मौका दे ही दिया । मान्यवर, इस बहस के ट्रेंड से हम कुछ ऐसा समझते हैं कि जैसे हम लोगों को हर एक बात में नजरअन्दाज करने की कोशिश की जाती है । मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी और राजस्व मंत्री जी का ध्यान तारीख ४ या ५ जून के जलील अब्बासी साहब के बयान की ओर ले जाना चाहता हूं जो उन्होंने इस वर्ष से फसल के नुकसान के बारे में दिया है । उसमें उन्होंने करीब २०० करोड़ का नुकसान पूरे उत्तर प्रदेश में बताया और उसमें खास तौर से ईस्टर्न जोन को शामिल किया और वैस्टर्न जोन का नाम बिल्कुल नहीं लिया । उनका बयान पढ़ने के बाद मैंने, धर्मवीर सिंह, एम० एल० ए० और एक और तीसरे आदमी ने उनसे टेलीफोन पर कहा कि आखिर आप यह क्या कर रहे हैं, हम लोगों को किस बात की सजा दे रहे हैं, क्या हमारी खता सिर्फ यह है कि हम लोग ज्यादा गल्ला पैदा करते हैं ?

दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं और ज्यादा अनाज पैदा करते हैं । ईस्टर्न यू० पी० के बारे में कहा गया कि वहां पर काफी नुक्सान हुआ और उनका यह नुक्सान हुआ लेकिन क्या हमारे गल्ले का नुकसान क्या कोई नुक्सान नहीं है,? मान्यवर, आपको मालूम होना चाहिये

[श्री चन्द्र भान शर्मा]

कि सहारनपुर, मेरठ की मंडियों में गेहूं का यह हाल है कि जो रेट फिक्स होता है उससे कम में यह गल्ला लिया गया है । खलिहानों के अन्दर गेहूं जम गया है और उसको बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है । किसान ने २,००० मन गल्ला पैदा किया और १८०० मन गल्ला खराब हो गया है । मंत्री जी के सामने मैं इस बात को इस लिये रखना चाहता हूं कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का मामला कमीशन के सामने रख दिया । कमीशन वहां भेज दिया परन्तु उस तरफ किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया । सेंटर की तरफ से पूरे यू० पी० के लिये इमदाद मिली परन्तु उसका कोई लाभ हमको नहीं प्राप्त हो सका । क्या हम लोगों का जो नुक्सान है वह कोई नुक्सान नहीं है ?

इस दफा वेस्टर्न जिलों का जितना नुक्सान हुआ है बेबक्त की वर्षा से उतना शायद पूर्वी जिलों का न हुआ हो । हमारे स्टेटमेंट का गलत अन्दाज कर दिया गया है । हम लोगों को भी पूरी इमदाद दी जानी चाहिये । अगर आप पैदावार के आंकड़े लें तो आपको मालूम होगा कि जितना नुक्सान हमारी तरफ के जिलों का हुआ है वह बहुत अधिक है । हम लोगों को परी इमदाद दी जानी चाहिये थी । आपने गत २०, २५ सालों में हम लोगों की तरफ, हमारी मुश्किलों की तरफ ध्यान नहीं दिया और अगर कोई चीज होती है तो उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है । हम उसको नजरअन्दाज करने की कोशिश करते है, इसका क्या कारण है ? क्या हम लोगों को प्रांत के बाहर समझा जाता है, क्या हम उत्तर प्रदेश में नहीं हैं? क्या यह हमारा राइट नहीं है ? क्या यह पक्षपात नहीं है ?

इसी के साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे काश्तकारों की इस समय जो लुटाई हुई है उसको भी नजरन्दाज नहीं किया जा सकता है । फील्ड में ही पहले कितना गल्ला नुक्सान हो गया और जो आया भी उसको भी बहुत कम दाम पर खरीद लिया गया है । ७६ रु० क्विंटल के भाव से परची बांटी गई परन्तु उसका भुगतान ६५,६६ रु० में ही किया गया । जो व्यापारी हैं उन्होंने गांधी टोपी लगा ली और काश्तकारों को लूटने लगे । ये व्यापारी भी इंडीकेट में शामिल हो गये हैं । ये १ किलो फी बोरी के हिसाब से गेहूं ले लेते हैं । जो गेहूं उन्होंने लिया उसका भी पेमेंट इन्होंने, २, २ महीने तक नहीं किया । मैं निवेदन करूंगा कि कमसे कम हमारी इन चीजों की आप इन्क्वायरी तो करवा लें और वहां के नुक्सान का अन्दाजा तो लगायें कि बेचारे काश्तकारों को कितना नुक्सान हुआ है । मैं आपसे यही अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो सारे प्रदेश को इसका नुक्सान होगा और आपका भी इसमें नुक्सान होगा । लोगों में बड़ी भारी निराशा है । आप इसकी तरफ पूरा ध्यान दें । मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री गोबिन्द सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन से उठ बैठ कर रहा हूं लेकिन मुझे आपने मौका नहीं दिया है । जो समय आपने निश्चित किया था उसके अन्दर यह हो रहा है । मैं भी किसी सेक्शन का प्रतिनिधित्व करता हूं ।

श्री महीलाल—

हर पार्टी के प्रतिनिधि को मौका मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

सभी को मौका नहीं मिल सकता है ।

श्री महीलाल—

मुरादाबाद से किसी माननीय सदस्य को मौका नहीं दिया गया है । वहां ६० फीसदी नुक्सान हुआ है । मैंने राजस्व मंत्री जी को उनके कमरे में जाकर गेहूं दिखलाया है और उसके बाद भी मुरादाबाद शामिल नहीं किया गया है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आप लोगों ने ही समय साढ़े चार तक रक्खा है ।

श्री बंशीधर पांडेय---

मैं कहना चाहता हूं कि एक घंटा समय और बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह सदन की कमेटी का फैसला है ।

श्री बंशीधर पांडेय---

आपने सभी को बोलने का मौका दिया है लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं मिला है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आज इसके लिये समय नहीं है क्योंकि दूसरा आइटम आने वाला है ।

कई सदस्य---

समय बढ़ा दिया जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय---

कार्यमंत्रणा समिति में इसके लिए समय दो दिन रक्खा गया था ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इसके लिये लाचार हूं ।

श्री बंशोधर पांडेय---

कार्य मंत्रणा समिति में आया था और इस हाउस ने दो दिन का पास किया है । आज एक ही दिन हुआ है । एक दिन तो सरकार द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों में समाप्त हो गया । वह हमारे समय से नहीं कटना चाहिये । सरकार ने पंचायत सेक्रेटरीज की गिरफ्तारी कराई, तीन घंटा समय उसमें चला गया, कुछ छितौनी बांध में समय चला गया ।

श्री उपाध्यक्ष---

कार्यवृत्त अध्यक्ष ने कार्य मंत्रणा समिति में पढ़कर सुनाया । श्री कृष्णानन्द राय का सुझाव था कि प्रदेश में असामयिक वर्षा के कारण खाद्यान्नों के खराब होते तथा बाढ़ और अत्यधिक वर्षा से हुई हानि के संबंध में राजस्व मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा होगी ।

श्री बंशीधर पांडेय---

दो दिन का समय था । श्री कृष्णानन्द राय जी ने मुझसे इसके बारे में कहा था । एक ही दिन अभी तो हुआ है हम कोई दूसरा आइटम इसमें शामिल करने को तैयार नहीं हैं ।

श्री गोविन्द सिंह---

मेरा प्रस्ताव है कि एक घंटा समय बढ़ा दिया जाय ।

एक सदस्य---

दो दिन का समय होना चाहिये ।

श्री बंशीधर पांडेय---

अगर १३ से दो दिन का समय मानां जाय तो ठीक रहेगा।

श्री मैनेजर सिंह---

माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिये समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

यह दूसरा प्रश्न है ।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)---

मेरा प्रस्ताव है कि एक घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं आपके प्रस्ताव को नहीं लेता । अगर आपको प्रस्ताव देना था तो पहले दिया होता और उस पर विचार होता ।

श्री गोबिन्द सिंह---

अभी तो समय खत्म नहीं हुआ है ।

श्री महीलाल---

मुख्य मंत्री जी एक घंटा देने के लिये शायद तैयार हैं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मैं समझता हूं कि जो बातें नेता लोग तय कर देते हैं तो मुनासिब हो कि उन बातों को साथी लोग भी मानें । यह गड़बड़ बात है कि वहां कुछ तय हो और यहां कुछ । मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि पांच या सवा पांच बजे तक आप बढ़ा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

एक घंटे का समय और बढ़ा दिया जाता है ।

श्री त्रिवेणी राय---

हम लोग भी अपने क्षेत्र की बात कहना चाहते हैं । हमें भी समय दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

इस समय सवा चार या उससे कुछ ही कम है । अब सवा पांच तक इसका समय बढ़ा दिया जाय । आप अपना आसन ग्रहण करें।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझ भी कुछ बोलने का इस महत्वपूर्ण विषय पर, समय दिया । यह बात सही है और सर्वमान्य है कि इस साल की बरसात ने, जो १४ अप्रैल से शुरू हुई, किसानों का इतना नुक्सान हुआ जितना कभी नहीं हुआ होगा । मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि १४ अप्रैल से लेकर आज तक लगातार ऐसी बारिश हुई हो । उसके बाद एक आपत्ति यह भी आयी कि ओला गिरा और इतना बड़ा गिरा कि रात भर गला और सुबह तोला तो एक किलो का निकला । सारी फसल सड़ गयी और सरकार ने जो राहत दी उसके लिये किसान लोग कृतज्ञ ह । लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि अधिकारियों के माध्यम से जो रिपोर्ट आयी, वह अपर्याप्त है ।

रिपोर्ट में लिखा है कि अनाज तो सड़ गया लेकिन चारे और भूसे का नुक्सान नहीं हुआ । श्रीमन्, अनाज की मंड़ाई और उठाई हुई नहीं । तो आप सोच सकते हैं कि अनाज भी सड़ा और चारे व भूसे को भी नुक्सान पहुंचा । इसी से जो रिपोर्ट आयी वह गलत हो जाती है । इसके साथ ही रिपोर्ट में एक चीज का और जिक्र नहीं है । इतना बड़ा पत्थर गिरा तो उससे मकानों के खपरैल टूट गये और जो खपरैल १० या २० रुपया हजार मिलता था वह आज ८० रु० हजार भी नहीं मिल रहा है । लोगों को ईख की पत्ती और सरपत्ते भी नहीं मिल रहे हैं। किसान बुरी तरह से तबाह हैं ।

इसके अतिरिक्त एक और चीज का जिक्र नहीं है । मैं माननीय माल मंत्री और मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा तबाह हुये हैं खेतिहर मजदूर । खेतिहर मजदूरों की हालत बहुत ही बुरी है। वह तो किसानों की मजदूरी करके ही जो कुछ उनको मिलता था उससे अपना गुजारा करते थे। उनकी यह आमदनी बन्द हो गयी क्योंकि किसान की फसल ही नष्ट हो गयी । उनको राहत देने के प्रश्न पर विभाग ने कभी विचार नहीं किया । इस रिपोर्ट में उसका कोई जिक्र नहीं है । खाली मालगुजारी या तकावी की वसूली रोक देने से उनका काम चलने वाला नहीं है। मैं उस जिले से आता हूं जहां का मुख्य धंधा ही खेती है, वहां न कोई मिल है, न अन्य कोई उद्योग धंधा ही है । किसान अपना अनाज देकर ही अपने जीवन की सारी जरूरी चीजों को खरीदता है, व्याह शादी आदि करता है और अपना काम चलाता है। उसका वह अनाज ही जब सड़ गया तो वह क्या खायेगा ? कैसे अपना जीवन निर्वाह करेगा ? (लाल बत्ती होने पर) एक मिनट का समय और दे दें ।

मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे केवल वसूली को स्थगित ही न करें, बल्कि किसानों से सूद बिलकुल न लिया जाय, तथा जो बीज और खाद आदि दी गयी थी उसे वसूल न किया जाय, वह माफ कर दिया जाय क्योंकि जब उसकी फसल ही नष्ट हो गयी तो उससे वसूली नहीं होना चाहिये । जिस तरह से आप बड़े बड़े कारखानों को, उनमें घाटा होने पर अपने हाथ में ले लेते हैं, उसी तरह इन किसानों के ऊपर जो लोन या तकाबी आदि का बकाया है उसे भी माफ कर देना चाहिये। साथ ही खेतिहर मजदूरों को काम देना चाहिये। जो ५० रुपया खपरैल के लिये आपने तकाबी दी है वह बहुत कम है, अपर्याप्त है, उसे भी बढ़ाना चाहिये। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि दैवी प्रकोप आदि के कारण जो नुक्सान होता है उसकी रिपोर्ट आप रेवेन्यू विभाग से न मंगाया करें। वह गलत रिपोर्ट देता है । इसके लिये अलग से एक विभाग होना चाहिये जो सही आंकड़े प्रस्तुत कर सके ।

श्री गोबिन्द सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, दैवी प्रकोप से मैदानी इलाकों में जो क्षति हुई है उसकी कहानी अभी तक आपने सुनी, पहाड़ी इलाकों में जो नुक्सान हुआ है उसके बारे में, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा गया है । जब पहाड़ों के अन्दर दैवी प्रकोप आता है, जब अतिवृष्टि या ओला वृष्टि होती है, मैदानों की तरह वहां जमीन नहीं रहती । आप एक जगह पर खड़े होंगे, एक जगह पर पहाड़ टूट पड़ा । गांव का गांव पहाड़ के नीचे दब गया। पूरी की पूरी जन-संख्या मलवे के अन्दर दब गयी । थोड़ी देर के बाद ऐसा नहीं लगता कि वहां कोई आबादी थी । यह कल्पना की बात नहीं, अलखनन्दा घाटी में बीसियों गांव पहाड़ के नीचे दब चुके हैं, जहां की जन संख्या दब चुकी है । यह अब की बार पहली दफा नहीं हुआ । पिछली बार जब अलखनन्दा में बाढ़ आयी तो अखबारों में चर्चा हुई । सदन में चर्चा नहीं हो सकी । पिछले साल जो लोग अलखनन्दा की बाढ़ में बेघरबार हो चुके थे, जिनके मकान टूट चुके थे, आज साल भर बीतने के बावजूद, और बावजूद इसके कि उस जिले के एक-एक माननीय मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य हैं आज भी उनकी पुनर्वास की समस्या हल नहीं हो सकी ।

[श्री गोबिन्द सिंह]

हमारे पहाड़ी हिस्से में ऊंची चोटियों पर दो तीन किस्म की फसलें होती हैं । जहां बागबानी होती है और वहां पर फलों के पेड़ लगाये हैं। गेहूं पैदा होता और आलू पैदा होता है। मेरे जिले, गढ़वाल में मई के महीने में इतनी भयंकर ओला वष्टि हुई है कि जितने भी फल के पेड़ थे उनसे सब फल झड़ गये । पहाड़ की ऊंचाई पर गेहूं देर में पकता है । पूरी गेहूं की फसल भयंकर ओला वृष्टि से बरबाद हो चुकी है । आने वाली फसल में वहां मोटा अनाज झंगोरा और कोदा होता है । इस साल बोवाई जो हुई है अति वृष्टि के कारण जमीन इतनी गीली हो चुकी है कि पांच पांच फीट की घास बढ़ चुकी है। निराई नहीं हो सकी है । आने वाली फसल से एक दाना भी मयस्सर नहीं हो सकता । पहाड़ों की एक विशेष स्थिति है। छाटे छोटे गाड़ गधेरे हैं । गर्मियों में देखेंगे तो आपको कल्पना नहीं हो सकती कि उनमें पानी आयेगा । लेकिन जब भयंकर बरसात होती है तो उनको पार करना मुश्किल हो जाता है । खेती खत्म हो जाती है ।

मेरे जिले के अन्दर जलपुर नदी और बिलग्न नदी पर तमाम पुल बह चके हैं । स्कूल खुलने वाले हैं । बच्चों को नदी नालों को पार करने में कठिनाई हो रही है । टेहरी जिले में खाद्यान्न की लगातार कमी रही है । वहां सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जाती हैं । दुर्भाग्यवश सड़कों और पुलों के टूट जाने से जो अन्तराल के इलाके हैं वहां खाद्यान्न नहीं पहुंचाया जा रहा है । मैं माननीय शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि यह हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जिले का हेडक्वार्टर अन्तराल में न होकर ऋषीकेष के पास है । यही कारण है कि हमारे जिले के अधिकारियों ने कभी कल्पना नहीं की कि उन क्षेत्रों में जहां ओला वृष्टि और अतिवृष्टि हुई है, प्रतापनगर ब्लाक की पट्टी ऊण, मदुरा, रमोली, रौंणद, थौलधर ब्लाक का मसूरी चम्बा की पहाड़ियों और बिलंग ब्लाक के धुत्तू क्षेत्र जहां ओला वृष्टि से तहस-नहस हो चुआ है, किसान अपना सर पीटता है, भयंकर अकाल का सामना करना पड़ रहा है, मेरे जिले के अधिकारियों ने उनके संबंध में सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं दी । यह दैवी प्रकोप है । लेकिन शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे जिले के जिलाधीश से इस बात की पुष्टि करवा लें ।

जिला टेहरी में जिन-जिन जगहों पर यह दैवी विपदा-ओलावृष्टि हुई है उनकी दोनों की दोनों फसलें खराब हो चुकी ह । मान्यवर, एक-एक किलो के ओले मदुरा नामक गांव में वहां पर पड़े हैं । पहाड़ों में मकान जो होते हैं वे पत्थरों की स्लेटों के छत वाले होते हैं, पूरे मकान के मकान वहां पर गिर गये हैं, मकानों में दरारें पड़ गई है और फसल भी चौपट हो गई है । तो मान्यवर, ऐसी भयावह स्थिति वहां की हो गई है । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो राहत देने की बात कही गई, चाहे वह चमोली जिला हो, चाहे वह गढ़वाल का जिला हो और चाहे वह टेहरी-गढ़वाल का जिला हो, मैं समझता हूं कि अनुदान देने से उनके आंसू पोंछना ही है ।

मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह आंसू पोंछना जले पर नमक छिड़कने के समान है । वहां पर मकान खत्म हो गये, घरबार खत्म हो गय, मवेशी खत्म हो गये और यह समझा जाता है कि १०० रुपया अनुदान देने से जले पर नमक छिड़कना होगा । पहाड़ों के अन्दर विशेषतया यदि आप चाहते हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ यह चाहते हैं कि वहां के गरीब किसानों को, जिन्होंने उस प्रकोप को पिछले साल भी सहन किया और आज भी वे सहन कर रहे हैं और उसका मुकाबला कर रहे हैं । अगर आप उन गरीब किसानों को कुछ राहत देना चाहते हैं तो मान्यवर, इस अनुदान से उनका काम चलने वाला नहीं है । उनको पुनर्वास चाहिये, उनको मकान चाहिये, उनकी जमीन कट चुकी है और बेघरबार हो गये हैं, उनको जमीन चाहिये और उसको दिलाने की आप व्यवस्था करें । आपको वहां पर इस बात की व्यवस्था करनी चाहिये कि उस अन्तराल में किस तरीके से घोड़ों द्वारा, खच्चरों द्वारा और आदमियों की पीठ पर लाद कर उनको राहत दी जाय ।

मान्यवर, खुशी की बात है कि इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय राजस्व मंत्री जी भी सदन में उपस्थित हैं । मैं उनका ध्यान पहाड़ी जिलों के उस अन्तराल की ओर. आकृष्ट कराना चाहता हूं जहां की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है । मैं उनका ध्यान इस ओर भी आर्काषित कराना चाहूंगा कि उनके पास जो सूचना वहां के जिलाधिकारियों ने भेजी हो उसे वे सही सूचना न मानें । मैं नम्र निवेदन से कहना चाहता हूं कि टेहरी-गढ़वाल के पट्टी भमरा, जदपुर की घाटी, प्रतापनगर और मिलंगना पट्टी तथा मसूरी चम्बा रोड पर ओलावृष्टि से जो क्षति हुई है, गेहूं की फसल बरबाद हो चुकी है लोग वहां पर दाने-दाने को तरस रहे हैं । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय तथा माननीय राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे हमारे जिले की तरफ भी ध्यान देंगे । धन्यवाद ।

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल—

मान्यवर सरकारी पक्ष के लोगों को ही बोलने की आवश्यकता है क्योंकि सारी आपदा का कारण तो यही लोग हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ो आभारी हूं कि आज किसानों के ऊपर आई हुई दयनीय आपदा के ऊपर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का आपने अवसर प्रदान किया । यह बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी और इस पर मैंने सरकारी पक्ष और विरोध पक्ष दोनों ओर के माननीय सदस्यों की भावनाओं को सुना । मैंने यह देखा कि कुछ लोग बड़े रोष में हैं और उनका रोष में होना स्वाभाविक भी है । हर माननीय सदस्य और हमारे मंत्रिगणों ने भी जो भावना व्यक्त की उससे यह जाहिर होता है कि यह एक अनप्रेसीडेंटेड आपदा है और ऐसी आपदा पहले कभी नहीं आई, हमारे किसानों के ऊपर । हर माननीय सदस्य अपने हर क्षेत्र का प्रतिनिधि है और ऐसी आपदा पर यदि उनकी भावना दुखे तो कोई अस्वाभाविक बात नहीं है । लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि जब वे माननीय राजस्व मंत्री जी का जवाब इस बहस का सुनेंगे तो उनका गुस्सा जरूर कुछ कम हो जायगा ।

विधान सभा का अधिवेशन होने से पूर्व जब मैं अपने जिले में था वहां मैंने जो अधिकारिवर्ग का रुख इस आपदा के बारे में देखा, उसको देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने राजस्व मंत्री जी को एक सख्त किस्म का पत्र लिखा जिसमें अपने जिले के किसानों के संबंध में कुछ मांग की थी और अन्त में व्याकुल होकर यहां तक लिखा था कि अगर यह सरकार किसानों की सहायता करने में इस समय भी विवश है तो आप मुझे इजाजत दें कि किसानों की मांग को लेकर मैं आन्दोलन के रूप में आपके सामने आऊं । इसी प्रकार से हमारे माननीय सदस्यों ने भी अपनी खिन्नता और रोष प्रकट किया । यह स्वाभाविक ही है । जब मैं यहां आकर माननीय राजस्व मंत्री जी से मिला और उस संबंध में उनका जवाब सुना तो उन्होंने यह बताया कि जो रिपोर्ट सरकारी अधिकारियों ने भेजी भेजी है, उस पर उन्होंने पूरा विश्वास नहीं किया है । जैसे कि मेरे जिले कानपुर की रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि रैंडी में १० फीसदी से लेकर ७५ फीसदी तक नुक्सान हुआ है । अगर इस रिपोर्ट का आधार माना जाता तो ५० फीसदी नुक्सान वाले क्षत्रों में वसूलयाबी होनी चाहिये लेकिन राजस्व मंत्री जी ने जिले में आदेश भेज दिया है चारों तहसीलों में वसूली एक दम स्थगित कर दी जाय । इसी प्रकार मैंने इलाहाबाद डिवीजन के अन्य जिलों फतेहपुर और फर्रुखाबाद आदि के बारे में भी कहा । वहां भी माननीय मंत्री जी ने किसानों के हित में ही आदेश जारी कर दिये हैं कि वसूली न की जाय जिससे किसानों को कोई परेशान होने का मौका न मिले।

[श्री रघुनाथ सिंह]

अब मैं सरकार को इस संबंध में एक सुझाव देना चाहता हूं । कुछ समस्यायें ऐसी होती हैं जिनका हमें युद्धस्तर पर सामना करना चाहिये । इस समय हमारे प्रदेश के किसानों के सामने जो समस्या है वह ऐसी समस्याओं में से एक है । लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि उसका सामना निश्चित रूप से युद्ध स्तर पर नहीं किया जा रहा है । क्योंकि अगर सही रूप में हमारे मुख्य मंत्री और राजस्व मंत्री जी की भावनाओं का प्रदर्शन अधिकारियों ने किया होता तो आज हमारे सामने और ही किसी प्रकार की रिपोर्ट आयी होती रिपोर्ट में केवल ३३ जिलों में नुकसान बताया गया है जबकि हमारे यहां ५४ जिले हैं । तो क्या बाकी जिलों में नुक्सान हो नहीं हुआ । मैं जानता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी और राजस्व मंत्री जी इससे सहमत नहीं होंगे कि बाकी जिलों में कोई नुक्सान नहीं हुआ । यह इसीलिये हुआ है कि मंत्री जी और अधिकारियों की भावनाओं में कोई तारतम्य नहीं है । अगर आप उनकी भाषा न ससझ और वे आपकी भाषा न समझें और आप अपनी भाषा बोलते रहें तो उसी तरह के विरोधाभास आपके सामने आयेंगे और जो राहत आप देहात को तथा अपने किसानों को देना चाहते हैं, वह नहीं दे पायेंगे ।

दूसरी बात मान्यवर, इसमें यह लिखी हुई है कि २०० करोड़ रुपये के लगभग नुक्सान हुआ होगा । मैं समझता हूं कि यह भी गलत है और नुकसान कम से कम ५०० करोड़ रुपये का हुआ होगा । अगर आप देखें कि जो नुक्सान हुआ है उसमें हमारे बिजली विभाग का विशेष रूप से हाथ रहा है और उसकी जिम्मेदारी कम नहीं है । प्रदेश के अधिकांश किसान इस बात को कहते हैं कि रात के समय भूसा नम हो जाता है और हमारे थ्रेशर इसलिये काम नहीं कर सकते हैं। रात को बिजली मिलती रही, इसीलिये काम नहीं हो सका । इसका पता लागने की सख्त जरूरत है कि बिजली विभाग ने दिन में किसानों को बिजली क्यों नहीं दी ?

दूसरे मैं यह यह निवेदन करूंगा कि आपका लैंड रिकार्ड मैनुअल ब्रिटिश हुकूमत के समय का है और आज तक इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ और उसको अपने प्रदेश तथा देश के अनुरूप लाने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। आप लोग इसको पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि अगर आग लग जाती है तो इसमें कोई प्रावीजन नहीं है। इस दैवी आपदा के समय आपने १०० रुपये की सहायता देने की कृपा की है लेकिन इस मैनुअल में अगर किसानों के खलिहानों में पानी भर जाय तो कोई प्रावीजन नहीं है। इसलिये आवश्यकता आज इस बात की है कि इसको किसानों के अनुरूप बनाइये ।

एक बात यह है कि हमारे देहात से जो बच्चे जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल इंटरमीडिएट तथा यूनीवर्सिटी की शिक्षा प्राप्त करने के लिये आते हैं उनकी फीस माफ होनी चाहिये । यह भी एक देय है जो उनके वालदेन को हर महीने देना होगा, यह उनके ऊपर एक बड़ा भारी बोझा होगा और ऐसी समस्या उनके सामने आ जायेगी कि बहुत से बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी । मैं चाहूंगा कि मंत्री अपने जवाब में इस बात को कहें कि यह चीजें उचित हैं या नहीं और हो सकती हैं या नहीं ।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया । मैं विशेष रूप से माननीय खाद्य मंत्री जी ने जो बातें कही हैं उन पर ही अपने विचार प्रगट करना चाहता हूं । मैं उनकी दो बातों से पूर्णतया सहमत हूं । पहली बात यह कि यह दैवी प्रकोप है । इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है । एक असाधारण स्थिति है। मैं लगभग ३० वर्ष से खेती कर रहा हूं आज तक कभी मेरे सामने ऐसा मौका नहीं आया । किसानों को ऐसी स्थिति झेलनी पड़ती है ।

दूसरी बात भी मैं उनकी म न लेता हूं कि इस समय सरकार की नीयत किसानों को मदद करने की है । मैं उनकी नीयत पर संदेह नहीं करता हूं । लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह मेरी भी एक दो बातें मान लें । सरकार गैर तैयार पायी गयी । सरकार के सोचने का ढंग त्रुटिपूर्ण है, सरकार का प्रशासन जर्जर है । यह जो कुछ करना चाहती है, जो आदेश देती है उसका भी पालन नहीं होता । मैं केवल इस सरकार के लिये यह बात नहीं कहता हूं । माननीय त्रिपाठी जी की सरकार हो, चाहे गुप्ता जी की सरकार हो, चाहे टी० एन० सिंह की सरकार हो, चाहे चौधरी चरण सिंह की सरकार रही हो, सभी सरकारों को मैंने देखा और मैं यह कह सकता हूं कि जो भी यह स्थिति है इसके लिये सभी दोषी हैं । कारण यह है कि लम्बे अरसे के लिये किसानों की समस्या पर सोचने के लिये किसी के पास समय नहीं है । इन नेताओं की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इनकी जितनी शक्ति है उसको वे सरकार को बनाने और बिगाड़ने में ही पूरा का पूरा इस्तेमाल करते हैं । केवल सरकार को बनाने, सरकार को कायम रखने और सरकार को गिराने में ही इनका सारा समय व्यय हो जाता है ।

आज जो स्थिति है उस स्थिति के बारे में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह बात सही है कि बारिश हुई जिससे गेहूं का नुकसान हुआ, लेकिन यहां पर मैं साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि अगर बारिश न भी हुई होती तो भी गेहूं ६० रुपये क्विंटल ही बिकता । अगर २०-२५ परसेंट गेहूं का नुकसान न हुआ होता तो इसमें कोई शक नहीं कि और अधिक मात्रा में गेहूं मारकेट में आता और गेहूं का भाव गिरता । लेकिन यह सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिये बिलकुल तैयार नहीं थी कि जब पैदावार बढ़ेगी तो हम क्या करें, आज तक सभी सरकारें इकोनामी आफ डेफिसिट के आधार पर ही काम करती हैं । इस बात को नहीं सोचतीं कि हम कैसे मुकाबला करें जब कि इकोनामी आफ सरप्लस हो ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि विभाग ने जब अपनी योजना तैयार की थी तो उसने एक वर्किंग ग्रुप बनाया था । यद्यपि उस वर्किंग ग्रुप में सभी सरकारी कर्मचारी थे, पता नहीं कैसे मेरा नाम भी उसमें लिख दिया गया । उस वर्किंग ग्रुप का योजना बनाने में योगदान था । जिस दिन योजना पर दस्तखत करने की बारी आयी, उस दिन मैंने श्री कुरेशी, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर थे, उनसे कहा था कि यदि आपकी यह योजना सफल हो गयी तो किसान बरबाद हो जायेगा । उन्होंने कहा कि यह कैसे ? यह बड़ी विचित्र बात है कि अंतिम दिन जब कि हस्ताक्षर होने जा रहा है, आपने यह बात कही । मैंने कहा कि उत्पादन के तो सारे उपाय आपने बतला दिये कि ऐसे ऐसे किसान का उत्पादन बढ़ेगा लेकिन कृषि वस्तुओं के मूल्यांकन के बारे में, सरप्लस अन्न को कैसे इस्तेमाल करें, उनके बारे में आपने कहीं कुछ नहीं कहा । उनको मेरी बात ऐसी जंची कि उन्होंने उस दिन हस्ताक्षर रोक दिया और एक सब कमेटी बना दी इन समस्याओं पर विचार करने के लिये। सब कमेटी ने रिपोर्ट दी । सब कमेटी की राय थी कि इसके अन्दर इसको न रखा जाता । यहां की सरकार आधी रजामन्द थी इसको रखने के लिये लेकिन भारत सरकार ने उसको बिलकुल मना कर दिया । आज मैं यह कहूंगा कि अगले वर्ष के लिये आप तैयारी कीजियेगा । इस वर्ष तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी नीयत दुरुस्त होते हुए भी मैं कहूंगा कि जितना लाभ आप किसानों को पहुंचाना चाहते थे उसका दसांश भी किसानों को नहीं मिल सका उसका लाभ मिला केवल भ्रष्ट कर्मचारियों को ।

अब प्रशासन कितना जर्जर है, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं माननीय राज्य मंत्री जो खाद्य से संबंधित हैं यादवेन्द्र सिंह जी, ये बस्ती पधारे थे और सभी विधायकों को आमंत्रित किया था कि इस समस्या पर बैठ कर विचार करें । हम लोगों ने विचार किया । वे मेरे मित्र हैं, वे किसान ह, मैं जानता हूं कि उनके दिल में किसानों के लिये दर्द है। मेरे मन में

[श्री भानुप्रताप सिंह]

एक बात जरूर थी कि मेरे गांव में एक पर्चेजिंग सेंटर खुले लेकिन संकोचवश मैं नहीं कह सका। संकोच यह था कि अगर मैंने कहा और कहीं मंत्री जी ने इंकार कर दिया तो मेरी बेइज्जती होगी और अगर मंत्री जी ने भी कह दिया कि हां, खुलना चाहिये और न खुला तो मंत्री जी की बेइज्जती होगी। तो मैं चुप बठा रहा। लेकिन हमारे यहां के हाकिम परगना साहब ने पेश ही कर दिया कि मेरे गांव में भी खुलना चाहिये। मंत्री जी ने तत्काल कहा कि हां, खुलना चाहिये और चलते वक्त दोबारा दोहराया कि इस गांव में पर्चेजिंग सेन्टर जरूर खुलना चाहिये क्योंकि निकट में और कोई दूसरा पर्चेजिग सेन्टर है नहीं। लेकिन जो आदेश मंत्री स्वयं देता है उसका किस प्रकार से पालन होता है। आज प्रशासन इतना जीर्ण हो चुका है, चाहे आपकी हुकूमत हो, चाहे गुप्ता की हुकूमत हो और चाहे चौधरी चरण सिंह की हुकूमत हो। आप भले ही इस बात को कह लें कि आज हमारा राज है लेकिन राज उन भ्रष्ट और अनकर्मण्य कर्मचारियों का है जो आपके आदेशों का पालन नहीं करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, गलत आंकड़े देते हैं। (लाल बत्ती होने पर) उपाध्यक्ष महोदय, कृपा करके केवल ५ मिनट और दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा है कि आधा घंटा राजस्व मंत्री ने भी मांगा है। ५.१५ पर समाप्त करना है। तो अपनी ओर से मैं १५ मिनट का समय और बढ़ा देता हूं ताकि दो, तीन लोगों को और मौका मिल जाय।

श्री भानु प्रताप सिंह—

मैं आपके सामने एक ही विनती करना चाहता हूं किसानों की तरफ से। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि कृषक की सहायता हो, सही नीतियों का अनुकरण हो, तो पहले तो हम सब लोगों को मिल कर उन नीतियों को बनाना चाहिये। लेकिन इस पूरे सदन में तो वह नहीं बन सकतीं। आप एक छोटी कमेटी बनाइये। उसमें एक्सपर्ट भी हों, किसान भी हों, आपके कृषि मंत्री भी हों, खाद्य मंत्री भी हों। सब बैठ कर सोचें कि हमको अब अगले साल के लिये प्रोग्राम बनाना है। हमारी दिक्कत तो यह है, जैसी कि देहात में कहावत ह कि जब आग लगती है तो कुआं खोदने की तयारी होती है।

मैं पूछना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश और पूरे प्रदेश में पिछले चार वर्षों में गेहूं का उत्पादन लगभग दुगुना बढ़ गया तो क्यों केवल ४ या ५ लाख टन ही खरीदने की योजना बनायी ? यह ४–५ लाख टन तो केवल डेढ़ लाख एकड़ भूमि में उत्पन्न होगा और पैदा हुआ है डेढ़ करोड़ एकड़ में। यों तो आप पूरे उत्पादन का केवल एक प्रतिशत ही खरीदने की तैयारी करते हैं जब कि मार्केटेबिल सरप्लस कम से कम ३० फीसदी होता है। जिस फसल की पदावार इतनी तीव्र गति से बढ़े कि चार वर्षों में वह दुगुनी हो जाय, उसके केवल एक प्रतिशत की खरीदारी की व्यवस्था हो, यह कहां तक उचित है ?

अप्रैल के दूसरे हफ्ते से बारिश शुरू हुई। मई में कोई पूछने वाला नहीं था। जून के मध्य से सरकार ने सोचा कि अब हम को कुछ करना चाहिये क्योंकि पहले से कोई योजना नहीं थी, न तो बोरे टाइम पर मिलते ह और न यही पता है कि धन कहां से आयेगा। एक जगह से दूसरी जगह कैसे जायगा, इसका कोई भी प्रबन्ध नहीं। इसके अलावा कौन इसकी परख करेगा कि यह खरीदने के काबिल है या नहीं, आपके पास इंस्पेक्टर नहीं हैं। तो आपकी एकोनामी, जो सौभाग्य से ऐसी बन रही है, उसमें अगर सरकार कुछ अपनी तरफ से योगदान देना चाहे, आप भले ही खुश हों लें कि पैदावार बढ़ी, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका सरकार को कोई श्रेय नहीं है बल्कि सरकार की त्रुटिपूर्ण नीतियों के कारण बाधायें जरूर पड़ी हैं।

अन्न का उत्पादन बढ़ाने का जो कुछ भी श्रेय है वह है साइन्टिस्ट्स को, किसानों को। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हुं यहां पर आये दिन यह सवाल उठता है कि माल-गुजारी माफ होनी चाहिये। तकावी मिलनी चाहिये। यह झगड़ा निरन्तर इस सदन के अन्दर चलता रहता है और चलता रहेगा। किन्तु इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि आप उस नीति का अनुसरण कीजिये जो जापान में वहां की सरकार अपने किसानों के लिये करती है।

आपने यहां पर गेहूं की कीमत ७५ रुपया फिक्स कर दी। अब इसको आपने मुनासिब समझा। मुनासिब कैसे समझा यह अलग अलग सवाल है। उसको मैं छोड़ता हूं। अगर आपने किसी तरह से ७५ रु० मुनासिब समझा तो आप उस पर ही उसको खरीदते हैं। लेकिन जापान की सरकार का यह रवइया है कि अगर ४ आना नुकसान हो गया है फसल को तो चार बटा तीन के हिसाब से वह करके दाम बढ़ाते हैं और नुकसान को उसमें शामिल कर देते हैं। ७५ रु० पर अगर कीमत तय की तो १०० रु० उसको नुकसान मिलाकर देते हैं। और रुपया पर वह खरीदती है। उनका यह सोचन है कि यह दैवी प्रकोप किसानों के लिये ही नहीं बल्कि सारे राष्ट्र को उठाना है। सारा राष्ट्र उस दैवी प्रकोप को बरदाश्त करता है। सारे राष्ट्र को बरदाश्त करना चाहिये और उसमें उसको हिस्सेदार होना चाहिये। अगर आप समझते हैं कि ७५ रु० गेहूं की कीमत उचित है और यह भी समझते हैं कि २५ फीसदी क्षति हुई है तो उसको आपको १०० रु० पर खरीदना चाहिये। उस सूरत में किसानों की आमदनी एक समान रहेगी। आपको मालगुजारी में छूट नहीं देना पड़े। तकावी देने की आवश्यकता भी नहीं होगी और ये सारे झगड़े समाप्त हो जायंगे। एक सिद्धान्त होना चाहिये कि यदि दवी प्रकोप आता है तो वह सब किसानों को नहीं झेलना है बल्कि सारे राष्ट्र को झेलना है।

मैं आपको एक चेतावती देना चाहता हूं कि किसानों के साथ जो व्यवहार हुआ है उसका दुष्परिणाम यह निकला है कि हरी क्रान्ति समाप्त होती जाती है और वह समाप्त होने की दशा में है। उर्वरक खपाने का लक्ष्य आपका पूरा नहीं हुआ है। मैं अपने पड़ोस की जानता हूं कि जो किसान एक बोरा खाद उठाता था उसने १० किलो भी इस साल नहीं उठाया है। बिजली के कनेक्शन की जो दरस्वास्त पड़ी थी उनमें से आधों ने भी बिजली के कनेक्शन नहीं लिये। आज उनको जितनी वस्तुयें खरीदनी पड़ती हैं सब के मूल्य आकाश को छू रहे हैं। उनकी पैदा की हुई वस्तुओं के दाम गिरते जाते हैं। कैसे कोई खरीद कर सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग सब वस्तुओं की कीमत का तो नियन्त्रण करते हैं लेकिन कभी आपने किसान के इस्तेमाल आने वाले कल पुरजों का भी नियंत्रण करने की बात सोची? एक रबर के स्पेयर पार्ट के लिये जिसकी कीमत केवल ४ आने से ज्यादा नहीं होनी चाहिये, उसको बाजार में उसके लिये ८ रु० देना पड़ता है। एक नोजल जिसकी कीमत २५, २६ रु० से ज्यादा नहीं होनी चाहिये, किसान को बाजार में उसकी कीमत ८५ रु० देनी पड़ती है। जो दूसरी वस्तुयें हैं उनका तो आप नियंत्रण कर लेते हैं लेकिन किसान के प्रयोग की चीजों का नियन्त्रण नहीं होता है। उनकी ओर कभी सरकार का ध्यान नहीं जाता है।

मैं अन्त में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे इस सरकार से विरोध नहीं है। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कोई भी सरकार आये वह न अच्छी है और न बुरी है क्योंकि मैंने सब के शासन को देख लिया है। सब के शासन में उसी तरह से घूस चलती है, सब शासन में बिजली के लिये घूस चलती है। हम किसानों को इससे मतलब नहीं है कि इस कुर्सी पर कौन बैठता है। लेकिन हमारा यह सुझाव है कि आप आगे के लिये तैयारी करें। आप अगले वर्ष की तैयारी करें। अब आप किसानों की इस वर्ष कोई भी सहायता नहीं कर सकते हैं। करना भी चाहें तब भी नहीं कर सकते हैं। वह समय बीत गया। वह फायदा तो व्यापारियों

[श्री भानुप्रताप सिंह—]
ने उठा लिया। अब किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरा तो यही निवेदन है कि आप भविष्य की बात कभी नहीं सोचते, कोई सरकार नहीं सोचती। मेरा सुझाव है कि इस संबंध में आप एक समिति बनायें जो इन समस्याओं का अध्ययन करके आगे की तयारी करे।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आप ने हमें भी बोलने का अवसर दिया। यह जो रिपोर्ट माननीय राजस्व मंत्री जी की आई है उस पर कल से चर्चा हो रही है। उसमें मैंने देखा कि हमारे इलाहाबाद जिले का केवल २० प्रतिशत का ही नुक्सान दिखाया गया है। उसे देख कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। आपने अखबारों में देखा होगा कि इलाहाबाद में एक अभी कुछ दिन पहले बहुत बड़ा तूफान आया था जिसमें तमाम पेड़ और बिजली के खम्भे गिर गये थे और तमाम मकानों की दीवारें गिर गई थीं। यह माननीय मुख्य मंत्री जी और राजस्व मंत्री जी सभी जानते हैं और इसी बीच में स्वास्थ्य मंत्री जी भी वहां गई थीं और उन्होंने जिले का तीन चार दिन का दौरा भी किया था। उस तूफान से इलाहाबाद में इतनी बड़ी क्षति हुई है कि किसानों की रीढ़ टूट गई है। वहां के किसान बहुत परेशान हैं, उनका सारा गल्ला सड़ चुका है।

अभी खाद्य मंत्री जी ने कहा कि हमने वहां बड़ी बड़ी दूकानें खोल दी हैं, अव्वल तो वह कहीं दीखती नहीं और अगर कहीं खुली भी हैं तो किसान उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। किसान सरकार को भी इस साल गल्ला नहीं दे पाया। चाहे इस तरह के लोग हुकूमत में हों चाहे उस तरफ के हों, चाहे चरण सिंह की सरकार हो या गुप्ता जी की सरकार हो, या माधव प्रसाद मंत्री हों या त्रिपाठी जी मुख्य मंत्री हों या अनन्त राम जायसवाल मंत्री हों, २० साल से लगातार हम देख रहे हैं कि जो कोई भी आया है उन्हीं लोगों के हाथ में हुकूमत रही है और हुकूमत के सारे अधिकार उन्हीं के हाथ में रहे हैं जिनको जनता के कष्टों का कोई खयाल नहीं है। आप यह नहीं कह सकते कि सब कुछ के अब कमलापति जी ही जिम्मेदार हैं।

मैं जानता हूं कि जिस वक्त छितौनी बांध बना था उस वक्त वह भी हुकूमत में थे जो आज बहुत बातें उधर से करते हैं। उनका भी यह धर्म था और फर्ज था कि देखते कि यह बांध कैसे बनना चाहिये और कैसे बनाया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह जी की भी उस समय हुकूमत रही जिस समय यह बांध बना। अब जब वह टूटा तो कल से छितौनी बांध की सदन में गूंज है। मैं जानना चाहता हूं कि इस पक्ष के मंत्री जिम्मेदार हों या उस पक्ष के हों या सरकारी अधिकारी और इंजीनियर जिम्मेदार हों, उनके खिलाफ क्या किया गया? मैं चाहता हूं कि इसके लिये एक समिति गठित की जाय जो इन्क्वायरी करे कि किस की लापरवाही से यह बांध टूटा है। अगर इंजीनियरों की लापरवाही से हुई है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। यह इन्क्वायरी कमेटी पूरी जांच करे कि कौन मंत्री थे और कौन इंजीनियर व कन्ट्रक्टर थे और किन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी और किसने काम खराब किया, जिससे बांध टूटा है उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाय। किसने भ्रष्टाचार किया जिसका नतीजा आज वहां का किसान भोग रहा है।

जैसा भानु प्रताप जी ने कहा कि यह समस्या हर साल यहां पैदा होती है इसका स्थायी हल निकाला जाना चाहिये। कारण यही है कि आज किसी का ध्यान किसानों की तरफ नहीं है कि उनकी हानि न हो। मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि उन्होंने समाजवाद का नारा दिया है आप अब वह चीज न चलने दें कि राजा कोई भी हो लेकिन रानी मन्दोदरी ही रहेगी। जो भी इस त्रुटि के लिये जिम्मेदार हो उसके खिलाफ सख्त ऐक्शन होना चाहिये। जो नौकरशाही आज प्रदेश में और समाज में सब के ऊपर विराजमान है, उसको आप ठीक ढंग से चलावें। मैं सदन के विधायकों से कहूंगा कि वह गांव में जाकर देखें कि किस तरह से किसान तबाह हुआ है और यह अफसर किस तरह से सब को बेवकूफ बनाते हैं।

चाहे यहां चौधरी चरण सिंह की सरकार रही हो या श्री कमलापति जी की सरकार हो, ये नौकर लोग आपके पीछे जाते हैं और कहते हैं कि हमको पनिशमेन्ट नहीं मिलना चाहिये, हमारी तरक्की होनी चाहिये । हमारा ट्रांसफर रुकना चाहिये । जितने एम०एल०ए० लोग हैं इनके यही फर्ज हैं, यही काम करते हैं ये लोग । इस लिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि आपको ये भ्रष्ट तरीके छोड़ने चाहिये । नौकरशाही की वजह से छितौनी बांध टूटा हुआ है ।

मैं जानता हूं कि चाहे मुख्य मंत्री कोई भी हो लेकिन प्राइवेट सेक्रेटरी, राधे श्याम बने रहेंगे, उन्हीं के इशारा पर काम चलता रहेगा । जो गरीबों के मकान गिरे, उनके लिये अनुदान दिये गये लेकिन वह ठीक तरह से वितरण नहीं हुये । जिन गरीबों के मकान गिरे उन लोगों को अनुदान नहीं मिले । जो लोग दलाल थे आपकी नौकरशाही में, तहसीलदार या कोई हों वे खा गये । मैं यह बताना चाहता हूं सदन के सामने कि आप जितने भी प्लान बना लें लेकिन ये प्लान चलने वाले नहीं हैं । यह नौकरशाही सब अनुदान खा जायेगी । इसलिये इस ओर आपको ध्यान देना चाहिये ।

आज बिजली में भ्रष्टाचार, पुलिस में भ्रष्टाचार और सिंचाई में भ्रष्टाचार है । भ्रष्टाचारों की तादाद में कमी नहीं है । चाहे वह चरण सिंह की सरकार रही हो, चाहे वह त्रिपाठी की सरकार रही हो, और चाहे वह सी० बी० गुप्ता की सरकार रही हो लेकिन भ्रष्टाचार में कमी नहीं रही । श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं कि अभी हमारे मंत्री जी ने कहा कि मैंने बहुत गल्ले की दूकानें खुलवा दी हैं । मैं कमलापति जी से बताना चाहता हूं कि हमारे किसान की गल्ले की पैदावार बढ़ी है । मुझे मालूम है कि सन् ४७ में किसान के घर में गेहूं नहीं पैदा होता था । ये होली के दिन पूड़ी खाने के लिये मोहताज रहते थे । आज किसान का गेहूं सड़ रहा है । मैं मुख्य मंत्री और राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आपने पहले जिस प्रकार किसानों को डंडा मारकर गेहूं वसूल किया था उसी तरह से किसानों से इस बार जो गल्ला उनके पास उसे पैसे के स्थान पर वसूल किया जाय। तहसीलदारों से कहें कि वे गल्ला लें, किसानों से मालगुजारी की एवज में । यदि ऐसा नहीं किया गया तो मैं अपने क्षेत्र में पहला आदमी हूंगा कि जो बगावत करूंगा इसके खिलाफ ।

आज काश्तकार की हालत बड़ी खस्ता है । काश्तकार आपसे अनुदान या छूट नहीं चाहता अगर आप छूट देना चाहते हैं तो काश्तकार को बिजली और सिंचाई की छूट दीजिये । मुझे मालूम है कि संविद की सरकार जब से आई थी उसने पानी के दाम किसानों के लिये ज्यादा कर दिये । उस पानी का दाम बढ़ाने का नतीजा यह है कि आज किसान कहता है कि हमारा लगान मत माफ करो लेकिन पानी के दाम कम करो । मैं मुख्य मंत्री और राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पानी का और बिजली का दाम कम कराइये जो चरण सिंह, किसानों के मसीहा हैं, उन्होंने किसानों पर पानी व खाद का रेट बढ़ा दिया । मैं निवेदन करूंगा कि इलाहाबाद जिले को तीस परसेन्ट दिया गया है वह गलत है । वहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है । जो सरकारी आंकड़े दिये गये हैं वह गलत हैं ।

(इस समय ५ बज कर ७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

जो गरीब किसान है उनका गल्ला सड़ गया । इन चन्द शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि आप इलाहाबाद में फिर जांच करा कर छूट देने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—

राजस्व मंत्री जी ।

श्री राम विलास पांडेय—

आपके पहले उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि एक घंटे का समय बढ़ेगा । इसका मतलब है कि सवा पांच बजे तक और १५ मिनट उन्होंने अपनी तरफ से देने के लिये कहा था । उन्होंने

[श्री राम बिलास पाण्डेय]

ने यह भी कहा था कि आप तीनों लोगों को मौका मिलेगा। (व्यवधान) आप चाहे एक-एक मिनट ही दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

एक मिनट में कैसे होगा ? अच्छा बोलिए।

श्री राम बिलास पांडेय—

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस गम्भीर समस्या पर बोलने का मौका दिया। मैं उत्तर प्रदेश के उस इलाके का रहने वाला हूं जिसकी चर्चा यहां बराबर होती रहती है। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं जो बराबर बाढ़, सूखा और ओलों स तबाह होता रहता है। यही नहीं, वह गरीबी की चरम सीमा पर है। इंडस्ट्री के नाम पर वहां केवल ईट के भट्ठे हैं। आजमगढ़ के छपरा गांव को आप नोट कर लें। पक्की सड़क पर जाकर देख आयें। गेहूं में अंकुर जम चुके हैं, अम्बार लगा हुआ है। अगर वह इकट्ठी फसल जो सड़ रही है, गड्ढे में नहीं दबा दी गई तो हैजा होगा, बीमारी आयेगी।

इंसान के खाने की समस्या और मवेशी के चारे की समस्या तो अलग है, बहुत बड़ी बीमारी होगी। एक, डेढ़ लाख की बरबादी उस छपरा गांव म हुई है। बड़े-बड़े अंकुर जम चुके हैं सड़ांध आ रही है। पानी इतना बढ़ गया है कि बांध चौथाई फर्लांग भी नहीं रह गया है। छितौनी बांध की तो बात होती है परन्तु हमारे यहां जो कटान हो रही है उसके बचाव की तरफ कोई ब्यान नहीं दिया गया है। इसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि यह सब हमारे अन्दर चरित्र का हनन होने से हुआ है। हमारे अन्दर कोई मुश्तकली नहीं है और सरकार भी स्टेबिल नहीं है। इसमें हम सरकारी कर्मचारियों को दोष न दें क्योंकि हमारा ही चरित्र गिर गया है। इधर से दलबदल करके उधर बैठ जायं या उधर से इधर। हमने पंत जी की हुकूमत को देखा और पहले की भी हुकूमतों को देखा परन्तु उसके बाद से कोई स्थिरता न होने से ही यह सभी प्रकार की खराबियां पैदा हो गई है। जब तक हमारा चरित्र ठीक नहीं होगा तब तक स्थिरता नहीं आयेगी। इससे बड़े बड़े रोग पैदा होंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप कोई समय तय कर लें। मैं दो दो मिनट तीन चार आदमियों को दे सकता हूं।

श्री त्रिवेणी राय—

मान्यवर, आज सदन में सभी इससे दुखी हैं जो कि किसानों का नुक्सान हुआ है चाहे इधर के हों या उधर के हों। सभी किसान हैं। आज किसानों का बड़ा नुक्सान हुआ है। हमारा पूर्वी जिला आजमगढ़, बहुत ही गरीब जिला है यद्यपि वहां पर २८ लाख की आबादी है और वह एक विशाल क्षेत्र है। वहां पर अगर हम देखें तो हर तरफ गल्ले की सड़ान्ध आ रही है, बदबू हर तरफ व्याप्त है। वह गल्ला खलिहानों में ही सड़ गया है। यह स्थिति सारे पूर्वी प्रदेशों की है वह चाहे आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, बनारस, प्रतापगढ़, रायबरेली अथवा फैजाबाद हो सभी जगहों पर यह हालत है। इससे कोई जिला नहीं बचा है जहां पर बदबू न आ रही हो। किसान के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है।

गल्ला तो बरबाद हो गया परन्तु अब मवेशियों के चारे का कोई ठिकाना नहीं रहा। कोई ऐसी दूसरी फसल भी नहीं है जो जानवरों के लिये हो सकती हो। साथ ही वहां पर जो पत्थर पड़े हैं उससे किसानों की जो खपरैले हैं वे टूट गई हैं। किसानों के घर को छाने के लिये

अब कोई साधन नहीं है। साथ ही अभी तक बारिश बन्द नहीं हुई है। मई और जून में काश्तकार छाजन का प्रबन्ध कर लिया करते थे जिसका अब समय उनको नहीं मिला और दैवी आपदा ने उनको और हानि पहुंचाई है। काश्तकार के रहने की समस्या है, मवेशियों की समस्या है इसका क्या समाधान किया जायगा। साथ ही खाद की भी समस्या है, बच्चों की पढ़ाई की भी समस्या है। ऐसा संकट संकड़ों वर्षों में भी नहीं आया। ऐसा हमारे बजुर्गवार कहते हैं।

फसल तैयार है और आंखों से देखते ही देखते वह बरबाद हो गई। इसलिये यह अनुरोध है कि इस विषय पर सरकार को दोष न दें। उसका दोष इसलिये नहीं हो सकता कि सरकार ने नहीं कहा था फरवरी और मार्च में पानी बरस जाय। यह तो एक दैवी आपदा आ गई है।

यह तो दैवी प्रकोप है। हम लोग सोच विचारकर इसका हल निकाले कि गांवों में किसानों को तड़प रहे हैं उनको राहत मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि वह प्रदेश में हुये नुकसान के सम्बन्ध में बतलाने का कष्ट करें।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

हमारे साथी, कृष्णानन्द राय और श्री सुरेन्द्र विक्रम ने विस्तार के साथ प्रकाश डाला है। मुझे यह कहना है कि जिस गंभीरता से इस मसले को सरकार को लेना चाहिये था वह उसने नहीं लिया है। आप जानते हैं कि दो तीन महीनों से वर्षा हो रही है। मिर्जापुर में ७ जून को ही सोन नदी में इतनी बाढ़ आई कि एक नाव डूब गई लेकिन सरकार ने उन लोगों की कोई सहायता नहीं की। आपने सुना होगा कि मिर्जापुर, जहां गंगा नदी है, वहां दो नाव डूब गई। २०, २५ आदमियों के बारे में पता नहीं है।

सरकार बाढ़ से पीड़ित लोगों को सहायता करने के बारे में सोच रही है। परन्तु इन लोगों की समस्या पर कोई सिचार अभी तक नहीं हुआ है। यही नहीं, मिर्जापुर का इलाका जो अन्दर का है, वहां गरीबी फैली हुई है। यदि सरकार ने समय पर उनकी सहायता नहीं की तो स्थिति खराब हो जावेगी। असामयिक वर्षा के कारण हजारों किसानों के मकान नष्ट हो गये हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकारी अधिकारियों का हाल है उसके बारे में श्री सुरेन्द्र विक्रम ने बड़े अच्छे प्रकार से बयान किया है। मान्यवर, मैं आपको बतलाना चाहता हू कि हमारे यहां इतनी तेज धारा गंगा नदी को आ रही है और पुल बहुत कमजोर हैं। एक एस० डी० ओ० जो गंगा नदी नहाने गये थे, बह गये हैं। हमारे यहां खरीफ की खेती अभी तक बोई नहीं गई है। मुगलसराय और मिर्जापुर में भी ऐसा ही है। जो स्थिति है उसके अनुसार किसान खेती नहीं कर सकता है।

मेरी मांग है कि मुख्य मंत्री जी इस इलाके की जो आय दिन दैवी प्रकोप के कारण पीड़ित रहता है विशेष सहायता करावें। वहां पर खरीफ अभी तक न बो सकने के कारण किसान बड़ा भयभीत है क्योंकि रबी तो नष्ट हो ही गई अगर खरीफ भी नष्ट हो गई तो वह क्या करेगा। मेरा तो विचार है कि प्रदेश के जो इलाके जैसे बुन्देलखंड, मिर्जापुर और पहाड़ जहां पर कि आये दिन ही दैवी प्रकोप रहता है विशेष तरह से ध्यान दिया जाय। इस वर्षा का भी इन्हीं क्षेत्रो पर अधिक प्रकोप रहा है। इन शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं कि उपरोक्त इलाकों की शीघ्र ही रिपोर्ट मंगाकर अधिक सहायता की जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

क्या समय आपने बढ़ा दिया है? समय सवा ५ था परन्तु क्या और बढ़ाया गया है?

श्री अध्यक्ष—

साढ़े पांच तक समय उपाध्यक्ष ने बढ़ाया था। अब पौने ६ कर दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आठ बजे तक बैठना चाहें तो बैठें। नौ बजे तक यह चले। उसके बाद बंगला देश चले।

श्री गिरजा शंकर तिवारी (जिला बाराबंकी) —

बाराबंकी में घाघरा नदी में जरा सा भी उभार आता है तो वह रामनगर और दरिया बाद दोनों विधान सभाई क्षत्रों को तबाह कर देता है। पहले तो बरसात से नुकसान हुआ और फिर बाढ़ से। जिन काश्तकार ने खलिहान में गेहूं लगाया था वहां आधे से ज्यादा पड़ा हुआ है। जो बोना चाहते थे वह बो नहीं सके। काश्तकार बहुत दुखी और परेशान है। उसके सामने बीज का संकट, जानवरों के चारे का संकट है। गल्ला मांड़ा नहीं गया और वह सड़ रहा जिससे बीमारियां फैल रही हैं और दवाइयों का भी संकट है। अभी तो बरसात का प्रारम्भ हुआ है। आगे और बाढ़ आयेगी। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां की इन विशेष परिस्थितियों का अध्ययन करें और वहां की दुखी जनता को राहत देने की कोशिश करें।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, दो दिन से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर इस सम्मानित सदन में चर्चा हो रही है। मैं सभी सम्मानित सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अपने सुझाव दिये चाहे वे छितौनी बांध के सिलसिले में हों या अतिवृष्टि के सिलसिले में हों। मैं अपने उन मित्रों का आभारी हूं जिन्होंने सुझाव कम दिये हैं और मुझे गालियां ज्यादा दी हैं। मुझे उस पर कोई ऐतराज नहीं है। समय थोड़ा है। चाहता यह था कि जितने माननीय सदस्यों ने अपने अपने भाषण दिये थे उनका व्योरेवार जबाव देता। मेरे एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक लांछन लगा दिया कि मैं यहां बैठा रहा और मैंने उनकी बात नहीं सुनी। अब मुझे सफाई देनी पड़ेगी कि मैं उनकी बात सुन रहा था या नहीं।

मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे लिये यह मुमकिन नहीं है कि जिस भाषा में मेरे लिये कहा गया मैं भी उस भाषा में उत्तर दूं। यह मानी हुई बात है कि जिस के पास जो पदार्थ होता है वह उसे देता है और यदि दूसरे के पास उस पदार्थ का अभाव है तो वह उसे नहीं दे सकता। इस तरह के भाषण हम इस सदन में सुनते आ रहे हैं और इसलिये मुझे उनके भाषण पर ताज्जुब नहीं है। मैं यहां पर नहीं था जिस समय वह भाषण हो रहा था। उन्होंने मुझे अपना मित्र भी कहा। मैं अपने को उनका मित्र पाकर सौभाग्यशाली समझता हूं। मुझे वह कितनी भी गाली दें लेकिन भगवान से मेरी प्रार्थना है कि भगवान उन्हें जल्दी ही मंत्री बनावे जिससे कि वह विभाग को तोड़ मरोड़ सकें और कुछ कर सकें। जिस रोज मैं उनको इस तरह से देखूंगा, मुझे उनकी छत्रछाया में कोई दुख नहीं होगा।

कल मान्यवर, छितौनी बांध के संबंध में माननीय सिंचाई मंत्री जी ने निवेदन किया था आप लोगों ने मेरे ऊपर यह लांछन लगाया कि इतनी बड़ी घटना को मैंने साधारण सी घटना समझ कर उसे आपके सामने रखा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने किसी भी मानी में उसकी अहमियत को कम करने की कोशिश नहीं की है। मुझे इस बात का दुख है कि यहां चर्चा का स्तर वैसा नहीं रहा जो वास्तव में एक नेशनल कैलेमिटी के ऊपर चर्चा के समय होना चाहिये। जिन बातों की आलोचना होनी चाहिये थी, वह नहीं हुई, दूसरी बातों के कहने में समय अधिक लगाया गया।

मान्यवर, गन्डक नदी से जूझना एक प्रकृति से जूझना है। लेकिन मानव का विकास भी प्रकृति से जूझते-जूझते ही हुआ है। इसलिये हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिये। हमारे शास्त्री जी ने जो सुझाव दिया था उसके बारे में मैंने कल कहा है। वास्तव में यह समस्या इतनी आसान नहीं है और इतनी ज्यादा कठिन है कि अंत में उन्हें यह कहना पड़ा कि गंडक नदी को ऐसे ही छोड़ दिया जाय। मेरी गुजारिश यह है कि यह ठीक नहीं है कि जो खतरा हमारे सामने है उसे बैसे ही छोड़ दिया जाय। जैसे भी हो, तकनीकी आधार पर हमें कुछ करना ही पड़ेगा। यह हो सकता है हम एक बार कामयाब न हों, दो बार कामयाब न हों, लेकिन कामयाबी अंत में हमें जरूर मिलेगी।

श्रीमन्, मैं यह भी कहूंगा कि जन, धन आदि की जो क्षति हुई है उसे हमने छिपाने को कोशिश नहीं की है। मैंने स्वयं मौके पर जाकर जिलाधीश और अन्य अधिकारियों से बातें की हैं और यह आदेश दिया है कि वे गांव में जाकर वहां जो क्षति हुई है, उसका सही पता लगायें, वहां के आदमियों से पूछें। २-४ आदमियों से यह पूछा भी गया कि क्या उनके यहां कोई आदमी मरा है। वे नहीं बता पाये। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई मरा न हो। सही पता तो बाद में ही लग सकेगा जब सब लोग इकट्ठा होंगे, स्थिति सम्भलेगी। जब १५–२० फुट ऊंचाई से पानी बहेगा तो उसमें गांव के गांव बह जाना स्वाभाविक है। हमारी कोई मंशा किसी चीज को छिपाने की कतई नहीं है।

आपने कहा कि उस समय अधिकारी छुट्टी पर गये हुये थे। आप बहुत जल्द इस बात को दखेंगे कि उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाती है या नहीं, जो छुट्टी पर गये हैं और जिनको छुट्टी पर जाने का कोई कारण नहीं था। कुछ अधिकारी छुट्टी पर गये हैं यह बात सही है। लेकिन उनमें एक के बारे में पता लगा है कि कोर्ट में नोटिस थी इसलिये गया। ऐसे केसेज में क्षम्य होगा, अन्यथा एक भी क्षम्य नहीं होगा। इस मर्तबा पिछली बाढ़ों की अपेक्षा अधिक गम्भीर थी लेकिन छितौनी बांध नाम को भी टूटा नहीं। सारी बातें इस सम्मानित सदन के सामने आयी हैं। एक बात नहीं आयी है वह यह है कि जो बाढ़ आयी थी पहले की बनिस्बत लेबिल कम था, लेकिन जितना बाढ़ से पहले कभी नुक्सान नहीं हुआ उतना इस बाढ़ से नुक्सान हुआ। इसमें केवल इरोजन नहीं हुआ। उसके साथ-साथ सीपेज भी हुआ। गत वर्ष भी सोपेज हुआ था वह ठीक कर दिया गया। सीपेज को रोकना चाहिये और उसके लिये जिम्मेदारी ठहरानी चाहिये। लेकिन सीपेज ऐसी चीज है जो कभी-कभी सम्भव न हो कि उसको रोक सकें, जब पानी नीचे से सोत करके उस पार चला जाता है ऊपर की चीज जैसी की तैसी बनी रहती है। उस वक्त ऐसा नुक्सान हुआ करता है। वही इस बार हुआ। ऐसा नहीं कि जो रेलवे लाइन है उसकी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर न लें। रेलवे लाइन वहां पर जरूर होनी चाहये। उसको कोई नुक्सान न हो इस की जिम्मेदारी सेंटर पर है, उसकी मरम्मत भी करनी चाहिये। लेकिन इसम कोई संदेह नहीं कि जब इससे इतनी हानि हो सकती है कि तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी कम नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। माननीय सिंचाई मंत्री ने बांध के टूटने के सम्बन्ध में परिस्थित साफ की है। माननीय राजस्व मंत्री को जो बांध के टूटने से हानि हुई है और जो रिलीफ कार्य हुआ है उससे सम्बन्धित जो बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं, उनका जवाब देना चाहिये, बजाय इसके यह बतायें कि सीपेज कैसे होता है। सीपेज पिछले सालों में भी हुआ है।

श्री उदितनारायण शर्मा—

श्रीमन्, छितौनी बांध पर आज भी चर्चा हुई है। कल जो वक्तव्य दिया गया उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं कही गयी थीं। उन्हीं को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। एक बात और निवेदन कर दूं कि माननीय कृष्णानन्द राय ने कहा था कि राजस्व मंत्री को इस बात को पता नहीं है कि सिवा देवरिया के कहीं पर बाढ़ आयी है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

जो जनधन की हानि छितौनी बांध के टूटने से हुई है उसकी जांच के लिये कोई कमेटी की व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

आपके उत्तर में निवेदन कर दूं, मैंने जो आपके सामने वक्तव्य प्रस्तुत किया है उसमें खुद लिखा है, और कल भी कहा था, इसकी जांच के लिये कमेटी निश्चित रूप से बैठ रही है। बैठ रही है, इसके लिये कि आइन्दा क्या करें जिससे दुर्घटना फिर न हो और यह पता लगायें कि क्यों दुर्घटना हुई है और इसके लिये जो जिम्मेदार हो उसको क्या सजा दी जाय। माननीय कृष्णानन्द राय ने कहा कि मैंने इस तरह से भाषण दिया जैसे एक जगह बाढ़ आयी। मेरे पास इस वक्त भी मौजूद है और मैं उनको दिखा सकता हूं किन्तु इस समय मेरे पास समय नहीं है।

इस वक्त देवरिया में जो बाढ़ आयी है वह अन्य बाढ़ों की अपेक्षा इतनी ज्यादा थी कि सभी का ध्यान उसी ओर केन्द्रित रहा। मैंने इस सम्बन्ध में देवरिया के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से टेलीफोन पर बातें भी की हैं उन्होंने मुझे बताया कि वह बाढ़ ऐसी नहीं है कि जिस पर सरलता से काबू पाया जा सके। १५० गांव में उस बाढ़ का पानी फैला हुआ था।

कितने ही लोग बेघरबार हो चुके हैं। अतः मैंने उनसे कहा कि जो कुछ आप कर सकें करें। माननीय सदस्य सोचते हैं कि हमारा ध्यान उस तरफ गया ही नहीं है। वैसे मैं कुछ भी कहूं या न कहूं, उसका कोई मूल्य नहीं है किन्तु माननीय सदस्यों ने जो कुछ इस सम्बन्ध में यहां पर कहा है उसको मैंने ध्यान से सुना है और सुनने की आशा रखता हूं। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव इस सम्बन्ध में दिये हैं मैंने उन पर गौर किया और आइन्दा भी जो सुझाव वे मुझे देंगे मैं अवश्य ध्यान दूंगा किन्तु आइन्दा मैं यह सुनने को तैयार नहीं हूं कि मैंने सुना नहीं है। यदि माननीय सदस्यों में कोई भी व्यक्ति जहां पर गलती हुई हो, मेरा ध्यान आकर्षित करेंगे चाहे वह विरोधी पक्ष का ही क्यों न हो, ऐसी बात नहीं होगी कि मैं उनका साथ नहीं दूंगा। मैं जहां कहीं गलती हुई हो, वहां पर उसके साथ जाने के लिये तैयार हूं और मैं पहला आदमी हूंगा।

मान्यवर, छितौनी बांध के टूटने पर जो हम वहां पर इतजाम कर रहे हैं उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आज इस बात की बड़ी आवश्यकता है और यह बड़ी चिन्ता की बात है कि जो कुछ हम वहां पर कर रहे हैं, भगवान की कृपा से अब आसमान खुल भी गया है, वह यह कर रहे हैं कि जो लोग वहां पर बे घरबार हो गये हैं उनको किसी तरह से पानी से बचा रहे हैं और उसका उपाय जो कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं। जो राशन वगैरह की बात है वह तो अपनी जगह पर है ही, किन्तु आज तीन-चार रोज से मेरी माननीय मुख्य मंत्री जी से बात हो रही है कि उनको किसी तरह से पहले पानी से बचाया जाय। उन्होंने मुझसे कहा है कि जिलाधिकारी से टेलीफोन से बात चीत करो और समझ कर करो कि उनका चाहे कितना ही खर्च उसमें लग जाय उसकी परवाह मत करो किन्तु उन्हें पानी से बचाने का उपाय करो।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पीने के पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। वैसे ही पानी से बीमारी फैलने का भय रहता है। अतः मैंने वहां पर स्वयं जाकर कहा और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने स्वयं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहा है कि आप पीने के पानी के लिये वहां पर पंपिंग सेट लगवायें। जहां पर एक-दो पंपिंग सेटों से काम नहीं चलता है वहां पर तीन-तीन और चार-चार पंपिंग सेट लगवा लो और जहां पर लोग ज्यादा हैं वहां पर अधिक पंपिंग सेटों की व्यवस्था कर लो। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें जो कुछ भी खर्चा लगेगा इसकी परवाह नहीं की जायगी। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आपत्तिकाल में हमारे बीच में जो कर्मचारी हैं वे उसका दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। मैं पहला आदमी उन लोगों में हूंगा जो इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगा कि आया कौन आदमी इसका दुरुपयोग कर रहा है।

यहां पर यह भी कहा गया कि वहां पर कोई रेवेन्यू का अफिसर नहीं गया। यह बात सही है.....

श्री मैनेजर सिंह—

आप अतहर हुसेन को रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाये हुए हैं जो कि [* * *] उसको लिखा जाता है तो वह जवाब नहीं देता है .....

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, मैं बड़ा नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मैनेजर सिंह पहले भी बोले थे और एक ही सांस में ३ मर्तबा उन्होंने मुझे नालायक कहा। मैं तो यह कहने वाला था कि जितनी देर वे बोले नालायक ही कहते रहे। अब जिनको वे नालायक कह रहे हैं वह इसी सरकार में सेक्रेटरी नहीं रहे हैं किन्तु उन सरकारों में भी सेक्रेटरी रहे हैं, जिनके माननीय मैनेजर सिंह हामी रहे हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

आप राजभक्त रहे हैं और हर सरकार में रहे हैं, मैं किसी भी सरकार में नहीं रहा हूं।

श्री राममूर्ति 'अंचल'—

श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 'नालायक' शब्द संसदीय है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, मैं यह कहने जा रहा था कि उस समय उपाध्यक्ष पीठासीन थे और उन्होंने 'नालायक' शब्द को संसदीय समझा होगा कि उनको बोलने दिया। लेकिन श्रीमन्, मेरा यह निवेदन है कि यह शब्द ही नहीं, बोलने का यह तरीका, बोलने का यह रुख क्या संसदीय है? लोगों के सामने इस तरह से बीच में खड़े होकर बोलना क्या संसदीय है ? जब इस तरह की बातें होने लगती हैं तो तर्क और तथ्यों की कोई जगह ही नहीं रहती। यदि विभाग का संतुलन खोकर बात की जायगी तो फिर तथ्य और तर्क की बात किस तरह से हो सकेगी ? जब कोई व्यक्ति क्रोध में आ जाता है तो वह किस प्रकार से अपना संतुलन कायम रख सकता है ? क्यों कि क्रोध और तर्क का वैर है।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमने पानी का इन्तजाम किया है, भूसे का इन्तजाम किया है। जहां-जहां अतिवृष्टि हुई है और गल्ला सड़ गया है वहां के लिये भी इस बात का इन्तजाम किया है। आज नहीं तो जब खरीफ की फसल समाप्त होने आयेगी, उस समय भूसे की जरूरत होगी। उस समय के लिये हम इस बात का इन्तजाम कर रहे हैं कि पशुओं के लिये भूसे की कमी न होने पाये।

इस बात की काफी शिकायत की गयी कि वसूलयाबी हो रही है। यह बात ठीक है। मैं इसको तस्लीम करता हूं कि कहीं कहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष—

आप कितने बजे तक बोलेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सवा ६ बजे तक।

[***] श्री अध्यक्ष की आज्ञानसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

तो ६। बजे तक इस पर बहस होगी। उसके बाद ५–६ विधेयक रखे जायेंगे। उसके बाद नियम ५१ लिया जायगा। उसके बाद बंगला देश वाला कार्य होगा। इसलिये हम तब तक बैठेंगे जब तक यह सब कार्य न खत्म हो जाय। उस समय तक के लिये सदन का समय बढ़ा दिया गया है।

श्री मैनेजर सिंह—

अभी तो आपने कहा था कि पौने ६ बजे तक यह बोलेंगे और उसके बाद बंगला देश वाला प्रस्ताव लेने को कहा था।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी सवा छै बजे तक बोलेंगे। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम लिया जायगा। करीब ७ बजे तक यह सदन चलेगा।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह बात सही है कि कहीं-कहीं, बावजूद इसके कि हमने कह दिया था कि वसूली न की जाय, वसूली हुई है। अब मैंने आर्डर दे दिया इसके पहले ही रेवेन्यू सेक्रेटरी को कि वे पता लगायें और मैं आपको भी दावत देता हूं कि जहां पर आदेश देने के बाद वसूली की गई हो। इसके बाद देखिये कि क्षति कितनी बताई गई। यदि कहीं गलत थी तो उसका खामियाजा किसानों को उठाना नहीं था। हमने कहा था कि जहां पर ५० फीसदी से ज्यादा नुकसान हुआ है वहां पर मालगुजारी तथा नहर की बकाया स्थगित कर दी जाय। सब जगह जहां १० फीसदी से ज्यादा नुकसान हुआ है वहां जो वसूली हो रही है उसमें सख्ती न की जाय। यह हम ने पहले ही सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कह दिया था।

(व्यवधान)

श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

जिनका सब नुकसान हो गया है उनके लिये आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, मेरा कहना यह था कि पहले मुझे सुन लीजिये। हमने लगान स्थगित किया है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी यह नहीं कह सकेगा कि वह मेरे पास आया हो और उसने कहा हो कि हमारे यहां ज्यादा क्षति हुई है तो मैंने स्थगित करने से इंकार किया हो। जहां के लिये भी कहा गया मैंने स्थगित कर दिया।

श्री महीलाल—

श्रीमन्, मैंने अपने यहां के लिये कहा था लेकिन मुल्तवी नहीं हुआ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैंने कहा कि आपके यहां के लिये भी मैंने आदेश दे दिये ह ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ....

श्री अध्यक्ष—

जब वे बैठ जायंगे तभी आप बोल सकते हैं। यही यहां का कायदा है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

माननीय सदस्यों ने अपना रोष प्रकट किया। जहां तक अधिकारियों तथा कर्मचारियों का प्रश्न है वे एक रोज में खराब नहीं हुये हैं। जब उस तरफ के बैठने वाले हमारे भाई इस तरफ बैठते थे तब भी यही अधिकारी और कर्मचारी थे, यदि वे खराब हुये हैं तो उसमें उनका भी कुछ हिस्सा है। जब आपत्ति आ जाती है तो जैसा शासन है, जैसा नैतिक स्तर है, जैसा समाज है, उसी के अनुसार तो कार्य करना होता है। जब वहां पर अच्छी बात नहीं होती है तो कुछ बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है और हमारा मन्तव्य पूरा नहीं होता है। आपने जो आलोचना की उससे पता नहीं चलत है कि आपने महसूस किया होगा कि सरकार की भी तो कुछ लाचारी हो सकती है। ऐसी आपत्ति लाई नहीं जाती है बल्कि आ जाती है। जैसा हमारा समाज है, जैसे अधिकारी हैं, उसी के अनुसार कार्य करना पड़ता है।

एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि जहां तक मालगुजारी का सम्बन्ध है, मालगुजारी के लिये किसी को एतराज नहीं है। लोगों ने कहा कि अगर आप मालगुजारी वसूल कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। ऋण का प्रबन्ध कीजिये, हमारे ऋणदाता दुखदायी हैं। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि यह ऋण एक रोज देने की नहीं है। आप लोगों ने रबी के लिये कहा था तो हमने फौरन इस रबी के लिये इन्तजाम कर दिया है। हमारे एक मित्र ने कहा कि यह हो सकता है कि अभी खरीफ भी खराब हो जाय। इसमें शक नहीं कि अगली खरीफ और फिर रबी की फसल भी खराब हो जाय तो इसके लिये नियम बना हुआ है कि अगर लगातार दो-तीन साल तक फसल खराब हो जाय तो माफी भी किया जा सकता है। यह तो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि किसान किसी सूरत में नहीं दे सकेगा तो हम कैसे क्या कार्यवाही करेंगे।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मैं आपके माध्यम से एक सफाई चाहता हूं। एक मर्तबा अखबार में मैंने पढ़ा था कि कैबिनेट की मीटिंग के बाद मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि जितने भी सरकारी ड्यूज हैं, इरीगेशन के, लैंड रेवेन्यू के और तकाबी के, ये सब स्थगित कर दिये जायं। उससे यह समझा गया कि यह पूरे उत्तर प्रदेश के लिये उनका एक जनरल व्यू है लेकिन ११ तारीख को जब मैं खुद तहसील बेलारी जो श्री महीलाल जी के हल्के में पड़ती है, वहां के तहसीलदार से सायं ६ बजे मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि आर्डर के अन्दर इस तरह से लिखा हुआ है कि यह हमारे डिस्क्रिशन पर है कि ५० परसेंट किसी जगह नुकसान हुआ हो और हम जरूरी समझें तो वहां वसूल कर सकते हैं और जहां ५० परसेंट से कम नुकसान होगा वहां के लिये कानूनगो, पटवारी से कागजात बनाने को कहेंगे और वह कहेगा कि पूरे गांव का ५० परसेंट नुकसान है तो पूरे गांव को एक यूनिट मान लेंगे। अगर ५० परसेंट से ज्यादा नुकसान पूरे गांव में हुआ होगा तो पूरे गांव की वसूली स्थगित कर देंगे। तो इस पर सरकार को क्या कहना है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह बात सही है कि यह लिख कर दे दिया गया था कि जहां ५० परसेंट से ज्यादा नुकसान हो वहां मालगुजारी बिल्कुल न वसूल की जाय और जहां पर कम हो वहीं पर वसूल की जाय। लेकिन मैं आपको यह सूचना देता हूं और निजी तौर पर आपको आश्वस्त करता हूं कि उसी समय यह भी लिख कर दे दिया गया था कि किसी भी सूरत में ऋण जो देय है उनकी वसूली में सख्ती न की जाय। अगर कोई अपने मन से दे जाय तब तो उसके स्थगित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उसके माने केवल यह हैं कि जो नहीं देते हैं उनके साथ सख्ती न की जाय।

श्री गोविन्द सिंह—

मेरे जिले में तो हथकड़ियां डाल डाल कर ३०–३० रुपये वसूल किये गये।

श्री उदित नारायण शर्मा—

किसी विशेष जगह में कोई बात हुई हो तो मैं नहीं जानता । यह मैं नहीं कहता कि हर जगह मैं गया ही हूं। लेकिन कृपा करके आप हमें लिख कर दे देंगे तो मैं उस पर कार्यवाही करूंगा।

श्रीमन्, मेरे एक माननीय सदस्य ने कहा कि बदायूं में नहीं रोकी गयी है। अगर ऐसी बात है तो म आपको विश्वास दिलाता हूं कि कल ही मैं उसे रोकवा दूंगा। जो भी बतला देंगे कि यहां रोकना जरूरी है तो वहां मैं रोक दूंगा क्योंकि यह तो गवर्नमेंट की पालिसी की बात है कि जहां पर नुकसान हुआ है वहां पर वसूली नहीं होनी चाहिये। जहां पर किसान किसी सूरत में दे ही नहीं सकेगा, वहां माफ ही कर देंगे।

दूसरी बात यह है कि जहां तक बीज का सम्बन्ध है उसके बारे में भी यहां कहा गया है। मैं मानता हूं कि बीज देने की भी एक समस्या है। मैं इस माननीय सदन को विश्वास दिलाता हूं कि बीज का जब समय आवेगा तो किसानों को बीज की कमी नहीं पड़ेगी। सिर्फ बीज की ही कमी नहीं पड़ेगी बल्कि अच्छे बीज की कमी नहीं पड़ेगी। हम इसके प्रति जागरूक हैं कि अभी जो गल्ला सड़ गया है उसमें बहुत-सा ऐसा है जो खाने लायक नहीं है और जो खाने लायक भी है उसमें बहुत-सा ऐसा है जो बीज के लायक नहीं है। हम जो बीज के लिये देंगे उसको टेस्ट करा लेंगे कि वह जर्मिनेशन के लिये ठीक है या नहीं। मैं सभी माननीय सदस्यों से इस बात की अपेक्षा करूंगा कि वे इस बड़े काम में हमारी सहायता करें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे सहयोग में आप कहीं पर भी कमी नहीं पायेंगे।

एक बात जो हमारे माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा कि थ्रेशर्स की काफी तादाद होनी चाहिये, हमने उस प्रश्न को भी महसूस किया। जो वर्षा ज्यादा हुई और गल्ला सड़ गया उसके सम्बन्ध में हमने जो मीटिंग की थी उसमें हमने यह निर्णय लिया था कि थ्रेशर्स ज्यादा से ज्यादा किसानों की मिल सकें और यदि सम्भव हो, हालांकि यह पता नहीं कि कहां तक सम्भव हो सकेगा, तो यह भी कोशिश करें कि शेड्स या गोडाउन्स ऐसे बनायें जिससे आपत्ति काल में लोगों को मदद मिल सके। इसलिये हम हर तरह से जो भी हो सकता है उसको कर रहे हैं, करने की इच्छा करते हैं, हमारी कोई भी मंशा अपने कर्तव्य से विमुख होने की नहीं है। हमारी किसी प्रकार भी यह इच्छा नहीं है कि हम इस सदन को या इंडिविजुअली किसी माननीय सदस्य को मिसलीड करें।

श्री गोविन्द सिंह—

अलकनन्दा पर भी कुछ कह दीजिये।

श्री उदित नारायण शर्मा—

अलकनन्दा के बारे में जब उस बाढ़ का जिक्र आया उस वक्त तक जो हमको सूचना मिली थी उसके अनुसार जो लोग रुक गये थे वे वहां से हटा कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिये गये थे। अब रही बात उनको राशन पहुंचाने की, उनको मकान देने की। एक और प्रश्न हमारे सामने बहुत बड़ा आ गया है कि हम अभी अस्थायी रूप से छोटे और गरीब किसानों को बाढ़ से बचाने के लिये बसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी संभव है कि इस बाढ़ के निकल जाने के बाद भी दोबारा उनको वहां बसाना उचित न हो। इसके लिये हमने हर जिलाधिकारी से यह कह दिया है कि जो ऐसे स्थान हों उनके लिये यह कोशिश करें कि जगह जहां मिल सकती हो, चाहे वह परती जमीन हो, गांव समाज की जमीन हो, सरकारी जमीन हो और चाहे हमें वह एक्वायर ही क्यों न करनी पड़े लेकिन हमको ऐसी जमीन ढूंढ़ कर रखनी चाहिये।

छितौनी बांध या गंडक की जो बाढ़ आयी है उसके दो हिस्से हैं--एक छितौनी का हिस्सा और एक दूसरा ।

श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती)--

वर्षा से जो किसानों का नुकसान हुआ है उसके लिये सरकार दोषी यों ठहराई जा सकती है कि यदि जिनके पास थ्रेशर हैं उनको चौबीसों घंटे बिजली दी जाती तो वह अपना अनाज उठा लेते। इसके लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि जितना नुकसान हुआ है उसको पूर नहीं किया जा सकता, यह मानव के लिये सम्भव नहीं है। लेकिन आज की परिस्थिति में फौरी सहायता पहुंचाने की जरूरत है।

माननीय भानु प्रताप सिंह का मैं बड़ा मशकूर हूं। उन्होंने बड़े अच्छे सुझाव दिये। वे सुझाव ऐसे हैं कि यहां पर जवाब में उनके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। उन सब पर घंटों बैठ कर विचार करें तब किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। वह प्रश्न फौरी हमारे सामने नहीं है। उनको लांग टर्म पालिसी के विषय में देखना पड़ेगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

पिछले वर्ष जहां कहीं ओलों से ६५ फीसदी फसल को क्षति पहुंची थी क्या उनके लिये कुछ विशेष प्रबन्ध सरकार करेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मैं नहीं जानता कि ओलों से कितनी क्षति हुई थी। उस समय मालगुजारी में छूट और अहेतुक सहायता दे दी गई थी। लेकिन अगर कोई स्थान ऐसा है जहां पर जरूरी है और आप उचित समझते हैं तो उसको हमारे नोटिस में लायें। जितना सम्भव हो सकता है तो उसको हम अपने सीमित साधनों के अन्दर करने का प्रयास करेंगे। इस वर्ष जो ज्यादा वर्षा हुई है और जो हमारी तरफ से बांटा गया है उसमें कुछ अनियमिततायें हुई हैं, तो उनके विषय में हमारे नोटिस में लायें, हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे नोटिस में प्रतापगढ़ का मामला लाया गया कि वहां पर ३ लाख रुपया भेजा गया था और वहां से उन लोगों ने २ लाख यहां वापस कर दिया। हमने फिर २ लाख रुपया उनको वहां भेजा है और कहा ह कि जिसको नहीं मिल पाया है उसको रुपया दिया जाय। इसलिये हमारा सहायता विभाग जहां तक सम्भव होता है, अपने सीमित साधनों के अन्दर रहते हुये, थोड़े बहुत नियमों को देखते हुये जहां कहीं सम्भव हो किसी दांव पेंच में नहीं बन्धने वाले हैं। ईमानदारी से यह इच्छा रखते हैं कि वहां पर सहायता की जाय और उनकी मुसीबत को दूर किया जाय।

श्री महीलाल--

जहां पर ५० फीसदी से ज्यादा नुकसान हुआ है उनकी जांच करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

अवश्य करेंगे।

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, १९७१

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि पहले जो अध्यादेश प्रसारित हुआ था, जिस पर यह विधेयक आधारित है, जिसको आज आप पुरःस्थापित करने के लिये अनुज्ञा दे रहे हैं उस पर मैं अपनी राय जाहिर करना चाहता हूं। इसमें रूप भेद है। अध्यादेश और विधेयक में रूप भेद होने के कारण यह विधेयक पेश नहीं हो सकता है और न पास हो सकता है। यह एक वैधानिक प्रश्न है। इसलिये मैंने इसको आपके सामने रखा है कि आप इस पर अपना निर्णय दें। यह विधेयक सदन में पेश नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—

वह उसके रूप को ही बदल कर नहीं बल्कि पूरा परिवर्तन करके भी रख सकते हैं क्योंकि वह आर्डिनेंस के जोर से नहीं कहते, वह सदन की राय से चलेगा, आप अपनी राय उस पर देंगे, खंडों पर आप को मौका होगा, आप उसके रूप को उस वक्त बदल सकते हैं। कोई रूप बदलने से फर्क नहीं पड़ता वह बदला रूप भी पेश कर सकते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जिस आर्डिनेंस के तहत में इस प्रदेश म काम हुआ उसके संबंध में आप थोड़ा सोच लें कि उस अध्यादेश को विधेयक की शक्ल में लाने के लिये यह बिल लाया गया है, दोनों के भाव में और शब्दावली में भी अन्तर है।

श्री अध्यक्ष—

यह आपके आर्गूमेंट्स हैं, कायदा यह है कि अगर कोई अध्यादेश आता है तो आप उसका अनुमोदन या अननुमोदन कर सकते हैं, वह अलग चीज है। अब यह बिल आप के सामने आया है, बिल परिवर्तित स्वरूप में भी आ सकता है उसका अध्यादेश से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इसका सम्बन्ध है, आप नियम में देख लें, आप हमें सुनें। मित्तल साहब की बात न सुनें, आप नियम १२३ देखें.....

श्री अध्यक्ष—

यह नया सवाल आप उठा रहे हैं, जैसा अभी तक होता रहा है वैसे ही चलेगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इसमें यह है कि आर्डिनेंस से सम्बन्धित जो खंड दिये हैं उनसे इसका सम्बन्ध है....

श्री अध्यक्ष—

मैं फैसला दे चुका, आपके कहने पर मैंने कह दिया कि वह परिवर्तित रूप में भी ला सकते हैं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री यादवेन्द्र सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २७७–२८१ पर)

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७१

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश (टम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट एण्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट एण्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करन हेतु अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री यादवेन्द्र सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ को पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २८२–२८५ पर)

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७१

सामुदायिक विकास राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

क्या आप को कोई संवैधानिक आपत्ति है ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जी हां, मेरी आपत्ति यह है कि इस सदन ने क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम सन् ६१ में पारित किया था और अब यह मांग रहे हैं कि क्षेत्र समिति की कालावधि क्या हो ; इसमें यह लिखा है कि—

Subject to the.....five years. Provided that State Government by notification in their gazatte.

श्री अध्यक्ष--

यह आप अंग्रेजी बोल रहे हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

श्रीमन्, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् ऐक्ट, १९७० की धारा ८ में लिखा है कि सरकार टर्म जो एक्स्टेंड करेगी वह अधिक से अधिक एक साल हो सकता है और क्षेत्र समितियों का कार्यकाल पांच साल रहेगा। अभी दूसरा प्रश्न आया था उसमें माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जो वर्तमान क्षेत्र समितियां हैं वे ६२ से कार्य कर रही हैं। इसका कार्यकाल ६७ में समाप्त हो गया। इसमें दिया गया है कि टोटल एक साल बढ़ेगा। पांच जुलाई से इसका टर्म खत्म हो गया और आज हम विचार कर रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष--

क्या सदन के अधिकार को आप सीमित रखना चाहते हैं? यह सदन में ही तो विधेयक आयेगा। एक साल और बढ़ेगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

हमारी मंशा यह थी कि समय एक साल से ज्यादा न बढ़े। हम लोगों ने जो पास किया उसकी मंशा के विपरीत हम नहीं चाहेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष--

पांच वर्ष तक कार्यकाल रहेगा। एक साल बढ़ा दिया, फिर एक साल बढ़ा दिया। उसके साथ साथ उसमें भी परिवर्तन कर दिया तो कोई हर्ज नहीं है। सदन को पूरा-पूरा अधिकार है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मैंने टोटल के लिये कहा है।

श्री अध्यक्ष--

इन्होंने विधेयक में दिया है। उस विधेयक में परिवर्तन कर रहे हैं। तो वे बढ़ा सकते हैं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७१ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २८६-२८८ पर)

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१

शिक्षा मन्त्री (डाक्टर रामजी लाल सहायक)---

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ २८९–२९९ पर)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

श्री कृष्णानन्द राय, श्री बंशीधर पांडेय और श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह का पंचायत मन्त्रियों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव था। चूंकि इस सम्बन्ध में चर्चा हो गई है इसलिए मैंने नामंजूर कर दिया। दूसरा श्री रामगोपाल सन्ड का था। यह भी इसी विषय में था। श्री हुकुमसिंह परिहार का भी यही था। सबका एक ही विषय था। चूंकि इसके विषय में सबेरे चर्चा हो चुकी है और कुछ काम बन्द करके हुई है, इसलिये अब इनका कोई सवाल नहीं रहा।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ में श्री सुखपाल पांडेय और श्री राम करन सिंह जी का मैंने स्वीकार किया है और इसके ऊपर वक्तव्य १५ तारीख को होगा। श्री रामचरण त्रिपाठी और श्री राजित राम पांडेय का, प्रदेश में नेत्र रोग होने के बारे में है। वह कहते हैं कि दवाई नहीं मिल रही है बलरामपुर अस्पताल में। मैंने इस पर वक्तव्य चाहा है। कल इस पर वक्तव्य माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी दे सकते हैं।

श्री रामचरण त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, वक्तव्य की नहीं, दवा की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष—

जिस वक्त वक्तव्य हो, उस वक्त आप कहियेगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मैंने और हमारे दो तीन साथियों ने स्वायत्त शासन कर्मचारियों के प्रतिनिधि, जो विधान भवन के सामने आमरण अनशन कर रहे हैं, उनके बारे में नियम ५१ में एक दिया है, उस पर भी वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष---

जो-जो मैंने स्वीकार किये हैं, यह मालूम हो जाय तब उसके बाद कहिए तो मैं देखूंगा। भीमताल से हल्द्वानी जाती हुई एक बस खड्ड में गिर गई, यह श्री इन्द्रलाल जी ने दिया है। इसके ऊपर कल वक्तव्य के लिए मैंने स्वीकार किया है। ५१ में नहीं स्वीकार किया है, केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। १६ तारीख को यह वक्तव्य दें। श्री हरीनाथ तिवारी ने भी इसी सम्बन्ध में दिया है। इसके बाद श्री त्रिवेणी सहाय का है कि १४ जून, १९७१ को गोंडा जनपद के ग्राम सभा उज्जेनी कलां, थाना धानेपुर में लगभग १०७ व्यक्तियों द्वारा हथियारों से लस होकर उसी ग्राम के २०-२५ हरिजन परिवारों को लूटा और पीटा। इसके बारे में मैंने नियम ५१ में यह चाहा है कि चर्चा हो। १६ तारीख को वक्तव्य देंगे। उसके ऊपर सदस्यगण चर्चा चाहेंगे लेकिन यह केवल वक्तव्य के लिये होता है सूचना दे देनी चाहिये कि परिस्थिति क्या है। दो ५१ के होंगे और २ वक्तव्य के लिये होंगे।

गृह उप मन्त्री (श्री राम कृष्ण द्विवेदी)---

१६ तारीख के बजाय इसको १७ तारीख रख दिया जाय।

श्री कृष्णानन्द राय---

यह कोई लाटरी नहीं है कि दो वक्तव्य के लिये और दो चर्चा के लिये। मान्यवर, मैंने भी एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव नियम ५३ में दिया है। हमारी पार्टी के ४-५ सदस्यों ने अपने हस्ताक्षरों से उसको दिया है। स्वायत्त शासन कर्मचारी ३-४ दिनों से विधान भवन के बाहर आमरण अनशन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास तो पंचायत मन्त्रियों के बारे में है। अच्छा, यह आपने दिया है। स्वायत्त शासन कर्मचारी विधान भवन के बाहर आमरण अनशन कर रहे हैं। यह अभी मिला है।

श्री कृष्णानन्द राय ---

जो स्वायत्त शासन के कर्मचारी हैं उनका स्वास्थ्य बड़ी तेजी के साथ गिरता जा रहा है। वे आमरण अनशन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी से कह दें कि उनके प्रतिनिधियों से बातचीत कर लें। अगर वे इस शासन काल में मर जायेंगे तो पंडित जी के समय में यह कोई अच्छी चीज नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष---

वह सूचना एकत्रित करके वक्तव्य देंगे।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

अभी एकाएक तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता हूं। जब विधान सभा का अधिवेशन आता है तब इ प्रकार का कोई न कोई कैम्प यहां पर लगा ही करता है। यह पुरानी परम्परा है। कुछ मालूम कर लूं तब इस पर कुछ कहूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय---

आज आप पता लगा लें और कल इस पर वक्तव्य दे दें। तीन दिन हो गये हैं, आमरण अनशन को।

श्री अध्यक्ष--

आप इसको कल लिखकर दे दें। आज तो मैंने कुछ स्वीकार कर लिये हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

मेरा भी एक था। यह बतला दिया जाय कि आपके पास पहुंचा या नहीं।

श्री अध्यक्ष--

आप भी कल दे दें।

बंगला देश को मान्यता देने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

अब नियम ५१ के अन्तर्गत जो कि श्री कल्पनाथ सिंह, श्री बंशीधर पांडेय आदि ने बंगला देश को मान्यता देने के सम्बन्ध में रक्खा है, मुख्य मन्त्री जी कृपा कर वक्तव्य दें।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक २९ मार्च, १९७१ को बंगला देश के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया था :--

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की यह बैठक बंगला देश के उन वीरों को, जिन्होंने लोकतन्त्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति चढ़ा रखी है, सराहना करती है और उन सैनिक आततायियों को जिन्होंने सत्ता के मद में मदहोश हो कर बर्बरतापूर्वक बंगला देशवासियों के सविनय अवज्ञा अन्दोलन को कुचलने के लिए लाखों निशस्त्र, निरपराध एवं निरीह व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया है, भर्त्सना करती है। उत्तर प्रदेश विधान सभा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती है कि इस प्रदेश की जनता की हार्दिक सहानुभूति बंगला देश के वीर स्वातन्त्र्य सेनानियों तक पहुंचाने का कष्ट करें और जो भी सम्भव सहायता वहां के निवासियों को अपेक्षित हो, शीघ्र पहुंचाने का प्रबन्ध करें और यह सदन शेख मुजीबुर्रहमान के वीरता पूर्वक संघर्ष के लिए उनके तथा उनके देशवासियों को बधाई देता है और केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता है कि स्वतन्त्र बंगला देश की अस्थायी सरकार को मान्यता प्रदान की जाय।"

उक्त प्रस्ताव में अन्य बातों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया था कि स्वतन्त्र बंगला देश की अस्थायी सरकार को मान्यता प्रदान की जाय। जैसा कि माननीय सदन को ज्ञात है, यह विषय भारत सरकार के क्षेत्राधिकार का है और इस सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही करनी है वही करेंगे। अतः विधान सभा द्वारा पारित उक्त प्रस्ताव तथा उससे सम्बन्धित विधान सभा की कार्यवाही के उद्धरण, जिसमें सदन की भावनायें इस सम्बन्ध में व्यक्त की गई थीं, भारत सरकार को दिनांक ७ मई, १९७१ को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिये गये थे। माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि यह प्रश्न संसद में भी उठाया जा चुका है और भारत सरकार इस सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण संसद में और उसके बाहर भी स्पष्ट कर चुकी है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि अब जो सरकार ने वक्तव्य दिया है उसमें सरकार ने कहा है कि जो प्रस्ताव की मंशा है उसमें दो बातें थीं--इस प्रदेश की जनता की हार्दिक सहानुभूति केन्द्रीय सरकार उनके पास पहुंचाने का कष्ट करे उनको सहायता दी जाय और मान्यता दी जाय। मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में हम लोगों की भावनाओं को उनके पास पहुंचा दिया है या नहीं। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सरकार ने क्या उत्तर दिया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, यह प्रस्ताव पास हुआ था, संविद सरकार के समय में पास हुआ था। और उसके बाद वह सरकार ४ महीने रही है।

कई सदस्य—

जी नहीं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

एक दिन ही सही। उस जमाने में यह पास हुआ था और वह प्रस्ताव उस सरकार द्वारा भारत सरकार को भेज दिया गया था। जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि स न की भावनाओं तथा कार्यवाही जो हुई उसका उद्धरण भारत सरकार के पास पहुंचा दिया गया और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बराबर यह प्रश्न विचाराधीन है और इसमें देश के राजनैतिक दल कई बार विचार भी कर चुके हैं। यह विषय ऐसा नहीं है जिस पर हल्के-फुलके ढंग से काम किया जाय। भारत सरकार विचार कर रही है और अपना दृष्टिकोण पार्लियामेंट में स्पष्ट कर चुकी है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अब इस सदन की भावनाएं इस प्रस्ताव के अनुकूल जैसा कि पारित हो चुका हैं, तुरन्त वहां तक पहुंचा देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

अब क्या राय बदल गई है?

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

इसकी याददाहिनी के लिये, क्योंकि यह प्रस्ताव २६ मार्च को पारित हुआ था।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रस्ताव रखें कि सदन की यह भावनाएं हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मैं प्रस्ताव रखता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं। आप मेरे पास भेज दें और इजाजत मिलने पर प्रस्ताव रखें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि जब यह प्रस्ताव पास हुआ था तब संविद की सरकार थी और तब से अब की परिस्थिति में परिवर्तन हो गया । काफी संख्या में मुसलमान और ७५ लाख हिन्दू आये हैं जो कि वापस जाने को नहीं। उनमें से ५० हजार आदमी इलाहाबाद में आये हैं जिसके कारण यहां की शांति व्यवस्था और अर्थ व्यवस्था बिगड़ जाने वाली है और उससे उत्तर प्रदेश सीधे प्रभावित है। इसको ध्यान में रखते हुए क्या मुख्य मन्त्री जी ने इस प्रस्ताव के बाद लिखा कि हमारे ऊपर यह प्रभाव पड़ रहा है? अगर उन्होंने ऐसा नहीं लिखा तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आप एक दिन की चर्चा का इसे विषय बना दें जिससे सारी बातें आ जायं कि उत्तर प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या स्थिति होगी।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, ये सारे पहलू और इस प्रश्न के सारे अंग भारत सरकार के सामने हैं और वह उन पर विचार कर रही है। हमारा अनुरोध वहां पहुंच चुका है। मैं दूसरा अनुरोध

भेजने की आवश्यकता नहीं समझता, देश की इच्छा, हमारी इच्छा, पार्लियामेंट की इच्छा उनके सामने है। जैसा केन्द्रीय सरकार मुनासिब समझेगी देश की सुरक्षा के लिए, देश के हित के लिए निर्णय करेगी और उस निर्णय को करने का अधिकार उन्हीं का है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि यह केन्द्रीय सरकार का सब्जेक्ट है, मान्यता देना और उस पर कार्यवाही करना। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और शायद उनको मालूम भी होगा कि प्रदेशों की सरकार का भी कुछ अधिकार होता है राष्ट्रीय हित के मामले में और बिहार की सरकार ने उस सम्बन्ध में कार्यवाही की है। क्या मुख्य मन्त्री जी को यह मालूम है कि बिहार के तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने केन्द्रीय सरकार से मान्यता के लिए सिफारिश की थी और अपने बल पर स्वातन्त्र्य सेनानियों की मदद करने के लिए हथियार, गोला-बारूद देने की बात की थी और दवा-दारू भी पहुंचाने की बात कही थी? कपूरी ठाकुर ने एलान किया था कि भारत सरकार मान्यता दे या न दे लेकिन हम अपनी सामर्थ्य पर उन्हें गोला-बारूद और हथियार की सहायता करेंगे। क्या अपने मुख्य मन्त्री भी प्रदेश की सरकार से उन शरणार्थियों और सेनानियों के लिए सहायता भेजने की चेष्टा करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

शरणार्थियों की सहायता का काम हो रहा है और उसमें उत्तर प्रदेश भी योगदान कर रहा है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् के माध्यम से सारे विधायकों से अपील की है कि जितने विस्थापित लोग हैं उनकी सहायता की जाय। इससे स्पष्ट है कि ढाई करोड़ रुपया प्रति दिन खर्च हो रहा है और ८० लाख लोग उत्तर प्रदेश में पहुंच चुके हैं। बंगला देश को मान्यता न देने से केन्द्रीय सरकार की नीति असफल हो गई है और नपुंसक सरकार से मान्यता न मिलने के कारण उत्तर प्रदेश पर विस्थापितों के व्यय का बोझ पड़ रहा है, ये भावनाएं मुख्य मन्त्री जी वहां तक पहुंचा देंगे।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, जब यह प्रस्ताव पास हुआ था, उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति में बड़ा फर्क है। इलाहाबाद में ५० हजार शरणार्थी बसाने की बात सोची जा रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछें, बहस नहीं कर सकते।

श्री धर्मवीर—

इलाहाबाद के लिये एक समस्या पैदा हो गई है। इस पर आप चर्चा के लिये समय दें ताकि माननीय सदस्य अपने सुझाव दे सकें।

श्री अध्यक्ष—

उसके लिये आप अलग से लिख कर दें।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

जो प्रस्ताव पास हुआ था उसके दो भाग थे—एक में तो बंगला देश के स्वतन्त्रता सेनानियों को सहायता देने की बात थी तथा दूसरे भाग में केन्द्रीय सरकार से मान्यता देने की मांग की गई थी। तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या सहायता दी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, इस सदन ने जो प्रस्ताव पास किया है उसे प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह मन्त्री हो या गैर मन्त्री, अच्छी तरह जानता है, वह उससे बंधा हुआ है। रह गई सहायता की बात तो जो शरणार्थी यहां आये हैं, जो वास्तव में स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी हैं, उनकी सहायता व्यापक रूप से भारत सरकार कर रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार भी उसमें अपना योगदान कर रही है।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, २९ मार्च को मान्यता देने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव इस सदन ने पास किया, हम ऐसा समझते हैं कि अगर केन्द्रीय सरकार ने उसकी रोशनी में कदम उठाया होता तो बंगला देश की जो शक्ल आज बन गई है वह न बनती।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछ सकते हैं, इस तरह वक्तव्य नहीं दे सकते।

श्री हबीबुर्रहमान—

यह कहा गया कि ८० लाख शरणार्थी आये जिनमें ७५ या ७० लाख हिन्दू हैं, जो भी पोजीशन हो, यह पैदा न होती। जब यह प्रस्ताव पास किया था उस वक्त की हालत में और आज की हालत में बड़ा फर्क है। इसलिये इस हाऊस में उस पर चर्चा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप ने यहां से शुरू किया कि अगर उस वक्त कार्यवाही की होती, तत्काल भेज दिया होता, यह बहस है।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

माननीय अध्यक्ष, मैं कई बार खड़ा हो चुका हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। आपको मौका मिलेगा। आध घंटा है। जब मैं खड़ा होता हूं तो बीच में बोलते हैं। मैं उनको जवाब दे रहा हूं। ७ मई को वह आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया। पिछली सरकार ने भेज दिया था।

श्री बंशीधर पांडेय—

२९ मार्च को पास हुआ, ७ मई को भेजा गया है करीब डेढ़ महीने के बाद।

श्री अध्यक्ष—

इसका मतलब यह है कि पिछली सरकार ने देर की। २९ मार्च को पास हुआ तो २९ मार्च को भेजना चाहिए था। तो वह गलती पिछली सरकार की हुई।

श्री हबीबुर्रहमान---

इतनी देर से प्रस्ताव भेजा गया कि जो कार्यवाही करने का मुनासिब वक्त था वह निकल गया।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, कोई देरी नहीं हुई। जैसे मौका मिला प्रस्ताव भेज दिया गया।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन का जो संकल्प था कि बंगला देश को मान्यता दे केन्द्रीय सरकार, उस प्रस्ताव को भेजने मात्र से काम नहीं चला, समस्या और गम्भीर हो गई। सारे देश के लिए आज वह संकट के रूप में खड़ी है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार या मुख्य मंत्री उस प्रस्ताव के अनुरूप केन्द्रीय सरकार को पुनः इस बात का निवेदन करेंगे कि स्वाधीन बंगला देश को तुरन्त मान्यता दे?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, प्रस्ताव भेज दिया गया। सारा देश बड़ी सक्रियता से और स्वयं भारत सरकार इस विषय पर विचार कर रही है। इसके बाद और भेजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निर्णय करने का क्षेत्र उनका है।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)---

उत्तर प्रदेश में कितने शरणार्थी आ चुके हैं, कितने शरणार्थी लेने के लिए आपने सहमति प्रकट की है, उनका व्यय केन्द्रीय सरकार वहन कर रही है या उत्तर प्रदेश की सरकार या उनके लिए चन्दा इकट्ठा किया जा रहा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मुझसे अभी नहीं कहा गया कि कितने शरणार्थी लेंगे। अगर कहा जायगा तो भारत सरकार के ऊपर बोझ है, उसे अपनी शक्ति भर बटाने में कोई चीज उठा नहीं रखेंगे। आज उन्होंने इबादतगंज में जो भारत सरकार की भूमि है, ४ सौ एकड़ का पुराना एरोड्रोम है, उसमें वह एक कैम्प कायम करना चाहते हैं पचास हजार आदमियों का। उसके लिए सारा खर्च वह देंगे। एक-एक पाई का बोझ भारत सरकार पर रहेगा।

श्री धर्मवीर---

चार हजार एकड़ पर एरोड्रोम नहीं है। प्रदेश के किसानों की भूमि ली जा रही है। इस विषय में सदन को चर्चा करने का मौका दीजिये ताकि नये तथ्य सामने आ जायं।

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न कीजिये कि क्या किसानों की जमीन ली गयी?

श्री धर्मवीर---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इलाहाबाद में जिस स्थान पर विस्थापितों को बसाने का प्रश्न है क्या उस स्थान पर प्रदेश के किसानों की जमीन भी सम्मिलित है या नहीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि किसानों की भूमि भी उसमें शामिल है। किन्तु एक तरफ तो हम उनके प्रति सहानुभूति दिखावें और दूसरी तरफ यह कहें कि हमारी भूमि में उन्हें बसाया जा रहा है, यह तो असंगत बात हुई।

श्री धर्मवीर—

अध्यक्ष महोदय, चूंकि इससे अन्य प्रश्न भी सम्बन्धित हो गये हैं इसलिये मैंने इसकी जानकारी चाही है। इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसे आप चर्चा का विषय बना लें ।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मन्त्री ने बताया कि इलाहाबाद में जो जमीन उनको बसाने के लिये ली गई है वह लगभग ४०० एकड़ है। अध्यक्ष महोदय, अभी वहां पर १५ तारीख को और विस्थापित भी आने वाले हैं जिनमें ३०० बच्चे हैं और बाकी स्त्री और पुरुष हैं .....

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि इन विस्थापितों का सारा खर्चा केन्द्रीय सरकार वहन करेगी तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् द्वारा क्यों पैसा इकट्ठा किया जा रहा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इसलिये इकट्ठा किया जा रहा है कि केन्द्रीय सहायता समिति जो है उसका बोझ कुछ हल्का हो सके और ज्यादा भार उस पर न पड़े। यदि आप उस बोझ को हल्का नहीं करवाना चाहते हैं तो आप कहें।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि ७ मई को वह प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है। किन्तु आपके पास क्या प्रमाण है कि वह प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा है? क्या वहां से कोई उत्तर आया है? और यदि आया है, तो वह क्या है? क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी उसे सदन में रखने की कृपा करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, वह प्रस्ताव पहुंच तो गया है। किन्तु उत्तर उसका आया है या नहीं, यह मैं नहीं जानता । वह प्रस्ताव जो था वह तो एक अनुरोध के रूप में था। यदि कोई उत्तर आया होगा तो मैं उसको सदन के सामने प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री बसन्त लाल शर्मा—

माननीय मुख्य मन्त्री ने बताया कि कोई उत्तर आया या नहीं आया, यह उनकी जानकारी में नहीं है । तो वे किस आधार पर ऐसा कहते हैं कि वह प्रस्ताव भारत सरकार को पहुंच गया है, उसका क्या प्रमाण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उसका प्रमाण मान्यवर, यह है कि वह प्रस्ताव मैंने भेजा और मुझे जानकारी है कि वह प्रस्ताव वहां पर पहुंच गया है।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)–

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री यह से जानना चाहता हूं कि जब भारत सरकार अपने मन्त्रियों को बराबर बंगला देश को मान्यता देने के सम्बन्ध में बाहर भेज रही है कि उनको मान्यता दी जाय और अन्य देश भी उसको मान्यता दें तो उसकी अहमियत में ही मन्त्री पीछे मन्त्री जाते रहे हैं और इन विस्थापितों पर प्रति दिन जो २ करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च कर रही है तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री से यह प्रार्थना करूंगा कि वे दुबारा इस प्रश्न पर विचार करने में क्यों हिचक रहे हैं, उन्हें मान्यता देने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये और दुबारा भारत सरकार को लिखें कि हमने वह प्रस्ताव पास किया था उसमें क्या हुआ और अभी तक बंगला देश को मान्यता क्यों नहीं दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––

जोर भारत सरकार दे रही है और जितना जोर हम दे सकते हैं, दे रहे हैं कि उनको मान्यता दी जाय। किन्तु जितना जोर आप दे रहे हैं उससे भी कहीं अधिक जोर भारत सरकार उस पर दे रही है .....

श्री कल्पनाथ सिंह––

मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सरकार से कि जब नियम ५१ की सूचना आपने स्वीकार की और सरकार के पास उनको भेजा, तो क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस बात के जानने का कोई प्रयत्न किया कि उसने उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के ऊपर क्या किया, यदि हां, तो भारत सरकार ने उस बारे में क्या उत्तर दिया ?

श्री अध्यक्ष––

क्या आप समझते हैं कि केवल यहीं से ऐसा प्रस्ताव पारित होकर गया था ?

श्री कल्पनाथ सिंह––

वह तो सारे हिन्दुस्तान से हुआ। हर नागरिक ने अपनी इस आकांक्षा को प्रकट किया लेकिन यह केन्द्रीय सरकार तो इतनी निकम्मी है कि उसको बराबर टाल रही है और यह जो सरकार दल बदलुओं के बल पर बैठी हुई है वह बताये कि केन्द्रीय सरकार ने इस विषय में क्या कदम उठाया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––

मैं समझता हूं मान्यवर, यह बहुत अनुचित है। ऐसे शब्दों का ऐसे विषय में प्रयोग करना उचित नहीं मालूम होता जिसके कि बहुत प्रभाव आगे हो सकते हैं। और जिनके कारण बहुत सी नयी समस्यायें पैदा हो सकती हैं। केन्द्रीय सरकार बड़ी निकम्मी है तो हम बड़े सक्षम हैं ? केन्द्रीय सरकार जितनी कार्यवाही कर रही है, उससे अधिक मेरे खयाल से करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार इस मामले में शीघ्र ही और सतर्कता के साथ तेजी से विचार कर रही है।

श्री कल्पनाथ सिंह––

नियम ५२ में इसके बारे में मैं सूचना दूंगा, आप ढाई घंटे का विवाद स्वीकार कर लीजिये।

श्री लक्ष्मण स्वरूप, सदस्य विधान सभा की रिहाई के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

कल जो मैंने श्री लक्ष्मण स्वरूप जी की गिरफ्तारी की सूचना दी थी, वह आज व्यक्तिगत बन्धनामे पर छोड़ दिये गये हैं, ऐसी सूचना मेरे पास आई है ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ५० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
१३ जुलाई, १९७१ ।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न सं० १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४२ पर।]

(द्वाराहाट विकास क्षेत्र पेयजल योजना की प्रगति सम्बन्धी तालिका)

क्रम-सं०	योजना का नाम	प्रगति का विवरण
१ २ ३	छव्वीसा भासर द्वाराहाट तल्ली मिराइं	योजनायें कार्यान्वित हो गई हैं। और उनसे जनता को जल उपलब्ध हो रहा है।
४	कुवाली ..	पाईपलाइन पड़ गई है तथा जनता को पानी उपलब्ध हो रहा है।
५	असगोली ..	तदेव
६	पिनौली ..	तदेव
७	गिनई ..	पाइप न मिलने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।
८	सुतरगांव कफलेना ..	तदेव
९	मटोला ..	तदेव
१०	भनारगांव ..	कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।
११	परगना ..	योजना के कार्यान्वयन हेतु टेंडर मांगे गये हैं।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्र० ३२ व ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५८ पर)

विकास क्षेत्र छजलैट, मुरादाबाद में कृषकों को पंपिंग सेट तथा रहट के कुओं के लिये वर्ष १९६८–६९ में दिये गये अनुदानों की सूची

क्रम-संख्या	काश्तकार का नाम व पता		गांव का नाम	स्वीकृत अनुदान की धनराशि
		विना ऋण से लगे निजी पंपिंग सेट		
१	श्री झण्डा सिंह, पुत्र चतरू सिंह	..	चक्काली लेट	१,०००.००
२	श्री गंगा सहाय, पुत्र रूप सिंह	..	शेखुपुरा	१,०००.००
३	श्री खचेड़ू सिंह, पुत्र मंगल सिंह	..	करनपुर	१,०००.००
४	श्री जगराम सिंह, पुत्र श्री खंड़ग सिंह	..	शेखुपुरा	१,०००.००
५	श्री अतल सिंह, पुत्र दौलत सिंह	..	मूंडा खेडी	८००.००
६	श्री राजेंद्र सिंह, पुत्र छोटे सिंह	..	नवादा	७५०.००
७	श्री सत्यवीर सिंह, पुत्र छुट्टन सिंह	..	मातपुर	८००.००
८	श्री घासीराम, पुत्र ध्यान सिंह	..	तेलीपुरा खालसा	८५०.००
			योग ..	७,२००.००

सूची

भूमि विकास बैंक द्वारा दिये गये ऋण से निर्मित कार्य

क्रम-संख्या	काश्तकार का नाम व पता	स्वीकृत अनुदान की धनराशि
	पम्पिंग सेट	रु०
१	श्री भूरे, पुत्र पृथ्वी सिंह, ग्राम मथाना	१०००.००
२	सरदार सिंह, पुत्र रोशन सिंह, ग्राम फौलारा पट्टी ..	१०००.००
३	दया राम, पुत्र कन्दन, ग्राम जस्सू नगला	१०००.००
४	नत्थू सिंह, पुत्र रूपा, ग्राम नंगला जेगराज ..	१०००.००
५	श्री पिन्दू सिंह, पुत्र जौरा सिंह, ग्राम मधवा खालसा ..	१०००.००
६	श्री याद राम, पुत्र नानक सिंह, ग्राम फौलरा पट्टी ..	१०००.००
७	भ श सिंह, पुत्र रामदयाल, ग्राम अकबरपुर सिहाली ..	१०००.००
८	श्री शेरशाह, पुत्र मकबूल शाह, ग्राम करनपुर ..	६००.००
९	सु शन सिंह, पुत्र छिद्दा सिंह, ग्राम कुरी रबाना ..	१०००.००
१०	श्री भारत सिंह पुत्र राम स्वरूप, ग्राम नवादा ..	७५०.००
११	श्री चेत राम, पुत्र बल्देव सिंह, ग्राम शेखुपुरा ..	६५०.००
१२	श्री देवव्रत, पुत्र गंगादत्त, ग्राम सुल्तानपुर ..	५५०.००
	योग ..	१०,५५०.००

रहट के कुओं हेतु

क्रम-सं०	काश्तकार का नाम व पता			स्वीकृत अनुदान की धनराशि
१	श्री मवासी, पुत्र सुखस ग्राम मिठइनपुर	..	..	२००.००
२	श्री सूखा, पुत्र भूरे, ग्राम मझेड़ा	..	..	२००.००
३	मिश्री सिंह, पुत्र मंगल सिंह, ग्राम पहाड़मऊ	..	..	२००.००
४	श्री गिरधारी, पुत्र केवल सिंह, ग्राम पहाड़मऊ	..	..	२००.००
५	श्री सुलेमान, पुत्र हुसेन बक्श, ग्राम खुश्हालपुर		..	२००.००
	योग		..	१,०००.००

अधिक अन्न उपजाओ ऋण से निर्मित कार्य

१	श्री मुकन्द सिंह, पुत्र तुलसी सिंह, मानपुर मुजफ्फरनगर		..	२५०.००
२	डालचन्द्र, पुत्र परम सिंह, मानपुर मुजफ्फरपुर		..	२५०.००
३	चेतराम, पुत्र गनेश, ग्राम डोको	..	..	१६०.००
४	श्री भूप सिंह, पुत्र तुलसी, ग्राम नजराना	..	..	१३५.००
५	श्री टेका, पुत्र दयन राम, ग्राम नजराना	..	..	१४०.००
६	श्री मंगला, पुत्र पूरन, ग्राम अन्वारी	..	..	१८०.००
७	श्री छिद्दा, पुत्र पूडे ग्राम अन्वारी	..	..	८०.००
८	श्री दुर्गा सिंह, पुत्र लाल सिंह, ग्राम भगतपुर	..	..	२५०.००
९	श्रीमती अतगरो, पत्नी लियाकत हुसैन, ग्राम नसीरपुर		..	१७५.००
१०	श्री गोपाल, पुत्र रतना, डहरा	..	..	१७५.००
११	नन्हें सिंह, पुत्र विक्रम सिंह, देहरी जन्मन	..	..	२२५.००
१२	श्री अगनू, पुत्र पूरन, ग्राम सुल्तानपुर	..	..	१७५.००
१३	श्री कोदो, पुत्र वहाल, ग्राम चगेरी	..	..	२०५.००
१४	श्री चनसुख, पुत्र गंगा राम, ग्राम मल्हपुर खैया	..	..	२००.००
१५	श्री निहाल सिंह, पुत्र वेदराम, ग्राम मल्हपुर खैया		..	२००.००
१६	ननहूं, पुत्र गंगाराम, ग्राम फलैदा ईसापुर	..	..	२००.००
	योग		..	३,०००.००

राष्ट्रीय प्रसार सेवा निधि से प्रदत्त ऋण से निर्मित कार्य

	रु०
१—श्री होरी, पुत्र मोख, अलीपुर खालसा	१२५.००
२—श्री जहूरा अली, पुत्र नन्हुआ, ग्राम अलीपुर खालसा ..	१२५.००
३—श्री लाखन सिंह, पुत्र भूरे सिंह, ग्राम मलपुर खया ..	१२५.००
४—श्री जगराम सिंह, पुत्र श्री धान सिंह, ग्राम मलपुर खया ..	१२५.००
५—श्री माधो सुरन, पुत्र रघुवीर सरन, ग्राम फतेहपुर विश्नोह ..	१२५.००
६—श्री हेर्मासिंह, पुत्र उमराव, ग्राम मधवा खालसा ..	१२५.००
७—श्री मुखराम, पुत्र किशन सिंह, ग्राम मधवा खालसा ..	१२५.००
८—श्री नत्थू, पुत्र मंगला ग्राम, मधवा खालसा	१००.००
९—श्री गुरुमुख, पुत्र शेर सिंह, ग्राम मधवा खालसा ..	१२५.००
१०—श्री बाबू, पुत्र दौलत ग्राम, मधवा खालसा	१२५.००
११—श्री बलदेव सिंह, पुत्र विशन सिंह, ग्राम मधवा खालसा ..	१२५.००
१२—श्री लेखराज, पुत्र गोविन्दा, ग्राम मधवा खालसा ..	१२५.००
१३—श्री दरियाव सिंह, पुत्र छोटे, ग्राम मलपुर खया ..	१७५.००
१४—श्री चन्दन, पुत्र मंगला, ग्राम दाढ़ी पुर महमूदपुर ..	१७५.००
१५—श्री जसवन्त सिंह, पुत्र खमानी, दाढ़ीपुर महमूदपुर ..	१७२.००
१६—श्री भूकन, पुत्र घासी, ग्राम मथुवा खालसा	२००.००
१७—श्री गोकुल, पुत्र जसराम, मथुआ खालसा	२००.००
१८—श्री परम सिंह, पुत्र हरजत सिंह, फौलरा पट्टी ..	२००.००
१९—श्री चन्दन, पुत्र घसीटा, ग्राम मधुवा खालसा	२००.००
२०—श्री साहब सिंह, पुत्र छज्जू सिंह, ग्राम डाकी ..	२००.००
२१—श्री खड़क सिंह, पुत्र चेतराम, नगला जोगराज	२००.००
२२—श्री रामकुमार, पुत्र धर्म सिंह, कुरी रवाना	२००.००
२३—श्री हरिकिशन, पुत्र सिब्बासिंह, ग्राम तलीपुरा खालसा ..	१७५.००
२४—श्री करवान्शाह, पुत्र सूखाशाह, ग्राम करनपुर ..	१७५.००
२५—श्री नेतराम, पुत्र लल्ला, ग्राम संजरपुर	२२५.००
२६—श्री नन्हें, पुत्र सिब्बा, ग्राम कांठ	१७५.००
२७—श्री श्योनाथ सिंह, पुत्र न्यादर सिंह, ग्राम कांठ	२००.००
२८—श्री नत्थू सिंह, पुत्र हरदेव, ग्राम दाढ़ी महमूदपुर ..	२००.००
२९—श्री नेतोराम, पुत्र धोधा, ग्राम दाढ़ी महमूदपुर ..	२००.००
३०—श्री पल्टू, पुत्र नत्था, ग्राम धर्मपुरा	२००.००
३१—श्री कुन्दन, पुत्र सिलू, ग्राम किरतपुरी	२००.००
३२—श्री नत्थू, पुत्र चूहा, ग्राम मल्हीवाला	२००.००
३३—श्री सुखीराम, पुत्र आशाराम, ग्राम अन्यारी	२२५.००
३४—श्री तुलसी, पुत्र भोला, ग्राम दुल्हापुर	२२५.००

		रु०
३५—श्री मुकन्द राम, पुत्र तोताराम, ग्राम वैरमपुर	.. ..	२००.००
३६—श्रीरामस्वरूप, पुत्र मुन्नू, ग्राम अन्यारी	.. ..	२००.००
३७—श्री डाल चन्द, पुत्र देखराज, ग्राम अन्यारी	.. ..	२२५.००
३८—श्री बिहारी, पुत्र सुकान, ग्राम अन्यारी	.. ..	२००.००
३९—श्री बुद्धन, पुत्र भस्स, ग्राम शाहूपुर	.. ..	२००.००
४०—श्री तुलसी, पुत्र कैसरी, ग्राम शाहूपुर	.. ..	१७५.००
४१—श्री दुर्गासिंह, पुत्र हेतराम, ग्राम खुशहालपुर	.. ..	२००.००
४२—श्री करन सिंह, पुत्र मुखराम, ग्राम संजरपुर	.. ..	२२५.००
४३—श्री कुबरसेन, पुत्र खमानी, ग्राम पंठगी	.. ..	१७०.००
४४—श्री महावीर सिंह, पुत्र हरबंश, ग्राम पंठगी	.. ..	१७०.००
४५—श्री तोताराम, पुत्र चेतनाम, ग्राम खादकपुर	.. ..	१७०.००
४६—श्री निहाल सिंह, पुत्र उमराव, ग्राम सादकपुर	..	१७०.००
४७—श्री किशना, पुत्र टेका, ग्राम धर्मपुरा	..	१७०.००
४८—श्री चेतराम, पुत्र पारसराम, ग्राम मल्लीवाला..	..	१५०.००
योग	..	८,४२२.००

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ग'

(देखिये ता० प्र० ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ १७२ पर)

जिला परिषद् कर्मचारी संघ की मांगें

जनवरी के पत्र द्वारा प्रस्तुत मांगें :

(१) जिला निधि से राज्य कर्मचारियों के समान स्तर पर वेतन-क्रम और महंगाई भत्ते की स्वीकृति।

(२) राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर स्वीकृति की आशा में परिषदों द्वारा दिए गए वेतन–क्रम एवं महंगाई भत्ते की कार्योत्तर स्वीकृति।

(३) राज्य कर्मचारियों के समान पेन्शन तथा ग्रेच्युटी दी जाए।

(४) ५० रु० मासिक की एडहाक वृद्धि।

मार्च, १६७१ के पत्र द्वारा प्रस्तुत मांगें :

(१) जिला परिषद् के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के बराबर वेतन व महंगायी भत्ते के लिए आयोग का गठन तथा राज्य कर्मचारियों के बराबर वेतन व महंगायी भत्ते की मांग की सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया जाना।

(२) वेतन आयोग में उत्तर प्रदेश जिला परिषद् कर्मचारी संघ का प्रतिनिधि रखा जाना।

(३) पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के नियमों की तत्काल विज्ञप्ति।

(४) ५० रु० की मासिक अन्तरिम सहायता १ जनवरी, १६७१ से दिया जाना।

नत्थी 'घ'

परिशिष्ट—१

(देखिये अता० प्र० ३ का उत्तर पीछे १७४ पृष्ठ पर।)

वर्ष १९७०–७१ में एन० पी० के० का माहवार वितरण जिला–मैनपुरी

(मैट्रिक टन)

क्रम-संख्या	नाम माह	नत्रजनिक					फास्फेट					पुटाश				
		कृषि	सह०	एग्रो०	अन्य	योग	कृषि	सह०	एग्रो०	अन्य	योग	कृषि	सह०	एग्रो०	अन्य	योग
१	अप्रैल	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
२	मई	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३	जून	..	१२१	२०	..	..	१४१	३३	९	..	..	४२	२८	५	..	..	३३
४	जुलाई	..	३१०	१२७	१२०	४७	६०४	५७	१३	१२	..	८२	५४	८	२	८	७२
५	अगस्त	..	१८३	१२९	१५६	५८	५२६	२९	..	६	..	३५	२१	२	..	..	२३
६	सितम्बर	..	५२	१०	१८	३३	११३	७४	१	..	..	७५	२९	..	..	..	२९
७	अक्तूबर	..	१७३	८०	२८	७८	३५९	७४	४०	५४	९	१७७	४५	२१	५	८	७९
८	नवम्बर	..	७७१	४३०	१७९	६७	१४४७	१८१	२२४	४५	..	४५०	२३५	१००	..	२	३३७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

९	दिसम्बर ..	५२४	१७५	१८१	२००	१०८०	३८	१८	४	..	६०	५१	११	४७	..	१०९
१०	जनवरी ७१ ..	६१	२१०	४९	४१	३६१	..	१६	..	..	१६	..	२	..	..	२
११	फरवरी, ७१ ..	५२	१३१	..	७१	२५४	..	१८	..	..	१८	..	६	..	..	६
१२	मार्च, ७१ ..	..	१११	२२	२२	१५५	..	..	१	..	१	..	..	..	..	..
	टनों में योग ..	२२४७	१४२३	७५३	६१७	५०४०	४८६	३३९	१२२	९	९५६	४६३	१५५	५४	१८	६९०

नोट--कृषि---कृषि पूर्ति संगठन के बिक्री केन्द्र ।
सह०---सहकारी वितरण के बिक्री केन्द्र ।
एग्रो०---कृषि उद्योग निगम के बिक्री केन्द्र ।
अन्य---प्राइवेट बिक्री केन्द्र और अन्य ।

अतारांकित प्रश्न विधान सभा

नत्थी 'ङ'

तालिका

(देखिये अता० प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७५ पर)

जनपद पौड़ी की ग्रामीण जल सम्पूर्ति योजनायें

क्रम-संख्या	योजना का नाम	विकास क्षेत्र का नाम
१	२	३
१	मटेला जल सम्पूर्ति	वीरोखाल
२	सुराड़ी एवं मश्रीगांव जल पूर्ति	खिसूं
३	गढ़ मोनु पलकोट जल सम्पूर्ति	पाबो
४	इसोटी एवं इन्द्रपुरी जल सम्पूर्ति	एकेश्वर
५	सिल्डी जल सम्पूर्ति	द्वारीखाल
६	थापला जल सम्पूर्ति	एकेश्वर
७	खेरा जल सम्पूर्ति	कोट
८	खुराल गांव जल सम्पूर्ति	खिसूं
९	दछेली जल सम्पूर्ति	खिसूं
१०	मवखोली जल सम्पूर्ति	पावों
११	मुहेरा जल सम्पूर्ति	दुगड्डा
१२	हसूंड़ी जल सम्पूर्ति	काजीखाल
१३	सिद्याखाल जल सम्पूर्ति	पोखरा
१४	भखोला जल सम्पूर्ति	लैंसडाउन
१५	चांदपुर एवं सुमेरसेन जल सम्पूर्ति	द्वारीखाल
१६	बेजरी जल सम्पूर्ति	वीरोखाल
१७	चिलाऊ जल सम्पूर्ति	नैनीड़ाहा
१८	सतपुली जल सम्पूर्ति	द्वारीखाल
१९	सीकू एवं स्कूल जल सम्पूर्ति	पावो
२०	सुन्ना जल सम्पूर्ति	एके वर
२१	खिनाला जल संपूर्ति	रिखनीखाल
२२	घुरंग जल सम्पूर्ति	नैनीडांडा
२३	चोपड़ा जल सम्पूर्ति	पोखरा
२४	पाली हरिजन जल सम्पूर्ति	पौड़ी
२५	ग्वारी मल्ली जल सम्पूर्ति	थालीसेन
२६	पत्तराड हरिजन जल सम्पूर्ति	वीरोखाल
२७	चौपड़िया पाख एवं सुन्दरयान जल सम्पूर्ति	पावो
२८	चावट्टा खाल जल सम्पूर्ति	पोखरा
२९	केसुन्द्र जल सम्पूर्ति	पौड़ी

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ २५१ पर)

उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, १९७१

उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५ को पांच वर्ष की अग्रेतर अवधि के दौरान जारी रखने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (जारी रखने का) अधिनियम, १९७१ कहलायेगा। — संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

(२) यह ३० जून, १९७१ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

२—उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५ की धारा १ की उपधारा (४) में अंक तथा शब्द "३० जून, १९७१" के स्थान पर अंक तथा शब्द "३० जून, १९७६" रख दिये जायं। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २१, १९५५ की धारा १ का संशोधन।

३—उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (जारी रखने का) अध्यादेश, १९७१ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। — उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १२, १९७१ का निरसन।

उद्देश्य और कारण

कृषि उत्पादनों की वृद्धि के साथ ही राज्य की आवश्यकता से अधिक खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने तथा पहाड़ी जिलों तथा मदानी क्षेत्रों की जनता में बांटने एवं प्राकृतिक आपदाओं की दशा में आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्नों के संग्रह के दायित्व की भी वृद्धि हो गयी है। अतएव यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५ के अधीन खाद्यान्नों के संग्रह हेतु भाण्डारों एवं आवासों के अधिग्रहण करने के अधिकार को ३० जून, १९७१ के बाद भी ५ वर्ष तक और कायम रखा जाय। तद्नुसार उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ पुरः स्थापित किया जाता है।

बेनी सिंह,
खाद्य तथा रसद मंत्री।

उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ के संबंध में के वित्तीय ज्ञापन-पत्र

उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ के अधिनियमित होने पर कोई नई वित्तीय बाध्यता अन्तरग्रस्त नहीं है वरन् जो व्यय अभी मूल अधिनियम के अन्तर्गत गोदामों के संबंध में मूल अधिनियम की धारा ७ के अन्तर्गत देय प्रति-कर पर होता रहा है वही कायम रहेगा।

[बेनी सिंह,
खाद्य तथा रसद मंत्री।

विधान भवन

उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ के उपबन्धों में तत्सम्बन्धी अध्यादेश के उपबन्धों से किये गये रूप भेदों को स्पष्ट करने के लिए ज्ञापन-पत्र

उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (जारी रखने का) अध्यादेश, १९७१ द्वारा मूल अधिनियम की धारा १ की उपधारा (४) में संशोधन करके उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५ को, जो ३० जून, १९७१ को समाप्त हो रहा था, ६ महीने के लिये अर्थात् ३१ दिसम्बर, १९७१ तक जारी रखा गया है। प्रदेश में सरकारी क्षेत्रों में गोदामों की बड़ी कमी है और खाद्यान्नों की उगाही में वृद्धि के कारण निजी भाण्डार गृहों को किराये पर लेना आवश्यक है, अतः प्रश्नगत अधिनियम को अग्रेतर पांच वर्ष अर्थात् ३० जून, १९७६ तक जारी रखने के लिये संशोधन करने का प्रस्ताव विधेयक में किया गया है।

बेनी सिंह,
खाद्य तथा रसद मंत्री।

विधान सभा

मूल अधिनियम की संगत धारा का उद्धरण जिसमें संशोधन अपेक्षित है।

धारा १ (४)—इस अधिनियम की समाप्ति से पूर्व कृत्य अथवा अकृत्य बातों को छोड़कर, यह अधिनियम, ३० जून, १९७१, की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा और इस अधिनियम की समाप्ति पर यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४, की धारा ६ उसी प्रकार लागू होगी मानों वह उस समय उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरस्त किया गया था।

विधान भवन

सत्यो 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २५५ पर)

उत्तर प्रदेश (टम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रन्ट एण्ड इविक्शन (जारी रखन का) विधेयक, १९७०

यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) कन्ट्राल आफ रेट एण्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ को अग्रेतर एक वर्ष की अवधि के दौरान जारी रखने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐण्ड इविक्शन (जारी रखने का) अधिनियम, १९७१ कहलायेगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९४७ की धारा १ का संशोधन

२—यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐण्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९७१" के स्थान पर संख्या "१९७२" रख दी जाय।

उद्देश्य तथा कारण.

यूनाइटड प्रांवसेज (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐण्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ का अवधि ३० सितम्बर, १९७१ को समाप्त हो रही है। आवास समस्या अ भी जटिल बनी हुई है। नागर क्षेत्रों में बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में राज्य में नये भवनों का निर्माण नहीं हो रहा है। परिणामतः खाली भवनों की उपलब्धि तथा उनकी मांग में अभी काफी अन्तर है। निवास-स्थानों की कमी के कारण उपलब्ध निवास-स्थानों को किराये पर उठाये जाने पर नियंत्रण रखना और बदखली पर प्रतिब ध बनाये रखना आवश्यक है। उक्त ऐक्ट के कार्यान्वयन के दौरान उसमें जो त्रुटियां दृष्टिगोचर हुई है उनका निराकरण करने के लिए एक बृहत् विधेयक "उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७०" विधान सभा में विगत ११ मई, १९७० को पुरःस्थापति किया गया था। उक्त विस्तृत विधेयक, सम्प्रति, विधान मंडल की संयुक्त प्रवर समिति के विचाराधीन है। चूंकि बृहत् विधेयक के विधायन तथा तदुपरान्त उसके विधिवत् प्रशासन के प्रबन्ध में अभी कुछ और समय लगने की सम्भावना है, अतएव, प्रस्तुत विधेयक द्वारा मूल ऐक्ट की अवधि को अग्रेतर ३० सितम्बर, १९७२ तक बढ़ा देने का प्रस्ताव है किन्तु उक्त बृहत् विधेयक में इस अधिनियम के पूर्व निरसन का प्राविधान कर दिया गया है।

२—तद्नुसार उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ पुरःस्थापति किया जाता है।

बेनी सिंह,
मंत्री,
खाद्य तथा रसद विभाग।

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ के सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञापन-पत्र

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐण्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ के सम्बन्ध में, यदि वह अधिनियमित हो जाय, राज्य की संचित निधि से व्यय वर्तमान स्तर पर ही जारी रखा जायगा जो निम्नलिखित है:—

"रेंट कन्ट्रोल और एलाइड ऐक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन आर्गनाइजेशन के रख-रखाव पर आवर्तक व्यय का अनुमान प्रति वर्ष (लगभग) ४,४५,१२० रुपये लगाया गया है।"

प्रस्तुत विधेयक के कारण कोई नया व्यय नहीं होगा।

बेनी सिंह,
मंत्री,
खाद्य तथा रसद विभाग।

मूल अधिनियम की संगत धारा का उद्धरण जिसका संशोधन होना है

short title, extent, commencement and duration.

* * * *

U.P. Act III of 1947.

U.P. Act I of 1904.

(4) It shall cease to have effect on the expiry of September 30, 1971, except as respects things done or omitted to be done before the expiration thereof and section 6 of Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904, shall apply upon the expiry of the Act as if it had been repealed by an Uttar Pradesh Act.

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३५ पर)

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७१

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्य-काल का विस्तारण) अधिनियम, १९७१ कहलायेगा । — संक्षिप्त नाम

२—यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा १२ में, उपधारा (२) में, शब्द "ग्यारह वर्ष" के स्थान पर शब्द "बारह वर्ष" रख दिये जायें । — यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७ की धारा १२ का संशोधन

३—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, १९६१ की धारा ८ में, उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड में, शब्द "चार वर्ष" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष" रख दिये जायें । — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २३, १९६१ की धारा ८ का संशोधन

४—उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) अध्यादेश, १९७१ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है । — उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ५, १९७१ का निरसन

उद्देश्य और कारण

प्रदेश की क्षेत्र समितियों तथा गांव पंचायतों का कार्यकाल क्रमशः ४ मई, १९७१ तथा ५ जुलाई, १९७१ को समाप्त हो रहा था और राज्य सरकार को इनका कार्यकाल और आगे बढ़ाने के अधिकार नहीं थे। तदनुसार उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) अध्यादेश, १९७१ द्वारा इन संस्थाओं का कार्यकाल एक वर्ष तक और बढ़ाने के अधिकार प्राप्त कर लिये गये थे। उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये वह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

बलदेव सिंह आर्य,
सामुदायिक विकास मंत्री।

अधिनियमों की उन धाराओं के उद्धरण जिनमें संशोधन अपेक्षित हैं

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७

धारा १२(२)"(२)धारा१२–जी के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रत्येक गांव पंचायत का कार्य-काल पांच वर्ष अथवा, यदि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस प्रकार घोषणा करे तो ग्यारह वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये होगा जो वह निश्चित करे ।"

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१

८––(१) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी खण्ड की प्रथम तथा प्रत्येक अनुवर्ती क्षेत्र समिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर समस्त क्षेत्र समितियों अथवा किसी भी क्षेत्र समिति का कायकाल इस प्रकार बढ़ा सकती है कि बढ़ाया गया कार्य-काल या बढ़ाये गये कायकालों का योग चार वर्ष से अधिक न हो।

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २५७ पर)

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित किया गया)

(विधेयक में से निकाले जाने वाले शब्द, अंक या वाक्य कोष्ठकों [ ] में कर दिये गये हैं और नये बढ़ाये गये शब्द, अंक या वाक्य रेखांकित——— कर दिये गये हैं)

राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले हाई स्कूलों तथा इन्टरमीडिएट कालेजों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन के भुगतान को विनियमित करने और तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने के लिए,

विधेयक

भारत गणराज्य के बाईसव वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, १९७१ कहलायेगा। संक्षिप्त नाम, [तथा] प्रसार तथा आरम्भ

(२) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह अधिनियम प्रथम अगस्त, १९७१ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

२—जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में— परिभाषायें

(क) "निरीक्षक" का तात्पर्य जिला विद्यालय निरीक्षक और किसी बालिका संस्था के संबंध में यथास्थिति, जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका या सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से है और प्रत्येक दशा में इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है ;

(ख) "संस्था" का तात्पर्य किसी ऐसी मान्यता प्राप्त संस्था से है जिसे तत्समय राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त होता है। [किन्तु धारा १० के प्रयोजनों के लिए इसके अन्तर्गत धारा ५ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट संस्था नहीं है];

(ग) "अनुरक्षण अनुदान" का तात्पर्य किसी संस्था के ऐसे सहायक अनुदान से है, जिसे राज्य सरकार तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा संस्था के स्तर के समुपयुक्त अनुरक्षण अनुदान माने जाने के लिए निदेश दे;

(घ) किसी संस्था के संबंध में "प्रबन्धाधिकरण" का तात्पर्य प्रशासन योजना के, यदि कोई हो, अनुसार संघटित प्रबन्ध समिति से है, और इसके अन्तर्गत प्रबन्धक या ऐसा अन्य व्यक्ति भी है, जिसमें संस्था के [कार्यकलापों] कार्यकालाप का प्रबन्ध तथा संचालन निहित हो;

(ङ) किसी संस्था के "अध्यापक" का तात्पर्य ऐसे प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक अथवा अन्य अध्यापक से है जिसके सेवायोजन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उस संस्था को अनुरक्षण अनुदान दिया जाता हो, और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अन्य अध्यापक भी है जो संस्था की मान्यता की या उसकी किसी नये विषय में या उसकी किसी उच्चतर कक्षा के लिये मान्यता की शर्तों को पूरा करने के निमित्त अथवा किसी वर्तमान कक्षा में निरीक्षक के अनुमोदन से कोई नया अनुभाग खोलने के फलस्वरूप सेवायोजित हो;

(च) किसी संस्था के "कर्मचारी" का तात्पर्य ऐसे गैर-शिक्षक कर्मचारी से है जिसके सेवायोजन के संबंध में अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार द्वारा सस्था को दिया जाता हो;

(छ) किसी अध्यापक या कर्मचारी के "वेतन" का तात्पर्य अनुरक्षण अनुदान के भुगतान के प्रयोजनार्थ अनुमोदित दरों पर उसे तत्समय देय उपलब्धियों के कुल योग से है जिनके अन्तर्गत महंगाई या अन्य भत्ता भी है;

संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या २,१९२१

(ज) ऐसे अन्य शब्दों तथा पदावलियों के, जो इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ में परिभाषित हैं, किन्तु यहां पर परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं।

समय के भीतर और अप्राधिकृत कटौतियां किये बिना वेतन का भुगतान

३—(१) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, किसी संस्था के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी का ३१ मार्च, १९७१ के पश्चात् की किसी अवधि के सम्बन्ध में वेतन उस माह के, जिसके या जिसके किसी भाग के संबंध में वह देय हो, आगामी माह के बीसवें दिन, अथवा उससे पूर्व के ऐसे दिन जो राज्य सरकार तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वार निश्चित करें, की समाप्ति के पूर्व उसे दिया जायगा।

(२) वेतन का भुगतान बिना किसी प्रकार की कटौतियों के, सिवाय उनके जो विनियमों द्वारा या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों द्वारा अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हों, किया जायगा।

निरीक्षण आदि करने का अधिकार

४—(१) निरीक्षक किसी समय, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी संस्था का निरीक्षण कर सकता है अथवा निरीक्षण करा सकता है या उसके अध्यापकों या कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के संबंध में उनके प्रबन्धाधिकरण से ऐसी सूचना और अभिलेख (जिसके अन्तर्गत रजिस्टर, लेखा बही तथा वाउचर भी हैं) मांग सकता है अथवा उसके प्रबन्धाधिकरण को ऐसे वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का अनुपालन करने के लिए कोई निदेश (जिसके अन्तर्गत किसी अध्यापक या कर्मचारी की छटनी करने अथवा अनावश्यक व्यय को रोकने के लिए कोई निदेश भी है) दे सकता है, जिसे वह उचित समझे।

(२) जब उपधारा (१) के अधीन कोई निदेश किसी अध्यापक या कर्मचारी की छटनी करने के लिये दिया जाय तो उसका अनुपालन इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१, व विनियमों के उपबन्धों अथवा यथास्थिति, उस की सेवा की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

कतिपय संस्थाओं की दशा में वेतन का भुगतान करने की प्रकिया

५—(१ प्रत्येक संस्था का प्रबन्धाधिकरण अपने अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन के वितरण करने के प्रयोजनाथ किसी अनुसूचित बैंक में एक पृथक् लेखा खोलेगा जो प्रबन्धाधिकरण के किसी प्रतिनिधि द्वारा और निरीक्षक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जो निरीक्षक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि लेखा खोले जाने के पश्चात् निरीक्षक, यदि उसका, इस अधिनियम के अधीन बने किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये, यह समाधान हो जाय कि लोक हित में ऐसा करना इष्टकर है, बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखों का परिचालन केवल प्रबन्धकाधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा, और ऐसे अनुदेश को किसी समय विखंडित कर सकता है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट दशा में अथवा जब वेतन के वितरण में प्रबंधाधिकरण की किसी चूक के कारण कठिनाई उत्पन्न हो, तो निरीक्षक बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखा केवल उसके द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जो उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, परिचालित किया जायेगा, और ऐसे अनुदेश को किसी समय विखंडित कर सकता है।

(२) प्रबन्धाधिकरण ऐसे शुल्क के रूप में, जो राज्य सरकार के तदर्थ सामान्य या विशेष आदेशों के अनुसार अनुरक्षण निधि का भाग होती है, छात्रों से प्राप्त धनराशि का अस्सी प्रतिशत या यदि [निरीक्षक] राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी वितरित की जाने वाली धनराशियों की अपेक्षता को ध्यान में रखते हुये उससे अधिक प्रतिशत के लिये निदेश दे तो ऐसा उच्चतर प्रतिशत, जैसा वह निदेश दे, उक्त लेखों में, ऐसे दिनांक तक जो निरीक्षक द्वारा सामान्य या विशेष [आदेश] आदेशों द्वारा निर्दिष्ट किया जाय, जमा करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त प्रकार के उक्त प्रतिशत में शुल्क जमा न किया जाय तो निरीक्षक आदेश द्वारा प्रबन्धाधिकरण को छात्रों से कोई शुल्क वसूल करने से प्रतिषिद्ध कर सकता है, और तदुपरान्त निरीक्षक शुल्क को (या तो संस्था के अध्यापकों के माध्यम से अथवा ऐसी अन्य रीति से जिसे वह उचित समझे) सीधे छात्रों से वसूल कर सकेगा और इस प्रकार वसूल किये गये शुल्क को उक्त लेखे में जमा करेगा।

(३) अनुरक्षण अनुदान की समस्त धनराशि और निःशुल्कता तथा अन्य तत्सदृश रियायतों की प्रतिपूर्ति के लिये अनुदान के अस्सी प्रतिशत या ऐसे उच्चतर प्रतिशत जो राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी तदर्थ सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निश्चित करे, की [समस्त] धनराशि राज्य सरकार द्वारा उक्त लेखों में जमा की जायेगी।

(४) उक्त लेखों में जमा की गई धनराशि का प्रयोग सिवाय निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये, नहीं किया जायगा, अर्थात्—

(क) [इस अधिनियम के प्रारम्भ होने] ३१ मार्च, १९७१ के पश्चात् की किसी अवधि के संबंध में देय होने वाले उक्त वेतनों का भुगतान;

(ख) अध्यापकों तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में संस्था के अंशदान, यदि कोई हो, को जमा करना;

[(ग) कोई अन्य व्यय जिसके लिये राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी निदेश दे।]

और प्रत्येक वर्ष जुलाई मास के अन्त में खाते में अवशेष धनराशि का ऐसा अंश जो संस्था के अध्यापकों तथा कर्मचारियों की उस अवधि तक, जिसके लिये छात्रों से शुल्क वसूल किया जा चुका हो, के वेतन के भुगतान के दायित्व को पूरा करने के बाद उनके एक महीने के वेतन के योग से अतिरिक्त हो, प्रबन्धाधिकरण को संस्था पर व्यय के लिये दे दिया जायगा।

(५) किसी अध्यापक या कर्मचारी के वेतन का भुगतान उक्त लेखों से उसी बैंक में उसके लेखों में, यदि कोई हो, धनराशि का अन्तरण करके, या यदि उसका उस बैंक में कोई लेखा न हो, तो चेक द्वारा किया जायेगा।

(६) किसी ऐसे स्थान के सम्बन्ध में, जहां कोई अनुसूचित बैंक न हो, इस धारा के उपबन्ध ऐसे परिष्कारों के साथ लागू होंगे जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, और इस धारा में किसी बैंक के लिये अभिदेश उस दशा में किसी डाकघर बचत बैंक के लिये अभिदेश समझे जायेंगे।

उपबन्धों तथा निदेशों का प्रवर्तन

६—(१) यदि निरीक्षक का किसी संस्था या उसके अभिलेखों का निरीक्षण करने के आधार पर अथवा अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाय कि उसके प्रबन्धाधिकरण ने धारा ४ के अधीन दिये गये किसी निदेश का या धारा ३ अथवा धारा ५ के किसी उपबन्ध का अनुपालन करने में चूक की है तो वह सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक को यह सिफारिश कर सकता है कि उस संस्था के विरुद्ध उपधारा (२) के अधीन कार्यवाही की जाय।

(२) उपधारा (१) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर सम्भागीय उपनिदेशक प्रबन्धाधिकरण को उक्त निदेश या उपबन्ध का अनुपालन करने के लिए अथवा एक सप्ताह के भीतर यह कारण बतलाने के लिए कह सकता है कि क्यों न प्रबन्धाधिकरण का अतिक्रमण कर दिया जाय।

(३) यदि प्रबन्धाधिकरण उपर्युक्त का अनुपालन न करे या कारण न बताये अथवा सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक बताये गये कारण को अपर्याप्त समझे, तो वह आदेश द्वारा प्रबन्धाधिकरण का एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, अतिक्रमण कर सकता है, और किसी व्यक्ति को (जिसे आगे प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) उक्त अवधि के लिये संस्था का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिये प्राधिकृत कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक जहां वह ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर समझे—

(१) समय-समय पर उक्त अवधि बढ़ा सकता है, किन्तु इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि कुल मिला कर पांच वर्ष से अधिक न हो; या

(२) किसी भी समय उक्त आदेश को विखंडित कर सकता है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खंड के खंड (२) की किसी बात से इस धारा के अधीन नया आदेश देने के संबंध में कोई रुकावट न होगी।

(४) उपधारा (३) के अधीन कोई आदेश दिये जाने पर प्राधिकृत नियंत्रक प्रबन्धाधिकरण को अपवर्जित करके और केवल सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक, निदेशक या राज्य सरकार के आदेशों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुये, प्रबन्धाधिकरण के सभी अधिकारों का प्रयोग और सभी कृत्यों का सम्पादन, जिसके अन्तर्गत संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति का प्रबन्ध भी है, करेगा, और विशेष रूप से, धारा ५ में अभिदिष्ट बैंक के लेखे का परिचालन अकेले करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि इससे प्राधिकृत नियंत्रक को किसी ऐसी सम्पत्ति का (प्रबन्ध के सामान्य क्रम में माह प्रतिमाह किराये पर देने के सिवाय) अन्तरण करने या उसे भारित करने (सिवाय राज्य सरकार से संस्था के लिये कोई सहायक अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में) का अधिकार प्राप्त होता है।

(५) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश या निदेश, संस्था के प्रबन्ध और नियंत्रण से (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) या उसकी अथवा उसमें निहित सम्पत्ति से संबंधित किसी अन्य अधिनियमिति या करण में दी गई असंगत बात के होते हुये भी प्रभावी होगा।

अपील

७—धारा ६ की उपधारा (३) के अधीन प्रबन्धाधिकरण का अतिक्रमण करने के सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक के आदेश के विरुद्ध अपील प्रबन्धाधिकरण को आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से एक माह के भीतर निदेशक के पास जा सकती है, और निदेशक ऐसी अग्रेतर जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे या तो उस आदेश को रद्द कर सकता है या उसकी पुष्टि कर सकता है या उसे परिष्कृत कर सकता है और अपील का निस्तारण होने तक, आदेश का प्रवर्तन ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जिसे वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है।

पुनरीक्षण

८—राज्य सरकार द्वारा ७ के अधीन निदेशक द्वारा निर्णीत किसी अपील के अभिलेख को, निदेशक द्वारा दिये गये किसी आदेश के सही होने या उसके औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मंगा सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है, और वह उस पर ऐसे आदेश दे सकती है, जिसे वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण का अतिक्रमण करने या उसके अतिक्रमण की अवधि को बढ़ाने के लिये इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक प्रबन्धाधिकरण को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने का अवसर दे दिया जाय।

बोर्ड के कतिपय कार्य के लिये राज्य सरकार का अनुमोदन

९—(१) इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ में निहित किसी बात के होते हुये भी मान्यता की शर्तों को संशोधित करने वाला कोई विनियम और किसी संस्था को [नई मान्यता या] किसी नये विषय में अथवा उच्चतर कक्षा के लिए [उसे] मान्यता देने का बोर्ड का कोई आदेश तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि वह राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाय।

(२) किसी ऐसे आपत्काल में जिसमें, राज्य सरकार की राय में, यह अपेक्षित हो कि तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए, तो राज्य सरकार यह निदेश दे सकती है कि कोई ऐसी मान्यता देने के संबंध में बोर्ड के अधिकार उसके सभापति द्वारा प्रयोग किये जायेंगे, और तदुपरान्त सभापति, उक्त अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुये भी, उक्त अधिनियम की धारा १३ में अभिदिष्ट मान्यता समिति को उसे अभिदिष्ट किये बिना ऐसे अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

(३) यदि राज्य सरकार उप-धारा (२) के अधीन कोई निदेश जारी करे तो वह, यदि उचित समझे यह भी निदेश दे सकती है कि सभापति ऐसे निकाय से परामर्श करेगा जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ संघटित किया जाय।

वेतन के संबंध में दायित्व

१०—(१) राज्य सरकार प्रत्येक संस्था के अध्यापकों और कर्मचारियों के ऐसे वेतन के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी जो ३१ मार्च, १९७१ [इस अधिनियम के प्रारम्भ होने] के पश्चात् किसी अवधि के सम्बन्ध में देय हो।

(२) राज्य सरकार ऐसी धनराशि को जिसके लिये उसके द्वारा उपधारा (१) के अधीन दायित्व उपगत हो उस संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति [से] की आय की कुर्की द्वारा वसूल कर सकती है मानो वह धनराशि संस्था द्वारा देय मालगुजारी की कोई बकाया हो।

(३) इस धारा की किसी बात से अध्यापक या कर्मचारी के प्रति किन्हीं ऐसे दोषों के लिये संस्था के दायित्व का अल्पीकरण नहीं समझा जायेगा।

दंड शास्ति तथा प्रक्रिया

११—(१) यदि धारा ४ के अधीन किसी निदेश का अथवा धारा ३ या धारा ५ के उपबन्धों का अनुपालन करने में कोई चूक की जाय तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो चूक की जाने के समय, प्रबन्धक था अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसमें संस्था का प्रबन्ध और कार्य-संचालन करने का प्राधिकार निहित था, जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि चूक उसकी जानकारी के बिना हुई थी अथवा उसने ऐसी चूक की जाने को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी, धारा ३ के उपबन्धों के अनुपालन में चूक करने की दिशा में अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और कोई अन्य चूक करने की दशा में कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो छः माह तक हो सकता है या अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

(२) कोई भी न्यायालय सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक की पूर्व स्वीकृति के सिवाय इस धारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

(३) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा किन्तु कोई पुलिस अधिकारी जो उप-अधीक्षक के पद से नीचे का हो, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे अपराध का न तो अनुसन्धान करेगा न वारन्ट के बिना उसके लिये गिरफ्तारी करेगा।

(४) कोई भी न्यायालय जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे का हो, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

अपवाद

१२--इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या इसके अधीन किसी अधिकार का प्रयोग करके राज्य सरकार, निदेशक, सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक या निरीक्षक या अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के सबंध में छूट

१३--इस अधिनियम की कोई बात किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या रेलवे प्रशासन द्वारा अथवा किसी ऐसे अन्य औद्योगिक, उपक्रम द्वारा, जिसका स्वामी भारत सरकार या राज्य सरकार हो या जिस पर उसका नियंत्रण हो, अनुरक्षित संस्थाओं पर लागू न होगी।

सद्भावना से किये गये कार्यों के लिये संरक्षण

१४--इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार, निदेशक, सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक, निरीक्षक, प्राधिकृत नियंत्रक या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

कठिनाइयां दूर करने का अधिकार

[१५--(१) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में, या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण, कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अवसर की अपेक्षानुसार, गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे प्रासंगिक या आनुषंगिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के या इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ के या विनियमों के किसी उपबन्धों का अनुकूलन या परिष्कार करने का उपबन्ध भी है, किन्तु जिससे सार पर प्रभाव न पड़े, बना सकती है जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक या इष्टकर समझे।]

[(२) उप-धारा (१) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति पर नहीं किया जायेगा।]

[(३) उप-धारा (१) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, यथा सम्भव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।]

नियम बनाने का अधिकार

[१५]-१६--(१) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और, जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों, अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

निरसन तथा अपवाद उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३, १६७१

[१६]–१७––(१) उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अध्यादेश, १६७१, उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (द्वितीय) अध्यादेश, १६७१ तथा उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अध्यादेश, १६७१ एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ७, १६७१

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १०, १६७१

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेशों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई क्रिया इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायेगी मानों यह अधिनियम १६ जनवरी, १६७१ को प्रवृत्त हो गया था।

उद्देश्य तथा कारण

बहुधा ऐसे परिवाद किये गये हैं कि सहायता प्राप्त गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों को उनका वेतन समय पर नहीं दिया जाता है और इस कारण इन कर्मचारियों को कठिनाई उठानी पड़ती है। ऐसी संस्थाओं के प्रबन्धाधिकरणों को समय-समय पर दिये गये अनुदेश प्रभावकारी नहीं सिद्ध हुये। इस विधेयक द्वारा इस कठिनाई को दूर करने तथा वेतन का नियमित तथा समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रबन्धाधिकरणों का अतिक्रमण करने एवं उन्हें दंडित करने की व्यवस्था की गई है।

तद्नुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

रामजी लाल सहायक,
शिक्षा मन्त्री।

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१ के संबंध में वित्तीय ज्ञापन

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१ के अधिनियमित हो जाने पर उसके खण्ड १० के उपखण्ड (१) के अनुसार कुछ दशाओं में अध्यापकों को उनके वेतन इत्यादि देने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का हो जाता है। इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिये राज्य सरकार पर तदर्थ रूप से २.०८ करोड़ रु० का व्यय अनुमानित है।

रामजी लाल सहायक,
शिक्षा मन्त्री।

प्रतिनिहित विधायन सम्बन्धी ज्ञापन-पत्र

खण्ड १५ द्वारा राज्य सरकार को इस विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बनाने का अधिकार दिया जा रहा है। उक्त खण्ड में यह भी व्यवस्था की जा रही है कि इस प्रकार बनाये गये सभी नियम, विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जायंगे और वे ऐसे परिष्कारों और अभिशून्यनों के अधीन होंग जो विधान मण्डल के दोनों सदन उनमें करने के लिये सहमत हों।

रामजी लाल सहायक,
शिक्षा मन्त्री।

पी० एस० यू० पी०—ए०पी० ११८ एल० ए०—१६७१—८४५ (प्रो०)।